राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 17

शुक्रवार;

14 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न। श्री देवीशंकर भूतड़ा।

अजमेर जिले के विकलांगों को आस्था कार्ड

257. **श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में विकलांगों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आस्था कार्डधारी विकलांगों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकलांगों को आस्था कार्ड जारी किये गये हैं? यदि हां, तो अब तक अजमेर जिले में कितने कार्ड जारी किये जा चुके हैं? उपखण्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): (1) सरकार द्वारा प्रदेश में विकलांगों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आस्था कार्डधारी विकलांगों को बी.पी.एल. चयनित परिवारों के समकक्ष मानकर राज्य सरकार द्वारा देय सभी लाभ प्रदान किये जाते हैं।

(3) जी हां। अजमेर जिले में अब तक 126 आस्था कार्ड जारी किये जा चुके हैं। उपखण्डवार संख्या सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण व सूची के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार विकलांगों को, आस्था कार्डधारियों को जो सुविधा उपलब्ध करवा रही है उन सुविधाओं की जो परिशिष्ट में सूची दी है, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने कितने बजट का प्रावधान रखा? उस प्रावधान में कितना व्यय हुआ है, इसकी जानकारी देने का कष्ट करें? इसके साथ ही इन सुविधाओं के लिये राजस्थान में कितने विकलांगों ने आवेदन किया और कितनों को ये सुविधाएं दी गईं और कितने इससे वंचित रह गये? जो वंचित रह गये, क्या उनके बारे में भी सरकार कोई विचार उनको सुविधाएं देने के लिये कर रही है या नहीं?

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक लगभग 3300 आस्था कार्ड हमने जारी किये हैं। जो विकलांग हैं, जो उस परिवार में विधवा है, उस परिवार में जो वृद्ध हैं, जिन्होंने 65 साल की उम्र पार कर ली है, लगभग सभी को हम यह सभी दे रहे हैं। यदि वह कपल है तो उनको 600 रुपया महीना दे रहे हैं और यदि एकल है तो उनको 400 रुपया महीना पेंशन हम दे रहे हैं। आस्था कार्डधारियों का जहां तक सवाल है, चूंकि यह विभिन्न विभागों से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे खाद्य विभाग उनको सस्ती दर पर गेहूं उपलब्ध करवाता है ओर जो सस्ती दर पर गेहूं होता है, जो ए.पी.एल. को गेहूं देते हैं उसमें जो गैप रहता है, उसको समाज कल्याण विभाग अपने खाते से खाद्य विभाग को उपलब्ध करवाता है ताकि उसकी भरपाई हो जाए। इसी प्रकार से चिकित्सा विभाग को हमने लिखा हुआ है और वे निरन्तर रूप से कोशिश यह करते हैं कि सभी आस्था कार्डधारी जितने लोग हैं, उस परिवार की नि:शुल्क व्यवस्था हो। उनकी लगातार कर रहे हैं। हमने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिख दिये हैं, सभी विभागों के अधिकारियों ने नीचे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र लिखकर सबको बी.पी.एल. के समान सुविधा देने के लिये अधिकृत कर दिया है जिसमें अभी तक हमारे इस प्रकार की कोई लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि आस्था कार्डधारी को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कभी-कभी मौखिक रूप से आकर हमें इस प्रकार का आग्रह करते हैं तो हम सम्बन्धित विभाग को कहते हैं तो वह समय पर उपलब्ध करवा देते हैं।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जानना तो यह चाहा कि कितने बजट का प्रावधान किया गया है और कितना व्यय इन

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

सुविधाओं पर हुआ है, वह जवाब तो मंत्री महोदय का नहीं आया है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सुविधाएं विकलांगों को दी जा रही हैं उसके बारे में अनेक बार ये शिकायतें मिलती हैं कि वास्तव में जो इसका हकदार है उसको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये वह अधिकारियों के चक्कर लगाता रहता है, और उसमें वह परेशान रहता है। तो क्या सरकार कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था कर रही है कि इन विकलांगों को इनका हक मिले? इस बारे में एक क्वेश्चन और पूछा था कि राजस्थान में कितने विकलांग हैं, ऐसी कोई सूची बनाई है? आस्था कार्ड तो जारी किये होंगे लेकिन इसके अलावा राजस्थान में कितने विकलांग हैं जो सूचीबद्ध हैं या नहीं हैं? सूचीबद्ध नहीं हैं तो क्या कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इनको सूचीबद्ध करें? कि जो इस सूची के अन्तर्गत आते हैं, जो नियमानुसार आते हैं, उनको तो वे सुविधाएं उपलब्ध कराएं और जो वास्तव में इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं, नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, क्या एन.जी.ओ. से, अन्य संस्थाओं से भी उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में सरकार गम्भीरता से कोई विचार कर रही है, या नहीं कर रही है? इस बारे में विस्तार से बताएं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अलग से बजट की आवश्यकता इसलिये नहीं है क्योंकि चिकित्सा विभाग इनकी नि:शुल्क चिकित्सा कर देता है, खाद्य विभाग उनको नि:शुल्क गेहूं दे देता है, कम शुल्क, जो नामिनल राशि होती है, उसके ऊपर। और हम जो पेंशन का मद है उसमें से पेंशन दे देते हैं। इसलिये अलग से बजट की आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक इन्होंने विकलांगों की संख्या पूछी है, राजस्थान में 14 लाख 12 हजार लगभग विकलांग हैं, उसमें से दृष्टि-बाधित साढ़े सात लाख हैं और फिजिकली हैंडीकेप्ड साढ़े तीन लाख हैं। गूंगे-बहरे की जो श्रेणी में आते हैं वे 0.25 लाख हैं और विमंदित 1.25 लाख हैं। इस प्रकार से यह हमारी सूची है। अभी तक हम 2 लाख 97 हजार विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर चुके हैं। हमने विश्वास योजना में भी विकलांगों का जो अनुदान था उसको 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया है। मोबाइल कियोस्क का वितरण हम लगातार कर रहे हैं जो 800 का हमने प्रावधान किया हुआ है। छात्रवृत्ति की पात्रता की जो सीमा थी उसको भी हमने बढ़ा

(श्री मदन दिलावर)

दिया। विकलांगों की छात्रवृत्ति जहां 85 रुपये से लगाकर 250 रुपये तक मिलती थी, उसको बढ़ाकर 250 से लगाकर 725 रुपये तक कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो वह मंत्रीजी को बता देना, बाकी जनरल तो जवाब आपके दे दिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक क्वेश्चन अजमेर जिले के बारे में है, अजमेर जिले के अन्दर.. (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): विकलांगों को गेहूं वगैरह देते ही नहीं हैं, चिकित्सा नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले इनका आने दीजिये। इनके बाद में।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले के अन्दर कितने विकलांग हैं जो इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं?

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सप्लीमेंट्री सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले इनका आ जाए।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे विकलांग जिनको सरकार द्वारा 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, एन.जी.ओ. के माध्यम से, उसके बाद में वे फ्री हो जाते हैं, वापस घर पर जाते हैं तो उनकी वैसे की वैसी स्थिति हो जाती है उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या स्थाई रूप से या एन.जी.ओ. के मार्फत उनका कोई स्कूल में भर्ती या कैम्प खोलना चाहते हैं, ताकि निकट समय में उनका अच्छा भविष्य सुधर सके?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि मानसिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति हैं, उनके इलाज के लिये कोई विशेष योजना विभाग ने बनाई है क्या? दूसरा, उनके पालन-पोषण के लिये, पेंशन या अन्य प्रकार की कोई सुविधा देने का सरकार विचार रखती है?

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जहां तक अजमेर जिले का सवाल पूछा है अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, हम 17866 व्यक्तियों को लाभान्वित कर रहे हैं और 116 लाख 70 हजार रुपये

(श्री मदन दिलावर)

लगभग इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। जहां तक उन्होंने ट्रेनिंग का कहा है, मेरी समझ में नहीं आया कि कौनसी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। फिर भी हम जो ट्रेनिंग करते हैं वह हम गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाकर कोशिश हम करते हैं कि हम विश्वास योजना के अन्तर्गत लोन देकर उनको पुनर्वासित कर दें। जहां तक विमंदितों के बारे में जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं समझता हूं कि उनके लिये कोई अलग से चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यह आस्था कार्डधारियों से सम्बन्धित सवाल था तो ऐसे जितने भी आस्था कार्डधारी परिवार हैं उनकी नि:शुल्क चिकित्सा, चिकित्सा विभाग करता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक कुमार नवलखा।

निम्बाहेड़ा-नीमच बाईपास पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोक हेतु कार्य-योजना

258. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा-नीमच बाईपास सड़क (टोल-रोड) पर दुर्घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से अब तक कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं तथा इन दुर्घटनाओं में कितने लोग घायल हुए एवं कितनों की मृत्यु हुई? सूची मृतकों के नाम तथा दुर्घटना की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये तथा दुर्घटनाओं में कमी हेतु सरकार की क्या योजना है?

(3) क्या यह सही है कि सड़क के दोषपूर्ण निर्माण एवं चौराहों के तकनीकी दृष्टि से सही नहीं होने के कारण आए-दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया): (1) वर्ष 2003 व 2004 में यह सड़क अस्तित्व में नहीं थी। वर्ष 2005, 2006 और 2007 में क्रमश: 14, 10 और 18 दुर्घटनाएं हुईं। वर्ष 2003 से अब तक 42 दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में 55 लोग घायल हुए और 22 लोगों की मृत्यु हुई। मृतकों की सूची मय दुर्घटना तिथि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) भविष्य में दुर्घटना नहीं हो, इस हेतु वाहन चालकों की जानकारी के लिए संकेतक चिन्ह और साइन बोर्ड लगाये गये हैं।

(3) निम्बाहेड़ा-नीमच बाईपास सड़क का निर्माण एवं चौराहा तकनीकी दृष्टि से सही है। सड़क एवं चौराहों का निर्माण सही डिजाइन एवं तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार किया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि निम्बाहेड़ा-नीमच बाईपास सड़क जो निम्बाहेड़ा से निकलकर जाती है, निम्बाहेड़ा शहर वैसे चार किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने निम्बाहेड़ा एक छोटे से शहर के लिए साढ़े 13 किलोमीटर का बाईपास उस रोड़ पर दिया। उस रोड के बीच में से करीबन 13-14 गांव निकलते हैं लेकिन किसी भी चौराहे पर चौराहा और सर्किल का निर्माण नहीं किया। यही कारण है कि उस रोड पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ये 42 दुर्घटनाएं तो माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने रिकार्ड के अनुसार बतायी हैं, लेकिन आये-दिन कभी मवेशी मरते हैं, कभी छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती हैं। जो उत्तर दिया गया है कि निम्बाहेड़ा-नीमच बाईपास सड़क का निर्माण एवं चौराहा तकनीकी दृष्टि सही है, कई, बार पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अधिकारियों ने उसको जांचा-परखा है, वहां किसी प्रकार के चौराहा नहीं बने हुए हैं, न वहां पर किसी प्रकार के संकेतक बोर्ड और वाहन चालकों को कोई जानकारी ही दी गयी है। मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से इस बारे में निवेदन है कि हम बाईपास रोड का निर्माण इसलिए करते हैं कि शहर के अन्दर दुर्घटनाएं नहीं हो। शहर के अन्दर भारी आवागमन नहीं हो लेकिन बाईपास रोड का निर्माण करने के पश्चात तीन वर्षों में इतनी दुर्घटनाएं हो गयीं, इतने लोग मर गये तो क्या आप इस बारे में जांच करवाकर क्या दोषपूर्ण जो सड़क है उसको रोकने की, टोल रोकने की या इस सड़क पर चौराहा निर्माण कराने का, जहां चौराहा नहीं है, वहां चौराहा निर्माण करने की आप कार्यवाही करेंगे? ठेकेदार की भी इस टोल रोड पर लायबिलिटी बनती है कि जिस सड़क पर लोग गुजर कर निकलते हैं, वहां लोगों की मृत्यु होती है, तो क्या ठेकेदार की भी लायबिलिटी फिक्स करेंगे? इस बारे में गृह मंत्रीजी बताने का कष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं हुई हैं उनका जब हमने हमारे पुलिस के हिसाब से विश्लेषण किया तो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साकरिया चौराहा, रानीखेड़ा चौराहा और जालिया गांव, इन तीन स्थानों पर अधिक घटनाएं हुई हैं। यह हमारी अपनी तरफ से जो कुछ भी रिपोर्ट बनी, लेकिन इस प्रश्न के जवाब के लिए हमने पी.डब्ल्यू.डी. से भी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्योंकि इसमें कोई टैक्निकल आपका प्रश्न था तो हमने उनसे भी, इसकी सूचना मंगायी कि आप इसे बताइये कि कोई टैक्निकल दृष्टि से ठीक है या नहीं। अधीक्षण अभियंता के दस्तखत से जो उसका जवाब आया, वही जबाव हमने आपको दिया कि टैक्निकली दृष्टि इसमें कोई कमी-खामी नहीं है। उनकी रिपोर्ट की यह जो कॉपी है वह भी हमने अपने साथ लगा रखी है। तो उनका तो कहना यह है। फिर भी आपका जैसा कहना है, यह बात सच है कि वास्तव में इस बाईपास बनने के बाद 42 घटनाएं तीन साल में होना, इतने लोगों की मृत्यु और इतने लोगों का घायल होना प्रमाणित है। इसमें जो जगह है, आइडेंटिफाई हमने की, पुलिस विभाग ने, वह भी उन चौराहों को की है। एक बार फिर पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से कह कर इनकी कोई टैक्निकल टीम यहां से चली जाए और जाने के बाद उसके अगर कोई टैक्निकली निर्माण में कोई कमी-खामी है तो उसको दुरुस्त करने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह दिखवाएं कि कहीं टैक्निकल कोई गड़बड़ तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री महादेव सिंहजी। माननीय सदस्य, आ गया अब। माननीय सदस्य।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब टैक्निकल दृष्टि से सड़क सही है तो फिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका कारण तो बताएं? इस प्रश्न का ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब इसके कई कारण हो सकते हैं, माननीय सदस्य।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): क्या?

श्री उपाध्यक्ष: सड़कें जहां ठीक हैं वहां भी एक्सीडेंट को टाल नहीं सकता कोई।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): वहां जाम लग जाता है। साइन बोर्ड लगाने चाहिए थे वे समय पर नहीं लगाये, इसलिए ये दुर्घटनाएं हुईं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक सवाल है केवल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हजारों काश्तकार वहां से प्रतिदिन नीमच और निम्बाहेड़ा की मंडी में अपने अनाज और वह लेकर जाते हैं, उसके पास ही निवास करते हैं। वह टोल नाका 1500 मीटर भी दूर नहीं है उसके बाद भी टोल लिया जाता है। वर्तमान में टोल के जो ठेकेदार हैं, उनकी जो राशि लगी है उससे ढाई गुणी वसूल ली, उसके बाद भी किसानों से अव्यावहारिक रूप से लूट, टोल लिया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय टोल नाका फ्री करवाने की कार्यवाही कराएंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह इससे संबंधित नहीं है। श्री महादेव सिंहजी।

चक खाचरियावास (सीकर) में शास्त्री महिला महाविद्यालय की स्थापना

259. **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007-08 के सत्रारम्भ के पूर्व चक खाचरियावास की जनता द्वारा बालिका संस्कृत शिक्षा के लिए शास्त्री महिला महाविद्यालय स्थापित करने की मांग की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित शास्त्री महिला महाविद्यालय के लिए जिला कलक्टर, सीकर द्वारा ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के प्रस्ताव पर 10 बीघा भूमि आरक्षित की गई थी।

(3) क्या यह भी सही है कि चक खाचरियावास के एक भामाशाह द्वारा प्रस्तावित शास्त्री महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नार्म्स के अनुसार 30 लाख रुपये की लागत का भवन बनाकर देने का विधिसंगत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था?

(4) क्या यह सही है कि सरकार की वित्तीय स्वीकृति के अभाव में उक्त महाविद्यालय प्रारम्भ नहीं हो सका? यदि हां, तो क्या सरकार सत्र 2008-09 के प्रारम्भ में उक्त शास्त्री महाविद्यालय को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) स्थानीय सरपंच द्वारा मांग की गई है।

(2) शास्त्री महाविद्यालय के लिए भूमि आरक्षित की गई है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) जी हां।

(4) जी हां। किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि जबकि संस्था 30 लाख रुपये का भवन बनाने का आश्वासन, शपथ-पत्र दिया है और सरकार की भी यह विचारधारा है कि इस प्रकार का कोई भामाशाह आया तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, फिर क्या कारण है कि वहां पर आप विद्यालय नहीं खोल रहे हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सीकर जिले में जो संस्कृत शिक्षा की स्थिति है, उसमें शास्त्री कक्षाओं के पढ़ने के लिए पांच महाविद्यालय पहले से ही विद्यमान हैं। एक आचार्य स्तर का महाविद्यालय राजकीय है, दो शास्त्री के राजकीय हैं और दो अराजकीय हैं जिनमें जो छात्राओं की संख्या है- 2 राजकीय में नीमकाथाना में-11, श्रीमाधोपुर में- 21, लक्ष्मणगढ़ में-5 और फतेहपुर में-7 छात्राएं पढ़ रही हैं। छात्राओं की संख्या को देखते हुए और राजस्थान में हमारे पूरे कॉलेजों को देखते हुए, राजस्थान भर में 52 कॉलेज हैं जिसमें से पांच कॉलेज केवल सीकर जिले में हैं इसीलिए फिर कोई निजी स्वयंसेवी संस्था इसको चलाने के लिए आगे आएगी तो सरकार इसमें कहीं सहायक होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राकेश मेघवाल।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम कर रही है और वहां की जनता की मांग पर सीकर कलक्टर ने 10 बीघा जमीन दे दी है और 30 लाख रुपये लगाकर भवन बना दिया गया किसी भामाशाह के द्वारा, फिर राज्य सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या महिला महाविद्यालय खोलना चाहती है, यह इस आशय का प्रश्न लगा है और यही भावना वहां की जनता की है। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा का महाविद्यालय खोलने की पांच वर्ष में आपके पास यह एकमात्र और पहली मांग आयी है और उसमें भी आप यह कहना चाहते हैं कि कोई भामाशाह मिलेगा, कोई संस्था मिलेगी। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि महाविद्यालय खाचरियावास में है और ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह खाचरियावास का है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): खाचरियावास के महिला महाविद्यालय को खोलने की इस सरकार की मंशा है या नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: यह खाचरियावास से संबंधित प्रश्न है और अब नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): नहीं, सीकर प्रापर में भी तो है संस्कृत विद्यालय। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं खाचरियावास की ही बात कर रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): खाचरियावास के लिए ही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आदरणीय मंत्रीजी, सीकर में भी तो है संस्कृत विद्यालय ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह आ गया जवाब। जवाब आ गया पूर्व में भी काफी विद्यालय हैं, अभी आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पहली बार यह मांग आयी है।

श्री अमराराम (धोद): दांतारामगढ़ में ... (व्यवधान) जो आपने बताया उनमें दांतारामगढ़ में ... (व्यवधान) एक ही है और जब ... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब सरकार से आने दो। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि खाचरियावास का मामला है।

श्री अमराराम (धोद): खाचरियावास में है यह।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): जमीन अलाट कर दी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): भामाशाह महाविद्यालय बनाकर देने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): खास तौर से खाचरियावास का मामला है।

श्री अमराराम (धोद): सरकार नहीं चलाना चाहती है, बाकी तो चल ही रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): महामहिम का भी निवास स्थान है, महामहिम की भी भावनाएं हैं ... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): वहां पर फिर कैसे कर रखा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर ने जमीन अलाट कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय, आपसे निवेदन है कि जवाब आने दो सरकार का।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): राजस्थान में 15 जिले ऐसे हैं ... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): फिर क्या कारण है कि आप उसे नहीं कर रहे हैं? वहां पर नहीं कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है सरकार तो फिर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, राजस्थान में मांग होगी तो ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): राजस्थान में 15 जिले ऐसे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राकेश मेघवाल। मैंने प्रश्न दूसरा पुकार लिया है। प्रश्न दूसरा ले लिया है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई। हम भी सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न से सबंधित, डाइरेक्ट नहीं है आपका।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): पांच वर्ष में मांग है, उसको खोलना चाहिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप यह जवाब तो आने दो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय, आपसे निवेदन है कि जवाब तो आने दो सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब तो आ गया।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): सरकार जवाब देना चाहती है, सरकार महिला महाविद्यालय को ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ... (व्यवधान) कि अभी वहां पर आवश्यकता के अनुसार नहीं खोला जा सकता है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, आप थोड़ा उनका जवाब तो आने दो।

श्री उपाध्यक्ष: आ गया जवाब।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): नहीं, जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: जहां यह आवश्यकता होगी तो सरकार इसको कंसीडर करेगी।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? खास तौर से संस्कृत शिक्षा के लिए पांच वर्ष में यह पहली मांग है और आप उसको भी ठुकराना चाहते हैं। या उसको खोलना चाहते हैं, यह बताएं आप तो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कलक्टर ने वहां पर जमीन अलाट कर दी है, भामाशाह ने वहां पर शपथ-पत्र दे दिया है तो क्या कारण है उसको नहीं चलाने का? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मैं बता रहा हूं कि वहां पर एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है, यह तो ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): एक भी महाविद्यालय नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): सीकर में आप ... (व्यवधान) आज सीकर में भामाशाह देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह गलत सूचना पेश की जा रही है कि सरकार उसको ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तो सुन लो, सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं वह।

श्री अमराराम (धोद): हां, बोलिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले जैसा मैंने कहा छात्राओं की उपलब्धता होने पर इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैंने कहा कि वर्तमान में चार कॉलेजों में केवल 11, 21, 5 और 7 ही छात्राएं हैं, छात्राओं की संख्या बढ़ने पर निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: हो गयी बात, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): महिला महाविद्यालय नहीं है इसलिए नहीं हैं लड़कियां। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला महाविद्यालय खोलेंगे तो लड़कियों की ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जहां पर महाविद्यालय है वहां छात्राएं शास्त्री के लिए नहीं हैं। पांच कॉलेज केवल सीकर में हैं और वहां छात्राओं की संख्या मेरे पास है। नीमकाथाना में केवल 11 हैं, श्रीमाधोपुर में 21 हैं और बाकी सरकार ने गार्गी पुरस्कार व 'आपकी बेटी' योजना संस्कृत शिक्षा में लागू की है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कालेज नहीं है इसलिए नहीं जा रही है वह ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब यह स्थिति देख ली है आपने। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सरकार ने बहुत सारा काम किया है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में जितना हमारी सरकार ने किया है उतना काम पिछले पचास वर्षों में नहीं हुआ है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, यह जनरल बहस नहीं हो रही है। (व्यवधान) महसूस नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कह दिया न। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपलब्धि तो जब खोलेंगे तब होगी (व्यवधान) 8 में से 5 सह शिक्षा के महाविद्यालय हैं, वहां महिला महाविद्यालय एक भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): राजस्थान में महिला महाविद्यालय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार की तरफ से जवाब आ गया। अभी उचित नहीं समझते इसको। (व्यवधान) श्री राकेश मेघवाल। मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। अब स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) नहीं, जवाब आ गया। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): प्रश्न संख्या 260

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): जवाब नहीं आया इसका। महिला शिक्षा में संस्कृत महाविद्यालय खोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका। (व्यवधान) नहीं माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं, जान-बूझकर कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आपसे संबंधित नहीं है। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मेरा एक सप्लीमेंट्री है।

श्री उपाध्यक्ष: सप्लीमेंट्री किस संबंध में है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इसी संबंध में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: या जयपुर के बारे में है कोई?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): नहीं, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान के बारे में है। जयपुर से क्या ताल्लुक है? (व्यवधान) मैं राजस्थान की बात नहीं कर सकता क्या? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): बालिका संस्कृत शिक्षा को इस तरह से अपमानित करेगी सरकार तो उसका कोई हल नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री राकेश मेघवाल।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

260. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विधायक कोष से वर्ष 2006-07 व 2007-08 में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति जारी की गई? इनमें से कितने कार्यों में कितनी-कितनी राशि अकाल राहत के तहत डवटेल की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डवटेल किये गये कार्यों में से कौन-कौन से व कितनी राशि के कार्य थे जो शुरू नहीं हो पाये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर): (1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विधायक कोष से वर्ष 2006-07 में 95 कार्य व 2007-08 में 91 कार्य, कुल 186 स्वीकृत कार्यों की सूची मय विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इनमें से अकाल राहत के तहत राहत विभाग द्वारा स्वीकृत 48 कार्यों की डवटेल राशि का विवरण मय राशि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) डवटेल किये गये कार्यों में से चालू नहीं 26 कार्यों का मय स्वीकृत राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 के कॉलम-5 पर अंकितानुसार है।

(3) परिशिष्ट-2 के अनुसार विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है, अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम अभिशंसा करते हैं पी.डी. के पास, पी.डी. भेजता है कलक्टर साहब के पास और कलक्टर साहब स्वीकृति जारी करके वापस पी.डी. लेकर आता है, वह सैंक्शन निकालता है। अकाल राहत कार्य में ए.डी.एम. का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तीन जगह एक विधायक अपनी अभिशंसा करेगा, तीन जगह घूमती है फाइल और उसमें तीन महीने लग जाते हैं, तब तक अकाल राहत कार्य खत्म हो जाता है। हमको यह कहा जाता है सरकार की तरफ से कि 31 दिसम्बर के बाद में अगर आप अभिशंसा करोगे तो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा इनमें पी.डी. ने कब तक कौन-कौन से अकाल राहत कार्य में डवटेल

(श्री राकेश मेघवाल)

करने के लिए ए.डी.एम. के यहां फाइल भेजी? ए.डी.एम. ने निकाला तो कब निकाला और नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाला? कभी जब स्वीकृति जारी की डवटेल कर दिया तो उसमें गेहूं का मद नहीं दिया। किसी में पैसे का दे दिया तो गेहूं का नहीं दिया। यह कह रहे हैं कि अधिकारी की कोई गलती नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप परिशिष्ट दो पर देखिये पहला ही प्रश्न है, खानपुर स्टेट हाइ-वे नम्बर तिराहे पर बस स्टैण्ड, आपकी ईमानदारी और आपके अधिकारियों का देखिये, बस स्टैण्ड 60 हजार का था, इन्होंने लिखा 45 हजार तो राहत मद में और विधायक मद से 60 हजार, 01 लाख 05 हजार। दूसरा बस स्टैण्ड, आप नीचे देखिये तीन नम्बर पर, वह बना है राहत मद से 32 हजार और विधायक मद से 48 हजार। सब बस स्टैण्ड 80-80 हजार में बने हैं तो यह 01 लाख 05 हजार में एक नम्बर का ही कैसे बना, आप बता दीजिये? दूसरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग परबतसर के कार्यालय में रैस्ट हाउस निर्माण हेतु हॉल मय बरामदा 2 लाख 44 हजार, इसमें आपने लिखा है, परिवर्तित कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत कुण्डरी अन्यत्र स्थान की ग्राम पंचायत होने के कारण संशोधित स्वीकृति राहत विभाग द्वारा जारी नहीं की । जबकि यह कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यह कुण्डरी नहीं है। इसी तरह से जितने आपने किये हैं, सब गड़बड़ हैं। तथ्य सच्चाई से परे हैं। यह पूरी जो लिस्ट दी है आपने, यह सब ही गड़बड़ है, इसलिए आप इसकी जांच उच्च अधिकारी से करवाइये कि कौन इसमें दोषी है। आपने तो एक लाइन लिख दी कि कोई दोषी नहीं है। तो वह दोषी है जो 31 तारीख तक अभिशंसा नहीं करे तो पैसा लैप्स हो जाए। इनके अधिकारियों ने बनाया और जवाब दे दिया। आप तो पहले उनकी जांच करा दो कि 60 और 45, 01 लाख 05 हजार, दूसरा बस स्टैण्ड 80 हजार में बन रहा है। 10 बस स्टैण्ड 80-80 हजार में बने, इन्होंने भूल में 1.05 लिख दिया तो वह पैसा कहां गया? डाक बंगला, सर्किट हाउस में पी डब्ल्यू डी काम करती है मैं इतना तो सीनियर विधायक हूं, दूसरी बार सदन में आया हूं, इसलिए मैं यह तो नहीं लिख सकता कि कुण्डरी ग्राम पंचायत है, वह सर्किट हाउस बनाएगी या सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाएगा। इस तरह जितने भी आपने आंकड़े दिये हैं, ये सच्चाई से परे हैं। आप उच्च अधिकारी से जांच कराइये ताकि एम एल ए को चक्कर नहीं लगाना पड़े। आप यह बताइये कि एक साल से यह काम क्यों नहीं हुआ? आपने एक लाइन लिख दी कि वहां जगह उपलब्ध नहीं है। अभी जो लिखा हुआ है, वहां बस

(श्री राकेश मेघवाल)

स्टैण्ड बन भी गया, बताओ। इनके जवाब में है कि जगह उपलब्ध नहीं है और इसमें बस स्टैण्ड बन गया। अब जगह कहां से आ गयी? बनकर तैयार हो गया और मैंने उद्‌घाटन भी कर दिया और इनके कागजों में जगह उपलब्ध नहीं है। इससे बड़ा तो और क्या धोखा होगा। (व्यवधान) अब आप यह बताइये, 20 लाख रुपये का मेरी जनता को घाटा हुआ। 20 लाख रुपये का अकाल राहत कार्य में। 20 लाख रुपये अगर ज्यादा मिलते तो जनता को लाभ होता। 20 लाख रुपये के अकाल राहत कार्य का परबतसर विधान सभा क्षेत्र की जनता को घाटा हुआ। ए.डी.एम. और पी.डी. दोनों एक ही आदमी के पास चार्ज थे । अभी कह दें, उपाध्यक्ष महोदय, कि मरम्मत कार्य निदेशिका में नहीं है। आप 10 लाख की बिल्डिंग में 50 हजार रुपये लगाकर अगर मरम्मत करा दें तो बिल्डिंग तो नहीं गिरेगी। हम वहां स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखें, लेकिन मरम्मत विधायक कोष से नहीं करा सकते। यह इनके पी.डी. और ए.डी.एम. ने बार-बार कहा। मैंने तीन महीने के अंदर कलक्टर साहब को जितने पत्र लिखे, पी.डी. साहब को पत्र लिखे, ए.डी.एम. साहब को पत्र लिखे, कमिश्नर साहब को पत्र लिखे और माननीय मंत्रीजी को पत्र लिखे, उन पत्रों की सूची सदन पटल पर रख दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): परिपत्र के अनुसार एक भी.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूरे 200 विधायकों की समय पर स्वीकृतियां नहीं निकली हैं। 45 दिन की जो समयावधि है, वह किसी भी जिले में नहीं निकली है। आप जांच करा लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप फालतू की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य, यह जनरल बात है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा इनका। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। जनरल भाषण की परमिशन नहीं दूंगा आपको।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिये, उसके बाद ही कोई बोले। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी दो-तीन प्रश्न पूछे, मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कुल डवटेल के कार्य की आपने अनुशंसा की वे 48 थे, अकाल राहत के दौरान उसमें से 22 पूरे हो गये, 26 कार्य शेष बचे। 26 में से 12 कार्य निरस्त हो गये, 6 कार्य चालू हैं। ये जो 12 कार्य निरस्त किये गये और 6 कार्य चालू हैं, आपने अकाल राहत कार्य बंद होने के बाद आपके विधायक कोष से पैसा दिया, जो अभी चालू हैं, जो पूरे होने वाले हैं। 5 कार्य दूरी के बचे कुण्डरी और बस्सी आपने उसमें कार्यकारी एजेन्सी बनाई, जो 50 वहां से दूर थी और इसके कारण राहत विभाग ने यह कहा कि जो परिसम्पत्तियां बनती हैं, जनरली उसी एजेन्सी से काम कराया जाए जहां वह परिसम्पत्ति है, ताकि उसका रख-रखाव वह एजेन्सी करे। इन्होंने दूसरी पंचायत को कार्यकारी एजेन्सी बनाया उसके कारण से हमारे राहत कार्य ..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उससे पहले एजेन्सी कौन है? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब सुन लें माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं सब की सुना रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुन लें, माननीय सदस्य। सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो शार्ट में जवाब दे दो। लम्बा-चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप शार्ट में जवाब दे दो कि पहले एजेन्सी कौन थी? अकाल राहत कार्य में उन्होंने टेण्डर नहीं किये पी.डब्ल्यू.डी. में, जब जाकर हमने एजेन्सी ग्राम पंचायत को दी। हम चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह अकाल राहत का लाभ मिले। आप लम्बा-चौड़ा भाषण क्यों दे रहे हैं? आप तो यह कह दें कि जिस अधिकारी की गलती है, उसकी जांच करवा दूंगा। आप तो जांच करवाने की बात कह दें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब तो देने दें पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये पहले। माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये, बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): लम्बा-चौड़ा पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। दे रहे हैं जवाब। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 कार्यों की एन.ओ.सी. नहीं मिली इसके कारण से शुरू नहीं हुए, उसमें से सात कार्य एम.एल.ए. साहब ने स्वयं निरस्त करवा कर और बदल कर फिर बाद में करवा दिये और तीन कार्यों में से दो कार्य स्थानाभाव से नहीं हुए। इसमें से राहत अवधि कम होने के बाद एक कार्य आपने स्थान बदल कर दूसरी जगह करवाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 26 कार्यों से में 15 कार्य ऐसे हैं जिनमें से पूर्व में 14 कार्यों की कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग, परबतसर को माननीय विधायक ने अनुशंसित किया, एक कार्य के लिए नगर पालिका, परबतसर को कार्यकारी एजेंसी बनाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन कार्यों के बार-बार निविदा आमंत्रित किये गये किन्तु ठेकेदारों द्वारा टेण्डर फार्म तक नहीं दिये गये। क्योंकि 80 हजार, 65 हजार ऐसे छोटे-छोटे काम थे तो पी.डब्ल्यू.डी. में कोई टेण्डर देने नहीं आया। सुन लीजिए आप, कोई टेण्डर देने नहीं आया। जिससे माननीय विधायक द्वारा इनकी कार्यवाही संस्था दिनांक 26.05.07 को परिवर्तन करने की अनुशंसा की दिनांक 01.06.07 को कार्यकारी संस्था परिवर्तन कर 13 कार्यों के लिए ग्राम पंचायत कुण्डरी व दो कार्यों के लिए ग्राम पंचायत बस्सी को कार्यकारी संस्था बनाया गया। ये दोनों कार्यकारी संस्थाएं 45-50 किलोमीटर दूर होने से कलक्टर, राहत द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति नहीं दी गयी। स्वीकृति नहीं दिये जाने का कारण यह बताया गया कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निदेशिका दिनांक 01.09.05 के अनुच्छेद 3 के बिंदु संख्या 363 के अनुसार यथा सम्भव कार्य उसी कार्यकारी संस्था द्वारा सम्पादित कराये जाएं जो भविष्य में सर्जित सम्पत्तियों का रख-रखाव कर इसकी जिम्मेदारी ले सके।

श्री उपाध्यक्ष: सुन लें पहले आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस तरह से इसके बाद आरम्भ किये गये 8 कार्यों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, परबतसर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों में पहले

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही कार्यकारी संस्था बनाया गया था। पहले आपने खुद ही पी.डब्ल्यू.डी. को बनाया। पी.डब्ल्यू.डी. में टेण्डर लेने वाले नहीं आये तो आपने कार्यकारी एजेंसी चैंज कर पंचायत दे दी। पंचायत देने के बाद पी.डब्ल्यू.डी. ने वहां एन.ओ.सी. नहीं दी कि यहां कोई बना नहीं सकता। माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा परिवर्तन कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को कार्यकारी संस्था बनाया गया।

ये कार्य बस स्टैंड निर्माण के हैं। । ये बस स्टैंड सड़क की भूमि पर बनाये जाने थे जिसका मालिकाना हक सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है, अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना उचित था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया इस कारण से ये कार्य नहीं कराये जा सके। दो प्रकरणों में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। दो कार्यों में प्रथम कार्य था झालरा सांचोर बस स्टैंड और प्याऊ की खेळी, कोटा निर्माण का। यह बिलकुल सड़क से लगा हुआ कुआ है, कुआ व सड़क के बीच कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सरपंच द्वारा 20.06.07 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर को सूचित किया गया। दूसरा कार्य मंगलाना सर्किल बस स्टैंड निर्माण, यह स्थान अत्यधिक व्यस्त होने से तथा बस स्टैंड के लिए बिलकुल जगह नहीं होने से नहीं बनाया जा सका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कार्य पीपलाद में नया पंचायत भवन, राशि ढाई लाख रुपये का है जिसकी स्वीकृति 01.06 को हुई। 30.06 को अकाल राहत बंद हो रहा था इस कारण से यह कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो दो-तीन प्रश्न अभी पूछे हैं, एक तो ...

श्री उपाध्यक्ष: यह परबतसर से सम्बन्धित प्रश्न है, वो पूरे डिटेल में जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनो न, प्लीज, सुनो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो दो-तीन प्रश्न पूछे, एक तो यह कि अनुशंसा की गयी और उसके बाद लम्बा समय निकाला। आपकी ये अनुशंसा के पत्र भी मेरे पास हैं, आपने सारी अनुशंसा फरवरी में की थी।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

विधायक लैड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 45 दिन के अन्दर फाइनेंशल स्वीकृति जारी होनी चाहिए, तो 45 दिन का छोड़ हमने और जल्दी की। यानी इन्होंने फरवरी में दिया, 22 फरवरी को अनुशंसा दी और अप्रैल महीने में उनकी अनुशंसा एफ.एस. जारी हो गयी। जारी होने के बाद टेण्डर लगे। जब टेण्डर लगाने के लिए कोई नहीं आये तो आपने स्वयं मई महीने में कार्यकारी एजेंसी चेंज कर दी और फिर जून में अकाल राहत बंद हो गया। तो जो बाकी बचे हुए काम, जो नहीं हो पाये वो कुछ आपने पैसा देकर करवा लिये। अब इसमें जहां तक मेरे पास यह रिकार्ड है उसके अनुसार तो किसी भी अधिकारी की गलती है नहीं, लेकिन इसके बाद भी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जांच हो जाएगी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन इसके बाद भी यदि माननीय सदस्य जैसा कि ये कह रहे हैं कि यह लिख दिया कि मरम्मत नहीं हो सकती, हमने 20 प्रतिशत पैसा विधायक मद में अनुमत कर रखा है मरम्मत का, अगर आपको किसी भी अधिकारी ने यह कहकर यह कागज लौटाया या नहीं, अनुशंसा की होगी तो मैं इसकी पुख्ता जांच करा लूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: जांच हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उलटा चोर कोतवाल को डांटे, यह मेरे ऊपर ही लागू कर दिया उन्होंने ...(व्यवधान) यह नहीं चलने वाला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की पंचायतों में सांठगांठ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जिस मंगलाना बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, अकाल राहत में नहीं बना, अभी बस स्टैंड बन गया ...(व्यवधान) समय पर अकाल राहत कार्य में डवटेल किया नहीं उस अधिकारी ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मेन मुद्दा यह है कि डवटेल समय पर किया नहीं, किया नहीं तो समय निकल गया और कभी किया तो एक में लिख दिया ग्राम पंचायत बस्सी को कि इसमें गेहूं देय है ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एक एजेंसी में लिख दिया इसमें राशि देय है, गेहूं देय नहीं है। ये इसकी जांच कराएंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह पूरा गोलमाल जवाब है और यह असत्य जवाब है इसलिए आप तो उच्च अधिकारी से जांच करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जांच करा देंगे। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह जो भी तथ्य बताएंगे उनकी जांच करा लूंगा। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करें कि क्या मंत्री महोदय चोर हैं?

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ वर्ष से गंगानगर में मेरे कोटे का पैसा अभी खर्च हो रहा है, डेढ़ साल से, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न परबतसर से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य, नहीं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): डेढ़ वर्ष हो गये, स्वीकृति नहीं जारी हुई, अब चालू हुए हैं काम।

श्री उपाध्यक्ष: परबतसर से सम्बन्धित प्रश्न है ...(व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या विधायक कोष से सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए पैसा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैंने बताया न, 20 प्रतिशत पैसा दे सकते हैं, प्रावधान ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नम्बर दो, भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं राष्ट्रीय गौरव से सम्मानित विधायकों ने जो आरोप लगाये हैं यह कोई साधारण बात नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: कोई आरोप नहीं लगाया। काहे का आरोप लगाया है? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो काम पूरा हो गया, विधायक ने उद्‌घाटन कर दिया ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसमें क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य।

बाली विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

261. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा सहायक के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब से व कितने?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली के निम्नलिखित पशु चिकित्सालयों में पद रिक्त हैं :-

(श्री प्रभुलाल सैनी)

क्र. सं.	संस्था का नाम	पदनाम	रिक्त पद संख्या	कब से रिक्त
1.	पशु चिकित्सालय, नाणा	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	2/2003 से
2.	पशु चिकित्सालय, सेवाड़ी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1/2008 से
3.	पशु चिकित्सालय,बेडा	पशु चिकित्सा सहायक	1	7/2007 से
4.	पशु चिकित्सालय, बीजापुर	पशु चिकित्सा सहायक	1	6/2002 से
5	पशु चिकित्सालय, बाली	स्कन्ध सहायक	1	7/2007 से

(2) रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पद भरना सम्भव होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 2007-08 में राजस्थान में आपने कितने पशु चिकित्सा के पद भरे और आपने इसमें क्या मापदंड रखे? मुझे यह भी बताएं कि पाली जिले में 2007-08 में कितने पशु चिकित्सक के पद भरे हैं, क्योंकि पाली जिला डी.डी.पी. के क्षेत्र में आता है और ज्यादातर लोग पशु पालन और भेड़ पालन करके अपने रोजगार का साधन मुहैया करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि लगभग पिछले दो साल से लगातार मैं मंत्रीजी से सम्पर्क में हूं, लगातार मैं आपको पत्र लिख रहा हूं, पूरे जिले में 800 पशु पालको को आज बीमा राशि नहीं मिल रही है। उसका एक मात्र कारण है कि जो भी पशु पालक थे उन्होंने राशि भर दी, पर अधिकारियों द्वारा टाइम पर, स्टेट शेयर नहीं भरने के कारण आज 800 भेड़ पालक और पशु पालक बीमा राशि से वंचित रह गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनकी बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार है, पर गया। 800 भेड़ पालकों को बीमा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ अधिकारियों की गलती के कारण स्टेट शेयर जो उनको भरना था, वो टाइम से नहीं भरा, आज इससे 800 पशु पालकों को बीमा राशि नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो इससे अलग प्रश्न हो गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): वो लगातार परेशान हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपका क्या मापदंड है? आपने देखा, पशु चिकित्सालय नावां, लगभग 2003 से पद रिक्त है। आप मुझे यह बताएं कि 2007-08 में बाली में कितने अधिकारियों के रिक्त पद भरने की कोशिश की?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान में 365 पद पशु चिकित्सकों के रिक्त चल रहे हैं और अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट सत्र में 145 पशु औषधालयों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, इस प्रकार कुल 510 पद पशु चिकित्सकों के राजस्थान में रिक्त चल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा, फरवरी में, अभी एक माह पूर्व हम लोगों ने 200 पशु चिकित्सकों की भर्ती के लिए अर्थना आर पी एस सी को भिजवा दी है। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, शेष रहे रिक्त पदों में से 250 पदों को 2008-09 में शीघ्र आर पी एस सी के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर भरने की कार्यवाही की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यहां पूछा गया है कि अभी तक कितने पदों की भर्ती की गयी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2003-04 से लेकर अब तक सौ पद 2004 में समेकित लगाये गये। उसके बाद जो एस सी एस टी का बैकलॉग था, उसको भरने के लिए 113 पदों पर मई 2005 में नियुक्ति की गयी और 2008 में, अभी हाल ही में, उपाध्यक्ष महोदय, 175 पशु चिकित्सकों के पदों भर्ती प्रारम्भ करके उनको नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसी प्रकार यहां ....

श्री उपाध्यक्ष: बाली क्षेत्र में इनके यहां अभी एक भी आपने रिक्त पद नहीं भरा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बाकी जिले में कितने लगाये हैं, आप तो यह बताएं?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में जिस प्रकार पदों की संख्या रिक्त चली है, सारे ही जिलों में यह प्रयास किया गया लगाने का, लेकिन मात्र दो पद बाली में ही पशु चिकित्सकों

(श्री प्रभुलाल सैनी)

के रिक्त चल रहे हैं। आर पी एस सी से ज्योंही भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर आएगी, उनको नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्षः नैक्स्ट। आ गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, मंत्रीजी ने उसका जवाब नहीं दिया। बीमा राशि भेड़पालक, और पशुपालकों ने भरी और अधिकारियों ने उसका स्टेट शेयर नहीं भरा उसके कारण आज भी उनको दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है। उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? आज बाली जिले के कम से कम 800 पशुपालक हैं जिनको बीमा राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने अपनी खरी कमाई के पैसे से अपना यह बीमा भरा था, आज वे उससे वंचित हैं। एकमात्र कारण है अधिकारियों की लापरवाही, तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बीमा की बात कही है यह अलग से प्रश्न है, फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बता रहे हैं, बोलने तो दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पशु पालकों ने तो पैसा दिया, पशु पालकों ने तो पैसा जमा कराया लेकिन विभाग के उस अधिकारी ने जमा नहीं कराया।

श्री उपाध्यक्षः कह दिया फिर भी ...

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से बताने का प्रयास किया है, पशु पालकों के बीमे की रकम का मामला है, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच कराकर एक महीने में यदि दोषी कर्मचारी पाये जाएंगे। तो उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

नागौर जिले की नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्त आय

262. **श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

(1) नागौर जिले में वर्तमान में कुल कितनी नजूल एवं रियासत कालीन सम्पत्तियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत चार वर्षो में कुल कितनी सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त सम्पत्तियों के निस्तारण से सरकार को कुल कितनी आमदनी हुई? सम्पत्तिवार आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा): (1) नागौर जिले में वर्तमान में कुल 41 नजूल एवं रियासतकालीन सम्पत्तियां हैं। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) सरकार द्वारा राज्य एवं राज्य से बाहर विगत चार वर्षो में नागौर की चार संपत्तियों सहित कुल 439 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया है जिसमें विक्रय द्वारा 85 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया। (सूची परिशिष्ट ब संलग्न है) तथा राजकीय विभागों को हस्तांतरण के द्वारा 354 सम्पत्तियों का नि:शुल्क निस्तारण किया गया। (सूची परिशिष्ठट स संलग्न है)

(3) सरकार को संपत्तियों के निस्तारण से कुल आय रुपये 14,95,27,402/- (रुपये चौदह करोड़ पिच्चानवे लाख सत्ताइस हजार चार सौ दो मात्र) हुई। सम्पत्तिवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट ब)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नजूल सम्पत्ति की राज्य सरकार द्वारा विक्रय की जो नीति बनाई हुई है उसके अनुसार आपने क्या किया और राशि जो मिली उसका भी क्या किया?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेष अभियान चलाकर हमने सम्बन्धित जिला कलक्टर से सूची मांगी थी उसके अन्दर यह किया गया था कि जितनी भी नजूल सम्पत्तियां हैं उनका निस्तारण किया जाए। उसमें मात्र कुल तेरह सम्पत्तियों का निस्तारण हो पाया, छह जयपुर शहर की थीं और बाकी सात जिला स्तर पर। इस प्रकार के जब-जब भी कोई मामले आते हैं, उनका निस्तारण करने का प्रावधान है। दस लाख से नीचे की सम्पत्तियां जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है वह करती है। उसके ऊपर एक करोड़ तक की सम्पत्ति

(श्री रामकिशोर मीणा)

जिनका मूल्यांकन होता है, उनका मंत्रिमंडलीय समिति बनी हुई है, वह करती है और एक करोड़ से ऊपर वाली सम्पत्ति होती है, वह पूरी मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी है वह करती है निस्तारण।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में जो परिसम्पत्तियां बची हुई हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें नियम बने हुए हैं और उन नियमों के तहत यदि सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र उस परिसम्पत्ति को अपने उपयोग में लेना चाहता है तो जो भी मार्केट की रेट है उसके हिसाब से वह जमा करा दे या वैकल्पिक स्थान दूसरा उपलब्ध करा दे तो उसकी बिक्री से जो आय होगी उसको विभाग ले लेता है। बाकी को उसको देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बहुत सारी सम्पत्तियों में लोग किरायेदार के रूप में सालों से बैठे हुए हैं, रियासतकाल के समय से बैठे हुए हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है आप एक तरफ तो मार्केट रेट की बात करते हैं, खाली आप उनसे करा नहीं सकते हैं, तो क्या आप पी डब्ल्यू डी असैस रेट के ऊपर उन मकानों को उनको सौंपने को तैयार हैं या नहीं? अन्यथा ये बरसों से बैठे हुए हैं, निकाल सकते नहीं हैं इसके अन्दर से, खाली करेंगे नहीं। ये सम्पत्तियां अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन अवधि में खुर्द-बुर्द होने की सम्भावना रहती है। कटारियाजी शायद कोई एक मंत्रिमंडलीय समिति के चेयरमैन भी हैं, तो क्या इस प्रकार का नीति में परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप पूछिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले का जो सम्पत्ति का ब्यौरा दिया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुरा गांव में आपकी नजूल सम्पत्ति है। गांव जब वीरान हुआ, भीलवाड़ा, गांव पूरा राजस्थान का है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान का तो नहीं है1

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): सभी जिलों का ब्यौरा है, भीलवाड़ा का भी है। फतेहपुरा जो अतिवृष्टि से गांव ही वीरान हो गया था, जो नजूल सम्पत्ति रिकार्ड में दर्ज है वहां से वह बिल्डिंग ध्वस्त हो गयी। उस खसरा और उस

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

भूमि के ऊपर काश्तकार झोंपड़े बनाकर जो रह रहे हैं, उनसे उस नजूल सम्पत्ति की दर से पैसा वसूल कर रही है सरकार। वह काश्तकार न तो वह दे सकते हैं। चार-चार बार उनके मकान कच्ची, झोंपड़ियों के खाली करवा दिये। डी एल सी की दरों से उसकी जो नीलामी करते हैं उस नीलामी में न तो वह नजूल सम्पत्ति का निष्पादन हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, वास्तविक उन झोंपड़ों की और जो वीरान हुआ गांव है उसकी स्थिति को देखते हुए उन काश्तकारों को आप राहत देने का, नजूल सम्पत्ति से कुछ करने का विचार रखते हैं? रखते हैं तो क्या?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आमेर में कौन-कौनसी हवेलियां नजूल प्रापर्टी में हैं और उनको खुर्द-बुर्द करके आप किन-किन को बांटना चाहते हैं, यह बताएं।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण इस विभाग की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। यह सही है कि विभाग की कुल 5719 सम्पत्तियां हैं जिसमें से 4456 सम्पत्तियां राज्य की हैं और 1263 प्रदेश से बाहर हैं। इनमें कहीं तो स्टेट कोर्ट में मामले चल रहे हैं, कहीं माननीय उच्च न्यायालय में मामले चल रहे हैं, इतनी पेचीदगी। इन सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए नियम बने हुए हैं विभाग महसूस करता है कि अभी जो नजूल सम्पत्तियों का प्रबन्ध और निस्तारण 1971 के नियमों के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है, क्योंकि यह सम्पदा बहुत महत्वपूर्ण भी है, राज्य सरकार महसूस करती है, वर्तमान में जो कठिनाइयां आ रही हैं इनके निष्पादन में क्योंकि ज्यादातर तो अतिक्रमियों के हाथ में हैं, विभाग को जो दे दिये गये हैं वहां पर कोई दिक्कत नहीं, उनको निःशुल्क भी दिये हैं लेकिन जिन प्रापर्टीज का रिकार्ड भी पूरी तरह से नहीं है उनके बारे में सरकार गम्भीरता से विचार करेगी इसके तहत एक एक्ट बनाकर इन सम्पत्तियों का किस प्रकार अच्छी तरह से निस्तारण किया जा सके, यह सरकार के समक्ष विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): पचास-पचास साल से बैठे हुए हैं उनको आप क्या रियायत देंगे, धौलपुर के बारे में ?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय सदस्य ने जो भीलवाड़ा के बारे में बताया है, भीलवाड़ा में भी इस प्रकार की सम्पत्तियां हैं ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्री महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। आमेर की हवेलियों की लिस्ट और वह कौन-कौन को बांट दी या सरकार ने बांटने का फैसला कर लिया है? (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): भीलवाड़ा में जो जमीन पर एस टी, एस सी और ओ बी सी के गुर्जर लोग रहते हैं उनको बार-बार परेशान करते हैं, उस पर क्या निस्तारण कर रहे हो, बताओ आप?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल छोटा-सा ही है कि सरकार ने क्या बांट दी या बांटने की तैयारी चल रही है? आमेर की हवेलियों की लिस्ट दे दो।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है उनके बारे में मैं दिखवा लूंगा और जो भी किया जा सकता है इसके निस्तारण के लिये, उसकी कार्यवाही करेंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): धन्यवाद।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, मेरा जवाब नहीं आया है। आमेर की हवेलियों का जवाब बाकी रह गया। पर्यटन का है क्या ? नजूल नहीं है ? अच्छा-अच्छा। बांटो-बांटो।

श्री उपाध्यक्ष: वह आपका अलग से है। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री हेमराज मीणा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 03 मार्च, 2008)

सहरिया विशेष रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

93. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहरिया विशेष रोजगार योजनान्तर्गत बारां जिले को विगत 3 वर्षों में कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गयी व उक्त राशि विभागवार कितनी-कितनी आबंटित की गयी ?

(श्री हेमाराम मीणा)

(2) उक्त योजनान्तर्गत किस-किस विभाग द्वारा कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो कितने कार्यों के (यू सी व स) उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये ?

(4) उक्त कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) सहरिया विशेष रोजगार योजनान्तर्गत सरकार द्वारा बारां जिले को निम्नानुसार धनराशि आबंटित हुई है :-

क्रम संख्या	वर्ष	आबंटित राशि (लाखों में)
1	2004-05	630.00
2	2005-06	300.00
3	2006-07	250.00
4	2007-08	0
	योग	**1180.00**

वित्तीय स्वीकृति अनुसार विभागवार योजनान्तर्गत (मय अन्य योजनाओं की डावटेल राशि) राशि निम्नानुसार आबंटित की गयी है :-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	आबंटित राशि (लाखों में)
1.	मंडल वन अधिकारी, बारां	15563891
2.	अधि. अभि. सिंचाई विभाग, बारां	11139768
3.	अधि. अभि. सा.नि.वि., बारां	916000
4.	पंचायत समिति, किशनगंज	87798226
5.	पंचायत समिति, शाहबाद	74967569
	योग	**190385234**

(2) योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की विभागवार/राशिवार/ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की विभागवार/राशिवार (यू सी सी) उपयोगिता प्रमाण पत्र सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(4) योजनान्तर्गत कार्यों की भौतिक स्थिति विभागवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से दो सवाल करना चाहूंगा, 19 करोड़ 38 लाख 52 हजार इन्होंने तीन साल में आबंटन किया और खर्चा केवल बारह करोड़ चालीस लाख रुपया हुआ। सात करोड़ रुपया अभी बाकी है। और जो चिट्‌ठा आया है उसमें केवल तीन करोड़ की यू सी सी बाकी है। बाकी चार करोड़ रुपया कहां गया, उसका हिसाब इसमें मिला। नहीं तो क्या चार करोड़ रुपया हमने विभाग को दे दिया, ग्राम पंचायत को दे दिया या पंचायत समितियों को दे दिया, वह कहां गया? उपाध्यक्ष महोदय, एक तो जरा मंत्रीजी यह जानकारी दें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि 31 मार्च को सहरिया विशेष रोजगार योजना खतम हो जाएगी तो 31 मार्च में अब कोई ज्यादा दिन हैं नहीं। यह चार करोड़ रुपया कहां घूम रहा है, किस नाम के पेटे अलॉटमेंट किया है, उसके बारे में जानकारी दें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सवाल है कि सहरिया विशेष रोजगार योजनान्तर्गत कुछ एनीकटों का निर्माण हुआ है। इनमें उन्नीस एनीकट तो बने हैं सिंचाई विभाग के द्वारा, 18 एनीकट बने हैं पंचायत समिति, शाहबाद के द्वारा और 19 एनीकट बने हैं किशनगंज पंचायत समिति के द्वारा। माननीय मंत्रीजी ने जो सूची मुझे दी है इसमें तो इन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दे दिये, यू सी सी भी जारी हो गयी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे एनीकट अधूरे पड़े हैं, मौके पर अधूरे हैं और इनमें अभी पानी का रिसाव लगातार जारी है। ये काम पूरे नहीं हुए हैं। इस मामले को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी मैंने पत्र लिखा था। मैंने उनके माध्यम से संभागीय आयुक्त की एक जांच कमेटी बनाई थी एनीकटों की। तो मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि संभागीय आयुक्त की जांच कमेटी में क्या रिपोर्ट आयी, कौन-कौन दोषी पाये गये? मुझे आश्चर्य है कि दोषी पाना तो दूर रहा, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उन एनीकटों के आ गये जो एनीकट अधूरे पड़े हैं। बहुत सीरियस बात है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में चार कार्य हमने उसमें से निरस्त कर दिये। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इतना रुपया कहां चला गया, क्या हो गया, इसका पता नहीं है। इसका पता मैं बता देता हूं। वर्ष 2004-05 में चार

(श्री कालूलाल गुर्जर)

कार्य निरस्त किये गये जिनका कारण आबादी भूमि का उपलब्ध नहीं होना रहा। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में 19 कार्यों को निरस्त करना पड़ा जिनमें से छह कार्य पूर्व में निर्मित होने के कारण और पांच कार्य श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा आठ कार्य आबादी भूमि के अभाव में निरस्त करने पड़े। वर्ष 2006-07 में 19 कार्य निरस्त करने पड़े जिनमें से चार कार्य भूमि विवाद के कारण, 15 कार्य श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण ... (व्यवधान) नहीं होते हैं वहां। आप सहरिया को थोड़े ही जानते हो। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में 29 कार्य निरस्त करने पड़े जिनमें से दो कार्य भूमि विवाद और 27 कार्य श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण निरस्त करने पड़े। वर्ष 2004-05 में सोलह, 2005-06 में 57, 2006-07 में 77 कार्य प्रगति पर हैं। अधिकांश कार्य अब पूर्णता की स्थिति में हैं तथा इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिये जाएंगे। दस कार्यों में राशि का दुरुपयोग हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी हमें शिकायत मिली है। जांच हुई तो दस कार्यों में राशि का दुरुपयोग जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम गणेशपुरा के इन्हीं कार्यों पर सरपंच एवं ग्राम सेवक को निलम्बित किया जा चुका है और दोनों के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करा दी जा चुकी है। वर्ष 2007-08 के दौरान 703 कार्य प्रगति पर हैं और 652 कार्य आवास निर्माण के हैं जो माह सितम्बर, अक्टूबर 2007 में स्वीकृत किये गये थे एवं लगभग पूर्णता की ओर हैं।

उपरोक्त स्थिति के क्रम में निवेदन है कि प्रगति पर चल रहे कार्यों को हर हाल में अप्रैल 2008 तक पूरा करा लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो पूछा है कि यह रुपया कहां गया, तो जो कार्य स्वीकृत नहीं हुए, कैन्सिल हो गये उनके पैसे हैं। जहां तक आपने 19 एनीकट सिंचाई विभाग के, 18 एनीकट पंचायत समिति, किशनगंज के और शाहबाद के 19 बताये, इन एनीकटों में आप कह रहे हैं कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ गया पर काम अधूरे हैं। जैसा माननीय सदस्य सूची दे रहे हैं । मुझे जो विभाग ने सूची उपलब्ध करायी वह मैंने बतायी है। जो आप कह रहे हैं और इसमें फर्क है तो मैं सदन के सामने ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि इसकी मैं जांच

(श्री कालूलाल गुर्जर)

करवा लूंगा। यदि मुझे गलत सूचना दी है, उपयोगिता प्रमाण-पत्र के बारे में मुझे गलत सूचित किया है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी, इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सम्भागीय आयुक्त और मुख्य मंत्रीजी को आपने कोई शिकायत लिखी, उसकी जांच हुई। उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है न मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट आयी है। आप अभी मेरे ध्यान में लाये हैं तो मैं इसकी जांच कहां चल रही है, कैसी चल रही है, पता कर लूंगा। जांच रिपोर्ट तैयार हो गयी होगी तो मंगाकर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करूंगा। मुझे कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं है, माननीय सदस्य को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, जो अधूरे काम बचे हुए हैं, 31 मार्च तक पूरे होने हैं और जिनकी यू सी सी जारी नहीं हुई, 31 मार्च के बाद यह योजनाएं वाइंड अप हो जाएंगी, तो जो काम अधूरे हैं उनको समय से पूरा कराएंगे क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य अधूरे रहे हैं उनको 31 मार्च तक पूरा करेंगे। उसके बाद बच जाएंगे तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू हो रही है उसमें टेकअप करके पूरा करेंगे। एक भी काम बाकी नहीं रखेंगे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, जो काम अधूरे पड़े हैं उनकी यू सी सी जारी हो गयी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? ऐसे कम से कम पचास एनीकट हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे?

दूसरा मेरा सवाल था कि संभागीय आयुक्त ने जांच कमेटी बनाई थी और जांच करवाई थी एक-एक एनीकट की, लेकिन जांच की रिपोर्ट मंत्रीजी के ध्यान में विभाग नहीं लाया, माननीय मंत्रीजी को गुमराह रखा, मंत्रीजी के सामने सारी बात पेश नहीं की, ऐसे कौन अधिकारी हैं जिन्होंने जांच रिपोर्ट को मंत्रीजी के सामने नहीं रखा उनके खिलाफ मंत्रीजी क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आज रिपोर्ट मंगा ली जाएगी। जिन्होंने जांच रिपोर्ट जानकर छिपाई है, मुझे नहीं बतायी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा। और जो एनीकट हैं, जो गलत यू सी सी जारी हो गयी, फिर माननीय सदस्य को संतुष्ट कर रहा हूं कि जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कोई जांच रिपोर्ट नहीं मंगायी इन्होंने। सुनो तो सही पूरी बात। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे विभाग में घालमेल है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, यह मंत्री महोदय के सामने प्रतिपादित किया है कि जो काम पूरा नहीं किया उसकी यू.सी. कैसे आ गयी, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे। यह कोई मजाक हो गया। (व्यवधान) चार करोड़ के कामों की यू.सी. आ गयी और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 21 एनिकटों में से पानी रिस रहा है ...(व्यवधान) वह काम पूरा नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है? (व्यवधान) यह विभाग कोई चला रहा है कि नहीं चला रहा है ...(व्यवधान) आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है? (व्यवधान)

(समय : 12.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कैसे चल रही है? माननीय सदस्य के 21 एनिकटों में से पानी रिस रहा है, चार करोड़ का अता-पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं। इनके पास में रिपोर्ट गलत आयी है ओर यह कह रहे हैं कि मैं कार्यवाही कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): समाप्त तो कर दें, पर, मंत्री महोदय, चार करोड़ का हिसाब तो आप दे देना (व्यवधान)

(शेष तारांकित/अतारांकित प्रश्नोतर के लिए कृपया पृष्ठ-323 पर देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांति रखें।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 21 फरवरी, 2008 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :-

'अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 7(4) आर.भ. 2008/1858 दिनांक 13 मार्च, 2008 परम सम्मानीय,

आपका अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ 10(1) सदन/विधान सभा/2004

(श्री उपाध्यक्ष)

8/8692 दिनांक 11 फरवरी, 2008 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आशा है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर,

सदभावी,

(शीलेन्द्र कुमार सिंह)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री रामनारायण मीणा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गों के निर्माण कार्य में उपयोग लिए जा रहे खनिज पदार्थों की सरकारी रायल्टी की अपवंचना व गबन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री खुशवीर सिंह जोजावर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला पाली में वन विभाग द्वारा मरू प्रसार रोक योजना के तहत किये गये प्लान्टेशन की राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. मोहम्मद माहिर आजाद एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से बाण गंगा नदी, खेड़ली मोड़ (पथेना) पर स्थापित टोल टैक्स नाके द्वारा की जा रही वसूली को बंद करने के संबंध में।

4. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से लोसल थाना क्षेत्र में रामनिवास रणवा की दुकान से लाखों रुपये के टायर चोरी होने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

5. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान 3050 से बढ़ाकर वेतन श्रृंखला 4000-6000 रुपये नहीं करने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं जो अभी हाल ही घटित घटना से संबंधित हों जिससे सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री हरिमोहन शर्मा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के ग्राम सेवकों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से प्रभावित हो रहे ग्रामीण विकास कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी श्री हरिमोहन शर्मा को अपने प्रस्ताव के विषय पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में ओड़ जाति के सदस्यों के पिछड़ेपन को देखते हुए उनको अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में।

2. श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में हरे पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य की ओर से राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली में विज्ञान संकाय भवन का निर्माण करने के संबंध में।

4. श्री रिछपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सोजत एवं मकराना तथा सहायक खनिज अभियंता, निम्बाहेड़ा द्वारा क्वारी लाइसेंस में की गयी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली के लाखोरिया तालाब में नाले तथा नालियों के गंदे पानी को रोकने की माकूल व्यवस्था करने के संबंध में।

6. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम सगराली नाड़ी, जोधपुर का नामकरण शहीद सुरजाराम नाई के नाम पर करने के संबंध में।

7. श्री टीकम चन्द कान्त, सदस्य की ओर से कृषि भूमि हेतु रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने के संबंध में।

8. श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में निजामपुर मोड़ से जसरापुर बड़ा गांव तक की सड़क को सात मीटर चौड़ी बनाने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

9. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से मंदिरों के नाम दर्ज खातेदारी भूमि पर खेती कर रहे किसानों को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में।

10. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

11. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने तथा सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के बगैर की गयी प्रतिनियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के क्षतिग्रस्त लाटाडा बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्राम सेवकों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से प्रभावित हो रहे ग्रामीण विकास कार्यों में उत्पन्न अवरोध

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं का काम बिलकुल ठप्प हो गया है, सारे काम रोक दिये गये हैं। एनआरजीपी के सभी कामों में बाधा उत्पन्न हो गयी है और पूरा का पूरा ग्रामीण विकास का जो ढांचा था वह चरमरा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका, माननीय मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो समझौता ग्राम सेवकों से राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया था, यह उस समझौते का भी जानबूझकर पालन नहीं करा रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने जो समझौता 3, 4 जनवरी, 2007 को माननीय कालूलालजी, संबंधित मंत्री की उपस्थिति में सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकर किया था, उस समझौते की अनुपालना जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में जो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विकास के काम होने वाले हैं, उनमें ये बाधा पहुंचाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने यह तय किया था अपने समझौते में कि प्रतिमाह 1200 रुपये मानदेय के स्थान पर उनको 3000 रुपये दिये जाएंगे और 3200 से 4000 की ग्रेड दी जाएगी। उन्होंने इस प्रकार से समझौता किया था कि अन्य विभागों से आये साढ़े तीन हजार ग्राम सेवकों की छंटनी नहीं की जाएगी तथा उनको पंचायती राज में समायोजन करने तथा समान काम, समान वेतन देने के लिए शासन द्वारा एक हाई पावर कमेटी बनायी जाएगी। कर्मचारियों के हित में निर्णय करने के लिए कहा था। इन्होंने यह भी फैसला किया था कि ग्राम सेवकों को चौथा और पांचवां वेतन आयोग लागू करते समय हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पावर कमेटी की घोषणा की जाएगी और उनकी विसंगतियां दूर की जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही यह भी उन्होंने तय किया था कि आपसी समझौते में ग्राम सेवकों को पटवारियों की भांति 300 रुपये हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने पर सकारात्मक सिफारिश माननीय मंत्री महोदय द्वारा की जायेगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी उस पर निर्णय लेंगी। ग्राम सेवकों का बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 29 दिसम्बर, 2006 को विफल वार्ताओं में आंदोलनकारी ग्राम सेवकों पर जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो प्रतिनियुक्ति पर 3500 ग्राम सेवक लगाये हैं, अन्य विभागों से लगाये हैं, सहकारी शुगर मिल से लगाये हैं, उनको आज तक पूरा वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं जो ग्राम सेवक उनमें से ड्यूटी कर रहे थे, उनमें से चार ग्राम सेवकों की मृत्यु हो गयी और उनके पुत्रों को या उनके उत्तराधिकारियों को आज तक नौकरी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार से बहाना बनाया जा रहा है कि ये लोग दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये थे, ये सहकारी शुगर मिल से प्रतिनियुक्ति पर आये थे इसलिए हम उनको नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्यजनक घटनाक्रम यह है कि माननीय मंत्रीजी ने अपने विभाग के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, विभाग के अन्य लोगों को और वित

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सचिव को निर्देश दिये, 24 जनवरी, 2008 को अजमेर में महा पड़ाव किया गया, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया इसके बावजूद यह वर्तमान सरकार उन लोगों की उचित मांगों पर विचार करने के बाद, समझौता करने के बाद उनको यह काम नहीं दे रही है,

उनको विश्वास में नहीं ले रही है। यही कारण है कि पूरे राजस्थान में ग्रामीण विकास के कार्य ठप हो गये हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के तहत जो भारत सरकार से करोड़ों रुपये मिले थे उसमें एक काम आज की तारीख में एक जिले में नहीं चल रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के सारे काम ठप हो रहे हैं। विधायक और सांसद कोष से जो पैसा दिया जा रहा है, वे काम उन्होंने ठप कर दिये हैं। हजारों की संख्या में आज ग्राम सेवक यहां पर उपस्थित हैं। क्या कारण है, जब पहले समझौता हो गया, इन्होंने विश्वास दिला दिया, वादा कर लिया, घोषणा कर दी, उन घोषणाओं को पूरा नहीं करके राजस्थान की सरकार ग्रामीण विकास के सब कार्यों को ठप कर रही है? इस सरकार को आश्वासन देना चाहिए और उनकी मांग के सम्बन्ध में तत्काल आप फैसला करें। जो वायदे किये थे, उन वादों को निभाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों का हमेशा यह रवैया रहा है कि झूठे-झूठे वादे कर लेते हैं, असत्य वादे कर लेते हैं और उनको फिर मंजिल पर पहुंचाने में यह सरकार हमेशा विफल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किस बात पर भाषण हो रहा है? ध्यानाकर्षण कर दिया इन्होंने, बात खतम हुई। यह किस बात पर भाषण कर रहे हैं? (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन्होंने आरक्षण के मामले में भी सभी जातियों को लड़ाने का काम किया, इन्होंने सब झूठे वादे किए और इन्होंने जानबूझकर यह वादा किया। सरकार है इसलिए उन लोगों को उलझन में डालना चाहती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): योजनाएं अच्छी चल रही हैं इसलिए झूठी वाहवाही लेने के लिए यह सब कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज पूरे राजस्थान के ग्राम सेवक यहां विधान सभा का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। .(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करने दीजिए, कहने दीजिए आप उनको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अपने 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर पंचायतों में विकास के काम ठप कर दिए हैं। (व्यवधान) जो समझौता किया है उसकी पालना करनी चाहिए सरकार को ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या ग्राम सेवक कांग्रेस के राज में नहीं थे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हरिमोहनजी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सारे राजस्थान से आज यहां ग्राम सेवक आए हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उनको समाप्त करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ग्राम सेवक कोई आज ही थोड़े आए हैं, ग्राम सेवक पहले कांग्रेस के राज में भी आए थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हरिमोहनजी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए, बीच में काहे के लिए खड़े हो गये? (व्यवधान) उनको अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) आप अपने सदस्यों को बैठाइए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप कोई बात कहना चाहते हैं तो पहले अपने सदस्यों को बैठाइए। (व्यवधान) आपके सदस्य ही खड़े हो गए बीच में। इनको कहने दीजिए, अपनी बात समाप्त करने दीजिए। हरिमोहनजी।

(व्यवधान) फिर बीच में? माननीय सदस्य, वह अपनी बात कह रहे

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं, आपका कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, पहले आप उनको समाप्त करने दीजिए, बीच में नहीं। (व्यवधान) होगा स्थगन प्रस्ताव आपका। (व्यवधान) नहीं अंकित होगा आपका कुछ भी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जिस तरह से ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य को समाप्त करने दीजिए, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा। बीच में आप अपने सदस्यों को बैठाएं पहले।(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें, नहीं तो किसी का कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो समस्या है वह इनके टाइम में भी थी। इन लोगों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। आज यह इस तरह से चिल्ला रहे हैं और उनके हिमायती बन रहे हैं, आप उनके हिमायती हैं तो आप करते। यह पोलिटिकल इश्यू बना रहे हैं इसको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ग्राम सेवकों को आपने कुछ नहीं दिया, ग्राम सेवकों को भूखा रखा, उनको 9-18-27....(व्यवधान) इन्होंने कुछ नहीं किया, यह क्या बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्य, आप बैठिए पहले। इनको अपनी बात कहने दीजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

बैठिए, माननीय सदस्य अपनी बात बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों खड़े हो गए? बीच में नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पहले उनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए। माननीय सदस्य, पहले बात करने दीजिए। (व्यवधान) पहले उनको बात करने दीजिए, आप सब बैठिए। (व्यवधान) वही तो कह रहे हैं यह सारे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इन्होंने ग्राम सेवकों का गला घोंटा और आज ग्राम सेवकों की पैरवी कर रहे हैं? (व्यवधान) हमने पांच सौ लोगों का प्रमोशन किया, यह बारह सौ रुपये देते थे, बारह-बारह सौ रुपयों में रखा था पांच साल तक, हमने तीन हजार करके क्या गलती की? हमने तीन हजार रुपये किए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारह सौ रुपए के तीन हजार कर दिए तो इनको पच नहीं रहा है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले बैठिए, पहले माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दीजिए, उसके बाद किसी को मौका देंगे। (व्यवधान) बैठिए, बीच में आप नहीं बोलें, पहले माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बैठिए आप, बैठिए, माननीय सदस्य, (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, सुनना पड़ेगा कैसे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए, माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिमोहनजी ने अपनी बात कह दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, आप उपाध्यक्षजी से पूछो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उन्होंने अपनी बात रख दी, मुझे जवाब देने का अवसर दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त कीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह क्यों चिल्ला रहे थे? हम तो अपनी बात कह रहे हैं। यह सारे क्यों चिल्ला रहे हैं? इनके सब लोग बोलेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब एक साथ बोलेंगे, हरिमोहनजी बोल रहे थे, दूसरे क्यों वहां इकट्ठे खड़े हुए? किसने रोका है इनको? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शंभूदयाल ग्राम सेवक, रामनारायण ग्राम सेवक, बृज बिहारी ग्राम सेवक, रामेश्वर सोनी ग्राम सेवक, काम करते वक्त उनकी ड्यूटी पर मौत हो गई और यह सरकार इतनी बेरहम है कि उनके उत्तराधिकारियों को इस आधार पर नियुक्ति नहीं देना चाहती कि वो दूसरे विभाग से आये हैं, वे सहकारी शुगर मिल से आये हैं, वो तीसरी जगह से आये हैं। इनका परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है और यह बेरहम सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बैठिए। आ गई आपकी बात। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनसे कहा गया है कि 4000-6000 और 5000-8000 की ग्रेड ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह वादा किया ..(व्यवधान) ये उन सबसे मुकर गये। (व्यवधान) इतनी दयनीय स्थिति है कि उन्हें पशुधन सहायक से भी कम वेतन मिल रहा है। ...(व्यवधान) यही नहीं, प्रयोगशाला सहायक से भी कम वेतन मिल रहा है। नरेगा का काम, विकास के काम, सबसे ज्यादा काम करने के बाद ...(व्यवधान) सरकार को सोच-समझकर वादा करना चाहिए था, बिना सोचे वादा किया। वादा करने के बाद ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आप मंत्रीजी का जवाब सुनिए पहले। जवाब सुनिए। कोई नहीं टोक रहा है। इन्होंने कह दी बात। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए। आपको जवाब नहीं सुनना हो तो अलग बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय राठौड़ साहब की उपस्थिति में बात हुई कि हम सबको ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह का जोश और खरोश हमारे ग्राम सेवकों के बारे में व्यक्त किया और अन्य सदस्यों ने भी किया, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सेवक लगाये इन्होंने लगाये, ग्राम सेवकों की समस्या जो आज है वह इनके टाइम में भी थी, क्योंकि जो नये हैं उनकी कोई मांग नहीं है। (व्यवधान) सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए पहले। सुनिए, इसमें क्या गलत बात है? आप सुनें इस बात को। जवाब सुनो। आप जवाब नहीं सुनना चाहते (व्यवधान) जवाब नहीं सुनोगे? आपका जवाब सुनें, गलत कहें तो आप जवाब देना। माननीय सदस्य, बैठ जाइए आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले जवाब सुन लीजिए आप। फिर गलत तथ्य हों तो आप बता सकते हो, बीच में नहीं। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) पहले जवाब सुन लो। उसके बाद आपको तकलीफ हो, कोई बात है तो बताना। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। आप जवाब नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान) बैठिए आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों की इनके कार्यकाल में भर्ती की। केवल ...(व्यवधान) सुन लो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान) माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप कहेंगे जैसा बोलेंगे क्या ये? आप कहेंगे जैसे बोलेंगे? (व्यवधान) बैठिए आप। वे अपने हिसाब से बोलेंगे। आपने अपनी मर्जी से अपनी बात कह दी। (व्यवधान) आप बीच में टोकाटोकी करने वाले कौन होते हो? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ग्राम सेवकों की भर्ती की, केवल 1200 रुपये देते थे। 5 साल में एक रुपया नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार आयी, उनकी मांग थी, हमने 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 5 साल नहीं, कितने लम्बे समय तक राज किया, लेकिन ग्राम सेवकों की वरीयता सूची जारी नहीं की। वह हमने अभी जारी की है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अपना वादा निभाओ। आपने फैसला किया उसके हिसाब से करो। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बताने दीजिए पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नहीं, कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ नहीं अंकित होगा। इनका नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनने की क्षमता रखिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने वरीयता सूची जारी की। 500 के प्रमोशन किये। उपाध्यक्ष महोदय, 9, 18, 27 का कोई लाभ ग्राम सेवकों को नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बीच में रोक रहे हैं। आप हर बात पर बीच में नहीं। आपने बात कह दी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तीन हजार रुपये की बात कर रहे हैं वह इनके कार्यकाल में भी नहीं दिया जाता था, आज दिन तक नहीं दिया कभी आजादी के बाद इतने सालों तक। उपाध्यक्ष महोदय, हमने ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए, कुछ अंकित नहीं होगा आपका। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप बीच में टोकाटाकी नहीं कर सकते। माननीय सदस्य, आप टोकाटाकी कर रहे हैं, बैठ जाएं आप। आप बीच में बार-बार टोक रहे हैं। आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए। आप अख़बार लेकर बार-बार खड़े हो जाते हो, आपको किसने परमिशन दी है? कुछ अंकित नहीं होगा। आइंदा के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवकों की जब-जब भी मांग रही हमने ग्राम

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सेवकों के साथ वार्ता की, उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया। दो-तीन बातें और रहीं, उन पर वार्ता चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर भी हम वार्ता के द्वारा हल निकाल लेंगे, वार्ता चल रही है। अब यह क्या लेना चाहते हैं, समझ में नहीं आया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में आप फिर खड़े हो गये। फिर बीच में खड़े हो गये। माननीय सदस्य, बीच में नहीं। सुनने की क्षमता रखें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: बात समाप्त करने दीजिए। माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको तकलीफ है तो आपके राज में दिला देते।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। आपका कोई अंकित नहीं होगा। आप पूरी बात सुनें। सुनने की क्षमता रखें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मृत कर्मचारियों के वारिसान को अनुकम्पा नियुक्ति देने का एक प्रावधान है उसके तहत कार्यवाही होती है। जो हमारे यहां ग्राम सेवक अभी, और जिनको अब हम आब्जर्व करने जा रहे हैं उसके बाद तो हमारे विभाग के हो जाएंगे, हम उनको अनुकम्पा नियुक्ति देंगे, परन्तु जो हमारे प्रतिनियुक्ति पर है यदि उसकी डैथ होती है तो मूल विभाग ही नियुक्ति देता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप फिर बीच में। आप समाप्त तो

(श्री उपाध्यक्ष)

करने दीजिए। समाप्त करने दीजिए। माननीय सदस्य, आप पूरी बात कहने दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी आपने कहा तो मैं इसको दिखवा लूंगा, अगर मेरा विभाग दे सकता है तो मैं जरूर दे दूंगा। मुझे क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आरोप लगाये जा रहे हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ..(व्यवधान) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक तारीख को आएगी, एक तारीख के बाद वहां का ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते हैं शांतिपूर्वक? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वार्ता चल रही है। इसमें जो भी निर्णय करेंगे, ..(व्यवधान) यह मैं पूरा आश्वासन देता हूं ..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट अगर आपकी इजाजत हो। (व्यवधान) एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पिछली 26 जनवरी को, उससे पहले, अजमेर में महापड़ाव डाला था। माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां गई थीं।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो सारी बात कह दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट सुन लें। इन्होंने वहां आश्वासन दिया था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रीजी वहां गये थे, वहां उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं का अतिशीघ्र हल कर देंगे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, आज एक-डेढ़ महीने से ऊपर होने जा रहा है, यह मार्च चल रहा है, एक-डेढ़ महीने से ऊपर हो गया, क्या आप उनकी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समस्याओं के प्रति गम्भीर हैं? उनका निस्तारण आप कितने समय में कर देंगे, यह बताने की यहां कृपा करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 26 जनवरी को महापड़ाव के दौरान, महापड़ाव नहीं था, उनका शिष्टमण्डल मिला था, अब उनकी सारी समस्याओं का लगभग समझौता हो गया। जैसे सीनियरटी की बात थी जो आज तक नहीं बनी थी, उसके कारण से थोड़ा विलम्ब होना वाजिब ही था। इन्होंने कभी सीनियरटी लिस्ट बनायी ही नहीं। मंत्री महोदय ने सारे काम को पूरा कर लिया, निरन्तर वार्ता हो रही है। न कोई उनमें इस तरह का अनरैस्ट है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि सारे कामकाज ठप्प हो रहे हैं। उनसे और वार्ता हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो 8 हजार आदमी काहे के लिए इकट्ठा होता यहां पर? अगर आज अनरैस्ट नहीं होता तो 8 हजार आदमी काहे के लिए एकत्र होता? (व्यवधान) असली बात यह है कि इनकी वेतन विसंगति की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: समस्याएं चलती रहेंगी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जिसके ऊपर वह एक डैडलाइन है। अगर आपने उनको आश्वासन दिया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वेतन श्रृंखला विसंगति जुड़े हुए हैं उनके पदोन्नति के साथ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज 50 दिन होने जा रहे हैं। (व्यवधान) उसका समाधान किया नहीं यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वेतन विसंगति जुड़ी हुई है उनकी पदोन्नतियों के साथ। पदोन्नतियां जुड़ी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। (व्यवधान) यहां से कोई डिस्कशन नहीं होगा आगे ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं, आप बैठिए पहले ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, 2 मार्च, 2007 को विधान सभा में प्रश्न था जिसके जवाब में यह कहा गया है कि दिनांक 3 4 जनवरी, 2007 को राजस्थान ग्राम सेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ ग्राम सेवकों की आर्थिक मांगें जैसे 1200 रुपये प्रति माह मानदेय पर कार्यरत ग्राम सेवकों को वेतन श्रृंखला देने, ग्राम सेवक को 3000 रुपये प्रति माह हार्ड ड्यूटी भत्ता देने 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान 5 हजार से 8 हजार देने पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चानुसार उक्त मांगों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। अभी तक एक साल हो गया और त्वरित कार्यवाही? त्वरित कार्यवाही का मतलब कितने वर्ष? यह बता दें, वह कार्यवाही त्वरित कब हो जाएगी पूरी? (व्यवधान) नहीं, कार्यवाही नहीं, त्वरित कार्यवाही एक साल व्यतीत हो गया और अभी तक त्वरित कार्यवाही का पता नहीं कि त्वरित कार्यवाही कहां हो रही है। इसकी तो जानकारी दे दें। जो आपकी त्वरित कार्यवाही है, उसकी जानकारी दे दें सदन को।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने तो 50 साल तक नहीं किया, आपके पाप धोने के लिए हमको टाइम तो लगेगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उस पाप के साथ आपको भी धो लेंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं। एक साल तक आपने कुछ नहीं किया, अब तो आपके 4-6 महीने ही बचे हैं तो फिर ग्राम सेवकों को चिंता नहीं क्या ? इसीलिए चिंता को लेकर वे यहां विधान सभा में घेराव कर रहे हैं। अगर आप पर विश्वास होता तो वे यहां थोड़े ही आते। (व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप पर से विश्वास हट गया है इसलिए हम आपको यह ध्यान दिलाना चाहते हैं, आपने यह कहा है कि आप इस पर अमल करें, जवाब दें कुछ आप। जवाब नहीं देते, बोलने किसी को देते नहीं हो, मुद्दा कोई उठाने देते नहीं हो, हो-हल्ले में विधान सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हो। यह उचित बात है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, वार्ता चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ...(व्यवधान) चर्चा समाप्त, नो फर्दर डिस्कन ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री जुबेर खान ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत सूचनाएं। श्री जुबेर खान। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रख दी, अब आगे चर्चा नहीं। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, कुछ अंकित नहीं होगा। आप दूसरा ही मुद्दा ले बैठे। माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय सदस्य जुबेर खान। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) कर्मचारियों की मांगें, समस्याएं निरन्तर चलती रहेंगी, एकदम से कोई निर्णय नहीं होता है। (व्यवधान) मांगें चलती जाएंगी, मांगें बढ़ती जाएंगी। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: आ जाएगी आपकी बात। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहस करने की बात अलग है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, राज्य कर्मचारी, आप भी रहे हैं, कभी

(श्री उपाध्यक्ष)

संतुष्ट हुए हैं क्या ? जिंदगी के अन्दर समस्याएं बढ़ती रहेंगी, मांग बढ़ती रहेंगी, यह कोई डैडलाइन थोड़े ही खींची जा सकती है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मजदूरों की मजदूरी के बारे में चिंता की, हालांकि आपने ज्यादा अलाउ नहीं किया पर चूंकि एक पाइंट आ गया इसलिए मैं इसका जवाब देना उचित समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डी.डी.पी. जो योजना हमारी चल रही है उस पर वन विभाग के द्वारा मरु प्रसार रोक कार्य करते हैं, टिब्बों को फिक्स करते हैं। उस योजना में भारत सरकार पैसा देती है, 75 परसेंट, 25 परसेंट मैचिंग ग्रांट हम भी देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में इसमें काफी पैसा बकाया है, भारत सरकार ने दिया नहीं, 138 करोड़ रुपये आज की तारीख में बाकी हैं। हमने बार बार लिख रखा है, इस कारण से मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आह्वान करना चाहता हूं माननीय सभी प्रतिपक्ष के सदस्यों का, कि थोड़ा भारत सरकार को कहो कि दिला दें, हम हाथों हाथ चुका देंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम देने के लिए तैयार हैं। हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। जब भी भारत सरकार अपना हिस्सा देती है, हम 25 परसेंट पैसा देते हैं। आज अगर पैसा आता है तो चुकाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, या तो वह न कर दें कि हम नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भारत सरकार पैसा देवे नहीं और आप यहां आकर पैरवी कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इस पर आगे चर्चा नहीं। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: आगे चर्चा नहीं, श्री जुबेर खान, माननीय सदस्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

ओड़ जाति का अनुसूचित जाति में सम्मिलन

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के कई जिलों मुख्यतया अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर में ओड़ जाति के लोग रहते हैं। इस जाति के लोग 1947 में देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत में आये थे। इस जाति के लोग देश के कई राज्यों प्रमुखतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अधिक संख्या में स्थापित हुए।

इस ओड़ जाति के लोग सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं और इसी कारण से ओड़ समाज जाति के लोगों को पंजाब एवं हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया हुआ है।

ओड़ जाति के जो लोग हरियाणा एवं पंजाब में निवास करते हैं, उन्हें वहां पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसा भी है कि एक भाई जो स्थाई तौर पर हरियाणा में निवास करता है उसे तो एस.सी. का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है जब कि दूसरा भाई राजस्थान राज्य में रह रहा है उसे एस.सी. में सम्मिलित नहीं किया जाता है जब कि सभी एक ही जाति के सदस्य हैं।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के कुछ जिलों में स्थाई निवासी ओड़ जाति के सदस्यों के पिछड़ेपन को देखते हुए इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित

(श्री जुबेर खान)

कर इन्हें न्याय दिया जाए। ऐसा करने से इस जाति के लोग समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकेंगे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दलाल पूनिया।

चूरू जिले की तहसील राजगढ़, चूरू एवं तारानगर में हरे पेड़ों की अवैध कटाई

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत चूरू जिले की तहसील राजगढ़, चूरू एवं तारानगर में हरे पेड़ों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं।

महोदय, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ों से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। चूरू जिले की तहसील राजगढ़, चूरू एवं तारानगर से करीब 200 ट्रक, ट्रैक्टर एवं फोर व्हीलर हरे वृक्षों से भरकर हरियाणा में जाते हैं। हरियाणा में लकड़ी ईंट-भट्टों में काम आती है। ये ट्रक, फोर व्हीलर सिधमुख सिवानी मार्ग, राजगढ़, झूपा मार्ग, राजगढ़ बहल, हमीरवास रामपुरा एवं चांदगोठी रामपुरा मार्ग से धड़ल्ले से हरी लकड़ी भरकर हरियाणा में जाते हैं। इसके अलावा हरपालू बहल कच्चे से भी वाया ढाणी खुडानी खेरू सुधीरवास होकर हरियाणा में जाते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये ट्रक रात को एवं सुबह 4 से 8 बजे हरियाणा जाते हैं। बड़े दु:ख की बात है कि इसी प्रकार हरे पेड़ों की अवैध कटाई होती रही और नहीं रोका गया तो इन तहसीलों का हरित क्षेत्र मरूस्थल में परिवर्तित हो जाएगा तथा खेत के खेत खाली हो जाएंगे एवं मानव जीवन पर भी असर पड़ेगा।

इन हरे पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग असफल रहे हैं। राजस्व विभाग के पटवारियों के जरिये खेतों में हरे पेड़ों की अवैध कटाई रोकी जाए। पटवारी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर पेड़ों की अवैध कटाई रोकें। इसके अलावा राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग की विशेष चौकियां स्थापित कर रोकने की कार्यवाही करें। इन हरे पेड़ों की अवैध कटाई में काश्तकार को कुछ नहीं मिलता। उसको पेड़ों की बहुत कम कीमत मिलती है। बीच में ठेकेदार एवं दलाल पेड़ों की संख्या के हिसाब से भुगतान करते हैं।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

ये ठेकेदार, दलाल इन काटे हुए हरे पेड़ों को हरियाणा में परिवहन कर भारी मुनाफा कमाते हैं।

अत: मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इन हरे पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र सराधना।

कोटपूतली के राजकीय पानादेवी कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन का निर्माण

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय पानादेवी कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली में विज्ञान संकाय का निर्माण कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय पानादेवी महाविद्यालय, कोटपूतली में विज्ञान संकाय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री राधेश्याम मीणा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था और लाखों रुपये का निर्माण कार्य हो चुकने के साथ ही लगभग छह लाख रुपये की निर्माण सामग्री भी मौके पर पड़ी हुई है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों व भू-माफिया गिरोहों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। ये लोग खेल मैदान की बात कहकर राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इस महाविद्यालय की 25 बीघा भूमि में से श्री लालचन्द लक्ष्मीनारायण मोरीजावाला ट्रस्ट, कोटपूतली द्वारा संचालित सीनियर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली को 6.76 हैक्टेयर भूमि अतिथि गृह एवं अन्य प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराने की बार-बार मांग की जा रही है। इसी मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान में चल रहे निर्माण को रोक दिया गया है और उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर ट्रस्ट को देना चाहते हैं जब कि क्षेत्र की जनता निर्माण कार्य जिस स्थल पर हो रहा है, वहीं करवाना चाहती है। जिस स्थल पर यह निर्माण कार्य हो रहा है उस भूमि का स्वामित्व भी उक्त महाविद्यालय के पास है।

अत: मेरा इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त रुके हुए निर्माण कार्य को अविलम्ब पुन: चालू कराएं ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत

(श्री रामचन्द्र सराधना)

राशि का समय पर उपयोग हो सके और इस निर्माण का लाभ छात्राओं एवं आम जनता को मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल मिर्धा।

निम्बाहेड़ा के खनिज विभाग में क्वारी लाइसेंस में अनियमितता

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खनिज अभियन्ता, निम्बाहेड़ा के क्षेत्राधिकार में नियम विरुद्ध की गई क्वारी लाइसेंस में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है। खनिज अभियंता चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सोजत एवं मकराना तथा सहायक अभियंता, निम्बाहेड़ा राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 1986 के नियम 22/1 की अवहेलना करते हुए विभिन्न खनिजों के क्वारी लाइसेंस बिना डेलीनिएशन किये एवं बिना नोटिफिकेशन जारी किए समय-समय पर स्वीकृत करके अपने पद का दुरुपयोग करते रहे हैं तथा राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। परन्तु इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के खनिज विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। अत: आपके माध्यम से मैं खनिज मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करके निवेदन करता हूं कि समस्त अधिकारियों द्वारा किये गये अनियमित कार्यों के खिलाफ विभागीय जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी तरह की एमएमसीआर एक्ट, 1986 के 22/1 के अन्दर जो आपने कहा है, अगर अनियमितता हुई तो निश्चित रूप से अभी जांच चल रही है, और अभी एडवोकेट जनरल के वहां फाइल भेज रखी है, उसको आने के बाद में करेंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के सगराली नाड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय का शहीद सुरजाराम नाई के नाम पर नामकरण

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम सगराली नाड़ी जिला जोधपुर का

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नामकरण शहीद सुरजाराम नाई के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मेरे इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रांत के ग्राम लोहावट तहसील फलौदी जिला जोधपुर के निवासी श्री सुरजारामजी नाई सेना में सेवा के दौरान माह फरवरी, 1998 में जम्मू कश्मीर सीमा पर अखनूर चौकी के पास पाक सैनिकों द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए। उनका अंतिम संस्कार दिनांक 19.2.1998 को उनके पैतृक गांव सगराली नाड़ी ग्राम लोहावट में पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ सम्पन्न हुआ था। उनका शहीद मृत्यु प्रमाण पत्र तत्कालीन ब्रिगेडियर एवं वर्तमान थल सेनाध्यक्ष श्री दीपक कपूर द्वारा जारी किया गया था। पूरे राजस्थान का नाई समाज काफी समय से मांग कर रहा है कि सेन समाज के शहीद श्री सुरजाराम नाई के नाम से उनके पैतृक स्थान सगराली नाड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नामकरण उनके नाम से किया जाए ताकि सेन समाज की देश प्रेम की भावना अन्य लोगों के लिए भी अनुकरणीय बन सके। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है परन्तु उसकी क्रियान्विति फलीभूत नहीं हो पा रही है।

अतएव मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि प्रथम बार सेन समाज के आराध्य देव श्री सेनजी महाराज की जन्म जयंती पर जिस प्रकार अवकाश की राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर समाज को उपकृत किया गया है, उसी कड़ी में सेन समाज के शहीद सुरजारामजी नाई के नाम से यदि उनके पैतृक स्थान सगराली नाड़ी में स्थित रा.उ.प्रा. विद्यालय का नामकरण किया जाएगा तो यह एक सराहनीय कदम होगा। अत: मेरी पुरजोर प्रार्थना है कि उक्त अनुरूप कार्यवाही कर आदेश जारी फर्मावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री टीकमचन्द कांत।

कृषि भूमि हेतु रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कृषि भूमि हेतु रास्तों सम्बन्धी विषय पर विशेष उल्लेख के माध्यम

(श्री टीकम चन्द कान्त)

से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक खेत को रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के विगत तीन वर्ष के कार्यकाल में राजस्व विभाग द्वारा कई लोक कल्याणकारी एवं किसानों के हित में निर्णय लिये गये हैं जो निश्चित रूप से सराहनीय हैं। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व न्यायालयों में चल रहे विवादों में "रास्तों का विषय" आपसी विवाद के मुख्य कारणों में से एक है। इस विषय में राजस्व मंत्री उचित एवं आवश्यक निर्णय लें, यह आज की आवश्यकता है।

परम्परागत समय से रास्ते मौके पर उपलब्ध होते हुए भी रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सम्बन्धित खातेदारों द्वारा मनमर्जी से इन रास्तों को बन्द कर दिया जाता है जिससे अन्य काश्तकारों को परेशानी हो जाती है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 के सैक्शन-251 में इस प्रकार से पूर्व में चल रहे रास्तों को बन्द करने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को रास्ते खुलवाने के अधिकार प्रदान किये गये हैं, लेकिन राजनैतिक एवं अन्य कारणों के चलते ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही किया जाना असम्भव होता है इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इस प्रकार के मामलों में प्रभावी सुधार की आवश्यकता है।

खेतों के आपसी विभाजन के समय भी पूर्व में सम्बन्धित राजस्व न्यायालय द्वारा रास्तों सम्बन्धी खुलासा नहीं किये जाने के कारण भी सह खातेदारों में विभाजन के बाद आपसी विवाद शुरु हो जाते हैं जो राजस्व न्यायालयों में वादों की संख्या में वृद्धि करते हैं। किसी भी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता हो तब सम्बन्धित काश्तकार को रास्ता दिलाये जाने सम्बन्धित अधिकार राजस्व न्यायालयों के पास नहीं हैं। अतः एक्ट में संशोधन कर जिस काश्तकार से रास्ते हेतु जमीन ली जाए, उसको भूमि की वास्तविक दर से अधिक राशि दी जाकर भी रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रावधान किया जा सकता है। रास्ता कहां से दिया जाना उचित होगा, यह निर्णय सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं तहसील के अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर भी किया जा सकता है।

वर्तमान में परम्परागत समय से चले आ रहे रास्तों का रिकार्ड में अंकन करवाया जाना भी आवश्यक है जिसके लिए भूमिधारकों व सम्बन्धित

(श्री टीकम चन्द कान्त)

ग्राम पंचायत की कमेटी का गठन कर इस प्रकार के रास्तों का रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत एक्ट में संशोधन की पूर्ण आवश्यकता है। प्रत्येक खेत का आधिकारिक रास्ता हो, यह सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों की एक महती आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में किया गया निर्णय राजस्थान के सभी किसानों को राहत पहुंचाएगा। साथ ही राजस्व न्यायालयों में चल रहे वादों का भी निस्तारण होगा और वादों में भी कमी आएगी। सरकार को इस पर गम्भीर विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दाताराम गुर्जर।

खेतड़ी-झुंझुनूं निजामपुर मोड़ से जसरापुर बड़ा गांव तक की सड़क की चौड़ाई में वृद्धि

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के निजामपुर मोड़ से वाया जसरापुर बड़ा गांव तक की सड़क को सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत सात मीटर चौड़ी सड़क बनाने की स्वीकृति बाबत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खेतड़ी से झुंझुनूं की दूरी 73 किलोमीटर पड़ती है तथा इस सड़क के निर्माण के बाद खेतड़ी से झुंझुनूं की दूरी 50 किलोमीटर की हो जाएगी। इस मार्ग में वर्तमान में भी वाहनों का आवागमन काफी अधिक है तथा यह सी.आर.एफ. के मानदण्ड पूरे करती है।

कृपया माननीय मंत्रीजी इसी वर्ष के बजट में इस सड़क की चौड़ाई सात मीटर कराकर बनाने के आदेश जारी कराएं ताकि खेतड़ी की जनता को झुंझुनूं जिला मुख्यालय तक आवागमन में समय व धन के बचाव के साथ सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रतिभा सिंह (अनुपस्थित) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर।

महुवा में सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा की निम्नांकित सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु ध्यानाकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने कई बार सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किया है लेकिन अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है :-

1. एस.एच. 25 से देवलेन होते हुए मूंडिया तक सड़क को चौड़ी करते हुए मरम्मत 10 किलोमीटर तहसील टोडाभीम, जिला करौली, विधान सभा क्षेत्र महुवा

2. बौंल से देवलेन सड़क निर्माण तहसील टोडाभीम, जिला करौली, विधान सभा क्षेत्र महुवा

3. बौंल से मूंडिया सड़क निर्माण तहसील टोडाभीम, जिला करौली, विधान सभा क्षेत्र महुवा

4. सिंघनिया से भादोली सड़क निर्माण तहसील टोडाभीम, जिला करौली, विधान सभा क्षेत्र महुवा

मैं सदन के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर पुन: अनुरोध करना चाहूंगा कि विधान सभा चुनाव नजदीक आ गया है और मेरे द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण हेतु जनता को आश्वासन दे रखा है, अत: लोक महत्व की उक्त सड़कों की जनहित में स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

संस्कृत शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना देना चाहता हूं।

संस्कृत शिक्षा विभाग में गत लम्बे अर्से से तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के रिक्त पड़े 4,000 से अधिक पदों को भराने हेतु माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संस्कृत शिक्षा के स्कूल गत 4-5 साल से बिना शिक्षकों के काफी तादाद में बन्द पड़े हैं जैसे श्रीगंगानगर के बुर्जवाला-39 एच, डेलवा, ठेठार-3, टीटीडी, 45 एलएलडब्ल्यू आदि और एक-दो शिक्षकों से चलने वाले अधिकांश विद्यालय बन्द होने को हैं जैसे श्रीगंगानगर में ही 23

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

बीबी, पदमपुर बालक/बालिका, 1 केपीडी रावला, 3 एसटीआर, घड़साना, अनूपगढ़, जैतसर, ठाकरी, करणपुर, 13 बीबी, नेतवाला, गणेशगढ़, 7 ई. छोटी, 21 एमएल, 3 के. मिर्जेवाला, 8 एलएलजी, लालगढ़, गदरखेड़ा, सार्दुलशहर आदि।

शिक्षकों की इतनी कमी के होते हुए भी संस्कृत विभाग के छोटे-मोटे अधिकारी अपने चहेते शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति या अनुमोदन के अन्यत्र प्रतिनियुक्त कर देते हैं। उनका सोच शिक्षक हित में है, शिक्षा हित में नहीं। इसका हाल में ही नजारा जयपुर संभाग में पाया गया, जहां से व्यवस्था के नाम पर केवल जनवरी-फरवरी, 2008 में प्रतिनियुक्त किये गये दर्जनों शिक्षकों को उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाये जाने पर पुनः पूर्व स्थान पर भेजा गया। ऐसी ही दुर्दशा अन्य संभागों जैसे अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा आदि में है, जहां आवश्यकता है वहां से शिक्षक हटाये जा रहे हैं और आवश्यकता नहीं है, वहां अध्यापक लगाये जा रहे हैं। यही कारण है कि पिछले चार वर्ष से संस्कृत शिक्षा के द्वितीय व तृतीय श्रेणी के हजारों पद खाली पड़े हैं। गत लम्बी अवधि में एक बार भी द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती नहीं की गई है जब कि सामान्य शिक्षा विभाग में गत तीन-चार साल में तीन बार नई भर्ती हो चुकी है और हजारों शिक्षक लगाये जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत निदेशालय में पातेय वेतन पर पदस्थापित अधिकारी प्रशासनिक दृष्टि से सर्वथा अक्षम और विफल रहे हैं।

अतः संस्कृत शिक्षा के हित में इस सदन के माध्यम से माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि संस्कृत शिक्षा के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में क्या कुशल और सक्षम अधिकारी लगाने का तथा संस्कृत शिक्षा के रिक्त पदों को भरने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने का इरादा रखते हैं? और कब तक इस अव्यवस्था को समाप्त करा देना चाहते हैं? आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली के क्षतिग्रस्त लाटाड़ा बांध व नहरों का जीर्णोद्धार

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली में 1968-69 में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सिंचाई विभाग द्वारा लाटाड़ा बांध पूर्णत: पक्का पत्थर के मैसनरी वर्क से 27 फुट की ऊँचाई तक बनाया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान इस बाँध की ऊँचाई 33 फुट तक बढ़ाई गई जिससे इसकी भराव क्षमता 52.23 एम.सी.एफटी. व सिंचित क्षेत्र 480 एकड़ हो गया। वर्ष 2001 वर्षाकाल के दौरान क्षमता से अधिक पानी की आवक से यह बांध ऊपर से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी ऊंचाई 6.25 फुट घट जाने से अब मात्र 26.75 फुट की बाँध ऊँचाई तथा भराव क्षमता 36.29 एम.सी.एफटी. ही रह गई है। इस तरह भराव क्षमता व सिंचित क्षेत्र दोनों में क्रमश: 15.94 एम.सी.एफटी. व 120 एकड़ की कमी आई है।

ऐसी परिस्थितियों में सिंचित क्षेत्र में तीन पाण की जगह मात्र दो पाण (नहरों में पानी छोड़ना) ही दिये जा रहे हैं। अत: जन हित में इस पक्के बाँध की ऊँचाई पूर्ववत ही 6.25 फुट बढ़ाकर, इसकी कुल ऊँचाई 33 फुट की जाये तथा नहरों का जीर्णोद्धार किया जाए। इस बाबत सम्बन्धित क्षेत्रीय जल संसाधन कार्यालय द्वारा सरकार को राशि रुपये 50 लाख का एस्टीमेट भी प्रेषित किया गया है। बाँध की ऊँचाई बढ़ाने व नहरों के जीर्णोद्धार से ग्राम लाटाड़ा व शिवतलाव के लगभग 120 एकड़ सिंचित क्षेत्र को पुन: नहरों के माध्यम से सिंचाई का लाभ मिल सकेगा, जो क्षेत्र के लघु, सीमान्त व आदिवासी सैकड़ों किसानों के लिए हितकर होगा। धन्यवाद।

(समय : 13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। परची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री बाबूलाल नागर ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर-अजमेर हाई-वे पर कोलोनाइजर्स द्वारा लगाये गये विज्ञापन पट्ट

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर-अजमेर रोड पर बगरू से दांतरी रोड के दोनों तरफ बड़े-बड़े होर्डिंग्स, बड़े-बड़े विज्ञापन लगाकर फार्म हाउस और आवासीय कालोनी बसाने के बोर्ड लग रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तरह-तरह के

(श्री बाबूलाल नागर)

सपने दिखाए जाते हैं, गरीब आदमी इन सपनों में आ जाता है और इनकी मेहनत-मजदूरी की कमाई को ये कोलोनाइजर और भूमाफिया ऐंठ लेते हैं। आनन-फानन में कालोनी बसाकर छह महीने, बारह महीने में इनका पता भी नहीं पड़ता कि ये कहां चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्रामीण क्षेत्र भी आता है और जेडीए परिसर का भी क्षेत्र आता है। हाल ही में कुछ गांवों को जेडीए के कार्यक्षेत्र में लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जब तक कृषि भूमि का रूपांतरण नहीं करवा लिया जाता, उपाध्यक्ष महोदय, बिना रूपांतरण अकृषि कार्य नहीं किया जा सकता। राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 177 के अन्तर्गत अगर बिना रूपांतरण अकृषि कार्य करते हैं, कालोनियां बसाते हैं, फार्म हाउस काटते हैं या सड़कें बनाकर लुभावने वादे दिखाते हैं तो ऐसी भूमि को सरकारी भूमि दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जेडीए के कार्यक्षेत्र में जो भी भूमि आती है, 90-बी के तहत उसका रूपांतरण हो, नक्शा अनुमोदन हो, इसके बिना भी अगर कृषि भूमि पर कोई कार्यवाही की जाती है, पट्टा काटते हैं तो अवैध होता है। इन भू-माफियाओं ने और कोलोनाइजर्स ने कम्पनी बनाकर हजारों हजारों बीघा जमीन खरीद की है। उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग अधिनियम के तहत 86 बीघा से ज्यादा कोई भी भूमि, कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होती। 86 बीघा से ज्यादा अगर किसी कम्पनी ने, कोलोनाइजर ने या व्यक्ति ने भूमि राजस्व रिकार्ड में खरीद की है, दर्ज करवाई है तो उपाध्यक्ष महोदय, उस भूमि को सरप्लस घोषित करके सरकार द्वारा अधिग्रहीत करने का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 90-क और धारा 177 के तहत कार्यवाही कर सिवाय चक दर्ज करने का प्रावधान है। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से बगरू से निकलते अजमेर की सीमा जहां शुरू होती है दांतरी तक, कई दर्जन ऐसे बोर्ड लगे हैं, जिला प्रशासन ने और जेडीए ने, उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ने मिलकर जुलाई 2007 के तीसरे सप्ताह में एक अभियान भी चलाया। उस अभियान के तहत कुछ कोलोनाइजर्स पर कार्यवाही भी की गई। चार कोलोनाइजर्स-पंचशील, पी.ए.सी. प्राइवेट लिमिटेड, फैलो सिटी और रहेजा बिल्डर्स के खिलाफ कार्यवाही की गई, गेट तोड़ दिये गये, उनके निर्माण थे वे तोड़ दिये गये और उनको नोटिस दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्यवाही में भी कुछ पक्षपात की गई। थोड़ी-बहुत

(श्री बाबूलाल नागर)

शुरूआत में इन्होंने तोड़फोड़ की, मुख्य मंत्री तक यह बात पहुंची, मुख्य मंत्रीजी ने भी इसमें दखल किया। किसी कालोनाइजर ने शिकायत की कि जेडीए और जिला प्रशासन आया और आगे बढ़कर तोड़ता गया और बीच की जगह छोड़ दी, मुख्य मंत्रीजी ने इसमें दखल किया और उसके खिलाफ भी दूसरे दिन कार्यवाही हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्यवाही के बाद कालोनाइजर्स ने पुनः किसी ने कमरा बना लिया बिना भूमि का रूपांतरण कराये। रूपांतरण भी कराया तो रोड से लगते हुए किसी ने पांच बीघा भूमि का रूपांतरण करा लिया, हजार-हजार, पांच-पांच सौ बीघा जमीन खरीद रखी है, उन्होंने रूपांतरण नहीं कराया, सड़कें बना दीं और बोर्ड लगा दिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद जिला कलक्टर, जयपुर को, जेडीए के मंत्री माननीय गोयल साहब को और कमिश्नर, जेडीए को भी लिखकर भिजवाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी एक कालोनाइजर के खिलाफ, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, जितने भी बोर्ड लग रहे हैं महला से दांतरी तक जितने बोर्ड वहां लगाये हुए हैं, मैंने सब का नाम लिखा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा, इन सब ने भोली-भाली जनता को मुगालते में डाल रखा है- हमारे क्षेत्र के लोगों को, जयपुर के क्षेत्र के लोगों को और राज्य के लोगों को, राज्य के लोगों को ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, देश-विदेश के लोगों को। जयपुर-किशनगढ़ एक्सप्रेस हाईवे है सिक्स लेन का, उसको पता नहीं कौन से कम्प्यूटर में किस तरह से सैट करते हैं, पास में कैसे हरियाली दिखाते हैं, कैसे पेड़-पौधे दिखाते हैं कि जयपुर से किलोमीटर की दूरी दिखाते हैं, पानी की व्यवस्था दिखाते हैं, बीसलपुर-दूदू का पानी आ रहा है, एक-एक जगह आवासीय कालोनी में पानी पहुंचेगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के तरह-तरह के लुभावने तरीके अपना कर कार्यवाही कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब शिकायत की, मैंने कलक्टर को शिकायत की, जिलाधीश ने उपखण्ड अधिकारी, दूदू को जांच करने के निर्देश दिये। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी शिकायत मैंने मंत्रीजी को की, मंत्रीजी ने भी मुझे जवाब दिया, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने भी, कि आपके मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा उसका, मुझे उन्होंने पत्र भी भेजा कि मैं इसकी कार्यवाही करवा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिकायत की टोटल कोलोनाइजर्स के खिलाफ, जितने भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप बिना रूपांतरण कराये ही कार्यवाही नहीं कर रहे, सरकारी भूमि आती है कहीं, कहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

कब्रिस्तान है, कहीं गोचर है, ऐसी भूमियों को भी, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बीच में ले लिया। इन्होंने कहीं सड़क का दिखा दिया, किसी तरह का निर्माण नहीं करके, उपाध्यक्ष महोदय, उन नक्शों में सुविधा क्षेत्र बता दिया और कई सैकड़ों बीघा जमीन को, सरकार की जमीन को इस तरह से दर्शाया है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही एसडीएम, दूदू के पास कलक्टर ने जांच भेजी तो एसडीएम दूदू की पौ-बारह हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, एसडीएम, दूदू उपखण्ड अधिकारी का जो निवास है, वहां तो निवास करते नहीं हैं, गांव से दूर अपना एक निवास बना रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उम्मीद कर रहा था, जिला कलक्टर ने और मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि इस तरह से राजस्थान की जनता के साथ जो धोखा कर रहे हैं, उन धोखाधरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन दो बजे मोटी-मोटी गाड़ियां लेकर, देश-विदेश की गाड़ियां लेकर नम्बर से एसडीएम, दूदू के घर पर कोलोनाइजर्स की लाइन लगने लग गई। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, एसडीएम दूदू जितना करना है, करिए, मुझे यह तकलीफ है कि मैंने मेंशन किया, मैंने उन कोलोनाइजरों का नाम दिया, मैंने यहां तक शिकायत की कि इन +++ कि इन +++ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण दुबारा हो गये, किसी तरह की कार्यवाही नहीं की। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं यह अवगत कराना चाहता हूं मैंने नामजद भी लिखा है, मैंने कुछ केस के प्रकरण भी लगाए जो +++ के तमाम भू-माफियाओं और कालोनाइजरों द्वारा धड़ल्ले से जमे आवास का काम हो रहा है, फार्म हाउस काट रहे हैं। मेरा यह आग्रह है आपके माध्यम से कि....

श्री उपाध्यक्ष: आ गया है आपका, मुख्य बात रख दी आपने।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): तमाम मामले, उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें मैंने मेरी मुख्य बात रख दीं, मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवैध कार्यवाही हुई है, कानून-कायदे लोप हुए हैं, जिन्होंने भोली-भाली जनता को ठगने का उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इतना साहस रखती है, क्या सरकार इतनी हिम्मत रखती है कि जिन लोगों ने नियमों की अवहेलना की है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मन रखती है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं, मैंने +++ चार्ज लगाया है, आप किसी भी एजेंसी से जांच करा लें, किसी भी एजेंसी जो भी आप समझो उससे जांच करा

(श्री बाबूलाल नागर)

लें, करोड़ों रूपए +++ इन भू-माफियाओं को बचाने के लिए, इन भू-माफियाओं को लाभ देने के लिए, इन भू-माफियाओं को तरह-तरह के प्रलोभन देकर उसने धड़ल्ले से +++ का साधन अपना रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं यह +++ महोदय फागी में थे, फागी के माननीय सदस्य यहां है, उपाध्यक्ष महोदय फागी के माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री से शिकायत की कि +++ सरकार ने फागी के माननीय सदस्य की तो बात सुन ली लेकिन दूदू की जनता ने क्या अपराध किया है? उपाध्यक्ष महोदय, दूदू की जनता ने ऐसा कौनसा गलत काम कर दिया है जो इतने +++ को उपाध्यक्ष महोदय जो...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इन भू-माफियाओं को +++ ही नहीं दे रहा है, बल्कि पूरे भोली-भाली गरीब जनता को लुटाने का काम कर रहा है। मंत्री महोदय मौजूद हैं, मंत्री महोदय, क्या जांच करवाएंगे? और यह +++ की जो भी कार्य प्रणाली है, आप तो अपनी ही किसी एजेंसी की, मैं तो चाहूंगा कि आप चाहें तो एसीडी से जांच करा लें, कितने कोलोनाइजर एक-एक कोलोनाइजर +++ और मैं चार्ज लगा रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना आधार के किसी व्यक्ति की मौजूदगी में ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): पुख्ता मेरी जानकारी में है +++ इस तरह से +++ किया गया है और मैं तक कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह +++ कर रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य किसी व्यक्ति की मौजूदगी में आपने ...(व्यवधान) सीधा उछाले ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मुझे तकलीफ नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। वो यहां तक कहता है +++, मुझे इस बात की तकलीफ है। वह खुद +++ करता है तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): अकेले ही लिए हैं, गाड़ी आपके भी लग जाएगी ...(व्यवधान) यह गाड़ियों का चक्कर है बस।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): +++ आप में हिम्मत है तो आप इसकी जांच करा लें, आप एंटीकरप्शन से जांच करा लें, क्या +++ का यह जो चरित्र है यह संदिग्ध है कि करप्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले बात सुनें, आप बैठिए। (व्यवधान) यह जो आपने हाउस में बोला है ...(व्यवधान) यह अंकित नहीं होगा। पहले बात सुनिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) कौनसी आप बात कर रहे हैं? माननीय सदस्य, जांच कायदे से होती है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, आपने सहृदयता से उनको आधा घंटा बोलने का मौका दे दिया ...(व्यवधान) यह बोलते-बोलते यहां तक आ गए कि +++ (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले बैठिए, मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप सुनो तो पहले, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज कराइए ...(व्यवधान) ये रिकार्ड पर व्यर्थ चार्ज देना चाहेंगे, आधारहीन चार्ज हैं, इसको एक्सपंज कराइए। +++ की बात करते रहते हैं ...(व्यवधान) एक्सपंज कराइए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप चलते रास्ते ...(व्यवधान) कोई आप यह सब, यह जो इस तरह के एलीगेशन नहीं लगा सकते हैं, कोई अंकित नहीं होगा इसमें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह रिकार्ड से निकाला जाए। कोई माननीय सदस्य बिना कोई ठोस सबूत के ...(व्यवधान) यह बात उठा दे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय जोशीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जोशीजी, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल सकते हैं, दूसरा मंत्री, परमिशन से बोलिए आप, कौन जवाब देगा, कौन नहीं देगा? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक दूसरे मंत्री को रोक नहीं सकते बोलने से, वह परमिशन से बोल रहा है। अपनी सहमति से बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: उनकी सहमति से बोल रहा है, माननीय सदस्य बैठिए आप ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मंत्रीजी, कौन कहता है आरोपों का?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान) आरोप क्या

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लगाओगे मेरे ऊपर ...(व्यवधान) आया नहीं, सदन में बीस साल से हूं, कोई लगा दो बीस साल में कोई ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके कहने से बोलेंगे क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) बोलेंगे, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किसने परमिशन दी? बैठिए आप, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका। यह चलते रास्ते बातें उछालने से कुछ नहीं होगा, जवाब दे रहे हैं वो, बैठिए आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय सदस्य दूदू से आने वाले ने अभी जो क्वेश्चन किया...

श्री उपाध्यक्ष: फिर आप बीच में टोका-टाकी नहीं, आपने पूरी बात कह दी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं, यह मेरे पास आए थे और लिखकर देकर गए थे। मैंने इसकी जांच भी कराई है। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी 247 गांव की जेडीए में अधिसूचना 1-10-2007 को जारी हुई और इनकी कांस्टीट्युएंसी के दो गांव एक तो महला और एक नासरोदा ये दो जेडीए क्षेत्र में आये हैं और बाकी सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में हैं। हमने कलक्टर को चिट्ठी लिख दी है कि आप हमारे इन-इन गांवों के, 247 गांव जो जेडीए में आ गये हैं, उनके जो भी डाक्यूमेंट्स हैं, जमाबंदियां, नकलें और इस सम्बन्ध में इन गांवों की क्या स्थिति है, कहां-कहां गोचर है, ये सब कागज हमारे पास भेजें। जब अधिग्रहण में आ जाएंगे गांव, उसके बाद में अधिकार क्षेत्र में आएंगे, एक बात। दूसरा

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मेरा निवेदन है, आपने जैसा कहा कि पंचशील कोलोनाइजर्स और ग्रासफील्ड फार्म्स रिसोर्ट्स ये दो हैं वो जेडीए क्षेत्र में अभी जो ये दो गांव आये हैं उसमें अधिग्रहण में आये हैं, बाकी इसके अलावा जितनी भी आपने आठ कालोनियों के बारे में मेरे को लिखा है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो रेवेन्यु के सम्बन्ध में है। जैसा आप कह रहे हैं, उस सम्बन्ध में ये लोग जो कोलोनाइजर्स हैं, ये कोर्ट में गये और कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया जब मैटर सबजुडिस हो तो न तो हम कार्यवाही कर सकते हैं, न ये कार्यवाही कर सकते हैं। ''Status quo should be maintained.'' का आर्डर है। वो ऑर्डर आप तो वेकेट करवा दीजिये, जेडीए में आने के बाद जेडीए अपने आप में सक्षम है, अगर उन्होंने गलत काम किया है तो हम उसको डिसमेंटल करेंगे और अगर डिसमेंटल करने के बाद भी और करेंगे तो हम जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है वो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहस होगी क्या, इसमें कोई बहस नहीं होगी। कह दिया आपने। एक दिन नहीं। माननीय सदस्य, आप बहस दूसरे...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं आप? स्पेसिफिक कोई बात है नहीं और यों ही हवा में उछाल रहे हैं। नहीं-नहीं, क्या, किस बात का? माननीय सदस्य, कोर्ट से स्टे ले रखा है, अदालत से स्टे ले रखा है, अब कौन करेगा इसमें?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कोई स्पेसिफिक शिकायत करेंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी, उसके बाद हो जाएगी अपने आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ...(व्यवधान) 1.10.2007 को अधिसूचना जारी की गई ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या बात करते हो आप, शर्म आपको आनी चाहिए। कोई बात है, कोई स्पेसिफिक मामला तो आपने कहा नहीं, स्पेसिफिक कोई बात नहीं कही यहां पर। क्या बात हुई यह? नहीं, यह गलत बात है। कुछ नहीं, गलत बात है यह। नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ नहीं फालतू। माननीय सदस्य, आप क्या बात करते हो, कैसे कह दिया इन्होंने? नहीं-नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में चलते नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये-बैठिये, आप।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):××× ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा इनका। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान) कोई बहस हो रही है क्या इस पर?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ...(व्यवधान) यह जमीन अभी जेडीए के खाते में नहीं चढ़ी है ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार की बात करते हो, मैं आपको कह रहा हूं कि 1.10.2007 अधिसूचना जारी हुई है और अभी तक जेडीए के खाते में नहीं चढ़ी है। अभी तो जेडीए में चढ़ी नहीं है तो कहां तो कन्वर्जन हो गया और कहां भ्रष्टाचार हो गया और ...(व्यवधान) किसको दे दी?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये पहले। बैठिये-बैठिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय जोशीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: किसने रोका, माननीय सदस्य? आपको किसने रोका है? आपको रोका किसने है, आपको किसने रोका है? आप लिखित में दरख्वास्त दें, बहुत-से रास्ते खुले हैं ...(व्यवधान) आप दें लिखित में शिकायत। शिकायत दें लिखित में।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। यह कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) सदस्य जिम्मेदार हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री) : ×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

(सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं बिजनैस ले रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करिये। मैं सदन का बिजनैस आगे बढ़ा रहा हूं। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

(सदन में भारी शोर-शराबा)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए । अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए, तब सुनेंगे आपकी बात । बात सुनेंगे, माननीय सदस्य। बात कहने का मौका हर व्यक्ति को दिया जाएगा, किसी को बोलने से नहीं रोकेंगे । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए, बैठिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपने मुझे अनुमति दी थी । पहले मुझे मेरी बात कहने दें, मैं एक मिनट में खतम करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से जो मामला इन्होंने उठाया, माननीय सदस्यों को यह मालूम था कि सारा मामला न्यायालय में है, न्यायालय में लम्बित है ... (व्यवधान) मैं आपका ध्यान नियम 123 की तरफ दिलाना चाहूंगा । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): .... (व्यवधान) माननीय सदस्यों को यह मालूम था कि सारा मामला न्यायालय में लम्बित है उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बावजूद भी इन्होंने पर्ची के माध्यम से आपकी सहृदयता का दुरुपयोग कर और नियमों में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद यह मामला सदन में उठाया । इस पर चर्चा नहीं की जा सकती । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिए । माननीय सदस्य बीच में नहीं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मामले की गम्भीरता को देखते हुए मेरा एक छोटा-सा सुझाव है, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे कहने की इजाजत दें। प्राइमाफेसी मामला बड़ा सीरियस नजर आ रहा है, आप गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच करवा दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है आपको? आप गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में कमेटी बना दीजिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य सुनिए... (व्यवधान) आप संबंधित मंत्री को विवरण के साथ दरख्वास्त दें, वह जांच करेंगे, उसके बाद कोई स्थिति होगी तो देखेंगे यों चलते रास्ते ही थोडे ही करवा देंगे । (व्यवधान) यह क्या बात हुई, यह कोई बात थोडे ही है? (व्यवधान) किसी सदस्य ने कह दिया, एक सदस्य कह देगा, कमेटी बना दे जांच करवा दो । उन्होंने कोई तथ्य बताया नहीं, स्पेसिफिक बात रखी नहीं... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रिया में यह व्यवस्था है, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा ।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनको जाना है, +++ यह अपने यहां व्यवस्था है कि छोटे-मोटे मामले में बहिर्गमन करना अपराध है और वह +++ करने के समान है । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, अपने यहां व्यवस्था है, जो न्यायालय में लम्बित मामले हैं उन पर यहां चर्चा नहीं हो सकती । दूसरी व्यवस्था यह है कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उठाना है तो आप स्पेसिफिक लाइए, नोटिस दीजिए और उसके बाद कोई जांच समिति की बात हो। बिना आधार के तथ्यहीन बातें करें, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की आदत पड़ी हुई है, उनको प्रताड़ना दीजिए आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है, चीफ व्हिप साहब ने नियमों का हवाला देकर यह कहा कि बिना नोटिस के इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता । मैंने आपकी अनुमति से नियम 123 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, जो न्यायालय में लम्बित मामले हैं उन पर यहां विचार नहीं किया जा सकता है । उसके बावजूद भी जो अनर्गल आरोप लगे हैं मेरी आपसे प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा है, नियमों में आकर आरोप लगाएं हम जवाब देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकालें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... (व्यवधान) नियम 273 में लिखा है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया । किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):××× ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... (व्यवधान) आप व्यवस्था दीजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सैकिंड, मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने कह दिया कि इन्होंने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो बात खतम हुई। (व्यवधान) इन्होंने कहा है आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, इन्होंने खुद कहा है कि हमने कोई आरोप नहीं लगाया । (व्यवधान)

डा. सी.पी.जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): .... (व्यवधान) मैं कह दूं +++ इससे क्या होगा? (व्यवधान) मैं कह दूं पूरी +++ है इससे थोड़े ही होता है । (व्यवधान) यह राजस्थान की विधान सभा है ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... (व्यवधान) आप नियमों में आते नहीं, आप कुछ भी आरोप लगा कर चले जाएं... (व्यवधान) विधान सभा की कार्यवाही... (व्यवधान) यह क्या आरोप लगा कर चले जाएं.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप लगे हैं इनको एक्सपंज कराओ । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: हो जाएगा सब एक्सपंज ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक जी ने जो रूल 273 पढ़ा है उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपने पूरा रूल नहीं पढ़ा आप मेरी सुन लीजिए एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कहिए ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसमें नीचे लिखा है, "Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यही हमने प्रार्थना की है। (व्यवधान) माननीय सदस्य जो कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कुछ अधिकारियों द्वारा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह (व्यवधान) अधिकारी...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाये ...(व्यवधान) आचरण पर आक्षेप करेगा जब तक कि...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):×××

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस तरह की टिप्पणी शोभनीय टिप्पणी नहीं है, आसन का इस तरीके से ...(व्यवधान) आसन का अपमान कर रहे हो आप। आसन का अपमान कर रहे हो।

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बिना आपकी अनुमति के किसी भी... (व्यवधान) सदन में कहे जा रहे हैं आपकी बिना अनुमति के, एक्सपंज कराएं इसको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आपकी बिना अनुमति के बिना तथ्य के, बिना नोटिस के जो आरोप लगाये गये उनको एक्सपंज कराएं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, उनके पास कोई तथ्य हैं, उन्होंने अपनी बात में कहे (व्यवधान) सरकार जांच कराने को तैयार है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य (व्यवधान) कहने दीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पर्ची के माध्यम से इस प्रकार के मामले न पहले परम्परा रही है न बाद में रही है। इस प्रकार परम्परा नहीं डालें तो बैटर रहेगा। (व्यवधान) बजट लीक का प्रकरण भी हमने पर्ची से थोड़े ही उठाया (व्यवधान) लोकतंत्र में बजट की सैंक्टिटी से ज्यादा कुछ भी चीज नहीं है लेकिन वह भी पर्ची से नहीं उठाया। रूल्स में आकर आप आरोप लगाएं... (व्यवधान) उस प्रकार उसका जवाब.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई विषय बिना अपकी अनुमति के अचानक कह दें, उसकी जांच करा दें ... (व्यवधान) क्या है यह? आसन का अपमान है यह।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर इनके पास कोई बात है तो नियमों में आएं। खड़े-खड़े अचानक कह दें, उसकी जांच कराओ, उसकी जांच कराओ, आपकी बातों से थोड़े ही सदन आपके हिसाब से चलेगा। सदन नियमों से चलेगा, परम्परा से चलेगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा। बैठिये, बैठिये आप। श्री संयम लोढ़ा।

राजकीय विमान व हैलीकाप्टर की खरीद व उनके संधारण में अनियमितता

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लगातार दुनिया के आकर्षण का कारण रहा है। दुनिया के कोने-कोने से लोग हमारे यहां का स्थापत्य सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य, हमारी पुरातत्व धरोहर, इन सब को देखने के लिए राजस्थान आते रहते हैं। 21वीं सदी के इस बदले हुए दौर में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया भर से आने वाले हमारे उन मेहमानों को हमारे राज्य के अंदर बेहतर से बेहतर आवागमन की और बेहतर से बेहतर मेहमाननवाजी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के नागरिक उड्डयन विभाग की जब स्थापना की गई थी तब शायद बहुत-से कारण तब के हमारे नीति नियन्ताओं के दिमाग में रहे होंगे, लेकिन आज इस विभाग की कार्यशैली से न केवल राजस्थान की जनता बल्कि आने वाले दुनिया भर के उन पर्यटकों के दिलो-दिमाग में अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की हमारी सरकार के पास दो हवाई जहाज हैं एक किंग एयर सी-90-ए और दूसरा है किंग एयर-बी 200. किंग एयर-सी90 ए 18 साल पुराना है और किंग एयर-बी-200 इस सरकार के आने के बाद जुलाई 2006 में खरीदा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किंग एयर बी-200 पिछले साल जून 2007 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खुदा का शुक्र है कि हमारे राजस्थान की वजीरे आला उस विमान में बैठी हुई थीं लेकिन आप महफूज रहीं। राजस्थान की जनता की ओर से परमपिता का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दुर्घटना की डीजीसीए जांच भी हुई और उस जांच रिपोर्ट में कारण सामने आये कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के बैठने से पहले हवाई जहाज का ए.सी. चालू कर दिया गया था लेकिन पायलेट बिजली सप्लाई करने वाला जनरेटर चालू करना भूल गया। विमान बैट्री की ताकत से टेक आफ कर गया लेकिन कुछ ही पल में बैट्री चूक गई और विमान की इलैक्ट्रिक प्रणाली बैठ गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हवाई अड्डे पर वापस उस विमान को उतारने के लिए लैण्डिंग गियर यानि पहिये खोलने

(श्री संयम लोढ़ा)

का प्रयास किया गया लेकिन वे नहीं खुले क्योंकि पहिये खोलने के लिए हाथ से पम्पिंग करने से पहले दो स्विच बंद करने पड़ते हैं जिन्हे बंद नहीं किया गया और नतीजा यह हुआ कि विमान नाक के बल पर गिर गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेडियो सिस्टम फेल हो गया, ए.टी.सी. सम्पर्क टूट गया।

श्री उपाध्यक्ष: मतलब की बात करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सब होने के बाद भी उस डी.जी., सी.ए. की जांच रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, एक साल बीत गया और सरकार को उस दुर्घटना का बीमा क्लेम नहीं मिला। न तो विमान ठीक हुआ, न उन पायलटों का उपयोग हो रहा है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर वह विमान पड़ा हुआ है। राजस्थान की जनता का,कड़ी मेहनत का पैसा विमान की पार्किंग के लिये बेमतलब वहां पर खर्च हो रहा है। और पुराना किंग ए.सी. विमान 90-ए है, पिछले 2006 से एक बार भी राजस्थान की मुख्य मंत्री उस विमान में नहीं बैठी हैं। वह विमान राज्यपाल महोदय को तो आप दे देते हो, मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चहता हूं, नागरिक उड्डयन विभाग से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है, उस विमान से ऐसा क्या खतरा है कि मुख्य मंत्री तो उस विमान में नहीं बैठती हैं और आप महामहिम राज्यपाल को उस विमान में बैठाते रहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसी क्या बात हो गई?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में इस विधान सभा में टिप्पणी हो जाएगी...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टिप्पणी नहीं हो रही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): टिप्पणी नहीं हो रही है इसमें। (व्यवधान) कोई टिप्पणी नहीं है इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कुछ गरिमा बचेगी कि नहीं बचेगी?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष: महामहिम राज्यपालजी के यहां से आपके पास कुछ शिकायत आई है क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कि राजस्थान के अन्दर दो हैलीकाप्टर हैं। एक हैलीकाप्टर अगस्ता ए-109, सितम्बर, 2005 में खरीदा गया जिसकी 3 हजार घण्टे की इंजन की गारण्टी है। लेकिन क्या हुआ? सितम्बर, 2006 में 600 घण्टे पर पहला इंजन खराब हो गया। अप्रैल, 2007 में 800 घण्टे पर दूसरा इंजन खराब हो गया। इंजन किराये पर लेने व दोनों इंजन भेजने व मंगवाने पर राजस्थान की जनता के गाढ़े पसीने का 4 करोड़ रुपया खर्च किया गया जब कि इंजन खराब होने का कारण पायलट की मिसहैंडलिंग बताया गया। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि दोनों इंजनों के खराब होने के कारणों की जांच के लिये आज सरकार इस सदन में समिति गठित करने की घोषणा करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हैलीकाप्टर ए-109 का रखरखाव ऊंची दर पर किया जा रहा है। ओ.एस.एस. एयर मैनेजमेंट, जिसको यह रखरखाव का काम दिया गया है उसे साढ़े तीन लाख रुपया महीना दिया जा रहा है, जब कि इसी हैलीकाप्टर का रखरखाव दूसरे स्टेट में डेक्कन एविएशन कम्पनी कर रही है जो जम्मू कश्मीर में इसी हैलीकाप्टर के रखरखाव के लिये महीने का 2 लाख रुपया ले रही है और छत्तीसगढ़ में जहां आपकी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी 2 लाख रुपये महीने पर उस हैलीकाप्टर का रखरखाव कर रही है। इस कम्पनी ने राजस्थान में भी टेण्डर भेजा था लेकिन यह कहा गया कि टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह से मेस्को एविएशन जिसने डेढ़ लाख रुपये मासिक पर टेण्डर भरा था, उपाध्यक्ष महोदय, उसको बिना कारण से बाहर कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने दूसरे हैलीकाप्टर ए.डबल्यू. 139, इसकी निविदा निकाल ली, जो टाइम्स आफ इण्डिया में दी गई, उसके अन्दर माडल का भी दे दिया और कम्पनी का भी नाम दे दिया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस माडल का और जिस नाम के हैलीकाप्टर का आपने एडवर्टाइजमेंट जारी किया, पूरे एशिया के अन्दर उसका एक ही डीलर है। जब पूरे एशिया में एक ही डीलर है तो आपको यह

(श्री संयम लोढ़ा)

करने की क्या जरुरत थी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस टेण्डर में साफ लिखा हुआ था दो नम्बर पर, delivery should be made before 31st December, 2007. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 60 करोड़ का 30 प्रतिशत पैसा इस सरकार द्वारा पिछले साल ही अगस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को भेज दिया गया। पैसा भेजने के बाद भी आज तक इस विमान की डिलीवरी नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी ब्राण्ड का हैलीकाप्टर, इसी कम्पनी का हैलीकाप्टर, आन्ध्र-प्रदेश की सरकार ने भी उसका आर्डर किया, मात्र 48 करोड़ रुपये के अन्दर उसका आर्डर किया है। और राजस्थान की सरकार ने उसी ब्राण्ड के हैलीकाप्टर का 60 हजार करोड़ रुपये के अन्दर आर्डर किया है। अब यह इस तरीके से, इस तरीके के फैसले से पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अन्दर राजस्थान सरकार के इरादों पर अंगुलियां उठना स्वाभाविक है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह नान शिड्यूल्ड आपरेटर्स परमिट जो लाइसेंस है, वह राजस्थान सरकार के नाम पर है। फिर राजस्थान सरकार ने इस हैलीकाप्टर का एडवर्टाइजमेंट राजस्थान सिविल एविएशन कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी के नाम से किस आधार पर लिखा था? जब इस कम्पनी के पास कोई परमिट ही नहीं है, कोई लाइसेंस ही नहीं है तो यह कम्पनी कौन होती है हैलीकाप्टर का एडवर्टाइजमेंट निकालने वाली? यह टूर आपरेट करने का भी कम्पनी को क्या अधिकार प्राप्त है? जब हमारे पास कोई लाइसेंस ही नहीं है। तो यह प्राइवेट टूर भी कैसे आपरेट कर सकते हैं? इसलिये मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो हालत इस विभाग में बने हुए हैं, सरकार यह बताए, कि 12 करोड़ रुपये जो ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है इसी देश के दूसरे राज्य की तुलना में, इसमें कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? इस 12 करोड़ रुपये के अन्दर कितना कमीशन किन लोगों ने लिया है, यह सारे तथ्य सदन के अन्दर लाएं। मेरा आरोप है कि राजस्थान सरकार मरम्मत का काम हो, खरीदने का काम हो, हर-एक काम के अन्दर कमीशनखोरी कर रही है और भ्रष्टाचार के आधार पर इस विभाग के अन्दर गतिविधियों का संचालन कर रही है। कारपोरेशन के माध्यम से हैलीकाप्टर खरीदने का फैसला इसलिये किया गया, चुनाव के वक्त में हैलीकाप्टर नहीं मिलता है, सारी पोलिटिकल पार्टीज बुक कर देती हैं, तो उस हैलीकाप्टर को चुनाव के वक्त उपयोग करने के लिये...

श्री उपाध्यक्ष: आ गई आपकी बात। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, आ गई बात। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिना पात्रता होते हुए भी सिविल एविएशन कारपोरेशन के माध्यम से उस हैलीकाप्टर को खरीदने का फैसला इस सरकार ने किया है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से सदन का दुरुपयोग करते हुए कुछ काल्पनिक बातें इस सदन में रखी हैं। हालांकि इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है किन्तु चूंकि रिकार्ड में बातें सही-सही जाएं इसलिये, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस हैलीकाप्टर को खरीदने की चर्चा इन्होंने की है, मुझे कहते हुए अफसोस है कि इस हैलीकाप्टर के खरीदने के अभी तक क्रय आदेश नहीं दिये गये हैं। हां, यह सही है कि निविदा आमंत्रित ए.डबल्यू.139 के लिये की गई थी। निविदाएं आमंत्रित भी इसलिये की गई थीं कि इससे पहले तकनीकी समिति बनी, उस तकनीकी समिति के अन्दर सारे विशेषज्ञ थे, आज दुनिया में किस तरह के हेलीकाप्टर की तकनीक, नई आ रही है उसके बारे में विचार-विमर्श करके उन्होंने यह विचार जरुर किया। परन्तु उसके साथ ही जब सरकार ने तय किया कि निविदाओं पर अन्तिम निर्णय से पहले और जो कम्पनियां हैं, ख्यातनाम कम्पनियां, यूरोकाप्टर, वेल, इन सबका प्रजेंटेशन सरकार के सम्मुख हुआ। अभी आज की तारीख में इन्होंने काल्पनिक सवाल कर दिया कि आपने तो 60 करोड़ का आदेश दे दिया और 16 करोड़ का चूना लग गया। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपी खबरों के आधार पर, बिना जानकारी के आधार पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एयरकिंग बी-200 की दुर्घटना का जिक्र भी कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब देखते हैं, दुनिया में जिस तरह भागमभाग का जमाना आया है, उसके साथ-साथ नई तकनीक के साथ दुर्घटना हो जाए, यह किसी के बस की बात नहीं है। दुर्घटना हो गई, अब इन्होंने कहा कि बीमा का क्लेम नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो इंजन है, जो नुकसान पूरा इंजन का हुआ है, इंजन के तकमीने के लिये कि कितना नुकसान हुआ है, उसको कनाडा में भेजा गया है क्योंकि कम्पनी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पेरेण्टल कम्पनी वहीं पर है। वहां से आ जाएगा, जब आ जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि आपने रखरखाव के लिये कुछ चहेतों को दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ये आधुनिक तकनीक के जितने भी हैलीकाप्टर और दूसरी चीजें हैं, इनके रखरखाव के लिये जो विशेषज्ञ हैं उनकी सेवा ली जा सकती है। इनको तो उलटा यह कहना चाहिए कि राजस्थान की सरकार पहली सरकार है जिसने कारपोरेशन बनाया। कारपोरेशन के पीछे मकसद एक ही था, मात्र यह नहीं कि यह सरकारी बेड़ा बन जाए, बल्कि जिसके अन्दर हैलीकाप्टर, विमान और दूसरे हैं, उनका जब उपयोग नहीं हो तो हम आम व्यक्तियों को, और दूसरी कम्पनियों को और जब से यह केयर्न एनर्जी आई है, बार-बार उनकी यह दरख्वास्त रही कि राजस्थान सरकार के पास कोई ऐसा हैलीकाप्टर हो जिसमें 12 आदमी, 14 आदमी बैठकर जा सकें तो किराये पर लेने के लिये तैयार हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कारपोरेशन ने 28 लाख रुपये अभी लाभ अर्जित किया है दूसरे लोगों को चार्टेड प्लान किराये पर देकर। मैं समझता हूं कि हम सरकार के पास जब उपयोग हो तो उपयोग होता है और उपयोग नहीं हो तो उपयोग होता नहीं है। इन्होंने सदन में कहा कि सरकार ने कोई 16 करोड़ का चूना लगा दिया, कोई अभी तक हैलीकाप्टर क्रय करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। दुर्घटना की चर्चा हो रही है, उसका बीमा क्लेम करने के लिये जब भी इंजन की रिपोर्ट आ जाएगी, बीमा क्लेम किया जाएगा। इसलिए जो आरोप इन्होंने लगाये, वे तथ्यहीन और निराधार हैं, उनमें कोई तंत नहीं है। (व्यवधान)

(समय : 14.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके कारपोरेशन ने ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। अब कोई अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, माननीय जोशीजी, बैठिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: अब यह समाप्त हो गयी बात।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बता दिया न इन्होंने, आपकी पर्ची पर बात आ गयी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विस्तृत चर्चा ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की सम्पत्तियां कारपोरेशन के नाम हस्तांतरित नहीं हुई हैं, वह हो जाएंगी उसके बाद सरकार ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो वैसे भी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो कारपोरेशन ने कोई आदेश दिया क्रय करने का, न सरकार ने कोई आदेश दिया है। तकनीकी समिति बनी थी, तकनीकी समिति ने सिफारिश की एक हैलिकाप्टर खरीदने की, उसके आधार पर प्रजेंटेशन हुआ है, सरकार और कारपोरेशन के सामने। अभी कोई यह तय नहीं किया गया। यह तो केवल बिना कुछ भी कारण के यहां पर बोलने लग गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने सारे इश्यू पर अभी तक ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हालात वह है जो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बच्चा पैदा हुआ नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हालात वही है कि ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक मिनट, जोशीजी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह हो रहा है कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, उससे पहले उसकी शादी की तिथि तय कर दी। हैलिकाप्टर खरीदने की कोई बात हुई नहीं, उससे पहले ही 30 परसेंट ... (व्यवधान) कमीशन का आरोप लगा दिया। यह गम्भीरता है इस तरह की, इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें न जाने क्या फोबिया हो गया कि यह रोज इस तरह की अनर्गल बातें कहेंगे इसलिए कृपया ऐसी चीजों को नहीं कहें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आ गया। अब बैठिये आप। बैठिये आप। माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... (व्यवधान) वहां आपकी सरकार उड़ा रही है चार्टर प्लेन ... (व्यवधान) (व्यवधान) उसके बाद सारी सम्पत्तियां हस्तांतरित होंगी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार्टर प्लेन ... (व्यवधान) उड़ा रही है। (व्यवधान) उड़ा रही है चार्टड प्लेन को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आ गयी। इस पर पूरी बहस थोड़े ही होगी कोई। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव):×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): यह आप कह रहे हैं ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार ने ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जब यहां बात कह रहा हूं, कि न तो राजस्थान की सरकार ने वह आदेश दिया है क्रय करने का और न ही कारपोरेशन ने आदेश दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। माननीय सदस्य। बैठिये-बैठिये। माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती प्रक्रिया

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश हमारा भारत और उसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और राजस्थान की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत-सी योजनाएं लागू की गयी हैं और उन योजनाओं की क्रियान्विति राज्य स्तर पर की जा रही है।

इसी क्रम में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के चलते पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी जिस योजना को कार्य रूप में परिणत आगामी एक अप्रैल से किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत सही कार्य सम्पादित हो, इसके लिए ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति किया जाना भी प्रस्तावित है।

हमारे राज्य में पूर्व में अनेक जिलों में यह योजना चल रही थी लेकिन अब पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना लागू होने वाली है, इसके लिए जो चयन की प्रक्रिया बनायी गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह चयन की प्रक्रिया अपने आप में संदेह पैदा करती है। आज हम समय-समय पर समाचार-पत्रों के माध्यम से भी देखते हैं और ये घटनाएं आम हो रही हैं कि भोले-भाले नौजवान, पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को रोजगार देने के नाम पर लूटा जाता है और उनको आर्थिक आघात पहुंचाया जाता है। बड़े परिश्रम के साथ में माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री को पढ़ाते हैं और यह आशा करते हैं कि वह आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार को सम्बल प्रदान करेगा। उसी क्रम में आज चूंकि राजकीय सेवा में हर व्यक्ति चयनित होना चाहता है, हर गांव स्तर पर बड़े-बड़े प्रचार करके ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति करने के नाम पर आवेदन बहुत बड़ी संख्या में ले लिये गये हैं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल तक जिन ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव ग्राम पंचायत के माध्यम से आये ओर उसके बाद में ही वे पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से जाते हुए आगे तक पहुंचे और उस प्रस्ताव की क्रियान्वित हो, इस बात को हम बार-बार करते रहे हैं लेकिन वहीं इससे अलग हट कर जिस ग्राम पंचायत में हमें सहायक की नियुक्ति करनी है, उसका चयन करने की पावर हम उस ग्राम पंचायत को नहीं देकर उसके आवेदन जिला स्तर पर एकत्र कर रहे हैं जो साफ-साफ इस बात को दिखलाता है कि राज अपनी इस इच्छा का प्रदर्शन करना चाहता है कि यह रोजगार अगर कोई दे रहा है तो राज दे रहा है, न कि ग्राम पंचायत।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात से वाकिफ होंगे आपसे भी इस प्रकार के लोग सम्पर्क कर रहे होंगे जो बार-बार इस भ्रांति का शिकार होकर हर दरवाजे तक जा रहे हैं और एक ही भाषा कह रहे हैं कि चाहे जितना लग जाए, यह नौकरी मुझे मिल जाए। इसके चलते बहुत-से लोग धन एकत्र कर रहे हैं। मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाने का उद्देश्य यही है कि जब हम एक ओर ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं पारदर्शिता का परिचय देते हुए उन्हीं ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दें कि जो योग्यतम युवक या युवती है, उसका चयन उनके स्तर पर किया जाए। अगर उस चयन के अंदर किसी स्तर पर कोई कमी रहती है तो उसकी अपील हमारी पंचायत समिति, हमारा जिला परिषद् और हमारा स्थानीय प्रशासन और हमारी राज्य सरकार, उन तक आ सकती है और कहीं कोई कमी रह जाए तो उसका निस्तारण हो सकता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि किस ग्राम पंचायत में कितने आवेदन आये और कौन -कौन योग्य है और आवेदन लेने का क्रम क्या है? किस व्यक्ति का आवेदन आया या नहीं आया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में होने वाले भारी भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए हम अगर समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो पुनः ऐसा समय आएगा कि लगभग हर जिले से, जिन जिलों में यह योजना लागू होने वाली है, लाखों रुपये का घपला होने का इसमें अंदेशा है और ऐसे सैकड़ों परिवार मिलेंगे जिनके गाढ़ी पसीने की कमाई कुछ लोग लेकर चम्पत हो जाएगे। वे नौजवान युवक और युवती, जो बहुत आशा के साथ अपने आने

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

वाले भविष्य के लिए सपने संजोते हुए कुछ काम करने की इच्छा रखेंगे, उनका वहीं पर एक दर्दनाक अन्त होयेगा। यह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है।

(समय : 14.10 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप माननीय मंत्री महोदय को इसके लिये निर्देशित करें कि यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को संशोधित करते हुए पुनः ग्राम पंचायत के स्तर पर करें, क्योंकि आज अगर आप चयन भी करेंगे तो अनुमोदन के लिये उन्हीं ग्राम पंचायतों के पास में भेजने वाले हैं फिर क्यों नहीं हम उन्हीं ग्राम पंचायतों के स्तर पर इस चयन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करवाना चाहते हैं। इस बात के लिए आप निर्देशित करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

इसी के साथ, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है माननीय मंत्री महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। राज्य में इस बात की चर्चा बार-बार चलती है कि राज ने जो वादे किये हैं, उन वादों को राज निभाता है और निभाना चाहिये। अगर किसी वादे को निभाने में राज चूक गया है तो हर जन-प्रतिनिधि का धर्म है कि वह समय रहते राज को इसके लिए इंगित करे। मैं इस बात से अलग हटते हुए दो शब्द आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहूंगा कि 28.10.1998 को राज ने एक ऐसा ही वादा किया था मंत्रालयिक वर्ग की .. (व्यवधान) एक साधारण-सी बात आपकी जानकारी के लिए है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पर्ची की सुविधा दी गयी है कि कोई लिमिटेड बात हो, जरूरी बात हो, वह बताएं। अब यह कर्मचारियों की बात कहां से आ गयी? कल फिर पर्ची लगाएंगे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): एक जानकारी निवेदन करना चाहता हूं, उसको लें तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह नई परम्परा कहां से आ गयी? (व्यवधान) मेरा निवेदन है अगर आसन अनुमति दे तो आसन की मर्जी है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बहुत ही सीजण्ड व्यक्ति हैं, आपकी पर्ची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी के कार्यों के लिए ग्राम रोजगार सहायकों की प्रक्रिया के प्रति असंतोष के संबंध में है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): यह मैंने निवेदन किया। (व्यवधान) आपकी इजाजत से मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक स्थगन भी इसी सम्बन्ध में पेश किया था, जो बात मैं अभी चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन चूंकि उस वक्त व्यवधान उत्पन्न (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आप नई परम्परा मत डालो। मेरी तो प्रार्थना है आसन से। (व्यवधान) यह नई परम्परा हो जाएगी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मैं, मंत्री महोदय, केवल एक बात आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आपने जो आश्वासन दिया था, उसकी पूर्ति आज दिन तक नहीं हुई है। आपको पूरी बात जानकारी में है। धन्यवाद, सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया।

श्री सभापतिः विराजिये। श्री अमरारामजी धोद।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट, विराजिये, अमरारामजी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अभी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में हमारे यहां पर जो ग्राम सहायक लिये जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की है और मेरा ध्यान भी आकर्षित किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम सहायकों की नियुक्ति कैसे की जाए, इस पर हमने सबसे पहले जब रोजगार गारण्टी योजना शुरू हुई 6 जिलों में, तब ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं से सबसे पहले तो आन कान्ट्रेक्ट किसी संस्था द्वारा ग्राम सहायक लगाने की प्रक्रिया शुरू की। सभापति महोदय, उस पर भी हमको शिकायतें मिलीं और उसमें यह तथ्य सामने आया कि जिनको ग्राम सहायक लगाया गया, उनको हम 2500 रुपया देते हैं, वे और भी उसमें शोषण करके कम पैसे देते थे। इसलिए हमने उस प्रक्रिया को बंद किया। उसके बाद हमने कहा कि ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभा होती है उसमें एक व्यक्ति का चयन किया जाए जिसको ग्राम सहायक लगाया जाए। हमने यह भी प्रयोग किया। परन्तु, सभापति महोदय, उसमें यह आया कि जो ग्राम सहायक लग रहे हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

एस.सी., एस.टीं. और ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। हर पंचायत एक ग्राम सहायक चुनकर भेजेगी तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। जो नई योजना शुरू हो रही है एक तारीख से 20 जिलों में, हमने लाटरी डालकर उनका रिजर्वेशन किया। रिजर्वेशन के आधार पर एप्लीकेशन आमंत्रित कीं। एप्लीकेशन आमंत्रित करने के बाद अब उसमें एक सी.ई.ओ. और एक कलक्टर का नोमिनेटेड पर्सन, दो आदमियों की एक कमेटी बनायी। वह कमेटी पूर्णतया पारदर्शितापूर्वक, मैरिट के आधार पर उनका चयन करेगी। अब, सभापति महोदय, इसमें कहां, अभी तो कोई बालक जन्मा ही नहीं, उसके पहले यह पता नहीं क्या क्या, उसकी शादी होगी कि नहीं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आपने अभी दो कारण बताये...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप एक मिनट विराजें। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पारदर्शितापूर्वक कार्यवाही की है और आगे भी करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से राजीव गांधी पाठशाला में 25-25 हजार रुपये लेकर नियुक्ति दी, ऐसा काम हमारे राज में नहीं होगा, यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आपने दो कारण बताये हैं। एक कारण यह बताया है कि ग्राम पंचायत से उनके चयन में गड़बड़ी होती थी और उनको 2500 से रुपये भी कम देते थे। यह सुपरवाइजरी करने का काम तो आपका था। जब आपको (व्यवधान) एक मिनट, अब आप बैठ जाइये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह किसी कान्ट्रेक्टर द्वारा रखेंगे तो कम देंगे। (व्यवधान) यह जनता की इच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्था अपनी मर्जी से देती है। (व्यवधान) कान्ट्रेक्ट पर है तो जनता उसकी मर्जी से देती है। (व्यवधान) इसलिए उनका शोषण हो रहा था, उसको रोकने के लिए हमने यह किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची पर कभी बहस नहीं होती। (व्यवधान)

श्री सभापति: अमरारामजी। माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

अंकित नहीं हो। विराजिये। अमरारामजी, आप बोलिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। बैठें आप सब। अब कोई अलाउ नहीं होगा। कोई डिबेटिंग नहीं होगी। माननीय अमरारामजी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: माननीय अमरारामजी। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री सभापति: माननीय अमरारामजी। बैठें, अब कोई डिबेटिंग नहीं हो रही है। अमरारामजी को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर्ची पर कभी बहस हुई है क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह कह रहे हैं लाटरी बाद में निकाली, पहले फार्म भराये, तो हमने लाटरी निकालने के बाद पुन: 10 दिन का एडवरटाइजमेंट किया, दुबारा फार्म लिये। इनको पता ही नहीं है। यह जानकारी रखते ही नहीं। सभापति महोदय, थोड़ा इनको निर्देशित करें, कुछ जानकारी करके आएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसी का अंकित नहीं हो रहा है। जब अंकित ही नहीं हो रहा है तो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, जब आपने पहले ही आदेश दे दिये कि अंकित नहीं हो, फिर काहे को बोल रहे हैं? आपने एक तरफ तो कह दिया अंकित नहीं हो, माननीय सदस्य यूं ही बोल रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय अमरारामजी। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी बोल रहे हैं। इनको बोलने दें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति:×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सभापति: माननीय लोढ़ा साहब विराजिये। (व्यवधान) माननीय अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: यह कोई डिबेट थोड़े ही होती है इसमें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: बिराज जाएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: विराजिये This is not the way.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सभापति: विराजिये। राठौड़ साहब, विराजें आप। राठौड़ साहब, विराजिये।

मेरा आप सब से अनुरोध है कृपया अमरारामजी बोल रहे हैं, इन्हें आप सुनें। अमरारामजी साहब।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में किसान जो एग्रीकल्चर कनेक्शन लेते हैं, पेंडेंसी के होते हुए राजस्थान में जो भी सरकारें आयीं, राजस्थान के किसान की इस मजबूरी का फायदा उठाया। क्योंकि किसानों को फार्म भरने के बाद 12 साल से लेकर 16 साल तक, कुआ और ट्यूबवैल बनाने के बाद 16 साल तक इन्तजार करना पड़ता था, राजस्थान में जो भी कोई सरकार आयी उसने इस पेंडेंसी का, मजबूरी का फायदा उठा कर के कभी स्पेशल के नाम से, कभी नर्सरी के नाम से, कभी फार्म हाउस के नाम से कनेक्शन के वक्त और कनेक्शन के बाद उसके बिल में कई गुना चार्ज लेकर किसान को लूटने का काम किया है।

2005 में जब किसानों ने महापड़ाव डाल कर सरकार की इस लूट के खिलाफ आन्दोलन किया, सरकार ने निर्णय किया और तमाम, जितने भी फार्म हाउस, नर्सरी, स्पेशल, चारा, किसी भी तरह के कनेक्शन थे उनको दो साल होने के बाद में सामान्य करने के आदेश किये। उस समय कमेटी बनायी सरकार ने, उसके सदस्य और चेयरमैन साहब भी यहां विराजमान हैं। यह निर्णय करने के बाद जो नगर पालिका क्षेत्र हैं, छोटी-छोटी नगरपालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतों से उनकी जनसंख्या कम है खाजूवाला, घड़साना ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनकी रींगस, शाहपुरा, चौमूं ग्राम पंचायतों से जनसंख्या कम है। फार्म हाउस श्रेणी में जो कनेक्शन हैं, विशेष श्रेणी में, नर्सीरी श्रेणी में, वे नगरपालिका क्षेत्र में तो जरूर आते हैं लेकिन उनको सप्लाई वो ही मिलती है जो ग्रामीण क्षेत्र में आज किसानों को मिलती है ब्लाक सप्लाई, 6 घंटे, 4 घंटे, जो भी सरकार आदेश करती है वो जो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मिलती थी नगरपालिका क्षेत्र में उन किसानों को मिलती है। फार्म हाउस की बात अभी सहकारिता मंत्रीजी कर रहे थे, जयपुर, जोधपुर बड़े-बड़े शहरों के पास जिन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, उन फार्म हाउस की बात नहीं करता, किसान की मजबूरी का फायदा उठा कर फार्म हाउस के नाम से जो चीटिंग हो रही है, उनको आज भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ब्लाक सप्लाई मिलती है।लेकिन उनके साथ दुभांत यह है कि उनके फार्म हाउस के कनेक्शनों को, स्पेशल श्रेणी और नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में नहीं बदला। सामान्य श्रेणी में बदलने के बाद 90 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से लगता है और जो फार्म हाउस में उनको 3 रुपया 80 पैसा, साढ़े तीन रुपये ...(व्यवधान) पैसा लगता है।

श्री सभापतिः अब आप इसे समाप्त करें, अपने ऊर्जा पर कोई न कोई बात होगी ही होगी।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, यह ऊर्जा का सवाल नहीं है। (व्यवधान) एक मिनट, मंत्री महोदय।

श्री सभापतिः कल ही है शायद। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सवाल का जवाब दे देता हूं मैं।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी, मैं लम्बी बात नहीं कह रहा, दो ही मिनट में पूरी बात कह दूं उसके बाद में आप जरुरत दें।

श्री सभापतिः हां, आप फर्माएं।

श्री अमराराम (धोद): सवाल का जवाब नहीं, उनको राहत दें। उनको वो ही सप्लाई मिल रही है, वो ही पैदा कर रहे हैं और जब आप उनको 24 घंटे शहर की सुविधाएं उपलब्ध करा दें तो निश्चित रूप से आप उसको वापस लाएं, इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन वो ही सप्लाई जो गांव की मिलती है वो उनको मिले और उनसे पांच गुना चार्ज लिया जाए, मैं समझता हूं यह कतई न्यायसंगत नहीं है। उन फार्म हाउसों की बात छोड़िये, जो छोटे-छोटे किसान हैं उनकी बात है।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नयी कृषि कनेक्शन नीति में यह अनाउंस कर दिया कि वे नगरपालिका जो छोटी-छोटी हैं, उनमें कोई भी किसान अब कनेक्शन लेगा, उसको केवल फार्म हाउस में देंगे। कम से कम पांच साल, दस साल इन्तजार के बाद में तो वो 90 पैसे वाले में आ जाए। आपने कह दिया अब कोई भी कनेक्शन वहां लेगा, जैसे सब फार्म हाउस वाले हो गये, सब करोड़पति हो गये।

श्री सभापतिः विराजें आप।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जिस तरह से आपने आदेश निकाला है, ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लाक सप्लाई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पूर्ण सप्लाई है उसको सामान्य नहीं किया है इसलिए उसको आप सामान्य करें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सात मिनट हो गये हैं। पर्ची के माध्यम से चार मिनट होते हैं, सात मिनट हो रहे हैं आपके, कृपया विराजें अब।

श्री अमराराम (धोद): और उनको केवल फार्म हाउस में ही कनेक्शन नहीं देने के लिए संशोधन करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। मंत्रीजी, कुछ कहना है तो एक मिनट में ही कह दो आप, नहीं तो कल कह देना आप। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, किसान के पास हर वक्त एक आप्शन था कि वो जनरल कनेक्शन ले या स्पेशल ले या नर्सरी ले या हरा चारा, जो कांग्रेस के सरकार के टाइम में कनेक्शन का आप्शन दिया हुआ था। तो यह तो है नहीं कि किसान के पास कोई आप्शन नहीं था। कांग्रेस सरकार के समय जब यह हरा चारा और स्पेशल कनेक्शन खोले थे तो उन्होंने कहा था कि पांच साल से, जब से कनेक्शन बिल आओ, उसके पांच वर्ष के बाद में इसको हम वापस जनरल रेट पर ले लेंगे। हमारी सरकार ने 31.11.2005 को आर्डर निकाला कि 29.11.2005 से जिन लोगों के दो वर्ष स्पेशल के हो गये हैं, उनको तुरन्त सामान्य श्रेणी में ले लिया जाए तो जितने भी थे, जो 29.11.2005 तक थे, उनको हमने तुरन्त ले लिया। उसके बाद हमने यह भी कहा कि जब भी कनेक्शन रिलीज हुआ है उसके दो वर्ष बाद में हम सामान्य कर देंगे उसको। अब आप देखें कि 62 हजार कनेक्शन हैं, हमने उनको रैगुलर जनरल कैटेगरी में ले लिया।

श्री अमराराम (धोद): धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 62 हजार। 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का जो यह टैरिफ का डिफरेंस है, सरकार इसको वहन कर रही है।

दूसरी बात, सभापति महोदय, नगरपालिका जो थीं उनका पहले तो छोटा एरिया था, अब उनकी सीमाएं जैसे जनसंख्या बढ़ गयी, जमीन महंगी हो गयी, तो उसके बाद यह समस्या आयी जिसके बारे में कह रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने जो बोला है कि लूटने का हो रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज ले रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं तो कहूंगा कि हमने पिछले चार साल में एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया दर में, कैसे लूट रहे हैं किसानों को। 90 पैसे थे 90 पैसे हैं। और हमारे कार्यकाल के अंत तक हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। मुद्रा स्फीति को देखा जाए तो एक्चुअली तो 25 परसेंट रेट हमने कम ही की है। इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर नगरपालिका क्षेत्र है, वहां पर जो भी फार्म हाउस हैं जो नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर आ गये हैं, वहां पर क्या है कि जो कनेक्शन हैं वो उससे कुआं भी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

चला रहे हैं, उससे डोमेस्टिक खर्चा भी कर रहे हैं तो उसको बाइफर्केट करना, यह असम्भव रहेगा।

दूसरा, ये आउट ऑफ टर्न दिये गये थे तो आउट ऑफ टर्न जब लिये गये थे तो उनको मालूम था, क्या रेट थी। (व्यवधान) जो भी था, यह स्पष्ट था, फिर बढ़ायी नहीं हमने।

श्री अमराराम (धोद): रींगस में क्या बाइफर्केट करेंगे, वो ही पैदा कर रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जिनको आप शहर की सप्लाई दे रहे हैं। उनको जिनको ग्रामीण सप्लाई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें अब एक मिनट, अमरारामजी, आपकी बात पूरी हो जाने दें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अगर उससे पड़ोस वाला 90 पैसा दे रहा है ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरी बात तो सुन लीजिए आप। (व्यवधान) आप बात तो सुन लीजिए।

श्री अमराराम (धोद): आपने 65 हजार को बदल दिया तो ये जो हैं ...(व्यवधान) इसमें क्यों लूट रहे हो आप?

श्री अमराराम (धोद): अमरारामजी, विराजें आप, लैट हिम कम्प्लीट। आप बोलिये, कम्प्लीट करिये इसको।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, इसमें जो समस्या आ रही है, माननीय सदस्य जो एक बात कह रहे थे, मैं बिलकुल उनसे सहमत हूं कि वहां पर कुछ जो घर हैं नगरपालिकाओं में, वहां पर 24 घंटे आ रही है, कुछ लोग विलेज फीडर से जो जुड़े हैं, जहां पर 6 घंटे आ रही है। तो इसके अन्दर दो ही तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि उनको 24 घंटे बिजली दी जाए और दूसरा है कि जिनको 24 घंटे नहीं मिल रही है उनको सामान्य श्रेणी में लिया जाए।

श्री अमराराम (धोद): हां।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इसलिए बिलकुल वाजिब मांग है, यह एक समस्या है, हमने एक कमेटी गठित करके इसका या तो 24 घंटे लाएं या उनको सामान्य दर में करें, यह मैं आपको ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मैं कह रहा हूं, मंत्रीजी, जब 24 घंटे में आ जाए, फार्म हाउस ले लेना आप तो, जब तक ब्लाक सप्लाई है, उनको सामान्य श्रेणी ...(व्यवधान) जब आपने 65 हजार को कर दिया तो हजार-दो हजार को आप क्यों उनका हार्ट बर्निंग कर रहे हैं?

श्री सभापति: विराजें आप। नो डिबेटिंग, विराजें।

श्री अमराराम (धोद): जब 65 हजार को आपने सामान्य कर दिया तो ये तो 1500 होंगे जिनको सामान्य किया जाए।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007

श्री सभापति: विराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

माननीय श्री दिगम्बर सिंहजी, उद्योग मंत्री राजस्थान वित निगम के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (क्र.सं. 4 व 5)

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

माननीय समर्थलालजी मीणा, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2007-08 के चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन इस सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री भंवरलालजी शर्मा, याचिका उपस्थापन करेंगे। (अनुपस्थित) श्री सी.डी. देवल। याचिका उपस्थापन करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

रायपुर राष्ट्रीय राज मार्ग-14 पर बर पंचायत समिति में ट्रोमा अस्पताल व एम्बुलेंस सुविधा

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बर पंचायत समिति, रायपुर राष्ट्रीय राज मार्ग-14 पर ट्रोमा अस्पताल खोलने एवं एम्बुलेंस उपलब्ध कराने बाबत याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमान हरीसिंहजी रावत याचिका उपस्थापन।

ग्राम पंचायत का नगरपालिका में परिवर्तन बनाने बाबत

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भीम विधान सभा क्षेत्र की भीम ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने बाबत एक याचिका उपस्थापन करता हूं।

अनुदान की मांग

श्री सभापति: श्री कालीचरणजी सर्राफ शिक्षा मंत्री शिक्षा की मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं श्री गजेन्द्र सिंहजी खींवसर, ऊर्जा राज्य मंत्री अनुदान की मांग-47 पर्यटन, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या 24– शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 64,78,07,55,000 (चौंसठ अरब, अठहत्तर करोड़, सात लाख, पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 47-पर्यटन की प्रस्तुति

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,36,41,000 (अड़तीस करोड़, छत्तीस लाख, इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 व 47 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री सभापति: आज शिक्षा की मांग है और दो माननीय मंत्री गण बोलेंगे, इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से पहले अनुरोध है कि थोड़ा-सा समय सीमा में ही बोलें। पहले स्पीकर बीस-बीस मिनट दोनों तरफ से बोलेंगे, उसके बाद दस मिनट से ज्यादा नहीं होगी। नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। माननीय श्री बी डी कल्ला साहब। 2.32

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले स्पीकर के लिए माननीय सभापति महोदय, ..

श्री सभापति: बीस मिनट बहुत हैं। आप तो गागर में सागर भरो न, आप तो वैसे ही विद्वान हो।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, विद्या ददाति विनयं, विद्या विनयं शोभते।

श्री सभापति: विनयात पात्रतां।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, विनयात पात्रतां। तो विद्या विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है और विद्या से विनयशीलता आती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या व्यक्ति को विमुख करती है, अन्धेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है और उसके बनने का माध्यम केवल शिक्षा ही है। बचपन में किसी व्यक्ति को पूछो, विद्यार्थी को, बच्चे को, कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वह कहेगा कि मैं डाक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउन्टेंट, वकील, आई ए एस आफिसर, कलक्टर, एस पी बनना चाहता हूं। लेकिन वह बन तभी सकेगा जब वह शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा ही किसी व्यक्ति के बनने का माध्यम है। घनश्यामजी बचपन में हो सकता है, शिक्षा मंत्री बनना चाहते थे, बन गये, लेकिन बिना पढ़ाई के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता है।

कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन सब बातों के पीछे शिक्षा छिपी हुई है। माननीय सभापति महोदय, 1990 की युनाइटेड नेशन्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह भी लिखा हुआ था कि किसी भी देश अथवा प्रदेश का बजट, इसमें चार चीजें प्रमुखता से हों- शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता और पेयजल। उसमें भी फिर माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जितना अधिक ध्यान दिया जाता है वह बजट उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे प्रदेश में और हमारे देश में खास तौर से सर्व शिक्षा अभियान जब से चला है, उससे यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलता है कि देश में शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है लेकिन राज्यों को भी उसके बराबर रफ्तार में चलने की आवश्यकता है। यदि राज्य इस रफ्तार में पीछे रह गये तो निश्चित रूप से इसका नुकसान हमारे प्रदेश को होगा।

मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि कन्फ्यूशियस जो चाइना के दार्शनिक हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि एक वर्ष की योजना बनानी हो तो आप एक बीज रोपें और यदि दस वर्ष की योजना बनानी है तो एक वृक्ष रोपें और यदि सौ वर्ष की योजना बनानी है तो एक विद्यालय खोलें। विद्यालय का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है। विद्यालय खुलने से पूरा का पूरा उस गांव में, उस बस्ती में चमत्कार हो जाता है और वह गांव शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है।

मैं इस अवसर पर खास तौर से आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा न केवल सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है बल्कि हमको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सशक्त करने का असरदार माध्यम है। खास तौर से इसके तीन आधार स्तम्भ हैं, सबसे पहला आधार स्तम्भ तो यह है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान जो है वह मजबूत होनी चाहिए। हमारे देश में, सभापति महोदय, बहुत-से लोग कहते हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, हम महा राष्ट्रयन हैं, हम केरलाइट हैं और खास तौर से इस देश के राजनेता कई बार इस प्रकार की प्रान्तीयता को फैला देते हैं। हम सब लोगों को आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि हम सबसे पहले इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। यह राष्ट्रीयता की पहचान कोई दे सकता है तो वह भी शिक्षा के माध्यम से ही आ सकती है और दूसरे किसी माध्यम से नहीं आ सकती।

दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि हमारा एक सुसंस्कृत, सुसंगठित परिवार होना चाहिए। सुसंगठित परिवार अपनी सीमा में रहते हुए अपने परिवार का विकास करे और वह परिवार उसके बाद राष्ट्र के लिए अपना समुचित योगदान दे।

इसी प्रकार है हमारा कानून और व्यवस्था का एक सुदृढ़ ढांचा, जो विद्यार्थियों में यह भावना भरता है कि चाहे कितनी ही साम्प्रदायिकता कोई फैलाने की कोशिश करे, कोई कितनी ही क्षेत्रीयता फैलाने की कोशिश करे, कोई कितना ही भाषावाद फैलाने की कोशिश करे, लेकिन हमारा कानून इतना मजबूत है कि वह इस प्रकार के तत्वों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उच्च

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

शिक्षा और हमारी सुदृढ़ न्याय प्रणाली के माध्यम से उसको यह विश्वास है कि यह देश अखण्ड रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो इस देश की एकता, अखण्डता और राष्ट्रीयता की पहचान को बनाये रख सकता है।

अब मैं आपके सामने अपनी बात शुरु करता हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। इसके लिए कुछ कानून राज्य बनाते हैं, कुछ कानून हमारी केन्द्र की सरकार बनाती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि समवर्ती सूची होने के कारण राज्यों को यह सोचना चाहिए कि अपने कहीं भी कुछ योजनाएं बनाएं, केवल मात्र केन्द्र के भरोसे नहीं रहें और उन योजनाओं के माध्यम से राज्य में शिक्षा में कुछ गुणात्मक सुधार करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य में छह से लेकर चौदह वर्ष की बालक-बालिकाओं के लिए सबसे पहले नामांकन की बात आती है। राज्य में 53 हजार प्राथमिक शालाएं, 48 हजार उच्च प्राथमिक शालाएं, इनमें हमने लगभग सवा पांच करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन कर लिया लेकिन नामांकन के बाद कभी यह नहीं सोचा कि इसमें ड्राप आउट कितने हो रहे हैं। हमारे यहां शाला भवन नहीं, खेल के मैदान नहीं, अच्छे टीचिंग और लर्निंग के इक्विपमेंट्स नहीं, शौचालय नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, इन सब बातों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, विद्यार्थी वहां टिकेगा नहीं।

सभापति महोदय, विद्यार्थी को जब तक पढ़ने में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, कि वह कक्षा रुम में जाने पर यह महसूस करे कि उसको आज कुछ नया मिला है और घर पर रहने पर उसको लगेगा कि मैं कुछ खो रहा हूं तब जाकर के वह स्कूल में जाना पसंद करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जब इस प्रकार की बातें हम उस स्कूल में कर देंगे, अच्छे खेल के मैदान, अच्छे वहां पर कक्षा रूम, अच्छे वहां टीचिंग और लर्निंग के इक्विपमेंट्स, मैथडोलाजी अच्छी हो और अध्यापकों का भी वहां ठहराव हो, ये सारी बातें होंगी। हम प्रवेशोत्सव तो खूब जोर शोर से मनाते हैं लेकिन उसके बाद वही ढाक के तीन पात। दो तीन महीने बाद जाओ तो स्कूलें खाली। ऐसी परिस्थिति में प्रवेशोत्सव और नामांकन के साथ-साथ स्कूल में ठहराव का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जितना अधिक ठहराव होगा बच्चों का उतना ही स्कूलों में हम साक्षरता को भी बढ़ा पाएंगे। इसके साथ-साथ स्कूलों में एक तरीके से साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाते हुए संख्या को स्थिर रख पाएंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके साथ, सभापति महोदय, सरकार ने जेंडर एजुकेशन की बहुत बड़ी बात की। जेंडर एजुकेशन के लिए सरकार ने उपाय तो बहुत किये होंगे, नामांकन भी बढ़ाया है लेकिन आज मैं आपको स्पेसिफिक कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। बालकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये 2007-08 के बजट में 1043.48 करोड़ रुपये रखे गये थे, इस बार 2008-09 के बजट में 1273.57 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यानि 230.09 करोड़ रुपये ज्यादा रखे हैं। अच्छी बात है। लेकिन बालिकाओं के उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 144.91 करोड़ रुपये लास्ट ईयर के बजट में थे और इस साल के बजट में मात्र 20.81 करोड़ रुपये की अभिवृद्धि की गयी है। बालकों के लिये प्राथमिक विद्यालय, इसमें इस साल केवल 2.09 करोड़ रुपये रखे गये हैं जब कि पिछले साल 133.89 करोड़ रुपये रखे गये थे। बालिकाओं के लिये प्राथमिक विद्यालय में 2007-08 में 44.71 करोड़ रुपये और इस वर्ष कोई राशि नहीं। माननीय मंत्रीजी, इस साल आपने बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों के लिये कोई राशि नहीं रखी है।

जनजाति क्षेत्रीय उप योजना प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिये 2007-08 में 1.20 करोड़, 2008-09 में 1.90 करोड़ रुपये, यानि 70 लाख की अभिवृद्धि। प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं के लिये 41.71 लाख 2007-08 के बजट में थे और इस साल कोई राशि नहीं। महिलाओं के लिये समर्पित बजट में शिक्षा की क्या हालत है, यह, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी दे रहा हूं। जनजाति क्षेत्रीय उप योजना के उच्च प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिये 78.93 करोड़ और इस साल के बजट में 100.05 करोड़, उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं के लिये 7.70 करोड़ और इस साल केवल मात्र 1.56 करोड़ रुपये की अभिवृद्धि की गयी है।

जनजाति क्षेत्रीय उप योजना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लड़कों के विद्यालय, इसमें गत वर्ष 75.9 करोड़ रुपये रखे गये थे, इस साल आपने 92.54 करोड़ रुपये रखे हैं। लेकिन लड़कियों के विद्यालयों के लिये 10.24 और 12.38 शिक्षा मंत्रीजी, आप कह रहे हो बढ़ा रहे हैं। डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इन क्षेत्रों की गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के बारे में आपने ध्यान दिया है। डूंगरपुर में पांच परसेंट कई गांवों में साक्षरता का प्रतिशत है और आपने बढ़ाया कितना है? 10.24 से 12.38, क्या आप एक-डेढ़-दो करोड़ में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बढ़ा देंगे महिलाओं के साक्षरता परसेंटेज को ? इस पर विचार करना। जो सही बात है उसको सही मानना चाहिये।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा निरीक्षण, कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय, इसमें 2007-08 के बजट में 32 लाख रुपये रखे। आप कह रहे हैं हम कम्प्यूटराइजेशन करेंगे, वह करेंगे, 2008-09 के बजट में कोई राशि आपने इसके लिये नहीं रखी है।

माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्तियां- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, माननीय सभापति महोदय, हमारे शिक्षा मंत्रीजी संस्कृत, संस्कृति और सभ्यता की बड़ी बातें करते हैं। संस्कृत देव वाणी है, यह एक ऐसी संसार की भाषा है जिसको प्रेसी राइट दुनिया की किसी भाषा में संक्षिप्तीकरण की शैली जो संस्कृत में है वैसी शैली कहीं पर भी नहीं है। वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उनको एक वैश्य मित्र ने कहा कि इन पुराणों का सार क्या है ? हजारों प्रश्नों का सार उन्होंने दो लाइन में लिख दिया-

'अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्याय वचनम् द्रव्यम्,

परोपकाराय: पुण्याय: पापाय: पर पीड़नम्'

उन्होंने कहा, मेरे 18 पुराणों का सार यह है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा, कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उस भाषा के संस्कृत विद्यार्थियों के लिये इन्होंने जो छात्रवृत्ति रखी है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। छात्रवृत्ति एवं वज़ीफा 2007-08 में 84.8 लाख, और शिक्षा मंत्रीजी, इस साल कोई राशि नहीं। यह संस्कृत के प्रति आपका प्रेम दर्शाता है कि आप क्या कर रहे हो।

अब माध्यमिक शिक्षा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय (लड़कों) के कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय 4 करोड़ रुपये आपने पिछले साल रखे, इस साल आपने 33 करोड़ रुपये रखे। फिर वही जेंडर एजुकेशन पर आता हूं मैं, लड़कियों के विद्यालयों के लिये न पिछले साल कोई राशि रखी और न इस साल एक रुपये का प्रावधान आपने किया। फिर आपकी महिला मुख्य मंत्री, महिला विधान सभा अध्यक्ष और आप शिक्षा मंत्रीजी, देख लें कि महिलाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं और आप बजट महिलाओं को समर्पित

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कर रहे हो। मैंने कम से कम दस उदाहरण देकर बता दिया है कि महिला शिक्षा के बजट में कितनी इन्होंने अनदेखी की है।

अब इसके अलावा आप आ जाइये विशिष्ट योजना संघटन- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के आवासीय विद्यालय के लिए 2007-08 में बजट था 45.09 लाख और इस साल आपने कितना रखा है ? 15 लाख। जिस राजस्थान का 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, देश के 10 परसेंट क्षेत्रफल वाला राजस्थान, और लगभग साढ़े पांच प्रतिशत लोग यहां रहते हैं वहां अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालय के लिये 15 लाख का बजट, यह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं हो सकता, राई के बराबर है। इतना कम बजट रखकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये ?

पिछले दिनों यातायात मंत्रीजी अकल्लीयत भाइयों के लिये बहुत बोले, अब उसकी मैं पोल खोल रहा हूं। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिये क्षेत्र कार्यक्रम, इसमें 2007-08 के बजट में आपने 5000 का प्रावधान रखा और इस साल भी आपने 5000 का प्रावधान रखा है। तो यह अकल्लीयत के बारे में राजस्थान में इनका जो बजट है, उसके बारे में मैंने आपको बातें बतायी हैं।

राजकीय कालेज तथा संस्थान, चुनाव घोषणा पत्र में, माननीय सभापति महोदय, यह कहा था कि हम तहसील हैडक्वार्टर पर एक-एक कालेज खोलेंगे। वे कहां गये कालेज ? सारे तहसील मुख्यालयों पर ... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आ रहे हैं। (व्यवधान) पांच साल में 501 कालेज खोले हैं जो कि आपके समय में 105 कालेज खुले हैं। जरा कम्पेयर तो कर लें। 501 खोले हैं, हर उप खंड पर, दो-चार को छोड़कर, सब जगह हैं। कल्ला साहब, वैरीफाई कर लें ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह बीच में बोलेंगे तो बढ़ता जाएगा समय क्योंकि इससे फिर आदमी वापस ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आपने कहा इसलिये कह दिया उन्होंने ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह रिप्लाई दें उस समय अपनी बात कह दें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय मंत्रीजी, तहसील और उप खंड तहसील ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो तहसील हैडक्वार्टर पर कालेज खोलने की घोषणा नहीं की थी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, विराजें आप। अच्छा बोलते हैं आप। मुझे तो सुनना है। आपको सुनना है कि नहीं है? मेरे को बहुत गम्भीरतापूर्वक सुनना है इनको, इसलिये मैं बिलकुल कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तहसील हैडक्वार्टर पर यदि ये कालेज खोल देंगे, आज कोलायत में कहां है कालेज? लूणकरणसर में कहां कालेज है ? अनेक जिलों की कई तहसीलों के नाम बता सकता हूं जहां प्रत्येक हैडक्वार्टर पर आपने कालेज नहीं खोला। इसके बजट की स्थिति यह है कि राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों) के लिये 139.82 करोड़ का प्रावधान पिछले साल के बजट में था, इस साल आपने 165.31 करोड़ किया है। राजकीय महाविद्यालय (महिलाएं), आज मैं खास तौर से जेंडर बजट पर आपको ये बातें बता रहा हूं, कि 33.04 करोड़ रुपये आपने पिछले साल के बजट में रखे थे और इस साल 39.47 करोड़ रुपये। तो कम से कम 10-12 बिन्दुओं पर महिलाओं की अनदेखी, अकल्लीयत की अनदेखी, एस सी की अनदेखी के पाइंटस मैंने आपके सामने रखे हैं।

अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा का क्या स्तर है। जब हम लोगों ने कांग्रेस सरकार के वक्त यह देखा कि गांव का व्यक्ति प्रारम्भिक शिक्षा में यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो वह निश्चित रूप से कमजोर रह जाएगा तो हमने तीसरी क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करवाई। ऐसे के ऐसे फाइलों में उस समय यह निर्णय ले लिया था कि पहली, दूसरी कक्षा में भी अंग्रेजी पढ़ायी जाएगी। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे कामों में पहल करनी चाहिये। यह नहीं कि ... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। विराज जाएं, आपका नम्बर आए तब बोल देना। बैठिये आप। नो डिस्टर्बेंस। दिस इज नॉट अलाउ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): गुलाब

(श्री मदन दिलावर)

चन्दजी कटारिया साहब ने किया था। कैसे ले रहे हैं आप? वैसे आज होम वर्क करके नहीं आये दिखते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः बैठिये आप, माननीय मंत्रीजी, बैठिये आप। कोई टोका-टोकी अलाउ नहीं होगी, बैठिये आप। जब नम्बर आए तब बोल लेना ... (व्यवधान) बैठिये आप, नो डिस्टर्बेंस।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना चाहिए। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना चाहिए। अब स्कूल बहुत खुल चुके हैं, सैचुरेशन आ गया है, अब हम लोगो को गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमने विद्यालय विकास समितियों का गठन किया था। जिन-जिन स्कूलों में जो-जो दानदाता अपने स्तर पर कोई दान देना चाहता था उसका निर्णय यहां सचिवालय में होता था। इस प्रक्रिया को खतम करके वहां विद्यालय विकास समितियों को सक्षम बनाया था। लेकिन उसको प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार कम से कम 15 दिन में अभिभावक, छात्र और शिक्षक की मीटिंग होना आवश्यक है। आप, शिक्षा मंत्रीजी, कई पब्लिक स्कूलों में गये हैं इसके फोटो तो मैंने देखे हैं, लेकिन किसी सरकारी स्कूल में गये या नहीं गये, मेरी जानकारी में कोई फोटो आपका आया नहीं। आप सरकारी स्कूलों में जाकर देखें कि वहां की कंडीशन क्या है। वहां पर जाकर उनकी स्थितियों में सुधार करें। इसके साथ-साथ जो हमारे अध्यापक हैं उनकी सतत् ट्रेनिंग हो। उन्हें अपने विषय के बारे में अद्यतन जानकारी मिले। इन सब चीजों से गुणात्मक शिक्षा में सुधार आएगा। गुणात्मक शिक्षा के लिए पीरियोडिकल टेस्ट, प्रियोडिकल एजुकेशन, समय-समय पर मंथली टैस्ट, इस पर जितना ध्यान देंगे और कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार आएगा और प्रतियोगिता के इस युग में हमारे विद्यार्थी दुनिया के अन्य देशों के विद्यार्थियों की तुलना में आगे बढ़ सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एस.सी., एस.टी. के जो विद्यार्थी उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ते

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

हैं इनके लिए एक बहुत पुरानी योजना चल रही है, जैसे सेंट जेवियर कान्वेंट स्कूल, एमजीडी स्कूल इनमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाता है, उनका शिक्षण शुल्क, उनका आवास शुल्क, उनका भोजन शुल्क सारा का सारा सरकार की तरफ से रिएम्बर्स किया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछले चार वर्षों में जब से यह सरकार बनी है, नये विद्यार्थियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है। इससे लगभग साढ़े 1200 विद्यार्थी हर साल प्रभावित होते हैं, यानि चार साल में 4800 अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे जो इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ सकते थे उनको आपने वंचित रख दिया। इसके लिए आज आप घोषणा करें कि आपकी क्या योजना है। आप इन उत्कृष्ट विद्यालयों में नये एडमिशन शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? या आपकी यह नीति जारी रहेगी तो कम से कम हमको चुनाव के समय कहने का मौका मिलेगा कि जो सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ढोंग पूर्वक बोलती रहती है उसकी कथनी और करनी में अंतर है।

सभापति महोदय, आज प्रशासन की क्या अवस्था है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करूंगा। दो वर्ष पहले एच. के. डामोर, आईएएस, सैकण्डरी एजुकेशन में डायरेक्टर थे। दो साल पहले उनका ट्रांसफर हो गया। आज दो साल तक डायरेक्टर की नियुक्ति यह सरकार नहीं कर पायी। अब आप देख लीजिये कि सरकार का ध्यान किस तरीके में है। अनेक पद रिक्त हैं। डिप्टी डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह इनके तो हैं ही, लेकिन जो मुखिया है, दो साल तक सैकण्डरी एजुकेशन के आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना, मैं समझता हूं कि यह इस सरकार के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। पता नहीं, यह तो किसे मानते हैं। नये शिक्षा मंत्रीजी भी आज ध्यान देकर अपने डायरेक्टर की नियुक्ति करवा लें तो मैं समझता हूं कि आपकी यह सफलता ही है कि आपके हैड आफ दी डिपार्टमेंट तो कम से कम हों। और डायरेक्टर की स्थिति क्या है? कभी तो समाज कल्याण विभाग को छीन लिया, कभी वहां से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो क्रमोन्नयन होता था वह काम छीन लिया। एक तरह से नाकारा बना दिया। हमारी सरकार ने उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के साथ-साथ खोलने की बात कही थी, आज उसका कहीं कोई अता-पता नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान को भारी सहायता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मिली, अब इसमें कहने को आप कुछ कह दें कि उस वक्त में क्या हुआ, इस वक्त में क्या हुआ, लेकिन मोटे तौर से 39 करोड़ रुपये से यह योजना राजस्थान में आयी, लेकिन आज लगभग 800-850 करोड़ रुपये मिल रहा है। गत वर्ष 739 करोड़ रुपये मिले। लेकिन इसका पूरा उपयोग हो। आज तक जो पैसा इनको सर्व शिक्षा में मिला है, इनसे पूरी भर्ती नहीं हुई है। लगभग 40 हजार अध्यापकों की नियुक्ति अभी तक करनी बाकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने जो अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं वे 4 हजार रुपये फिक्स पर की हैं, आप भारत सरकार को चार हजार रुपये ही बता रहे हैं और अपना अंशदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन सब चीजों की धारणाएं हम लोगों के सामने हैं, मैं समझता हूं कि जब शिक्षा मंत्रीजी बोलें तो इसको क्लीयर करें। चार हजार रुपये में 65:35का रेशो है, उनसे पूरा रेशो ले रहे हैं और अपना रेशो नहीं दे रहे हैं। या उन चार हजार में भी आप उनका रेशो भी काउंट कर रहे हैं और अपना रेशो भी काउंट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, इसको स्पष्ट करते हुए बताएं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, इन्होंने तो पहले कुछ नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, विराजें, नो टोका-टोकी, विराजें आप, भागीरथ जी, भागीरथजी he is a very competent Member.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने क्या किया, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, यह फैसला अभी नवम्बर में हो जाएगा। नवम्बर का इंतजार करें, उसमें आपको और हमें दोनों का फैसला हो जायेगा।

श्री सभापति: नो डिस्टर्बेंस ...(व्यवधान) विराजें, तगारामजी। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वह तो फिर देखेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सभी माननीय सदस्यों से, कि मैं बैठता हूं तो आप कम से कम शांति बनाये रखें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमें भी गर्व है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आपका नाम ही शांति है तो शांति तो रखनी ही पड़ेगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो सिद्ध हो ही गया कि मंत्री जी को अभी तक पता नहीं है इसलिए पूछने गये हैं अपने सैक्रेटरी से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं इसलिए कह रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पर्ची भिजवा देंगे, शिक्षा मंत्रीजी, आप अपने स्थान पर विराजें ...(व्यवधान) अभी भार्गव साहब की पर्ची आ जाएगी वहीं पर, आप चिंता मत करें।

श्री सभापति: वह तो पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, आप तो चालू करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यह क्या बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय दिलावर साहब, विराजें। आप स्प्रिंग मत बनो आप ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं निवेदन यह कर रहा था कि सर्व शिक्षा अभियान में अभी तक 40 हजार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। 2400 से अधिक विधवाओं को नौकरी देनी थी उसमें से मात्र 365 विधवाओं को नौकरी दे पाये हैं। परित्यक्ताओं को नौकरी नहीं दे पाये। पहले हमारे वक्त में हम लोग नौकरी पहले दे देते थे, उसके बाद साल-दो साल का समय देकर उनसे ट्रेनिंग करवा लेते थे। विधवाओं को पहले ट्रेनिंग करना फिर नियुक्ति देना, इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है। विधवाओं को और परित्यक्ताओं को जिस प्रकार से पहले नियुक्ति दी जाती थी और बाद में ट्रेनिंग करवायी जाती थी, तब जाकर ये नियुक्तियां पूरी हो पाएंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कम्प्लीट करें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी कम्प्लीट कहां, मैं तो प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा में बैठा हुआ हूं पूरा।

श्री सभापति: आप अच्छा कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे आप मेरी पार्टी का समय दे देना।

श्री सभापति: पार्टी का कोई मानते हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मानते हैं।

श्री सभापति: कोई मानता है कि पार्टी की बात?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मानेंगे, मानेंगे।

श्री सभापति: नाइधर के मानते हैं न कोई उधर के मानते हैं। सब स्प्रिंग लगा-लगा कर खड़े हो जाते हैं फटाक से कि मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इतना समय मिलना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, बोलो, पांच मिनट में आप कनक्लूड कर लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस माध्यमिक शिक्षा को यहां छोड़कर ...(व्यवधान) नहीं, कनक्लूड तो अभी नहीं होगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने 2.32 से चालू किया और सब को टोक-टोक करके बैठा दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीच में कम से कम 10-15 मिनट व्यवधान हो गया।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, कोई व्यवधान नहीं हुआ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पूरा व्यवधान हुआ है।

श्री सभापति: कल्ला साहब, ऐसा तो मत करो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, फिर आप मुझे बोलने ही नहीं देना चाहते तो मैं बोलता ही नहीं।

श्री सभापति: हां तो बोलें आप, आप बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति यह है कि वहां पर यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी हो रही हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी को देख लें, कोटा यूनिवर्सिटी देख लें, अजमेर महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय देख लें अथवा आपका बीकानेर का विश्वविद्यालय देख लें। राजस्थान विश्वविद्यालय में 115 पदों की कटौती हो गयी है। जो रिटायर हो गये हैं उनको नये सिरे से नहीं भरा गया। आज वहां प्रोफेसर्स की कमी है,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रीडर्स की कमी है, लैक्चरर की कमी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए 40 करोड़ की ग्रांट भी राज्य सरकार में बकाया है, 11 करोड़ रुपये महंगाई भत्ते के बकाया हैं। 51 करोड़ रुपये आप एक-एक यूनिवर्सिटी के बकाया नहीं दें तो यूनिवर्सिटियां कैसे चलेंगी? इसलिए यूनिवर्सिटी का जितना भी बकाया है उनको तत्काल देना चाहिए। और कोटा, बीकानेर और अजमेर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या कर रखी है? आप यूनिवर्सिटी का जो पैसा देते हैं, कभी 90 लाख, कभी एक करोड़ रुपये, अभी भवन के लिए कुल मिलाकर 3.56 करोड़ रुपये दिये हैं,

(समय : 15.00 बजे)

कैसे बनेगी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी बनाने के लिए शुरू में हमने एक करोड़ रुपए जब बनी थी तब दिए थे, आपने वही एक करोड़ रुपए देकर उन यूनिवर्सिटीज को, अभी 5 विषयों की मंजरी दी है। यू जी सी के नार्म्स हैं कि एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लैक्चरर होते हैं तब जाकर यूनिवर्सिटी में विषय और फैकल्टी को मान्यता देते हैं। अभी आपने जिन-जिन यूनिवर्सिटीज को स्वीकृतियां जारी की हैं उनमें क्या दिया है? एक प्रोफेसर, एक लैक्चरर, इनसे क्या आप यह चाहते हैं कि यूजीसी की मान्यता मिल जाएगी? अभी तो किन-किन यूनिवर्सिटीज को मान्यता नहीं- संस्कृत विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं, बीकानेर विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं, कोटा को मान्यता मिली कि नहीं मिली, मेरी जानकारी में नहीं है, आप बता दें शायद उनको भी नहीं मिली होगी। आप इन यूनिवर्सिटीज को एग्जामिनिंग बाडी न बनाएं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि कोटा के जितने भी कॉलेजेज हैं उनको कोटा यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्युएंट कालेज बनाएं, बीकानेर के जो कालेजेज हैं उन्हें बीकानेर यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्युएंट कालेज बनाएं और जो अजमेर के कालेजेज हैं उनको अजमेर यूनिवर्सिटी का कालेज बनाएं, सम्बद्ध महाविद्यालय बनाएं उनके स्टाफ के आधार पर जो कमी है उसकी पूर्ति कराएं, तब जाकर यूनिवर्सिटीज को मान्यता मिल पाएगी। नहीं तो यूनिवर्सिटी हैं वह विदाउट फैकल्टी चलती रहेगी और उनके और उनके भवनों का कोई अता पता नहीं रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज जो पुरानी हो गई हैं आज कोटा यूनिवर्सिटी का, बीकानेर यूनिवर्सिटी का भवनों का अता-पता नहीं है, इनके आप भवन बनवाइए और भवन बनवाकर इनको एक सक्षम आधार दीजिए। इनकी अच्छी लैब्स बनवाइए, अच्छी लाइब्रेरी बनवाइए और अच्छी फैकल्टी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वहां दीजिए तब जाकर ये यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ सकेंगी, नहीं तो इन यूनिवर्सिटीज का भविष्य बहुत खराब है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जैसा आप करके गये थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो खोली ही थीं, फिर आप आ गये। हम होते तो आदर्श यूनिवर्सिटीज बनाते। (व्यवधान) आपकी तो स्थिति यह है कि 'बरसी वहां वहां-वहां समुद्र था। ऊपर से हुकुम था घटाएं क्या करें?' आप तो वहां-वहां बरसे जहां-जहां आपको फेवर किया, बाकी आपका कुछ नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अगर आप यह कह देते कि 'बरसो घनश्याम इसी वन में' तो मैं उसमें बरस जाता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके वह पार्टी का बेरियर आड़ा आ गया न इसलिए नहीं बरसे आप। (व्यवधान)

अब मैं स्टेट में एक टैक्नीकल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप देखिए, भारत में सैकण्डरी और प्राथमिक शिक्षा के एनरोलमेंट का प्रतिशत 72 है, चीन का 72 और यूएसए का 91 है। पूरे विश्व का 94 प्रतिशत है। तो अपने यहां बहुत कम है। इस प्रकार भारत में उच्च शिक्षा और सैकण्डरी शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात, यानि सैकण्डरी शिक्षा से जो लोग उच्च शिक्षा में जाते हैं उनका अनुपात मात्र 13 प्रतिशत है। इसमें भी तकनीकी शिक्षा में मात्र 4 प्रतिशत लोग जाते हैं जो कि यूएसए यानि अमेरिका में 59 प्रतिशत, रूस में 52 प्रतिशत, इंग्लैण्ड में 25 प्रतिशत और विश्व में 30 प्रतिशत हैं भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि हम देखें तो 4 लाख 14 हजार व्यक्ति प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं। यह प्रतिशत 0.04 है जो जापान में 0.55 प्रतिशत है, इंग्लैण्ड में 0.37 प्रतिशत है। इसके आधार पर भारत में 1500 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है और राजस्थान में कम से कम 50 और यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है। यह मामला तब पूरा होगा जब आप हमारे यहां स्टेट में एक स्टेट टैक्नीकल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आपने कोटा में टैक्नीकल यूनिवर्सिटी खोल दी लेकिन एम बी ए एग्जामिनेशन, आर पी एम टी, आर मैट, आर कैट के भी एक्जामिनेशन वह लेती हैं। वह इंजीनियरिंग कॉलेजों की सम्बद्धता का काम देखती है, वहां पर रजिस्ट्रेशन का काम देखती

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है, एनरोलमेंट का काम देखती है। बीकानेर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ आपने भरतपुर का कालेज दिया है, वहां का इंजीनियरिंग कालेज। झालावाड़ में भी आप एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम तो वहां भी बरसे हैं, बीकानेर में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीकानेर की इनकम से आप इतने कालेजेज खोल रहे हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक स्टेट टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बना दें, उससे उनका एफिलिएशन कर दें तो निश्चित रूप से यूजीसी से आपको एड मिल सकेगी और इस एड के माध्यम से आप यूनिवर्सिटी के डवलपमेंट के काम करा सकेंगे।

अब मैं आपके माध्यम निवेदन करना चाहता हूं कि पोलीटैक्निक कालेजों की हड़ताल चल रही है, उसको खतम करने के लिए आपको तत्काल उनसे बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए। वहां जो शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरियन और टीचर्स हैं उनके कैरियर एडवांसमेंट की समस्या जो है, उसको सुनकर उनका समाधान करना चाहिए।

अब मैं आपके माध्यम से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती पर जो चार साल से रोक लगी हुई है, उसकी ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्य में लगभग 25 हजार से अधिक पद रिक्त हैं, आपने चार साल में एक भी पद पर भर्ती नहीं की। अभी बजट में 1478 पोस्टों की आपने घोषणा की कि हम इनको भरेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर्व शिक्षा अभियान में इनको आप नहीं जोड़ेंगे? मेरे पास अर्जुन सिंहजी का एक पत्र है जो उन्होंने डाक्टर कर्ण सिंहजी को लिखा है, उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

"Kindly refer to the matter raised during Zero Hour in Lok Sabha on 24th November, 2006 regarding providing of 10 per cent quota for the Physical Education Teachers out of the 25,000 teachers being required under Serva Shiksha Abhiyan in Rajasthan. I would like to inform you that the process and norms of teacher recruitment are State specific albeit within the framework of the National Council for Teachers Education. Therefore, I advise you to take up your concerns with the Education Department of the Government of Rajasthan."

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बहुत से प्रदेशों ने प्राथमिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षक दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी प्रारम्भिक शिक्षा में एक शारीरिक शिक्षक दें, वह पढाने का काम भी कर लेगा और एक घण्टा खिलाने का काम भी कर लेगा। आप जितने भी रिक्रूटमेंट करते हैं उनमें कम से कम 10 प्रतिशत पदों पर शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति देनी चाहिए। आपके यहां जो पद रिक्त हैं नान प्लान के, वे पद रिक्त होते जा रहे हैं, उनको भी आपने भरने की कोशिश नहीं की है। हम लोगों ने उर्दू अध्यापकों और शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का काम किया था लेकिन चार वर्ष में आपने एक भी नियुक्ति शारीरिक शिक्षकों की नहीं की, इनको करना चाहिए।

जो पद रिक्त हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। शारीरिक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14787 पद रिक्त हैं, माध्यमिक विद्यालयों में 493, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 410, इस प्रकार 15690 पद तो ये हैं और कुछ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को आपने अधिकारियों के पदों पर लगा रखा है, उनको भी खेलों के काम में लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

ग्रांट-इन-एड के जो स्कूल हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है और राजस्थान में वहां छह हजार पद रिक्त पड़े हैं, पिछले वर्षों में इन पर इतना कट लगाया गया कि जब यह जवाब देंगे तो कहेंगे कि आपके वक्त शुरू हुआ। हमारे वक्त एक प्रतिशत पद काटे नहीं गये थे, ये आदेश सबसे पहले 2004-2005 में हुए। उसके बाद बराबर जो ग्रांट-इन-एड को फ्रीज करने का काम हुआ, उसको रोका जाए। अभी आपने इस बजट में इसको डीफ्रीज करने की बात कही है, लेकिन क्या आप पिछले वर्षों का अनुदान देंगे। वासुदेवजी देवनानी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी जो अजमेर से आते हैं, उनसे खास तौर से इसलिए कि वह शिक्षा के क्षेत्र से आए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि फिजिक्स का फैकल्टी टीचर रिटायर हो जाता है तो फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, कैमिस्ट्री का फैकल्टी टीचर रिटायर हो जाता है तो कैमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, मैथ्स का फैकल्टी टीचर रिटायर हो जाता है तो मैथ्स कौन पढ़ाएगा? इसलिए इन टीचर्स की जो रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए इन स्कूलों में पुन: ग्रांट-इन-एड जो 70 प्रतिशत है 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत है तो 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत है तो 90 प्रतिशत महंगाई भत्ता और वित्त आयोग के जो परिलाभ हैं वे इन स्कूलों में सरकारी संस्थाओं की तरह निश्चित रूप से दिए जाने चाहिए। 9-18-27 के जो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

परिलाभ हैं वे भी इनको मिलने चाहिए। ग्रांट-इन-एड जो पिछले सालों में रोकी गयी है वह इनको एरियर के साथ देनी चाहिए नहीं तो वह घोषणा, घोषणा के रूप में ही रह जाएगी और इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा। पैरा टीचर्स की स्थिति...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब खतम ही हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, पहले वक्ता की कभी ऐसी परम्परा नहीं रही है, मैं तो दौड़ रहा हूं, किसी बात पर स्ट्रैस ही नहीं दे रहा हूं।

श्री सभापति: मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप सुन ही लें। आप तो कृपया +++ न करें, आप तो बुद्धिजीवी आदमी हैं। मैंने कोई बात को रिपीट किया हो तो आप बता दो।

श्री सभापति: आप अच्छा बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पैराटीचर्स की स्थिति यह है 27 हजार पैराटीचर्स राजस्थान में हैं, और संविदा के अध्यापक, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश, इन सबको भी आप एक-एक दिन बुलाकर सुन लें और सुनकर इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करें। जो लोग वर्षों से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं का, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए उनका नियमितीकरण करने का काम करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं कल्ला साहब से माफी चाहता हूं, इन्होंने अनजाने में ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी कि आप व्यवधान कर रहे हैं। चेयर कभी भी +++ नहीं करती, इसलिए आप उसको एक्सपंज करा दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं क्षमा चाहता हूं, एक्सपंज कर दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इतनी उदारदिली आप लोग भी दिखा दिया करो।

श्री सभापति: विराजें आप। सब उदार बन जाएंगे तो चाहिए ही क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, इसी प्रकार से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

भीलवाड़ा और गंगानगर में अतिरिक्त पैरा टीचर्स लगाये गये थे। 302 तो गंगानगर में थे, कुछ भीलवाड़ा में थे। भीलवाड़ा वालों को रख लिया, लेकिन गंगानगर वालों को अभी तक रखा नहीं गया है। उनको भी चाहिए कि उन पैरा टीचर्स की समस्याओं को सुनकर उनको वापस रखने का काम करें। इसके अलावा छोटे-छोटे पिन-प्रिक्स इस विभाग में बहुत सारे हैं, उन सबको जैसा मैंने आपको बताया, एक-एक करके आपको सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उर्दू पैरा टीचर्स, ये तो मात्र 200 के करीब हैं जो लोक जुम्बिश के माध्यम से काम कर रहे थे। 30 हजार लोगों का नामांकन इन्होंने किया था, आपका साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाया था।

एक बात मैं आपके माध्यम से चौंकाने वाली कह रहा हूं इन सब कारणों से लोक जुम्बिश के कार्य बंद कर दिये गये, शिक्षाकर्मियों को कम किया गया और जो योजनाएं पुरानी चल रही थीं, उनको कम करने से आपका साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान में 5 प्रतिशत कम हो गया है। इसको आप कैसे बढ़ाएंगे? जो उर्दू पैरा टीचर्स जो सुदूर पूर्व जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर में काम कर रहे थे इन उर्दू पैरा टीचर्स को आप नियमित पैरा टीचर्स के रूप में, जैसे 27 हजार पैरा टीचर्स के साथ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं, वो कार्यवाही इनके साथ भी करें ताकि उनको लाभ मिले।

मदरसों में जो मिड डे मील मिलता है वह 9 महीने से कई शालाओं में बंद है। केन्द्र सरकार दे रही है, आप क्यों बंद कर रहे हो? 9-9 महीने से मिड-डे मील मदरसों को नहीं मिल रहा है, उसको आप शुरू करें ताकि ये चीजें खतम हों।

संस्कृत शिक्षा के बारे में अब बहुत संक्षेप में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सबको मदद करती है, लेकिन हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय को कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसको अभी तक यूजीसी की मान्यता भी नहीं है। यहां पर यूजीसी से 50 करोड़ रुपये मिल जाएं यदि 20 लाख रुपये सरकार दे दे। 20 लाख रुपये के कारण 50 करोड़ की मदद यूजीसी से संस्कृत विश्वविद्यालय को नहीं मिल पा रही है। आप वहां पर पूरा स्टाफ दें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह मोबाइल किसका बज रहा है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फैकल्टी दें, तब जाकर संस्कृत विश्वविद्यालय अपना काम कर पाएगा। हमारे जितने भी शास्त्री कालेज हैं, आचार्य स्तर के कालेज हैं, इनमें भी यूजीसी वेतनमान अभी तक नहीं मिल रहे हैं। इनका भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इंस्पेक्शन कराकर यूजीसी के पे -स्केल दिलाये जाएं इनके जो वेतन विसंगतियों के मामले हैं, उनको भी देखें।

महिलाओं का एक भी कालेज संस्कृत का पूरे राजस्थान में नहीं है। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिला का एक तो संस्कृत कालेज राजस्थान में खोलो। इसके साथ-साथ अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं वेतनमानों की, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय स्तर की संस्था के प्रधानों को राजपत्रित घोषित किया जाना चाहिए। जो नई स्कूलें खोल रहे हैं, उनके 10 परसेंट संस्कृत के स्कूल होने चाहिए। ये सारी संस्कृत विभाग से संबंधित बातें हैं, इनको भी आपको पूरा करना चाहिए।

एक खास बात है कि 500 महिला अध्यापिकाएं संस्कृत की हैं, लेकिन वो सारी बालकों के स्कूलों में लगी हुई हैं। कम से कम महिला अध्यापिकाओं को तो बालिकाओं के स्कूलों में रखो। आप पता करो, एक भी महिला अध्यापक बालकों के स्कूलों के अलावा कहीं महिला स्कूलों में नहीं लगी हुई हैं। इसलिए महिला अध्यापिकाओं को महिला स्कूलों में लगाओ।

बारां का संस्कृत कालेज है वह प्राइवेट स्तर पर है और वह बंद होने के कगार पर है, उसे राज्याधीन लिया जाए तो आपका काम होगा। उसके पास 10 करोड़ की सम्पत्ति है। यह बारां का कालेज आप ले लेंगे तो निश्चित रूप से एक कालेज की अभिवृद्धि होगी, उसकी असैट आपके पास आएगी और यह कालेज संस्कृत का बहुत पुराना है वह जिन्दा रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा।

विश्व हिन्दी सम्मेलन में यहां के 7 लोग मुख्य मंत्री सहायता कोष से गये। मुख्य मंत्री सहायता कोष होता है कोई गरीब आदमी है उसका इलाज कराने के लिए, अकाल पीड़ितों के लिए, बाढ़-पीड़ितों के लिए और ऐसी कोई इमरजेंसी हो जिसके लिए कहीं से कोई फण्ड उपलब्ध नहीं होगा, मुख्य मंत्री सहायता कोष का उपयोग होता है। लेकिन सभापति महोदय, 7 लाख रुपये से हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और उनके साथ 6 आदमी न्यूयार्क जाते हैं, उनका खाना-पीना, वीजा, एयर टिकट, सारे के सारे पैसे मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिये जाते हैं। यह उचित नहीं है और आइंदा इस प्रकार की

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चीज कतई नहीं होनी चाहिए। इसका खर्चा विभाग को देना चाहिए। मुख्य मंत्री सहायता कोष का यह दुरुपयोग है और इस प्रकार के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए।

अब मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में पर्यटन संग्रहालयों पर ... (व्यवधान) 2-3 मिनट में कह दूंगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारे संग्रहालयों की स्थिति बहुत खराब है। इतना सामान पड़ा हुआ है स्टोर में, उसको निकालने की आवश्यकता है। हमने पहले हवामहल में, पाली में, जैसलमेर में तीन नये संग्रहालय बनाये। कोई बहुत ज्यादा राजकोष पर फर्क नहीं डाला, लेकिन हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करके राजस्थान में संग्रहालयों को मजबूत किया। लेकिन आज कोई नये संग्रहालय नहीं बन रहे हैं। संग्रहालयों में कौनसा सामान है उसके स्टाक का वैरिफिकेशन होना चाहिए। हमारे पास पुरानी सम्पदा पड़ी हुई है इसको नये म्यूजियम बनाकर लोगों के सामने रखना चाहिए, नहीं तो वे खराब हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों में यह आया था कि जयपुर की 'ममी' है वह खराब हो रही है जो पेरिस से लायी हुई है। उसके रख-रखाव का ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो पुराना सामान है उसके रखरखाव का पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे राजस्थान में कहते हैं, except snow and sea, we have everything in our State. बर्फ और समुद्र के अलावा हमारे यहां सब कुछ है। बहुत गढ़ हैं, बहुत हवेलियां हैं, दस्तकारी, नक्काशी, किन-किन का वर्णन करें, बहुत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज भी पर्यटक जितने राजस्थान में आने चाहिए उतने पर्यटक हमारे यहां आ नहीं रहे हैं। पर्यटन बिना धुएं का उद्योग है, इसके लिए कोई धुआं जलाने की जरूरत नहीं है। एक पर्यटक आता है तो ब्रैड से लेकर पता नहीं क्या-क्या सामान भी लेकर जाता है और 50 तरीके के लोगों से कुछ न कुछ खरीदकर अपनी दुर्लभ विदेशी मुद्रा देकर जाता है।

हमारे वक्त में तीन कांप्लैक्स बने थे- मेवाड़ कांप्लेक्स, डैजर्ट कांप्लैक्स और सेंट्रल कांप्लैक्स। इन तीनों कांप्लैक्स की स्थिति बहुत खराब है। मेवाड़ कांप्लैक्स थोड़ा-बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है। हमारा रक्ततलाई, गोगुन्दा, चावण्ड, इन सबको ठीक रखते हुए वहां एक बैटल

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पैनोरमा बने जहां हल्दीघाटी का युद्ध कैसे लड़ा गया, रक्त की तलाई कैसे बनी, महाराणा प्रताप ने कैसे घास की रोटी खायी और किस प्रकार से युद्ध को लड़ा, इस प्रकार का बैटल पैनोरमा जीवंत रहे तो पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वहां आकर देखेगा और इस बैटल पैनोरमा से प्रभावित होकर हमारे यहां के कन्हैयालालजी सेठिया ने लिखा :-

''कोनी कोरो नाम रेत रो हल्दीघाटी,
अठे होग्यो जिहाद पूजीजे इण री माटी।''

तो यहां की माटी पूजी जाती है, इस माटी को पूजने के लिए जो आकर्षित करने के केन्द्र हैं उनको डवलप करने में यह सरकार विफल रही है। मैं चाहता हूं मेवाड़ कांप्लैक्स, सेंट्रल कांप्लैक्स जिसमें जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर और शेखावाटी का इलाका आता है, इसका डवलप किया जाए। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर इलाका आता है, इसको डेजर्ट कांप्लेक्स के रूप में डवलप करें। इसके लिए हम इस प्रकार का काम करें- सब जगह पर अच्छे ट्यूरिस्ट रिसोर्ट बनें, बैड कैपेसिटी बढ़े और साथ ही साथ वहां कुछ नये केन्द्र बनें जिसको देखने के लिए आएं।

इसके साथ-साथ मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम कुछ पुरानी सम्पत्तियों को नीलाम कर रहा है अथवा कुछ लीज पर देने जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। आरटीडीसी के जितने भी भवन हैं उनको हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है और वहां बहुत ट्यूरिस्ट रुक सकते हैं। लेकिन यदि इनको प्राइवेट लोगों को बेच दिया तो एक तो सम्पत्तियां खुर्द-बुर्द होंगी और इन सम्पत्तियों का सदुपयोग नहीं होगा और इसमें जो राजस्थान सरकार ने डवलपमेंट करके पर्यटकों को आकर्षित किया था, यह भावना खतम हो जाएगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि हम बैड कैपेसिटी बढ़ाएं, राजस्थान में ट्यूरिस्ट पाइंट बनाएं, गोल्फ कोर्स यहां पर खोलें।

श्री सभापतिः आप विराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। यहां पर जो ट्यूरिस्ट आते हैं, दिन भर तो घूमकर काम चला लेते हैं, रात को बोर हो जाते हैं। रात को उनके मनोरंजन के लिए कोई सांस्कृतिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

केन्द्र हो जहां नियमित रूप से राजस्थान की आर्ट एण्ड कल्चर का प्रदर्शन हो। और कुछ नहीं तो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, जहां पर वह जाकर दो तीन घंटे बैठे सकें, इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे तो हमारा ट्यूरिस्ट बोर नहीं होगा। यहां चिकित्सा के प्राकृतिक केन्द्र के लिए जैसे केरल में मसाज और कई प्रकार के प्रोग्राम शुरू किये हैं, बहुत से लोग वहां जाते हैं, यहां पर भी प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों को डवलप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक यहां पर ट्यूरिस्ट ठहरे और यहां के लोगों को फायदा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अमूल्य सुझाव। माननीय जोगेश्वरजी।

वाकई में बहुत ही बढ़िया, रियली इम्प्रैसिव, वैरी-वैरी इम्प्रैसिव। चलिए, जोगेश्वरजी। (व्यवधान) पर अमूल्य सुझाव दिये हैं। चलिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, देश जब आजाद हुआ, इस देश की जनता ने सोचा था कि सारी समस्याओं की जड़ ये अंग्रेज हैं और अब ये चले जा रहे हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वर्षों तक जनता उम्मीद लगा कर बैठी रही और उम्मीद करती रही कि हमारी समस्याओं के समाधान होंगे। आश्वासन पर आश्वासन पर मिलते रहे, आश्वासनों के आधार पर वोट मिलते रहे, वोट के आधार पर सरकारें बनती रहीं, नेता बनते रहे, बिगड़ते रहे, पर समस्याओं के समाधान कहीं नजर नहीं आए। आज जब हम इस पवित्र सदन में शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या 24 और पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो इस देश की आजादी के 50 साल बाद किसी कवि ने कहा था-

कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए,
और कहां मयस्सर नहीं चिराग शहर भर के लिए।

बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे, कल्ला साहब, जो शायद अनेक बार ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दो लाइनें और हैं इसमें।

कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए,
और कहां मयस्सर नहीं चिराग शहर भर के लिए।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

यहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है,
चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, कल्ला साहब। जिन दरख्तों के साये में जनता को धूप लगी...

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अब आपकी उम्र इतनी हो गई, अब कहां जाओगे इस उम्र में? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मंत्रीजी, प्लीज।

श्री सभापति: विराजें, बोलने दें।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इतनी उम्र होने के बाद में कहां जाओगे? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): कल्ला साहब, जिन दरख्तों के साये में जनता को धूप लगी उन दरख्तों को कांट-छांट करके जनता ने छोटा कर दिया, समाप्त कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब वापस वृक्ष आ रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और नये दरख्त ढूंढ लिये। (व्यवधान) नये दरख्त फल-फूल रहे हैं और फलेंगे, आप चिंता मत करिए। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अनेक साल तक जिस पार्टी ने इस देश पर और इस प्रदेश पर शासन किया, दशकों तक और उस पार्टी की सरकार में वर्षों तक शिक्षा मंत्री के पद रहे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य आज पूछ रहे हैं हमसे कि यह शिक्षा विभाग की दुर्दशा क्यों हो रही है ? तो इनके भाषण को सुनते सुनते मैंने एक शेर कहा है। कल्ला साहब, अर्ज कर रहा हूं-कि

मुझसे पूछते हो कारवां कैसे लुटा,
जवाब तुम दो, अमीरे-कारवां तुम थे।

शिक्षा विभाग की बागडोर आपके हाथ में थी। और तब शिक्षा विभाग की क्या हालत थी, वे मुझे नजारे याद हैं। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा, सभापति महोदय (व्यवधान)

सभापति महोदय, एक किस्सा मुझे याद आ रहा था। मैं नवीं कक्षा में पढ़ता था, आठवीं पास करके नवीं में गया ही गया था, मेरे पिताजी के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

साथ में कहीं जा रहा था और उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता मुझे मिल गये, अनेक वर्षों तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे, अब दिवंगत हो गये इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बच्चा आपका है क्या, कौन-सी में पढ़ रहा है ? तो पिताजी ने बताया कि नवीं में पढ़ रहा है। बोले, अच्छा, आठवीं पास कर लिया? गांव में हमारे आठवीं तक स्कूल नहीं था, उस समय पांचवीं तक स्कूल था, बोले आठवीं पास कर लिया? पिताजी ने कहा, हां। बस ठीक है, अब ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, मेरे पास भेज दो, कहीं न कहीं नौकरी लगवा दूंगा। साहब, आठवीं पास का लड़का नौकरी क्या लगेगा ? चपरासी, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह आपके नेताओं की नीति रही, अधिकाश नेताओं की, गांव की स्कूल पांचवीं से आठवीं तक नहीं होना चाहिए। जहां आठवीं हो गई, दसवीं नहीं होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ लिए गांव के लोग तो सवाल-जवाब करेंगे। सवाल-जवाब करेंगे तो हमारे पास जवाब नहीं होगा और चुनावों में हमारी हालत खराब हो जाएगी। इस नीति पर जो दशकों तक चलती रही पार्टी, वह पार्टी आज हमसे पूछती है कि शिक्षा में पिछड़ापन क्यों है। शिक्षा में कमजोरी क्यों है। छाजला तो बोले, ही बोले छलनी भी बोले जिसमें सौ-सौ छेद।

महिला साक्षरता की बात कर रहे थे आप कि साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है, महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। इन चार सालों में महिलाओं की उपेक्षा हो रही है शिक्षा विभाग में? पहले क्या हालात थी? 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत महिलाओं का था 20, केवल 20 और वह भी पूरे राजस्थान का मिला कर जिसमें जयपुर भी शामिल, अजमेर भी शामिल, भरतपुर और आपका कोटा भी शामिल। हमारे बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर और जोधपुर सम्भाग के ओर उदयपुर सम्भाग के जिलों की बात करें तो वह प्रतिशत था दो और तीन पर। आपके कार्यकाल की यह उपलब्धि, 50 साल शासन करने के बाद। 2001 की सेंसस रिपोर्ट में वह प्रतिशत एकदम दुगने से ज्यादा हो गया, 45 के आसपास पहुंच गया। अब आप कहेंगे, 2001 में आप थे। माननीय सभापति महोदय, 1998 तक, 1990 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस प्रदेश में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री विराजते थे, उस दौरान जो साक्षरता के लिए प्रयास हुए, सघन प्रयास हुए, उसके बाद यह प्रतिशत सुधरा, जो 2001 की जनगणना में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इतना विशाल जम्प लेकर हमारे सामने आया और एक उल्लेखनीय स्थिति हमारे यहां राजस्थान में महिला साक्षरता की दृष्टि से बनी। इन चार सालों में महिलाओं के लिए जो-जो काम हुए हैं उसके बारे में तो काश, कल्ला साहब पढ़ लेते तो ठीक रहता। जो नहीं हुआ उसका उल्लेख तो आपने किया, ठीक बात है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जैसे घनश्यामजी तिवाड़ी की मजबूरी है नीचे गर्दन करके बैठे रहना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जो काम नहीं हुए या थोड़ी-सी कमी रह गई, उनकी चर्चा तो आपने बहुत कर ली, पर जो काम हुए उनके बारे में भी थोड़ा-सा आप दृष्टिपात कर लेते तो बड़ी कृपा होती, और इस सदन का ज्ञानवर्धन करते आप। राजस्थान के समस्त प्राथमिक विद्यालय, बालिका प्राथमिक विद्यालय जितने भी थे, जहां भी थे, एक आदेश से एक साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय में तब्दील कर दिये गये, क्रमोन्नत कर दिये गये। इस बात की चर्चा नहीं कर सकते थे आप? आदिवासी बालिका जो अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, उनको साइकिल देना, स्कूटी देना वह आपको नजर नहीं आया? गांव की बच्चियों को शहर में स्कूल तक पढ़ने जाना पड़े तो उन्हें बस में सफर करने के लिए फ्री पास, वह आपको याद नहीं आया ? बच्चियों में शिक्षा की ललक बढ़े, बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिले, उसके लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ढूंढ-ढूंढ कर हमारी सरकार ने चार साल में किये। और आपके कार्यकाल में क्या हुआ? बच्चियों के 31 छात्रावास बनाये थे आपने एक करौली जिले को छोड़ कर पूरे 31 जिलों में वह छात्रावास बने हुए हैं, 40-40 लाख, 50-50 लाख की लागत से वे छात्रावास बने। छात्रावास जो बन गये, केन्द्र से पैसा मिल गया, फाइनेंस कमीशन से, विशाल भवन बन गये, आधुनिक भवन बन गये, लेकिन उन छात्रावासों को कैसे चलाया जाएगा, उसके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया, रत्ती भर विचार नहीं किया। उसका चौकीदार तक रखने के लिए आपने बजट में प्रावधान नहीं किया, वार्डन और बाकी सारे खर्चे तो अलग, चौकीदार तक रखने की क्षमता आपकी नहीं थी। उसके कारण वे छात्रावास अभी साल भर पहले तक बिलकुल बेकार पड़े थे, कुछ उपयोग नहीं हो रहा था। टूट-फूट हो रही थी, जर्जर हो रहे थे पड़े-पड़े।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हमारी सरकार ने उनके बारे में सोचा और उनके लिए बजट का प्रावधान किया और बजट का प्रावधान करने के बाद में उन छात्रावासों को प्रारम्भ किया। लगभग सारे छात्रावास प्रारम्भ हो गये हैं, एकाध कोई बचा है तो वह भी इस वर्ष में शुरू हो जाएगा। यह आपके किये हुए अधूरे काम को हमने पूरा किया है, उसके बारे में आपकी नजर नहीं पड़ी? प्राथमिक विद्यालय दूर-दूर तक थे, छोटा बच्चा 4 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र में, साढ़े 5 साल की उम्र में जब विद्यालय जाना प्रारम्भ करता है तो उसको ज्यादा दूर चलना सम्भव नहीं होता। इस सरकार ने नीतिगत रूप से तय किया, धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और उस समय के एवं अब तक जो शिक्षा विभाग का दायित्व सम्भाल रहे थे आदरणीय घनश्यामजी का कि हर एक किलोमीटर पर विद्यालय देने का संकल्प लिया और संकल्प लिया तो उसको पूरा करके भी दिखाया। मैं पिछले सवा चार साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में ऐसा नहीं होगा कि जो नया विद्यालय खोलने की मांग लेकर एमएलए, मिनिस्टर या कलक्टर के पास आया हो और खाली हाथ गया हो। ऐसा नहीं हुआ। जितने विद्यालय मांगे उतने मिल गये, जहां मांगा वहां मिला। दूर-दराज ढाणियों में जहां हमारे खेतों में कुए खोदकर सिंचाई करते हैं और लोग वहीं रहते हैं, उन सब के बच्चों को भी घर बैठे शिक्षा सुलभ हो तो उन कुए-ढाणियों में भी जहां-जहां जमीन उपलब्ध हो गई, दानदाताओं से जमीन लेकर भी, उन काश्तकारों की अमूल्य जमीन उन्होंने सरकार को भेंट की, वहां हमने विद्यालय खोलकर शिक्षा का माहौल और शिक्षा का अवसर उन बच्चों को प्रदान किया। उसकी संख्या आप नहीं गिन पाये क्योंकि आप गिन भी नहीं सकते थे। गिनते तो सारी बात आपके पल्लू में आ जाती। आपके पांच साल के कार्यकाल में जहां केवल साढ़े पांच सौ प्राथमिक विद्यालय आप खोल पाये, उसकी एवज में हमने इन चार सालों में सवा चार हजार के लगभग खोल दिये और अभी इस साल के खोलने बाकी हैं।

दूसरा, जो प्राथमिक विद्यालय आपने खोले थे जिनको बड़े गर्व से नाम दिया था राजीव गांधी पाठशाला, उसमें पाठशाला का नाम छोटा और राजीव गांधी का नाम बड़ा, पढ़ाई कम और शो ज्यादा था। एक अध्यापक और 100-100, 150-150 बच्चे इकट्ठे हो गये, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, और जो है वो भी आठवीं, दसवीं पास। उन सारे विद्यालयों को एक थोक में...

श्री अमराराम (धोद): आपने भी अनट्रेंड लगा रखे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): नहीं लगाये। हमारे राज में एक भी अनट्रेंड नहीं लगा, वो सारे उनके कार्यकाल के थे।

श्री अमराराम (धोद): आपके लगे हुए हैं शिक्षक छात्र-मित्र योजना में अनट्रेंड।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक भी अनट्रेंड नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: वो आप कह देना, मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): विद्यार्थी मित्र योजना में पहली प्राथमिकता थी बी.एड.।

श्री अमराराम (धोद): चार हजार समथिंग हैं जो अनट्रेंड शिक्षक हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कमी थी तो पढ़ाने के लिए लगाया था।

श्री अमराराम (धोद): कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेंड नहीं मिलते तो अनट्रेंड लगाओ, इसमें बुरी बात क्या है? न ल्याबां सूं तो कांदो-रोटी ही चोखी। विरोध क्यों कर रहे हो?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ठीक कहा आपने, अमरारामजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। शिक्षाकर्मी भी अनट्रेंड लगाये थे आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने।

श्री अमराराम (धोद): लगाना चाहिए, कहां दिक्कत है? खाली रहे उससे तो ठीक ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे लगाते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ठीक याद दिलाया, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य। शिक्षाकर्मी योजना 20 साल से राजस्थान में चल रही है, आजादी के बाद के 60 सालों में जितनी योजनाएं बनीं शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाने के लिए, उनमें मेरी राय में सबसे पहली योजना जो सफल हुई वह थी शिक्षाकर्मी योजना और दूसरी जो सफल हो रही है वो सर्व शिक्षा अभियान की योजना सफल हो रही है। जिन शिक्षा कर्मियों को आप अनट्रेंड कह रहे हैं, मुझे तरस आता है आपके ज्ञान पर। उन शिक्षा कर्मियों की जैसी ट्रेनिंग हुई है, वैसी बी.एड. वालों की भी नहीं होती। 20-20 बार उनकी ट्रेनिंग हो गई। अब उनका दुर्भाग्य यह है कि उनकी ट्रेनिंग को एनसीईआरटी ने मान्यता नहीं दे रखी।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

यह उनका दुर्भाग्य है। पर एनसीईआरटी के सिलेबस से जैसी ट्रेनिंग मिलती है उससे ज्यादा अच्छी उनकी ट्रेनिंग हुई और अनेक-अनेक बार। एक-एक आदमी की 5-5, 10-10, 20-20 बार ट्रेनिंग हो गई। उसको मान्यता एनसीईआरटी ने नहीं दी उसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं, इसलिए उनको दुबारा, कई लोगों को एसटीसी और बीएड करना पड़ा। साढ़े आठ हजार में से लगभग छह हजार लोग तो बीएड, एसटीसी कर चुके। प्रसंगवश मैं बोलना चाह रहा हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आप जिन शिक्षा कर्मियों और पैरा टीचर्स को नियमित करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य कदम है। उनको तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान सुविधाएं आप देने जा रहे हैं, प्रबोधक का नाम देकर सुविधाएं देने जा रहे हैं, उनका समायोजन करने जा रहे हैं, उसके लिए तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। पर जो लोग उसमें अनट्रेंड हैं वो ढाई हजार शिक्षाकर्मी वंचित रह गये हैं। केवल ढाई हजार की संख्या है और वो सिर्फ इसलिए वंचित रह रहे हैं कि वो एसटीसी या बीएड नहीं किये हुए हैं, लेकिन उससे बेहतर उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है शिक्षाकर्मी योजना में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कल्ला साहब, ध्यान दीजिये, शिक्षाकर्मी योजना में वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाने का जब अभियान चल रहा था तो अनेक शिक्षाकर्मियों को सिर्फ इसलिए रख दिया गया कि उन्होंने बीएड और एसटीसी तो कर रखी थी लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है वो नहीं की थी। बीएड, एसटीसी होते हुए उनको वरिष्ठ शिक्षाकर्मी सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शिक्षाकर्मी की उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी। बीएड और एसटीसी से ज्यादा वरीयता शिक्षाकर्मी योजना में उनकी ट्रेनिंग को दी गई। अब 20-20 साल की नौकरी करने के बाद, सारी जवानी आपकी सेवा में लगा देने के बाद, उनमें से कुछ लोग तो रिटायरमेंट के आस-पास आ गये, अब उनको कहा जा रहा है कि बीएड करने जाओ, उनको कहा जा रहा है कि आप एसटीसी करने जाओ तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि शिक्षाकर्मियों की समस्या पर ध्यान दें और उन्हें बीएड और एसटीसी करने के लिए मजबूर नहीं करें। अवसर दे दें, जो कर पाएं, ठीक है, नहीं कर पाएं तो उनको भी नियमित वेतनमान तृतीय श्रेणी शिक्षक के समान देकर प्रबोधक बनाने का एक रास्ता निकालें। बहुत काम किये हैं आपने शिक्षाकर्मियों के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को और उस समय जो शिक्षा मंत्रीजी थे माननीय तिवाड़ी साहब को भी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कि आपने बहुत सहानुभूति रखी है शिक्षाकर्मियों के साथ। समय-समय पर मैंने भी और अनेक विधायकों ने भी आपसे निवेदन किया और आपने हमारी बात को तवज्जोह दी। उसके आधार पर आपने बहुत कुछ सुविधाएं दे दीं। बहुत सुविधा देने के बाद भी अब यह अंतिम एक प्रयास उनके लिए करने की आवश्यकता है तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपसे पुरजोर सिफारिश और निवेदन करता हूं, अत्यन्त आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि उनकी समस्या पर आप ध्यान दें।

प्रारम्भिक शिक्षा में जो काम इन चार सालों में हुए हैं उनके बारे में थोड़ा-सा मैं कल्ला साहब का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और विपक्ष का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की जो योजना माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने शुरू की थी, उस योजना में आपके कार्यकाल में 95 करोड़ रुपये की पुस्तकें वितरित की गईं। पूरे पांच साल में 95 करोड़ की वितरित की गयीं। हमारे इन चार साल में 2 अरब 66 करोड़ 99 लाख की वितरित की गयीं। तो कहीं तुलना है? आस-पास भी नहीं फटकते हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केन्द्र का पैसा भी बता दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हां, बताता हूं।

श्री सभापति: उससे क्या फर्क पड़ता है? यह इधर-उधर की आंकड़ेबाजी से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात कह देना। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन चार सालों में केन्द्र ने शिक्षा में कितना पैसा दिया है और उन चार सालों में केन्द्र ने कितना दिया था, जरा यह बताएं न आप। बताने में क्या दिक्कत है?

श्री सभापति: आपको मौका मिलेगा। विराजें आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बता रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...... पर यह दिमाग नहीं है तो क्या करो? खजाना खाली है, खजाना खाली है, केवल यह कहते रहे, उससे काम चलता है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। राकेशजी, विराजिये। (व्यवधान) जोगेश्वरजी, बोलें आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राजस्थान की जनता का पैसा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो हम ही जानते हैं कि राजस्थान की जनता का पैसा है, पूरे हिन्दुस्तान की जनता का है। लेकिन जब हम केन्द्र पर दबाव डालते थे तो आप यह कहते थे कि भीख का कटोरा लेकर जा रहे हो। उस समय राजस्थान की जनता का पैसा नहीं था? उस समय यहां के नागरिकों का पैसा नहीं था? उस समय तो भीख का कटोरा था और आज आपका अधिकार है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ....दिमाग से चलता है। (व्यवधान) दिमाग से चलता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसे नहीं चलेगा। उस समय भी कहते कि हमारा अधिकार था। उस समय भी कहते आप। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह राजस्थान की जनता का पैसा है, केन्द्र का पैसा नहीं है। (व्यवधान) यह राजस्थान की जनता का पैसा है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): वह राजस्थान के किसानों के खून-पसीने की कमाई का पैसा है, राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: जोगेश्वरजी, बोलें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): .... हम हमारे अधिकार का लेते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: Why are you wasting your energies unnecessarily?

एक माननीय सदस्य : कटोरा लेकर भीख नहीं मांगते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपके शासनकाल में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थीं न? किसका पैसा था वो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने बजट में घोषणा की थी कि हम 1,500 मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में करेंगे, दिल्ली से पैसा नहीं आया

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तो एक भी नहीं कर पाये और आज आप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं कि 3,500 स्कूल खोलेंगे। दिल्ली से पैसा आया इसलिए खोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो कहते हैं कि एक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं कर पाये, एक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं कर पाये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): 1,500 की जगह 3,100 करेंगे तो हम कर देंगे, कौनसी आपकी बात हो गई? ये पांच साल के आंकड़े हैं, 550 स्कूलें खोली हैं, कल्ला साहब बात कर रहे थे, हमारे राज में यह जो...

श्री सभापति: विराजिये विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, वाजपेयीजी ने गेहूं भेजा था, वह गेहूं ही बांटा है आपने। आपके पास किराये के पैसे नहीं थे तो फ्री में उन्होंने ट्रेन से गेहूं भेजे, तो आपने क्या किया? वह आपने किया? कुछ नहीं किया आपने। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पैसा, सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा आता है, वह कहां से आता है जी? एजुकेशन सैस से आता है। राजस्थान की जनता भी उसमें अपना हिस्सा देती है। यह एहसान करते हैं क्या? यह फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर तो सारे स्टेट्स को मिलता है, वह पैसा है। वह पैसा हमारा है, उस पर हमारा वैधानिक अधिकार है। उस पैसे पर हमारा हक है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, एहसान तो आपकी सरकार कर रही थी। एहसान तो आपकी सरकार ने किया होगा जो मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा है, इन शब्दों को काम में लिया कि आप भीख का कटोरा लेकर जा रहे हैं। तब आपके दिमाग में नहीं आया कि यह राजस्थान की जनता का पैसा है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...और आपको शर्म आनी चाहिए, यह जो...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए जाकर कहा कि...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम कहें तो भीख का कटोरा है और तुम मांगो तो राजस्थान की जनता का है और...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए दिल्ली में जाकर कोशिश करते हो कि राजस्थान का हिस्सा कम करो। (व्यवधान) राजस्थान के हिस्से को कम करने की और कर लेना कोशिश।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह दोधार तलवार नहीं चलने वाली है। अगर पूरा योगदान है तो केन्द्र सरकार का है और अगर वह इतना पैसा नहीं देती तो कोई उपलब्धि आपकी नहीं थी।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके बजट एलोकेशन में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एजुकेशन सैस का हमारा पैसा है... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: आप किसी की बात नहीं सुनते हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री सभापति: बैठिये आप, बैठिये आप। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सभापति: विराजिये आप, विराजिये आप। आप बैठिये पहले। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री सभापति: आप बैठिये। आप सबके हाथ में आए तब कर लेना। बोलो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री सभापति: अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: विराजिये आप। आप विराजिये। कुछ अंकित नहीं हो रहा है। माननीय हरिमोहनजी, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: कोई मतलब की बात नहीं हो रही है। (व्यवधान) माननीय राकेशजी, विराजिये आप।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री सभापति: माननीय राकेशजी, विराजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री सभापति: मेरी आपसे रिक्वैस्ट है, माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये आप। ये व्यर्थ की बातें हो रही हैं इसलिए कोई अंकित मत करो आप। (व्यवधान) क्या कर रहे हैं यह सब आप? This is not a torture chamber at least. You should keep silence. Everybody is springing up. This is not the way.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य खुद ब्राह्मण हैं और हमारे एक ब्राह्मण नेता की बड़ी चिंता कर रहे हैं...

श्री सभापति: This is not the way. Please start.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सभापति: विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये आप। सबके अंकुश लगाओ और आराम से तसल्ली से बात सुनो आप। क्या हो गया है यह सबको?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, अभी केन्द्र से सहायता की बात चल रही थी, केन्द्र के पैसों से यहां वाहवाही लेने की बात चल रही थी, तो एक आंकड़ा मेरे सामने आ गया है, वह सदन के सामने रखना चाह रहा हूं...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): xxx

श्री सभापति: आपको ज्यादा डांटना पड़ेगा, जोगारामजी, every time you stand up.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय कल्ला साहब भी बहुत चिंता कर रहे थे मदरसों की, अकल्लीयत की, लगभग 2,500 मदरसों को हमने इन चार सालों में पंजीकृत किया, रिकार्ड पर लिया और रिकार्ड पर लेकर वहां जो अध्यापक पढ़ा रहे थे, उनकी तनख्वाह की व्यवस्था की, उन बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की, उन बच्चों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की, उन बच्चों के लिए पठन सामग्री और कम्प्यूटर तक की व्यवस्था की। वह सब आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके चश्मे का नम्बर दूसरा है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं उससे भी आगे एक बात कहना चाह रहा हूं...

श्री सभापति: मैं, माननीय सदस्य, आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी बात नहीं करें जिससे माननीय सदस्य बार-बार स्प्रिंग-अप हों। आप मेरी इस तरफ देखकर बोलें। इधर-उधर नहीं, मेरे सामने देखें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मदरसा बोर्ड के छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें वितरण करने का आंकड़ा मेरे सामने है। इनकी सरकार ने पांच साल में 91,000 छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों का वितरण हुआ और हमारे कार्यकाल में चार साल में कितना हो गया? 1,72,000 छात्र-छात्राओं को। इससे भी आगे, ताली बाद में बजाइये, ये जो 91,000 छात्र-छात्राओं को आपने पाठ्यपुस्तकें वितरण की थीं, वह 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की सहायता से था और हमने जो 1,72,000 छात्र-छात्राओं को किताबें दी हैं, वह 100 प्रतिशत राजस्थान सरकार के बजट से दी हैं। (व्यवधान) मैदान छोड़कर भाग गये। वह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जोर-शोर से आरोप लगा रहे थे, मैदान छोड़कर भाग गये क्योंकि उनको पता है, उनके पास जवाब नहीं है।

अभी विधवाओं की नियुक्ति की बात कर रहे थे, बड़ी सहानुभूति है। बहुत गर्व से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार में जितने आवेदन प्राप्त हुए योग्य महिलाओं के, जो टीचर बनने के लायक थीं, शत-प्रतिशत महिलाओं को नियुक्ति दे दी। यहां तक कि योग्यता ही नहीं थी, यहां तक कि बी.एड. और एस.टी.सी. नहीं थी और बी.एड. और एस.टी.सी. करने की पात्रता रखती हैं, उन तक को दे दी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। No application pending. और आगे भी जितनी आएंगी, उतनी नियुक्ति मिल जाएगी, यह सरकार का संकल्प है और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान की जो बातें कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही आदर्श योजना है और फिर मैं एक बार गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी जब प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय इस योजना को लागू किया गया। उस योजना का गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक प्रभाव पहुंचा है और बच्चे-बच्चियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। नामांकन हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है और ड्राप-आउट हमारा बहुत तेजी से घटा है। ये सारे आंकड़े बिलकुल पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हैं, जो देखना चाहे देख सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो राज्य में इनकी सरकार थी, उस समय चालू हो गई, केन्द्र में अटलजी की सरकार थी और उसकी आज के दिन यदि तुलना करते हैं तो इनकी सरकार के कार्यकाल में सर्वशिक्षा अभियान में नवीन विद्यालय भवन केवल 772 बने और हमारे चार साल में 9,113 बने। अतिरिक्त कक्षा कक्ष केवल 5,000 आपके खाते में है और 48,000 हमारे खाते में।

चारदीवारी निर्माण, कभी नहीं, एक नहीं बनाई। विद्यालयों के मैदानों पर अतिक्रमण हो जाता था, चारदीवारी नहीं बना पाते थे। हमने 2481 विद्यालयों की चारदीवारी बना दी। शौचालय निर्माण, तीन हजार इनके खाते में, पच्चीस हजार हमारे खाते में हैं। रसोई शेड का निर्माण, 17600 हमारे खाते में है, इनके खाते में है जीरो, बिग जीरो। पेयजल सुविधा स्कूलों में उपलब्ध करवाना, 18723 विद्यालयों में उपलब्ध हमने करवा दी चार साल में,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इनके कार्यकाल में केवल तीन हजार विद्यालयों तक यह पहुंच पाये। इसके कारण से एनरोलमेंट का जो अनुपात, प्रतिशत जो बढ़ा है, पूरे देश का औसत है 93.64 प्रतिशत, राजस्थान का औसत, फिर एक बार हम गर्व के साथ ताली बजा सकते हैं, 102.67 प्रतिशत। आज देश के औसत से आगे खड़ा है हमारा राजस्थान। ड्राप हाउट जो आपके कार्यकाल में 70.52 प्रतिशत ड्राप आउट रेट था, आज सिर्फ 26 प्रतिशत है। यह हमने उपलब्धि प्राप्त की है। नामांकन में जो वृद्धि हुई है, आपके समय के नामांकन की तुलना में 41 प्रतिशत हम आगे बढ़े हैं और जेंडर गेप की आप बात कर रहे थे, जेंडर गेप में हम कमी लाये हैं। सवा दस प्रतिशत कम कर दिया है हमने जेंडर गेप और आज मैं जब गांवों में जाता हूं एक विधायक के नाते और किसी विद्यालय के कार्यक्रम में जाता हूं, सबसे पहले वहां का उपस्थिति रजिस्टर मंगवाता हूं, वहां के छात्र-छात्राओं की संख्या मंगवाता हूं और अनेक विद्यालय आज ऐसे मिलते हैं हमको गांवों में, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां लड़के और लड़की लगभग बराबरी की संख्या में पढ़ रहे हैं और कई विद्यालयों में लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। यह एक एनवायर्नमेंटल चेंज इस राजस्थान की धरती पर जो आया है उसके बारे में जितनी तारीफ की जाय उतनी कम है। साथ ही इन हमारे बच्चों को आधुनिक विश्व से, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है, विश्व पूरा एक छोटे से गांव जैसा हो गया है और इस पूरे विश्व के साथ प्रतियोगिता में यदि खड़ा रहना है तो हमारे बच्चों के पास दो चीजें जरूरी हैं, एक कम्प्यूटर शिक्षा और दूसरी अंग्रेजी की शिक्षा। हमारे बहुत इंटेलीजेंट बच्चे भी यदि ठीक अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, पिट जाते हैं, कम्प्यूटर नहीं जानते हैं, पिट जाते हैं। इन दोनों दृष्टियों से सरकार ने आधारभूत परिवर्तन किया, पहली कक्षा से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया गांव के स्कूलों में भी और कम्प्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था करी और हर विद्यालय, 1634 विद्यालयों में तीन-तीन कम्प्यूटर दिये हमने और हर जिले में एक कम्प्यूटर लैब की स्थापना की है जिसमें जिले भर के छात्र-छात्राएं आकर वहां अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके साथ-साथ आई.टी. एकेडेमी की व्यवस्था हमने की है और कम्प्यूटर बसों का संचालन किया है पांच जिलों में हमने, जो मोबाइल यूनिट की तरह गांव-गांव जाकर जिन स्कूलों में कम्प्यूटर आज की तारीख में नहीं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हैं, वहां के बच्चों को भी वह शिक्षा देंगे। इस प्रकार से आधुनिक रूप देने का प्रयास हम लोगों ने किया है।

माध्यमिक शिक्षा की आप बात कर रहे थे, विद्यार्थी मित्रों की बात कर रहे थे। आपके समय में मेरे क्षेत्र का एक विद्यालय क्रमोन्नत हुआ आकोली का, आठवीं से दसवीं बना। दो साल बाद पता चला, आठवीं का वहां का परीक्षा परिणाम बहुत पुअर गया, सिक्स परसेंट ओनली। मैंने जानकारी की कि ऐसा क्यों हुआ? कि साहब पहले, तो यह स्कूल बहुत अच्छा था लेकिन जब से नवीं और दसवीं खुल गई तो नवीं, दसवीं में पढ़ाने के लिए जो अध्यापक चाहिए थे वह नहीं मिले, तो जो आठवीं के अध्यापक हैं वे दसवीं बोर्ड का परिणाम खराब नहीं हो जाए इसलिए नवीं, दसवीं के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और आठवीं के विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए विद्यार्थी पिट गये क्योंकि आपने नवीं और दसवीं खोलकर शाबाशी तो ले ली, अध्यापक नहीं दिये। हमने इन चार सालों में उन विद्यालयों में जो अध्यापक देने का प्रयास किया है वह आपके सामने है। हजारों की संख्या में डीपीसी करके 525 प्रधानाध्यापक, 1496 व्याख्याता, 2359 वरिष्ठ अध्यापक, 284 शारीरिक शिक्षक, इस प्रकार कुल 4664 नियुक्तियां प्रदान की हैं। इसके बाद भी, क्योंकि नये विद्यालय बहुत क्रमोन्नत हुए हैं और अभी होने वाले हैं, इसलिए अभी और पद खाली जरूर हैं, पर निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार आने वाले दो-चार महीने में उन पदों को भी भरकर अगले सत्र में शत-प्रतिशत पदों को भरकर अच्छा शिक्षा का माहौल देने में सफल होगी।

एक नई बात हमारे यहां शुरू की, योग शिक्षा। केन्द्र की सरकार दवाब डाल रही थी कौन सी शिक्षा शुरू करने को, यौन शिक्षा। हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा, यौन शिक्षा की जरूरत नहीं हमको, हमको योग शिक्षा की जरूरत है।

श्री सभापतिः मोहनजी, मेघवाल साहब, इधर, बातें नहीं। चलिये आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): बिना नकल के।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): योग शिक्षा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हमारा राजस्थान। साक्षरता और सतत शिक्षा में जो काम किया उसके कारण, अब आप कह रहे हैं मैं तारीफ कर रहा हूं, तो मैं तो करूंगा तारीफ, मेरी पार्टी की सरकार है, पर काम की तारीफ कहां-कहां हुई, अन्तरराष्ट्रीय यूनेस्को कनफ्यूशियस पुरस्कार 2006, अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राजस्थान को मिला। सत्येन मित्र पुरस्कार...(व्यवधान) जिसे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कनफ्यूशियस से शुरू किया। और सत्येन मित्र पुरस्कार मिला। ग्यारह जिलों को सत्येन मैत्री पुरस्कार मिला।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पुरस्कारों की ही तो सज़ा है, माननीय मंत्री महोदय, यह पुरस्कार नहीं लेते तो आप वाकई शिक्षा मंत्री बने रहते।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, यह आपको कनफ्यूजन है। इधर कनफ्यूशियस है और इधर कनफ्यूजन है।

श्री सभापति: चलो, हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): संस्कृत शिक्षा की बात कर रहे थे...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं, आप शिक्षा के प्रति कितने गम्भीर हैं, यह देखिये, चार मैम्बर बैठे हैं केवल।

श्री सभापति: कोई बात नहीं है, आप अपना काम करो। चलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा की बात कर रहे थे तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे क्षेत्र में एक संस्कृत विद्यालय है दसवीं तक का, उसके एक अध्यापक का स्थानांतरण हो गया, वह रिलीव नहीं हो रहा। वह मेरे पास आया, गिड़गिड़ाया कि मेरे को रिलीव करवा दो। मैंने कहा, रिलीव क्यों नहीं कर रहे आपको? ट्रांसफर हो गया तो क्यों नहीं रिलीव कर रहे? तो बोला, साहब, वह शिक्षा अधिकारीजी नहीं कर रहे। शिक्षा अधिकारीजी को फोन किया कि क्यों नहीं कर रहे? जोधपुर में बैठते हैं जो उनके असिस्टेंट डाइरेक्टर उनको पूछा क्यों नहीं कर रहे आप इनको रिलीव? कि साहब, रिलीव तो कर दूं मैं पर यह चार्ज किसको दूं, एक चपरासी के सिवाय कोई नहीं बचा पीछे। यह हालत थी आपके कार्यकाल में संस्कृत विद्यालयों की। बढ़-चढ़ कर बातें करना बहुत आसान है। पर हमारी सरकार ने उस स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास किये, उसमें 2198 पदों को भरने की पहल की और 171 लोगों को पदोन्नति का लाभ दिया। इस प्रकार से उन अधिकांश पदों को भरने का प्रयास किया है। जो पद भरने हैं वे बाकी हैं प्लस इसलिए भी बाकी हैं कि कुछ नये, चार हजार लगभग नये पदों का सृजन भी हुआ है, विद्यालय क्रमोन्नत भी हुए हैं, नवीन विद्यालय भी खुले हैं। संस्कृत शिक्षा की 1357 संस्थाएं क्रमोन्नत हुई हैं और 117 नवीन प्राथमिक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

विद्यालय खोले गये हैं, उसके कारण से कुछ और पद जरूर अभी रिक्त हैं पर उसको भी भरने की प्रक्रिया हमारी सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और जल्दी से जल्दी....

श्री सभापति: आप, माननीय, पांच मिनट में समाप्त करें अब।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हां, सभापति महोदय। उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षकों की भर्ती के बारे में, शिक्षकों की स्थिति के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने शिक्षकों के पदस्थापन कैसे किये थे उसका उदाहरण इस सत्र में एक बार आ चुका है। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्नकाल में उसका जवाब आया और उस जवाब में जो निकला वह यह कि जहां जालौर, सिरोही यह जो दस जिले आपने डार्क जोन घोषित कर रखे हैं जहां शिक्षक नहीं मिलते, बाहर के शिक्षक आते हैं, ट्रांसफर कराकर चले जाते हैं, विद्यालय खाली पड़े रहते हैं, उन जिलों में जहां डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध था, वहीं बीकानेर शहर का औसत था 9 छात्रों पर एक अध्यापक। यह रिकार्डेड बात है जो इस पवित्र सदन में जवाब दिया गया है, 9 छात्रों पर एक अध्यापक। इतनी बड़ी तादाद में अध्यापक भर रखे थे केवल बीकानेर शहर में। यह आपका न्याय है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके शासनकाल में जितने भी शहर हैं वहां भी अभी यही एवरेज है, आप नहीं हटा पा रहे हैं उन अध्यापकों को, जहां पन्द्रह-पन्द्रह विद्यार्थी हैं, बीस विद्यार्थी हैं और सात-सात, आठ-आठ टीचर हैं।

(समय : 16.00 बजे)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सारी आदतें आपने ही बिगाड़ी हैं।

श्री सभापति: यह सभी जगह है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अब यह कह रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा में कन्या माध्यमिक विद्यालय नहीं दे रहे हैं। कन्या महाविद्यालय उच्च शिक्षा में देना बिलकुल आवश्यक है, पर कन्याएं आएंगी कहा से? जब आपने 8वीं, 10वीं, 12वीं नहीं कर रखी थी कन्याओं के लिए, गांवों में कन्याओं के लिए विद्यालय नहीं थे तो उच्च शिक्षा तक लड़कियां गांवों की पहुंचेगी कैसे? और इसलिए उस माहौल को परिवर्तित करने के लिए जो नीचे से विद्यालयों को

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

क्रमोन्नत करते-करते ऊपर जाने तक की बात थी, वह हमारी सरकार ने की है। और कॉलेजों की जब बात करते हैं तो आपकी सरकार के कार्यकाल में केवल 357 कॉलेज चल रहे थे, आज वे 996 हो गये हैं। निजी महाविद्यालय जहां आपके कार्यकाल में केवल 100 थे, आज वे साढ़े 800 से ऊपर निकल गये हैं। विद्यार्थियों का नामांकन आपके कार्यकाल में चार साढ़े चार लाख था, आज सवा आठ लाख से ऊपर निकल गया है। विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं आप कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए तो आज की तारीख में 22 विश्वविद्यालय राजस्थान की धरती पर चल रहे हैं, आपके कार्यकाल में मात्र 13 थे। आज 22 चल रहे हैं और इससे कहीं अधिक संख्या में और विश्वविद्यालय अपने अवतार लेने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जल्दी ही वे राजस्थान की धरती पर प्रकट होंगे और यहां का शिक्षा का माहौल एकदम परिवर्तित करेंगे।

यूजीसी से अनुदान लेने की बात कर रहे थे कि हम अनुदान नहीं ले पा रहे हैं, आपकी सरकार के कार्यकाल में आप केवल 9 करोड़ रूपए का अनुदान ले पाये पूरे पांच साल में, हमारे चार साल के कार्यकाल में 22 करोड़ का अनुदान हम ले चुके हैं। उसके बाद भी आप हमारी आलोचना करें तो आपकी मजबूरी हो सकती है। राजकीय महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाई, साढ़े सात हजार के करीब आपके कार्यकाल में थी, 34 हजार हो गई। इसके अलावा भी जो-जो परिवर्तन हुए हैं, जो-जो हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, जितनी उनकी चर्चा की जाए उतनी कम है। माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं दे पाएंगे...

श्री सभापति: उतना ही टाइम दे रहा हूं जितना सबको दे रहा हूं। पहले-पहले स्पीकर हैं आप दोनों इसलिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): तकनीकी शिक्षा की जब बात करते हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या इनके कार्यकाल में 285 थी, जो आज 745 तो हो गई और आईआईटी हमारी और आने वाली हैं, ऐसे और भी संस्थान और आने वाले हैं। उन तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की सीटों की संख्या 30 हजार से बढ़कर 83 हजार तक पहुंच गई है और आईटीआई, एमबीए और फार्मेसी जैसे कोर्सेज में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुका है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में केवल चार वर्ष में 930 करोड़ रुपए निवेश हो चुके हैं और इस आने वाले वर्ष में और होंगे। इस प्रकार से बहुत ही

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी सरकार ने इन चार वर्षों में प्राप्त की है और उसके लिए निश्चित रूप से हमारी मुख्य मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं।

कुछ बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, एक व्यावसायिक शिक्षा विषय प्रारंभ किया था हमने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में। कई सालों तक वे विषय चले और उसमें जो पास हुए लड़के-लड़कियां पास होने के बाद आगे उन्होंने बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। उनमें से बीएड भी कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा विषय था, उसमें से कुछ एक बार बीच में एक प्रयोग हुआ था, उनको ब्रिज कोर्स करवाया था, जिन्होंने वह ब्रिज कोर्स कर लिया उनको तो नौकरियां मिल रही हैं बाकी को नहीं मिल रही हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? कोर्स आपने शुरू किया था, उस विषय को भी बाकी विषयों के समान रखा था आपने, पर बाद में उनके साथ भेदभाव हो गया, उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को इस अवसर का लाभ उठाते हुए कि उनको या तो दुबारा ब्रिज कोर्स करवाने की आप सुविधा दें या और कोई रास्ता निकालकर उनके भविष्य को आप सुरक्षित करें और उनको नौकरी प्राप्त करने का, जॉब प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

शारीरिक शिक्षकों की भर्ती चार साल में नहीं हुई है लेकिन यह सिर्फ चार साल में नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, उससे पहले से ही बंद है और उसकी आगे अब भर्ती खोलनी चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है। निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में भी कदम उठाएगी। और एक बड़ी समस्या गांव के मीडिल स्कूलों में आ रही है, प्राइमरी स्कूलों में आ रही है, वहां विद्यालय भवन की सफाई करने के लिए, पानी भरने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। या तो अध्यापकों को पानी भरना पड़ता है, और अध्यापक तो क्या पानी भरेंगे? फिर वे बच्चों से पानी भरवाते हैं, बच्चों से विद्यालय भवन की सफाई करवाते हैं। तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इस दिशा में भी थोड़ा-सा ध्यान दें और उनकी संख्या बढ़ाएं...

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अंत में दो मिनट में मेरे जालौर से जुड़ी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं। पोलीटैक्निकल कालेज में जालौर को आपने एक दिया तो है निजी क्षेत्र में, जालौर ज़िले में भीशनगढ़ स्थान पर खोला है, लेकिन वह महिलाओं का है, केवल महिलाओं के लिए और पोलीटैक्निकल कालेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों की संख्या जालौर ज़िले में ज्यादा नहीं हो पा रही है, उसका कारण मैंने बताया है, नीचे से पढ़ते-पढ़ते ऊपर आएंगी तभी पोलीटैक्निक कालेज में जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस कॉलेज को को-एजुकेशन यदि बना दिया जाए तो बच्चियां भी पढ़ सकेंगी और बच्चे भी पढ़ सकेंगे और वास्तविक लाभ उसका मिल सकेगा, वर्ना वहां एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। आईटीआई हमारे जालौर में काफी समय से चल रहा है, और मैं पिछले दो साल से यह मांग कर रहा हूं, वहां एक ट्रेड और मांगा है मैंने डीजल इंजिन की रिपेयरिंग का ट्रेड, यदि वह ट्रेड हमको मिल सके तो बहुत कृपा हो जाएगी। गर्ल्स कालेज जालौर में खोला है, डिग्री कालेज है, उसमें होम साइंस की बहुत डिमांड है, हमें दे सकें तो अच्छा रहेगा। अभी वहां इंगलिश ऑप्शनल नहीं है वह दे सकें और एक म्यूजिक सब्जैक्ट मांग रहे हैं, गर्ल्स कालेज में भी मांगता हूं प्लस वहां जो सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल है उसमें भी मांगता हूं, आप यदि दे सकें तो बहुत कृपा होगी। बॉयज पीजी कॉलेज है वह वहां हिंदी में पीजी का कोर्स शुरू हो सके और फिजिक्स, इन दोनों में हम मांग रहे हैं आपसे। फिजिक्स का नाम लेते ही मंत्री महोदय चौंकेंगे कि लेबोरेटरी और सारे संसाधन देने पड़ेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि वह सब सुविधा पहले से वहां उपलब्ध है, जीरो बजट पर केवल एक लैक्चरर लगाकर आप फिजिक्स विषय वहां शुरू कर सकते हैं। उसके कारण से वित्तीय भार आप पर पड़ता है तो एक पद मैं कम भी करवाने को तैयार हूं, इकोनोमिक्स में छात्र वहां नहीं के बराबर आते हैं, केवल फर्जी, झूठे-सच्चे एनरोलमेंट दिखाकर उस विषय को उन्होंने जिंदा रख रखा है। तो उसको आप कम भी कर सकते हैं इकोनोमिक्स को, लेकिन हिंदी और फिजिक्स में जरूर दें। ये कुछ बातें आपके सामने रखते हुए एक बार फिर, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पर्याप्त समय बोलने के लिए दिया और मैं निवेदन करता हूं इस पवित्र सदन से कि इन मांगों को स्वीकार करे।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिताजी भदेल। अच्छा बोले आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 24 और मांग संख्या 47 पर चर्चा सदन में प्रस्तुत कर रही हूं। हम आज शिक्षा विभाग की डिमांड पर चर्चा करने के लिए यहां....

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य सब 10-10 मिनट ही बोलेंगे। जिन्होंने आंकड़े रखने थे, पक्ष और विपक्ष दोनों ने रख दिए हैं। अब अपने-अपने एरिये की बात करें आप। चलिए प्रारम्भ करें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मुझे तो आप बोलने देंगे, ऐसा विश्वास है मेरा।

श्री सभापति: बोलें आप, चालू करें, इतनी देर में तो बहुत आगे बढ़ जातीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): महिलाओं को अधिकार है।

श्री सभापति: इसीलिए तो भाभीजी ने आपको यहां भेजा है। चलिए आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मानव इतिहास के आदिकाल से ही हम यदि शिक्षा के बारे में बात करना चाहें तो प्रत्येक समाज ने, प्रत्येक सभ्यता ने, प्रत्येक संस्कृति ने इसका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास भी किया है, प्रसार भी किया है और समय-समय पर जो चुनौतियां समाज के सामने आई हैं, उनके समाधान के लिए शिक्षा को एक उपाय के रूप में उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता रही है। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति और मान्यताओं के परिवर्तित स्वरूप के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा प्रशासन की मान्यताओं और स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। चूंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और इसी के ऊपर हमारी सारी प्राथमिकता टिकी है इसलिए इस शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा प्रशासन की बात कहूं इसके पहले शिक्षा है क्या, इसके संदर्भ में महान व्यक्तियों द्वारा की गई व्याख्या सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगी। डा. सूर्यप्रकाश चौबे के शब्दों में उन्होंने शिक्षा को कहा है, 'शिक्षा वह साधन है जिससे वातावरण सुधारा जाता है तथा नये वातावरण की रचना की जाती है।' आचार्य नरेन्द्र देव के शब्दों में, 'शिक्षा वह

(श्रीमती अनिता भदेल)

है जिससे हमें जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है।' श्री मुनिश्वर प्रसाद ने लिखा है, 'सच्ची शिक्षा वही है जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के उतम गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके और उन्हें प्रकाश में ला सके।' सन् 1937 में महात्मा गांधीजी ने हरिजन नामक अपने समाचार पत्र में लिखा था, 'शिक्षा से मेरा मतलब बच्चों या मनुष्यों की तमाम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वोत्मुखी विकास है। अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का आरंभ है और न शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, यह तो उन अनेकों उपायों में से एक है जिसके द्वारा स्त्री पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। फिर अक्षर ज्ञान को शिक्षा कहना गलत है।' उपरोक्त शिक्षा की परिभाषाओं को यदि देखें तो महात्मा गांधीजी के द्वारा जो शिक्षा की परिभाषा दी गयी है उसी को सर्वमान्य कहा गया है और इससे यह स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि शिक्षा वास्तव में क्या है। यह एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के गर्भाधान से प्रारम्भ होती है और मृत्युपर्यंत यह प्रक्रिया चलती रहती है। परन्तु वास्तव में यदि हम देखें तो दैनिक जीवन में हम शिक्षा शब्द का प्रयोग अध्ययन और अध्यापन के लिए ही करते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कुछ मूल अधिकार और कुछ कर्तव्य और कुछ नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया था। इन नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि प्रत्येक सरकार चाहे वो केन्द्र सरकार रही हो या राज्य सरकार रही हो, इन प्रत्येक सरकारों का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा के अवसर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए और यह भी संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना । इस दिशा में फिर हमारी सरकार ने कार्य करना भी प्रारम्भ किया। केन्द्र सरकार और प्रदेश की जो सरकारें हैं उन्होंने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के प्रयास किये। परन्तु सभापति महोदय, यह कितनी बड़ी विडम्बना है आज हमको आजाद हुए साठ वर्ष हो गये लेकिन उसके बावजूद भी यदि आज हमसे पूछें, हमारी सरकारों से पूछें कि शिक्षा में आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं तो अभी भी यही शब्द निकलेगा कि अभी भी हमारी प्राथमिक आवश्यकता प्राथमिक शिक्षा ही है। अभी हम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और हायर एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर

(श्रीमती अनिता भदेल)

सकते। प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना आज भी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी सरकारों के लिए कि साठ वर्षों से आपने क्या किया। स्वतंत्रता के पचास सालों पश्चात् पहली दफा, पहली बार मैं यह कहना चाहूंगी और वो भी बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि पहली बार जब एनडीए सरकार बनी, एनडीए सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी, सर्वसुलभ, प्रत्येक बालक को अवसर उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था की। उसका लाभ आपकी सरकार ने भी उठाया और हमारी सरकार भी उठा रही है। यदि माननीय वाजपेयीजी की सोच ऐसी नहीं रही होती तो न तो यह योजना आती और न हम उसका लाभ उठा पाते। इसलिए यह आपको सोचना है कि पचास सालों में आपने क्यों नहीं सोचा कि ऐसी कोई योजना भी बनायी जा सकती है, केन्द्र में भी और राज्य में भी, क्योंकि पचास साल तक तो आप ही मजे कर रहे थे, आप ही शासन में थे चाहे केन्द्र हो, चाहे राज्य हो, एकछत्र आपका ही शासन था, एकछत्र। लेकिन नहीं। और क्यों नहीं चाहते थे, यह भी मैं बताउंगी कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार क्यों नहीं चाहते थे। इसका बहुत बड़ा कारण है, इनका गुप्त एजेंडा है जो मैं बताउंगी कि इन्होंने गुप्त एजेंडा उसका क्यों बनाया हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ उदाहरण सिर्फ अजमेर के संदर्भ में देकर इस बात को स्पष्ट करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकारें ही शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए मन से काम करती हैं, दिल से काम करती हैं। जब 1998 में माननीय भैंरोंसिंहजी की सरकार थी उस समय के मैं कुछ उदाहरण देती हूं। माननीय भैंरोंसिंहजी की सरकार में एमडीएस यूनिवर्सिटी जिसकी घोषणा शायद इन्होंने की थी अपनी सरकार के कार्यकाल में उसके सम्पूर्ण भवन के निर्माण की राशि उपलब्ध यदि किसी ने करायी तो वो भैरोंसिंह जी ने करायी पहली बार। दूसरी बार, पहली दफा महिला राजकीय महाविद्यालय यदि अजमेर में प्रारम्भ किया तो उसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय भैरोंसिहजी की सरकार को जाता है। और तीसरा, हम अभी टैक्निकल शिक्षा की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। माननीय बी.डी. कल्ला साहब ने बोला, बहुत कुछ बोला, पर उस जमाने में माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार के टाइम उन्होंने ही अजमेर को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय दिया ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सदस्य को नाम से नहीं पुकारते हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र से पुकारते हैं । अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या को बताएं कि नाम से न पुकारें।

श्री सभापति: आइंदा ध्यान रखें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो पालन करते हो न बराबर। आप तो पालन करते हो न।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): आप तो रोज बोलते हो, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, तो ...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो पालन करते हो, न, हम भी बता देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं हमेशा कांस्टीट्युएंसी से ही बोलता हूं, नाम से नहीं।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): ठीक है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत बड़े सदस्य हैं आप तो, अनेकों बार ये वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं नाम से ।

श्री सभापति: विराजिये, हो गयी कोई बात, आप उसको क्यों इतना कर रहे हो? चलो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि जब भी विकास हुआ है, जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में ही हुआ है। अजमेर के मैंने तीन उदाहरण दिये हैं, फिर माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार भी आयी। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी प्रारम्भ हो चुका था, अजमेर में पांच साल तक आपने उसके भवन निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की, वो पोलिटैक्निक कॉलेज भवन में ही संचालित था पांच वर्षों तक। जो एमडीएस यूनिवर्सिटी आप की बात कर रहे थे, राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे आप क्या यह बता पाएंगे कि आपके पांच साल के कार्यकाल में आपने एमडीएस यूनिवर्सिटी को कितना अनुदान दिया? उनकी ग्रान्ट को आपने रोके रखा और फिर आप सदन में इस प्रकार की बात करते

(श्रीमती अनिता भदेल)

हैं जो तथ्यों के विपरीत है और जो गलत है सरासर। मैं उदाहरण देकर सिर्फ इतना ही बताना चाह रही थी कि आज यदि अजमेर में राजकीय अभियांत्रिकी कालेज के भवन के निर्माण का काम हुआ है तो उसका श्रेय माननीय घनश्यामजी भाई साहब और हमारी मुख्य मंत्रीजी को जाता है। आज अजमेर के बरल्या चौराहे पर एक शानदार होटल की भांति वो भवन खड़ा है और जब कोई राहगीर वहां से निकलता है तो देखता है कि वो होटल है या कॉलेज का भवन है। और वो धन्यवाद देता है हमारी सरकार को कि वास्तव में यही सरकार है जो अच्छी क्वालिटी और अच्छे काम के लिए कभी पैसे की कमी नहीं आने देती।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रारम्भिक शिक्षा की बात कर रही थी। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि हम जब भी बात करते हैं प्रारम्भिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, टैक्निकल एजुकेशन तो उसका तथ्यात्मक और तुलनात्मक अध्ययन भी हम करते हैं और मैं आपको कुछ पाइंट्स के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने इन चार सालों में क्या-क्या काम किये। राज्य में 21812 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया। राज्य में 4162 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले। पूर्व की सरकार में सिर्फ 550 प्राथमिक विद्यालय ही खोले गये थे। हमारी सरकार ने 11080 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। पूर्व की सरकार के कार्यकाल में, पूरे पांच वर्षों के कार्यकाल में 3089 प्राथमिक विद्यालयों को ही क्रमोन्नत किया गया था। हमारी सरकार द्वारा 926 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया और अभी यह सिलसिला जारी है, निश्चित रूप से इस आंकड़े में वृद्धि होगी, यह मैं अपने साथियों को कहना चाहूंगी। इसी प्रकार हमारी सरकार ने 1003 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत आवश्यक जो कदम उठाये जाने चाहिए थे, वो हमारी सरकार द्वारा किये गये।

(समय : 16.19 बजे)

(श्री बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

मैं इस बात का यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि महिला मुख्य मंत्री होने के कारण माननीय वसुंधराजी ने बालिका शिक्षा को विशेष

(श्रीमती अनिता भदेल)

महत्व दिया है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जेंडर बजटिंग पर अपनी बात यहां सदन में कह रहे थे, उनको यह मौका कैसे मिला? हमारी सरकार ने जब यह तय किया, कि जेंडर बजटिंग कराएंगे तब उनको अवसर मिला नहीं तो उनकी सरकार को तो ध्यान ही नहीं था । उनकी सरकार को यह पता ही नहीं था कि योजनाओं के पैसे का कितना प्रतिशत लाभ बालिकाओं को मिलता है, कितना प्रतिशत पुरुषों को मिलता है । यदि हम यह तय नहीं कर पाएंगे, यह हमको ज्ञान नहीं होगा तो कैसे आगामी योजनाओं को हम क्रियान्वित कर पाएंगे, कैसे योजनाएं बना पाएंगे? इसलिए यह हमारी सरकार ने ही तय किया कि जो विभाग समाज में ज्यादा प्रभाव डालते हैं उन विभागों की जेंडर बजटिंग हम कराएंगे, हम यह चाहते हैं कि समाज का समग्र विकास हो । हमारे समाज की आधी आबादी पीछे नहीं रहनी चाहिये, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर जेंडर बजटिंग शुरू की गई । जेंडर बजटिंग के आधार पर हमने सभी विद्यालयों में, प्राथमिक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, शिक्षण व्यवस्था, बालिकाओं के लिये पृथक शौचालयों की व्यवस्था की । इसके अतिरिक्त बजट घोषणा 2008-09 में छठी कक्षा के बालक-बालिकाओं को स्कूल बैग देने के लिये, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें हम निःशुल्क देते हैं तो उनको सुरक्षित रखने के लिये स्कूल बैग की भी सरकार ने व्यवस्था की है । सरकार वहां तक जाकर सोचती है और करती भी है । वे बालिकाएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थीं, उनके लिये 186 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर खंडों में खोलने की व्यवस्था की गई । 'आपकी बेटी' योजना के द्वारा 21707, यह आंकडा कोई छोटा-मोटा नहीं है, बालिकाओं को लाभान्वित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। गार्गी पुरस्कार, कई सदस्य पता नहीं कहां से कैसे बोलते हैं, समझ में नहीं आता है कि गार्गी पुरस्कार कहां दे रहे हैं । हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर हर जिला मुख्यालय पर गार्गी पुरस्कार सार्वजनिक समारोह में दिये जाते हैं और पता नहीं कैसे खड़े होकर बोलते हैं कि गार्गी पुरस्कार नहीं दिये जा रहे हैं । मैं स्वागत करती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा का आगामी समय में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं हेतु भी राशि को बढाकर प्रतिवर्ष 1500 रुपये और दो वर्षों तक 3 हजार रुपये देने की जो घोषणा की है उसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सदस्य ने अभी एक बात कही कि वे बालिकाएं जिनके घर से दूरी ज्यादा है, जिनके यहां रोडवेज की सुविधा नहीं है उनको ट्रांसपोर्टेशन वाउचर देने की व्यवस्था, साइकिल देने की व्यवस्था की गयी, यह सब हमारी सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है, इतना मुझे विश्वास है । जितने भी प्रयास हमारी सरकार ने किये हैं उनका क्या परिणाम आया है, यह कुछ आंकडों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य उठ कर जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको बैठना चाहिये, इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि सन 2000-2001 में जहां 33 लाख 55 हजार बालिकाएं विद्यालय में नामांकित थीं, वहीं 2006-07 में यह संख्या बढ़ कर 56 लाख 14 हजार हो गई है । वर्ष 2000-01 में जहां जेंड़र गैप, आप जेंड़र गैप की बात कर रहे थे वहीं मैं आपको बता रही हूं, जो 17 प्रतिशत था, वहां 2006-07 में घट कर सिर्फ 10 प्रतिशत रहा है । हम बार-बार चर्चा करते हैं ड्राप आउट रेट, ड्राप आउट रेट, जब आप घूघरी खिलाओगे तो ड्राप आउट तो रहेगा ही। हमारी सरकार ने मिड-डे मिल की व्यवस्था की है और यह सबसे बड़ा कारक बना ड्राप आउट रेट को घटाने का, कम करने का । इसके कारण नामांकन भी बढा है और स्कूल में ठहराव भी बढा है और इसी कारण जो ड्राप आउट रेट है वह घट कर वर्ष 2006-07 में 70 से घटकर 35 प्रतिशत कम हो गया है । यह हमारी मध्याह्न भोजन व्यवस्था का परिणाम है । दाल बाटी चूरमे का कमाल है । (व्यवधान)

श्री सभापति: सबको पता है क्या खिलाते थे। माननीय महिला सदस्य बोल रही हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार-बार। फिर आप आरोप लगाओगे कि एससी की महिला को बोलने नहीं देते हो ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, इसी प्रकार जब नियुक्ति की बात आती है तो इन्होंने क्या किया? बडे अफसोस की बात है आप शिक्षा की गुणात्मकता की बात करते हैं, आप वेतन की बात करते हैं, पर आपने क्या किया । आपने तो आठवीं और बारहवीं पास लोगों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया? क्या क्वालिटी निकालना चाहते थे आप बच्चों से? कौनसा भविष्य तैयार करना चाहते थे इस राजस्थान का? कैसे बच्चे निकालते उन स्कूलों से, आपने कभी सोचा है इस बात को? पर नहीं । हमारी सरकार ने भर्ती के माध्यम से वैल ट्रेंड टीचर को वहां लगाया है और मैं बहुत-बहुत

(श्रीमती अनिता भदेल)

आभार व्यक्त करती हूं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्रीजी का कि आरपीएससी के माध्यम से बिना किसी आरोप के, बिना किसी विवाद के इतनी बडी संख्या में शिक्षक भर्ती हुई है। यह शायद राजस्थान का पहला अवसर है जब हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में नये कीर्तिमान स्थापित किये । पांच वर्षों में जहां पिछली सरकार ने कुल 11455 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की थी, वहीं हमारी सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर 37099 लोगों को नियुक्त किया गया । जहां तक शिक्षा विभाग की कुल भर्तियों की मैं बात करूं तो यह आंकडा जिसमें प्राध्यापक, व्याख्याता, सैकिंड ग्रेड अध्यापक, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को यदि सम्मिलित किया जाए तो 42121 तक पहुंचता है जो कि अपने आप में कीर्तिमान है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा का जैसे मैंने उदाहरण दिया, इन्होंने एमडीएच यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा कर दी पर उसके लिये वित्तीय प्रावधान नहीं रखे । राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो बीजेपी सरकार में अजमेर में प्रारम्भ हुआ, उसका भवन इन्होंने पांच साल तक नहीं बनाया और फिर बात करते हैं हायर एजुकेशन में आपको यह करना चाहिये, आपको वह करना चाहिये । मैं आपको बताना चाहूंगी कि विगत कुछ वर्षों का जो हमारा दौर रहा है वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समग्र परिवर्तन का दौर रहा है । राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन 7 प्रतिशत है वहीं राजस्थान के लिये यह 11 प्रतिशत है । इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 77 हजार की जनसंख्या पर सामान्य शिक्षा का एक महाविद्यालय है वहीं राजस्थान में प्रति 57 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है । राजस्थान में उच्च शिक्षा में तीव्र गति से हुए प्रसार के फलस्वरूप कुल 996 महाविद्यालय हैं। इस प्रकार हमारा प्रदेश उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से आगे है। माननीय सभापति महोदय, यदि आप बराबर इस प्रकार से बैल बजाएंगे तो मैं अपना सब कुछ भूल जाऊंगी और जो बात मुख्य रूप से मुझे कहनी है...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, एग्जैक्ट 20 मिनट बोल चुकी हैं आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं मैंने टाइम नोट किया है । सभापति महोदय, मैंने समय नोट किया है इसलिए आप यह नहीं करें कि ...

श्री सभापति: सब बराबर के सदस्य हैं सभी को बराबर टाइम मिलेगा। (व्यवधान) इन्हीं को बुला देता हूं पांच बजे तक, बाद में कोई आब्जेक्शन नहीं करेगा जिनके नाम रह जाएंगे। ठीक है, आप बोलिए, जितनी देर बोल सकें, बोलिए आप ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): सभापति महोदय, मैं टैक्निकल एजुकेशन की बात कर रही थी, टैक्निकल एजुकेशन के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एससी, एसटी, कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों की स्कालरशिप और उनके लिये विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता देकर जो योजनाओं की जो घोषणा 2008-09 के बजट में की है, उसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। यह कहना चाहती हूं कि उन वर्गों के लोगों के लिये भी टैक्निकल शिक्षा में अवसर खुलेंगे। जाने के लिये और पैसे की कमी के कारण, अर्थ की कमी के कारण जो वहां नहीं जा सकते थे, उनको अब इस अर्थ की कमी से वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, यह मैं आपको कहना चाहूंगी । सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसी भी क्षेत्र में चाहे स्कूल के भवन निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे कक्षा कक्षों के निर्माण की बात हो, नामांकन की बात हो या ठहराव की बात हो, हर क्षेत्र में गुणात्मक दृष्टि से और संख्यात्मक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से बहुत श्रेष्ठ काम किया है । पहली बार पंचायत स्तर पर पुस्तकालय बने हैं जहां पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं बालकों को पढ़ने के लिये। यह पहली बार पंचायत स्तर पर कार्यक्रम हुआ है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपने आपको भी देखें औरा इस सरकार के चार साल के कार्यकाल को भी देखें। गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा के सुधार हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में घोषणा की है कि यदि स्कूल का बच्चा नेशनल स्तर पर सलेक्ट होता है तो स्कूल को भी राशि मिलेगी, उन शिक्षकों को भी राशि मिलेगी और बच्चों को भी राशि मिलेगी। यह विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक दृष्टि से उन्नयन के लिए बहुत अच्छा एक उपाय है, जिसके माध्यम से हम विद्यालय शिक्षा को गुणात्मक दृष्टि से अच्छा कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं विषय से हटकर कुछ बोलना चाहती हूं। जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, उनकी सरकार भी 50 साल तक रही लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया और प्रयास भी किया तो वह

(श्रीमती अनिता भदेल)

इतना थोड़ा था कि वह हमारे लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके पीछे एक कारण जरूर था, वह कारण यह था कि यदि नागरिक शिक्षित होता है तो उसके पास विवेक आता है और जब वह विवेकशील बनता है तो निर्णय लेने की क्षमता उसमें पैदा होती है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो वोट लेने भी जाना पड़ता है और वोट लेने के लिए छोटे-मोटे लालच भी देने पड़ते हैं। जो अशिक्षित व्यक्ति है, जिसके पास विवेक नहीं है..(व्यवधान) एक सैकिण्ड, मेरी बात को मुझे कहने दीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये छोटे-मोटे लालच क्या हैं, जरा उनकी भी व्याख्या कर देना आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व):: वह आप समझते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं उनको बहुत अच्छे से। ऐसे व्यक्ति जो अशिक्षित हैं वही छोटे-मोटे लालच में आ सकते हैं। जो पढ़ा-लिखा है, जो विवेकशील व्यक्ति है उसको अगर आप लालच देने की कोशिश करेंगे तो वह आपको वोट देता तो भी नहीं देगा। इसलिए पढ़े-लिखे और शिक्षित व्यक्ति के पास तो जाने की हिम्मत है नहीं। तो हम उस वर्ग से, यह सर्वविदित तथ्य है, कहीं पर भी बहस करा ले, इनका वोट बैंक कौनसा वोट बैंक है- एससी, एसटी, अल्पसंख्यक भाई जिनमें अशिक्षित, आज भी बहुत हैं। आप इस बात पर बहस कर ले कि यदि यह एससी, एसटी वर्ग पढ़ लिखकर शिक्षित हो जाए तो जो आज 90 प्रतिशत इनको वोट मिलता है वह घटकर 10 प्रतिशत ही रह जाएगा। यह हो गया और हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा । इनका गुप्त एजेंडा रहा है। इनका गुप्त एजेंडा है कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं होने दो ताकि हम सरकार बनाते रहें और इस प्रकार से शासन करते रहें। यही मैं कहना चाहूंगी कि यदि शिक्षा का प्रचार-प्रसार किसी ने मन से किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ताकि सही मायने में हम लोकतंत्र स्थापित कर पाएं। हम बार-बार कहते हैं भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है पर उस लोकतंत्र में जब वोट पड़ते हैं तो कितने प्रतिशत पड़ते हैं? 50 प्रतिशत, उसमें भी 30 प्रतिशत वोटरों को तो हम खुद अपने साधनों में बिठाकर लाते हैं तब पड़ते हैं, और उसमें भी 20 प्रतिशत वोट तो वे होते हैं जिनको लालच देकर लाया जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रही हूं, मुझे...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, यह तो बात जमने वाली नहीं है। 25 मिनट हो गये आपको।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): मैं अपनी बात इससे रिलेवेंट ही कह रही हूं, अनरिलेवेंट बिलकुल भी नहीं कह रही हूं। शिक्षा का कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है इस टाइम। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए शिक्षा पर जितना भी खर्च किया जाए, वह कम है। हमको 100 प्रतिशत बजट का हिस्सा भी अगर खर्च करना पड़े तो हमें करना चाहिए इसके लिए ताकि हम लोगों को विवेकशील और निर्णय लेने की स्थिति में खड़ा कर सकें। हम दीनदयाल उपाध्यायजी के एकात्म मानववाद में विश्वास करते हैं और वह...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य जुबेर खान।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य जुबेर खान। स्थान ग्रहण कीजिए आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): मैं अपनी बात कहकर समाप्त कर रही हूं थोड़ी देर में। मैं अपनी डिमांड तो करुं अपने क्षेत्र की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक बात उन्होंने बहुत सही कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 प्रतिशत वोटों का लालच देकर उन्होंने बनाई है।

श्री सभापति: बैठिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): वह तो मैं आपके लिए कह रही हूं, हमारे लिए नहीं कह रही। यह जो तथ्य है....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर 20 प्रतिशत वोटरों को लालच नहीं देते तो आप ...(व्यवधान) नहीं आते। सही कहा।

श्री सभापतिः नहीं, बैठिये, आपका टाइम हो गया। माननीय जुबेर खान।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने यह सही कहा है कि 20 प्रतिशत वोटरों को लालच देकर हमने बहुमत प्राप्त किया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): उन्होंने यह कहा... (व्यवधान) आपके अपने राज में शिक्षा का प्रचार नहीं किया। एस.सी. वालों को अनपढ़ रखा। उनको आपने...(व्यवधान) नहीं किया।

श्री सभापतिः चलिये, ठीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे राज की शिक्षा की बदौलत ही यह बोलने लायक हुई हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): इतना प्राउड आप निकाल दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे राज की प्रतिभा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आपकी मेहरबानी नहीं है वह डाक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी है जिन्होंने आरक्षण...(व्यवधान) आपकी मेहरबानी नहीं है। गांव वालों को मूख बनाना कहीं आप...(व्यवधान)

श्री सभापतिः चलिये, बैठिये, सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत बढ़िया हो गया, बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, बस अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग करना चाहती हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या जो भी बोले अंकित नहीं होगा। माननीय जुबेर खानजी बोलिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लिखकर दे देना आप।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री सभापतिः फिर काहे को पर्चियां देते हो मेरे को ?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि एकात्म मानववाद में चार बातें कही गई हैं उसको कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूं। चार बातें यह कही हैं कि व्यक्ति के पास पेट है जो रोटी मांगता है, उसके पास मन है जो आत्मसम्मान

(श्रीमती अनिता भदेल)

चाहता है, उसके पास बुद्धि है जो ज्ञान चाहती है और उसके पास आत्मा है जो ईश्वर से मिलन चाहती है और इन चारों चीजों की पूर्ति करने के लिए कोई साधन है तो वह शिक्षा है। मैं माननीय हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी हैं, उनसे कुछ मांग भी चाहती हूं कि हमारे अजमेर में तोकडा क्षेत्र है जहां शिक्षा के 15-20 कार्यालय संचालित हैं, उस क्षेत्र को यदि आप दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल के नाम से आज घोषणा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक श्रद्धा के रूप में उनका यह कार्य किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दीनदयाल ट्रस्ट की तो बात नहीं कर रही हो आप ?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं, नहीं, मैं दीनदयाल ट्रस्ट की बात नहीं कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक दीनदयाल ट्रस्ट बनाया था, उसकी बात कर रही हो? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): दीनदयाल ट्रस्ट की बात नहीं कर रही हूं। इसके अतिरिक्त मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजकीय महिला महाविद्यालय अजमेर, विधि महाविद्यालय व राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आपसे आग्रह करती हूं कि आप जब घोषणा करें तो इनके भवन निर्माण की कुछ न कुछ व्यवस्था आप जरूर करें।

इसके अतिरिक्त अजमेर एक जिला मुख्यालय है, अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान के जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन सब जिला मुख्यालयों पर 2-2 यूनिवर्सिटीज हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जब केन्द्र सरकार के माध्यम से केन्द्रीय यूनिवर्सिटी इस राजस्थान को दी जाएगी तो आप अजमेर में उसको स्थापित करने की घोषणा यहां करें क्योंकि यह जिला मुख्यालय है और दूसरी यूनिवर्सिटी की यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त जो आप माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय करते हैं, तो उन सभी विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य विषय अनिवार्य रूप से खोलें, इस बात की भी मैं आपसे मांग करती हूं, आप मेरी यह बात मानेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं अभी तो बोलने दो, बहुत बढ़िया बोल रही हैं, क्या दिक्कत है, सुझाव काहे को देते हो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): पर्यटन की दो मांग करके बात खतम करना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पर्यटन के क्षेत्र में जो पहल की है, स्मारक निर्माण की जो घोषणा की है मैं इस पहल के माध्यम से ही इतनी उत्साहित हूं कि यह मांग करने का विश्वास यहां कर पाई हूं । दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म 1680 ईस्वीं में हुंआ, उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति, अपनी वीरता के प्रदर्शन, पश्चिम भारत की भूमि को गौरान्वित किया। आपने बहुत सारे स्मारक बनाये, जो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देंगे, प्रेरणा प्रदान करेंगे और राष्ट्रभक्त सेवक निर्माण में उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अपनी रिप्लाई करें तो दुर्गादास राठौड़ के स्मारक की बात भी करें।

इसके अतिरिक्त उन्होंने टोडारायसिंह ग्राम में जो धरोहर रखी हुई है, उसके संरक्षण की बात कही है। इसी प्रकार से राजस्थान के बांदीकुई में 14-15 किलोमीटर दूर एक आभानेरी स्थान है, उस आभानेरी स्थान में जो धरोहर है उसको देखेंगी तो निश्चित रूप से उनके संरक्षण की बात भी वह कर पाएगी। मेरा आग्रह है कि वह उनके संरक्षण हेतु भी कोई न कोई कार्य योजना बनाकर इस आगामी कार्यक्रम में अपनी बात को कहें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 24 और 47 के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या फर्मा रही थीं कि कांग्रेस के समय तो पढ़ाई का कोई ध्यान ही नहीं था, पिछड़ापन रखा गया। शायद माननीय सदस्या को पता नहीं कि आपकी पार्टी में जो प्रतिभाशाली विद्वान बैठे हैं आदरणीय भवानी जोशीजी बैठे हैं, आदरणीय कालीचरण जी सर्राफ बैठे हैं, इनके पीछे सुंदरलाल जी बैठे हैं, महावीरजी बैठे हैं और स्वयं आसन पर प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इन्होंने कहां से, कौनसी सरकार में शिक्षा प्राप्त की थी। ये विद्वान लोग नहीं हैं? कांग्रेस के समय में विद्वान लाग नहीं थे और आज जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर हमें गर्व है कि हिन्दुस्तान में एक अच्छी, सबसे अच्छी और खास तौर से नार्थ इण्डिया में अगर सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी है तो हमारे राजस्थान की है, हमें गर्व है, वे क्या भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में पढ़े हैं? ये आरोप-प्रत्यारोप लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री जुबेर खान)

सभापति महोदय, जहां आज आदमी की 70 साल की उम्र है, उसको हो सकता है...।

श्री हीरालाल (निवाई): आप तो ब्यूरोक्रेसी की आलोचना करते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी समझ में नहीं आएगा, बैठ जाइये।

श्री सभापति: निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, बोलने दें। रचनात्मक अलोचना को ग्रहण करें हम लोग।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जिन लोगों की आज 60 से ऊपर उम्र है वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनको कहीं डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर 12वीं पढ़ने जाना पड़ता था, डिवीजनल हैडक्वार्टर पर बी.ए. करने जाना पड़ता था। आज हर 5-7 किलोमीटर पर कालेज खुल गये। यह निरन्तर प्रक्रिया है। कोई भी सरकार, कालीचरणजी, आप यह कह सकते हैं कि कोई भी सरकार में बैठता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठें या कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार में बैठें, क्या कभी किसी के मन में यह रहेगा कि हम जनता के लिये कुछ नहीं करें? जितना सम्भव हो सकता है, हर सरकार प्रयास करती है। यह अलग बात है कि साधन किसके पास कितने हैं। एक टाइम बस के अलावा कोई नहीं चलता था। आज जैसे विधायकों की मैजोरिटी ए.सी. गाड़ी के अलावा चलने के लिये तैयार नहीं है। तो समय में परिवर्तन हो रहा है। इसलिये ये आरोप मत लगाइये। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, स्वयं आदरणीय कालीचरणजी सर्राफ, हमारी तो कमेटी के चेयरमन रहे हैं और हमें तो उम्मीद है, विद्वान आदमी हैं, शिक्षा मंत्रालय को अच्छी तरह से चलाएंगे, इन्होंने खुद ही यह माना है कि जहां 2001-02 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत टोटल बजट 60 करोड़ 14 लाख रुपये था, जिसमें केन्द्र का अंश था 39 करोड़ 80 हजार रुपये और राज्य का था 21 करोड़ 6 हजार रुपये, वही बढ़ते-बढ़ते 2002-03 में हुआ केन्द्र का 64 करोड़, राज्य का 13 करोड़, टोटल 174 करोड़। 03-04 में केन्द्र का 152, राज्य का 65, टोटल 215 करोड़। 04-05 में केन्द्र का 230 करोड़ रुपये और राज्य का 105 करोड़, टोटल 335 करोड़ रुपये से ऊपर। 05-06 में 588 करोड़ का केन्द्र का अंशदान और राज्य का 165, टोटल 588 करोड़ रुपये। 2006-07 में अकेले केन्द्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था वह था 751 करोड़ 38 लाख रुपये और राजस्थान स्टेट का था 290.46 करोड़ रुपये, 1041 हो गया। जो 60 करोड़ था, 2001-02 में वह 06-07 में 1041 करोड़ हो गया।

(श्री जुबेर खान)

07-08 में सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षकों की भर्ती के लिये केन्द्र सरकार से राजस्थान सरकार को 807 करोड़ 55 लाख रुपये का अंशदान मिला है। तो ये मास्टर भर्ती नहीं होंगे, ये स्कूल नहीं खुलेंगे, जिस तरह की प्रक्रिया है? अभी कह रहे थे मिड-डे मील आदरणीय अटलबिहारी वाजपेयीजी ने, इसकी शुरूआत तो स्वर्गीय नरसिंह रावजी ने ही कर दी थी। पानीपत से हरियाणा में मिड-डे-मील की शुरूआत इन्होंने की थी। धीरे-धीरे साधन बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं। घूघरी की जगह, आज अनिताजी आईं, अभी भाषण दे रही थीं, अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या, बचपन में आपको क्या खाने को मिलता था और आज के बच्चों को क्या खाने को मिलता है, यह प्रक्रियागत तरक्की हो रही है।

दूसरा, मैं निवेदन करुंगा, सभापति महोदय, आप यह देखें, कहने की बात यह है कि हमको जो पैसा मिल रहा है, हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रीजी के जवाब के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर शिक्षक भर्ती होने चाहिए थे, प्राइमरी स्कूल में, 9305, यू.पी.एस. में होने चाहिए थे 18760, विशेष शिक्षक, जिनमें संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, आदि, वह होने चाहिए 250, विधवा महिलाएं होनी चाहिए 2494, विच्छन्न महिलाएं 624 होनी चाहिए थीं, टोटल भर्ती 31433 होनी चाहिए थी 2006 में। सभापति महोदय, इसके विरुद्ध भर्ती कितनी की राज्य सरकार ने? 21504 शिक्षकों की। 10929 शिक्षक कम भर्ती किये हैं। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि यह भर्ती कम क्यों हुई जब कि प्रावधान था। केन्द्र से पैसा मिल रहा था तो यह भर्ती क्यों नहीं हुई? यह भी हमें कहना चाहिए कि राज्य सरकार की कमजोरी रही है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, क्योंकि आपने समय कम दिया है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी, आरोप-प्रत्यारोप का, आपने खुद डिपार्टमेंट सम्भाल लिया है, जो भी कोई रहेगा, अपना पूरा प्रयास करेगा। यह सही बात है कि आज की तारीख में केन्द्र सरकार से अलग-अलग रूप में चाहे डिवोल्यूशन के रूप में, चाहे सर्व-शिक्षा अभियान के रूप में, चाहे हैल्थ-मिशन के रूप में अधिक राशि राज्य सरकारों को मिल रही है। राजस्थान सरकार को ही नहीं, सभी को मिल रही है। हम इधर से कहते हैं कि केन्द्र सरकार का पैसा है, आप कहते हैं खैरात थोड़े ही है, एहसान थोड़े ही है, यह हमारा हक है। और जो आप पैसा खर्च कर रहे हो,

(श्री जुबेर खान)

आपका कर्तव्य नहीं है राजस्थान की जनता के लिये खर्च करने को? क्या आप अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हो। जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, कोई न आप एहसान कर रहे हैं और न केन्द्र सरकार एहसान कर रही है। सिर्फ यह जरुर बताना चाहिए कि केन्द्र सरकार से कितना पैसा आ रहा है और राज्य सरकार अपने साधन से कितना पैसा लगाकर हमारे यहां शिक्षा फैला रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय सभापति महोदय, हर जगह आन्दोलन हो रहे हैं। कहीं हो रहे हैं कि अनुसूचित जाति-जनजाति की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं का जो कोटा है वह आप ओ.बी.सी. की महिलाओं से भरने जा रहे हैं। यह सरासर गलत है। हमारी जो एस.सी., एस.टी. महिलाओं का हक है, वह उनको मिलना चाहिए। एक तो यह पाइण्ट आप नोट कर लें। दूसरा घनश्यामजी तिवाड़ी यहां नहीं हैं, पहले तो बिजली मंत्री के रूप में भाषण दिया कि एक साल के अन्दर बिजली का कनेक्शन दे देंगे, आओ और ले जाओ।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आ गये, बहुत लम्बी उम्र है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बड़ी लम्बी उम्र है, लम्बी उम्र है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय घनश्याम तिवाड़ीजी, आप शिक्षा पूरी कर विद्वान कौन से सन में हुए? तब किसकी सरकार थी, यह बता दीजिये? क्योंकि यह कहते हैं कि हमें शक है कि कांग्रेस के समय में जिन्होंने भी पढ़ाई-लिखाई की है वे विद्वान नहीं हैं? तो हमने कहा कि घनश्याम तिवाड़ीजी कब पढ़े।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आपने घनश्यामजी को पढ़ाया, कालीचरणजी को पढ़ाया और इनको पढ़ाया। (व्यवधान) अनुसूचित जाति वालों को, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनको क्यों नहीं पढ़ाया? इन्होंने तो आपको कभी वोट ही नहीं दिया है। इन्होंने तो कभी वोट भी नहीं दिया, इन पर आप इतने मेहरबान हो गये तो उन ग्रामीणों पर क्यों नहीं हुए? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जिनको सर्टिफिकेट आदरणीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री जुबेर खान)

ने दे दिया है, संसदीय सचिव बनाकर, उनके बारे में कोई दे सकता है कि आप तो महाविद्वान हो गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): बात विद्वान की नहीं है, देखिये बात को डाइवर्ट मत कीजिये। आपको जिन्होंने वोट दिया, उनको तो आपने पढ़ाया नहीं। आपने कालीचरणजी को और घनश्यामजी को पढ़ा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं तो इतना बता दूं कि मैं जब कल्याण कॉलेज, सीकर का जनरल सैक्रेटरी था उस समय शिवचरणजी माथुर मेरी यूनियन का उदघाटन करने आये थे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय संसदीय सचिवजी, मैंने तो सबसे पहले अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या को ही कहा था कि आप भी पढ़-लिखकर अध्यापक बनी हैं, टीचर बनी हैं, यह भी कांग्रेस के टाइम में ही बनी हैं, अच्छा बोलती हैं, तो ऐसा नहीं है।

दूसरा, घनश्यामजी ने एक तो बिजली के रूप में दिया, दिया था न कि आओ और ले जाओ, लाइन नहीं लगेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ले गये। 62 हजार तो ले गये, और भेज दो, कितनों को दिलाना है। उनको और भेज दें, जून तक सबको दे देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): फिर पिछले साल आपने 2007 में एक बात कही, जब आप रिप्लाई कर रहे थे, तकनीकी शिक्षा में एक लाख सीटें, 12वीं तक नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा। उसमें एक बात आपने कही थी, 1500 शारीरिक शिक्षक भर्ती होंगे। क्या हुआ? एक भी नहीं हुआ, 1.5 भी नहीं हुआ। यह तो अपन हैं, साहब, आपकी नहीं चल पाई तो इनकी कैसे चल पाएगी? इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार ने पैसे नहीं दिये हैं? तो देखिये, ऐसा मत करिये। जो आप घोषणा करते हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी बजट भाषण में कह रही हैं कि विद्यालय केवल शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि विद्यार्थियों के आल राउण्ड डवलपमेंट में जुटें तो आप शारीरिक शिक्षा के बगैर कैसे आल राउण्ड डवलपमेंट करेंगे? इसलिये आपको शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति कामां में और अन्य जगह लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से उर्दू के शिक्षाकर्मी लगे थे। आज

(श्री जुबेर खान)

इनको लगे हुए 12 साल हो गये। नियमित कर रहे हैं। ये उर्दू के हैं, इसी तरह से ओर भी ऐसे हैं जिनको आप कहीं कह रहे हो पैरा टीचर्स, कहीं शिक्षा सहयोगी, सतत् शिक्षा केन्द्र, लोक जुम्बिश परियोजना में, और कहीं उर्दू शिक्षा कर्मी। इन सब के लिए कमेटी वगैरह बनाकर ऐसा रास्ता निकालिये कि कोई न कोई इसका हल निकले क्योंकि कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है। आप यह तो मानते हैं घनश्याम तिवाड़ीजी, कि जिसने एक बार सरकार का दामन पकड़ लिया वह छोड़ने वाला नहीं है। आन्दोलन करेगा, सड़कों पर आएगा। आप नियुक्ति के टाइम तो उनसे यह लिखा लेना कि आप बंदूक लेकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर खड़े रहोगे तो बिलकुल एफिडेविट दे देंगे और जैसे ही प्रोवेशन पूरा हुआ, एम.एल.ए., एम.पीज. के घर जा-जाकर कराओ ट्रांसफर। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आदिवासी, ट्राइबल एरियाज हैं, एक समस्या है कि लगने के लिए वहां चले जाएंगे लेकिन दौड़ कर अपने गृह जिलों में आएंगे। आप जिलेवाइज भर्ती करवाइये कि जो आदमी जिस जिले में नियुक्ति पाएगा वहीं से रिटायर होगा। आपकी समस्या का हल हो जाएगा और वहां के गरीब लोगों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी। आप यह ऐतिहासिक निर्णय लीजिए।

एक मैं निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, अब आप बिल ले-लेकर आ रहे हैं, आप एस.सी., एस.टी. की बहुत बात कर रहे हैं। मेघवालजी, जरा आप सुन लीजिए। आंकडों के अनुसार सन 2005 में राजस्थान के कुल 516,229 अधिकारी/कर्मचारियों में से केवल 61173 अधिकारी/कर्मचारी ही इन वर्गों से हैं, एस.सी., एस.टी. से। यह बेकलॉग आप इनका देखिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आज जमे नहीं आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 83431 का बैकलॉग है। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति और मांग संख्या 47-पर्यटन की मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज तैयारी नहीं है आपकी। तैयारी नहीं है आपकी आज। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने अपना काम कर लिया, आप रहने दीजिए। आपने अपना काम कर लिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीरजी, देखो, आप तो विद्वान आदमी हैं, पढ़े-लिखे आदमी हैं, हम तो किसान आदमी हैं तो शिक्षा पर तो ऐसे ही जम पाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो बड़े होशियार हो। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको कांग्रेस ने नहीं पढ़ाया? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. के बैकलॉग को आप पूरा करिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके पढ़ाये हुए तो रिक्शा चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको तो टौंक में याद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एस.सी., एस.टी. का बेकलॉग पूरा करवाइये और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे टौंक के जो हैं खरबूजे, बहुत याद कर रहे हैं। खरबूजे बहुत याद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके पढ़ाये हुए रिक्शा चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): महावीरजी, यह कह रहे हैं कि आपके पढ़ाये हुए यहां नहीं आ रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह रिक्शा चला रहे हैं और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

वह रिक्शे वाले इनको याद कर रहे हैं, वाई द वे टौंक में रिक्शे वालों से मुलाकात हो गयी इनकी तो उन्होंने कहा कि बाबूजी, जरा आपको याद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, भूतपूर्व सैनिकों को आपने शिक्षा में आर.पी.एस.सी. के माध्यम से 2006 में भर्तियां दी हैं। भूतपूर्व सैनिकों को भी जिस गृह जिले के वे रहने वाले हैं अगर वहां उस कोटे की जगह है तो आपको उनको भरना चाहिए, मेरा आपसे यह निवेदन है। एक आप ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिस जिले में, मान लीजिए, सीकर जिले में 20 जगह हैं और सीकर जिले के 100 का चयन हो गया और उन जिलों में मिलता नहीं है तो क्या उन 80 को नौकरी नहीं लगाएं?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, लगाइये लेकिन 20 तो वहां से लीजिए। मेरा कहना है कि 20 की नियुक्ति वहां दीजिए।

श्री अमराराम (धोद): वह भी रहेंगे। सब जगह रहेंगे। खाली रखेंगे तो भर्ती कीजिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 20 की नियुक्ति तो उस जिले में हुई है जिसमें जगह है, लेकिन उस जिले के जो 80 लोग दूसरे हुए उनको अगर नौकरी आप नहीं लगने देना चाहते हैं तो वह बताओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हमारा मतलब वह है। वह तो, मंत्री महोदय, इसलिए रहता है कि हमेशा पोस्टें खाली रहती हैं। चाहे वह शिक्षा हो या चिकित्सा हो, खाली रहती हैं तो वहां से जहां पिछड़ा हुआ है शिक्षा का इलाका, वहां से लोग जहां एडवांस इलाका है वहां आ जाता है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं आते हैं, बिलकुल नहीं आते हैं। आर.पी.एस.सी. से जो इस बार भर्ती हुई है, अलग-अलग कोटे के हिसाब से हुई है इसलिए जिस जिले में उनकी भर्ती हुई है उस जिले में ही, अगर विधवा जयपुर में 500 मिल गयीं और विधवाओं का सलैक्शन हो गया तो दूसरे ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा मंत्रीजी आप हैं या कालीचरणजी हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): लेना तो इनको ही है न। 60 हजार तो और भरी हैं, दोनों को मिलाकर ... (व्यवधान) दोनों में ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, बिना अधिकार के बात मत करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अच्छा, नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यह है, जैसे आपने सीकर का उदाहरण दिया कि 20 जगह खाली थी, 20 को किया, अलवर में भी आप उसी फार्मूले से करिये, जितनी जगह वहां उपलब्ध हैं। चाहे मैरिट बनाइये। देखिये, जो बात सही है, यह तो यह कह रहे हैं, इस बात के लिए तो आपका धन्यवाद देंगे कि जिस तरह की नियुक्ति के बाद में पोस्टिंग दी है उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता बिलकुल पारदर्शिता से। कोई यह नहीं कह सकता कि किसी के साथ पक्षपात किया हो। यह पोस्टिंग जो हुई है आर.पी.एस.सी. के सलैक्शन के बाद, यह ठीक प्रकार से हुई है।

विश्वविद्यालयों के अस्थाई शिक्षकों की काफी दिनों से मांग चल रही है और आप बिल ला रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन आप बिल में यह तो देखिये, जब आप इतने दिन बाद, इतनी पसोपेश के बाद बिल ला रहे हैं तो कम से कम जितने भी अस्थाई टीचर वहां हैं, उन सबका तो एकमुश्त भला कर दो कालीचरण सर्राफजी। 122 या 27 रह जाएंगे जिनमें लगभग 73 महिलाएं हैं। आपकी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हो, सम्बलीकरण कर रहे हो और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हो, तो यह इस बिल को आप ऐसा लाइये, अभी समय है, इसमें कोई संशोधन करिये। आप लेकर आइये कि विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां हुई हैं, जो योग्यता रखते हैं, जो ओवर एज होने वाले हैं, एकमुश्त सब स्थाई हो जाएं, इसकी कोई न कोई आपको कार्यवाही करानी चाहिए।

एक मैं निवेदन और करना चाहूंगा, आपके स्कूल की बात आयी, स्कूल आपने कहा कि हमने इतने खोल दिये। खोले, लेकिन आज स्कूलों की स्थिति क्या है? बिल्डिंग ठीक नहीं है, कहीं चारदीवारी नहीं है, कहीं खेल का मैदान नहीं है, कहीं प्लांटेशन नहीं है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है

(श्री जुबेर खान)

और कहीं जमीन। हमारे अलवर में तो ऐसा भी है, एन.सी.आर. आने के बाद में स्कूल का भवन बना है, ग्राउंड बना है, लेकिन कागजों में स्कूल के नाम दर्ज नहीं होता। गैर-मुमकिन पहाड़ पर बन गयी कहीं कोई-सी तो वह जो सुप्रीम कोर्ट ने पांच-छह किस्म के ऊपर रोक लगायी है तो उसमें आ गयी। स्कूल का सही मायने में तो तभी ठीक होगा कि जब प्रोपर स्कूल की चारदीवारी हो, बिल्डिंग हो, शौचालय हो, पेयजल की व्यवस्था हो, वैसे मतलब छाया हो, फर्नीचर हो, टाट-पट्टियाँ हों, तभी तो स्कूल अच्छी बनेगी। आप खूब खोले जाइये कि हमने इतनी खोल दीं। मगर हालात क्या हैं? और आज कोई टीचर्स लगाइये। टीचर्स के लिए मैं आपको निवेदन करूं, आथेंटिक मैं यह कह सकता हूं कि अकेले पंचायत समिति रामगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के 36 पद रिक्त पड़े हैं। नॉन प्लान के 48 पद रिक्त पड़े हैं। यू.पी.एस. सैकिण्ड ग्रेड के 24 पद रिक्त पड़े हैं, थर्ड ग्रेड के 52 पद रिक्त पड़े हैं, उर्दू के तीन पद रिक्त पड़े हैं, पी.टी.आई. के तीन पद रिक्त पड़े हैं। अकेले पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर के 166 पद रिक्त पड़े हैं जब कि अलवर के बिलकुल सटती हुई है। इससे अन्दाजा लगा लीजिए कि राजस्थान की क्या स्थिति होगी। आप भर्ती करके वहां जब तक टीचर नहीं लगाएंगे और एक और करिये कालीचरणजी, जो आपने यह परम्परा बना रखी है न कि आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन हुआ, डी.ई.ओ. को जयपुर बुला लिया। आपके ऊपर भी दबाव होते हैं- कहीं आर.एस.एस. का दबाव है, कहीं एम.एल.एज. का दबाव है, कहीं आइडियोलोजी का दबाव है। आप उनको बैठाकर यही से शहरों के पास जो नियुक्ति दे देते हैं। आप पंचायत समिति स्तर पर दीजिए, वहां जितनी भी पोस्ट देनी हों ताकि दूरदराज के गांवों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। आज क्या हो रहा है? सबसे नजदीक तो लगाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशो काफी अच्छा है और जैसे-जैसे आप इंटीरियर में जाएंगे, वहां पद रिक्त पड़े हैं। इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

एक मैं निवेदन कर रहा था कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदयाजी की घोषणा से मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से मेवात क्षेत्र में आवासीय बालिका विद्यालय निर्मित हुए हैं। बिल्डिंग बन रही है, जुलाई से सैशन शुरू हो रहा है। अभी से ही, टाइम है एक तो आप देखिये कि उनका संचालन कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा या समाज कल्याण विभाग करेगा या मेवात विकास बोर्ड

(श्री जुबेर खान)

करेगा? उसमें आपकी घोषणा के अनुरूप निःशुल्क किताबें दी जाएंगी, ड्रैस भी निःशुल्क दी जाएगी, भोजन भी निःशुल्क दिया जाएगा तो यह व्यवस्था अभी से करके रखिये, तो उनका संचालन हो सही रूप से। जिस भावना के अनुरूप उन स्कूलों को खोला गया है कि मेवात क्षेत्र की सभी जातियों की बच्चियां एक जगह रहकर पढ़ें, उसको करने के लिए जुलाई तक सारी व्यवस्था आपको करानी पड़ेगी।

एक मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैं इस मत का हूं कि जितने भी मदरसे हैं, प्रयास होने चाहिए ज्यादातर मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए मदरसा बोर्ड के माध्यम से और उनमें सरकारी सुविधा उपलब्ध करायी जाए। यह सामने आ रहा है कि मदरसा बोर्ड से मदरसे में टीचर्स की नियुक्ति यहां से दी जा रही है और वहां जो प्रभारी मौलवी साहब हैं, या जो भी वहां पर है, वह उनको जवाइन नहीं करवा रहे हैं।

(: 17.00 बजे)

यह क्या तरीका हुआ? जब सरकार ने निर्णय ले लिया, जब रजिस्टर्ड मदरसों में शिक्षकों की भर्ती होगी, जो वहां जाकर बच्चों को इंगलिश, हिन्दी, मैथ्स और दूसरे सब्जैक्ट पढ़ाएंगे तब उनको मदरसे के प्रभारी जो लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं, वे नियुक्ति नहीं दें और सरकार बैठे देखती रहे, यह रवैया ठीक नहीं है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अलवर में बहुत दिनों से घनश्याम जी, यह मांग चल रही है अब तो हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्रीजी स्वयं अलवर के प्रभारी हैं, देखिये, हो सकता है डिवीजनल हैड क्वार्टर नहीं हो, लेकिन आजादी की लड़ाई में जब स्टेट्स थीं, तब वहां के महाराजा जयसिंह जी और शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर के बाद में कोई था तो अलवर का महत्वपूर्ण स्थान था। अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिये। जब 1930-32 में महाराजा ने 300 बीघा जमीन और महल दे दिया शिक्षा चलाने के लिए,आज आपका कोई खर्चा नहीं है, बिल्डिंग बनी हुई है और जमीन आपके पास है, काफी बड़ा कालेज है। कोई न कोई व्यवस्था करके विश्वविद्यालय आपको बनाना चाहिये, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(श्री जुबेर खान)

चलिये, आपने घण्टी बजा दी। अन्त में ट्यूरिज्म पर और कह दूं, एक लास्ट लाइन है। वैसे तो आपकी सरकार भले ही सरंक्षण कर रही है धरोहरों का पुनरूद्धार खण्डहरों का, मुझे लगता है, जो बजट दिखा रहा है 2007-08 के बजट में प्लान हैड्स अलॉटमेंट तो आपने किया है साढ़े 25 करोड़ रुपये और खर्च किया है 7 लाख 63 हजार रुपये। कहीं इसमें यह बात तो नहीं आ रही है कि मुख्य मंत्रीजी के मन में आ गया हो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो उनको परेशान करते हैं, और एक अख़बार के माध्यम से उनको खण्डहर की संज्ञा भी दी गयी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी मरम्मत से वे खण्डहर जिंदा हो जाएं, इसलिए पैसा नहीं लगा रहे हैं। आपने हैडिंग तो डाल रखा है- पुरातत्व संग्रहालय विभाग के स्मारक और संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्यक्रम, आपकी अगर उपलब्धि देखें तो यह आपका प्रतिवेदन खुद बता रहा है। तो यह जो पैसा अलॉटमेंट का है, आप यह मत करिये संसदीय मंत्रीजी, आप यह मत करिये। दुनिया में हाहाकार, इतना बड़ा कर दिया, इतना आबंटन कर दिया। यह घोषणा कर दी जैसे पिछली बार की थी, 1500 सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे, इतनी सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया, आपने एक भी नहीं खोली। इस बार आपको मालूम था कि केन्द्र सरकार के बजट में यह होने जा रहा है कि सर्वशिक्षा अभियान में मिडिल स्कूल हर ग्राम पंचायत तक हो। आपने पहले ही बजट भाषण देकर पहले ही वाहवाही लूट ली। ऐसा मत करिये, जो प्रावधान करते हैं उसको पूरा करिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बजट गोपनीय नहीं था क्या? बजट का पहले ही पता लग गया क्या? (व्यवधान) वाह साहब। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गाइडलाइंस पहले ही आ जाती हैं। ये बातें कोई छिपती हैं क्या? आप फीगर तो छिपा सकते हो, पॉलिसी तो पहले आ जाती है न। इसलिए, शिक्षा मंत्रीजी, आपने ... (व्यवधान) एक आसन के रूप में, आसन की तो गरिमा और आसन का तो मान-सम्मान है ही, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर हैं, हमारे डायरेक्ट तो टीचर नहीं रहे, लेकिन हमारे साथियों के रहे हैं, मान-सम्मान करते हैं। आपने घंटी बजा दी। इन्हीं शब्दों के साथ जो

(श्री जुबेर खान)

कुछ सुझाव मैंने दिये हैं, उन कुछ सुझावों को अगर लागू करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय, मैंने आपको बिलकुल 23 मिनट का समय दिया है। माननीय कन्हैया लालजी मीणा। 10 मिनट में अपनी बात कहें। (व्यवधान) .

श्री अमराराम (धोद): बीच में से आपने नहीं पुकारा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिना किसी पूर्वाग्रह के सब को समय देंगे।

श्री अमराराम (धोद): व्यवस्था के अनुसार दे देना।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, लास्ट में देते हैं, यह है दिक्कत।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, इनको दे दो, हम नहीं बोलेंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मांग संख्या 24 और 47 के बारे में कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो किया, पूरे राजस्थान में आम-अवाम को पहली बार यह पता लगा कि वास्तव में अगर सरकार हो तो ऐसी हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक किलोमीटर से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोले, दो किलोमीटर से कम दूरी पर मिडल स्कूल खोले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि इस बार हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक सैकण्डरी विद्यालय होगा। इसके लिये राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को। गांव की जो बालिकाएं हैं, मिडिल कक्षा पास करने के बाद बच्चियों को पंचायत से बाहर नहीं भेजना चाहते। आज वे बच्चियां कम से कम कक्षा 10 तक पढ़ लेंगी और दुबारा जब समय आयेगा तो निश्चित रूप से सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय भी पंचायत पर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है इसकी।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो कार्य किये, गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे बहुत कम पढ़ पाते थे, जब निःशुल्क पुस्तकें दीं, फ्री के अंदर जब अध्ययन कराने लगे, फीस भी नहीं ली और मिड-डे-मील में घूघरी की जगह जब रोटी की व्यवस्था हुई तो गरीबों के जो बालक हैं, सारे बालक विद्यालय में आने चालू हो गये। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

वाले जो बालक थे, कक्षा 8 तक पढ़ने उनको दूर नहीं, अपने पंचायत एरिये में ही, अपने गांव के अंदर जो मिडल स्कूल है, वहां पर भेजा गया। मैं शिक्षा मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जितने बालिका प्राथमिक विद्यालय थे, सबको मिडिल किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। 4,162 नये प्राथमिक विद्यालय खोले, गत सरकार ने मात्र 550 बालिका विद्यालय खोले थे। 3,198 ब्रिज कोर्स खोले, गत सरकार ने 194 खोले थे। 106 पंचायत समितियों में आई.टी.आई. खोलकर गांव वाले लोगों को आई.टी.आई. की तरफ अग्रेषित करने का प्रयास जो सरकार ने किया, उसके लिए धन्यवाद। 3,108 विद्यालयों को क्रमोन्नत करके पूरे पंचायत हैड क्वार्टरवाइज आपने जो कार्य किया है, वह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। ऐसे गांवों में जहां विद्यालय नहीं थे, ऐसी बड़ी ढाणियां, जो गांव के समान थीं, वहां पर जो वैकल्पिक विद्यालय थे, उन सबको क्रमोन्नत करके आपने प्राथमिक विद्यालय बनाया, यह भी पहली बार ऐसा कार्य हुआ है जिससे कमजोर बच्चों को कक्षा पांच तक पढ़ने को मिलेगा।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को देना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, बस्सी क्षेत्र में बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़, इनके बीच में बस्सी क्षेत्र आता है, लेकिन तीनों पंचायत समितियों और तीनों तहसीलों में एक भी बालिका महाविद्यालय नहीं होने की वजह से, कोई-सा भी महाविद्यालय नहीं होने की वजह से आज बालिकाओं को परेशानी हो रही है। मुश्किल से 2 प्रतिशत बच्चियां जयपुर तक अध्ययन करने के लिए आ पाती हैं, बाकी बच्चियां भी वहीं रूक जाती हैं। आज का जो वातावरण है, उसको देखते हुए माता-पिता अपने बच्चों को नहीं भेजते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक जिले में महाविद्यालय कम से कम बस्सी में दें तो अड़ोस-पड़ोस की जो बच्चियां हैं, वह वहां कम से कम अध्ययन कर सकें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

साथ ही, जो राजीव गांधी पाठशालाएं थीं, वे आपने क्रमोन्नत कर दीं, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्रमोन्नत होने के बाद में उसमें जो पैराटीचर्स थे, उनमें से ज्यादातर ने एम.ए, बी.एड. कर रखी थी, वे सारे टीचर बन गये। कई राजीव गांधी पाठशालाएं ऐसी हैं जहां एक-एक अध्यापक कार्यरत है। वहां पर बच्चों की संख्या 150 से लेकर 200

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

तक हैं। आपने तय कर रखा है 50 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, जब कि वहां पर 150 बालकों या 200 बालकों को एक अध्यापक अध्यापन करवा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम दो या तीन अध्यापक तो वहां पर करने की व्यवस्था करें। दो भी आप कर दें तो बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे मिडिल स्कूल किये हैं, लेकिन जितनी मिडिल स्कूलें हुई हैं उनमें आपने पद स्वीकृत किये हैं कम। जब प्राइमरी स्कूल थी तब उसमें थे चार अध्यापक और आपने अब अध्यापक कितने कर दिये? मिडिल होने के बादे में अब बच्चों की संख्या ज्यादा हो गयी, लेकिन जब मिडिल हो गयी तो एक प्रधानाध्यापक और दो अध्यापक मात्र हैं। जब कक्षा पांच तक थी तब तो उसमें थे चार या पांच और अब उसमें अध्यापक हैं एक प्रधानाध्यापक और दो थर्ड ग्रेड। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इसमें आप पांच अध्यापक तो करें तब जाकर वे कक्षा आठ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अन्यथा शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं आ पायेगा।।

साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय आपने इस वर्ष क्रमोन्नत किया है लेकिन क्रमोन्नत करने के बाद में प्रिंसिपल का पद स्वीकृत नहीं किया। प्रिंसिपल नहीं लगने की वजह से आज उन विद्यालयों में जो बच्चों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि प्रिंसिपल के पद का जो सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं आपने, उनमें प्रिंसिपल का पद स्वीकृत करें जिससे वहां पर प्रिंसिपल को लगाया जा सके।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहर में जो अध्यापक हैं उनको मकान भत्ता 15 प्रतिशत देते हो, नगर पालिका क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत देते हो और ग्रामीण एरिया में 5 प्रतिशत देते हो। आज दूर-दराज के जो क्षेत्र हैं, गांव वहां पर अध्यापक नहीं जाना चाहता है, अध्यापक या तो रोड के किनारे ही रहना चाहेगा या शहर में आना चाहता है। यह बात सही है, अभी पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि वास्तव में शहर में जो बच्चों की संख्या है 50 और वहां पर अध्यापक हैं दस। 15 प्रतिशत आप यहां भत्ता देते हो, शहर में अध्यापक लगना चाहता है जहां अपना मकान है, निवास है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

यह 15 प्रतिशत का भत्ता आपको ग्रामीण एरिया में करना चाहिए जिससे लोगबाग शहरों में ज्यादा भीड़ नहीं करके ग्रामीण एरिया में जा सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें एक या दो अध्यापक से ज्यादा नहीं हैं, एकल अध्यापक विद्यालय की संख्या ज्यादा मिलेगी, इस फर्क का समानीकरण करने की कोशिश करें।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी से लेकर मिडिल, सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए थे, तीस वर्ष पहले पोस्टिंग हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसके बाद में जितने रिटायरमेंट हो गये, जो सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं उनमें 1200 बच्चों की संख्या है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक हरिजन कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की पोस्टिंग होनी चाहिए। 1200, 1500 बच्चे हों ऐसे में वहां पर उनकी पोस्टिंग करने से सफाई व्यवस्था भी हो सकती है, नहीं तो ठीक ढंग से नहीं हो सकती।

साथ ही, अध्यापकों के द्वारा डी.पी.ई.पी. के भवन का निर्माण करवाया जाता है, इससे अध्यापक कभी लोहा खरीदने जाता है, कभी सीमेंट खरीदने जाता है, कभी बजरी लेने जाता है, कभी क्या लेने जाता है, इससे शिक्षा में, पढ़ाई के अन्दर बाधा आती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए या फिर पंचायत को दिया जाए, कोई दूसरी एजेंसी से यह कार्य करवाएं, अध्यापकों को स्कूल के भवन निर्माण के कार्य में नहीं लगाया जाए।

साथ ही, राजस्थान में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो आपने लगाये हैं उनके भवन की कोई व्यवस्था नहीं है, निजी भवन नहीं है, एक कमरे के अन्दर छह एल.डी.सी., एक अकाउंटेंट और कम्प्यूर वाला बैठा रहता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उनका निजी भवन होना चाहिए जिससे सुचारु रूप से वे अपना कार्य कर सकें। इसके साथ ही मैं चाहूंगा ब्रिज कोर्स ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, पहली बार ही बोल रहा हूं, थोड़ा-सा और टाइम दें।

ब्रिज कोर्स जो आप खोल रहे हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां मजदूर रात-दिन रहते हैं या लुहारों की बस्तियां जहां हैं ...

श्री सभापति: एक मिनट बैठें आप। एक मिनट बैठें ।

मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आसन के द्वारा जो व्यवस्था कर दी गयी कि माननीय सदस्य आठ से दस मिनट में अपनी बात कहेंगे, बार-बार टोकने में आसन को मजा थोड़े ही आता है, यह जो भी व्यवस्था बना रखी है, मैं यहां बैठा हूं, बाकी समय मैं भी वहां ही बैठता हूं, तो यह कोई मैं नहीं बोलता हूं, यह आसन बुलवाता है मेरे से। मन में पीड़ा होती है जब मैं बोलता हूं। अपन सब बराबर के सदस्य हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, एकाध सुझाव दे रहा हूं मैं, और बस ज्यादा नहीं।

श्री सभापति: तो आसन की व्यवस्था और निर्णय को तो आपको मानना ही चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप मर्जी आए इतनी देर बोलें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ज्यादा नहीं, दो मिनट और।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रिज कोर्स जो खोले जा रहे हैं, ईंट भट्टा या औद्योगिक इकाइयां हैं या लुहारों की बस्तियां हैं वहां पर खोला जाए तो वो ठीक रहेगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साइकिलें कक्षा नौ, कक्षा आठ, कक्षा दस और ग्यारह की बालिकाओं को दी जाएं ताकि वे बालिकाएं काफी दूर से आ-जा सकें। यह व्यवस्था करनी चाहिए इसके अन्दर, यह निवेदन करना चाहूंगा।

मिड-डे मील की जो व्यवस्था आपने अक्षय पात्र (एन.जी.ओ.) के माध्यम से जयपुर में की थी, उसकी व्यवस्था बहुत सुचारु रूप से चल रही थी, बच्चों को गर्म खाना मिलता था, उससे अध्ययन के अन्दर भी बाधा नहीं हो पाती, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अक्षय पात्र द्वारा पुन: जयपुर जिले के अन्दर मिड-डे-मील की व्यवस्था करवायी जाए।

साथ ही पी.टी.आई. पैराटीचर्स के बारे में पहले भी बोल चुके हैं, 106 हैं, पी.टी.आई. के बहुत सारे पद रिक्त हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनको पोस्टिंग दी जाए।

कम्प्यूटर शिक्षा में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति हो रही है, या तो आप विद्युत की कोई अनुदान की व्यवस्था करें, नहीं

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

तो गांव में कोई कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है। लाइट वहां पर आती नहीं है। 24 घंटे लाइट नहीं आने की वजह से आज कम्प्यूटर खाली नाम मात्र का वहां पर चल रहा है, कोई उसका सुचारु रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें व्यवस्था की जाए।

साथ ही, मेरे क्षेत्र के तूंगा, बांसखो, झर, जटवाड़ा ऐसे विद्यालय हैं जहां पर विज्ञान विषय और वाणिज्य के लिए गांव वालों ने, बालिकाओं ने, बालकों ने काफी बार प्रयास किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय खोला जाए।

साथ ही, राजपुरा एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चों की संख्या और बालिकाओं की संख्या बराबर है संस्कृत प्रवेशिका में, मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इसको इसी वर्ष उपाध्याय करें ताकि प्रवेशिका से उपाध्याय तक बच्चियां वहीं पढ़ लें। यही निवेदन करते हुए, माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य जयराम जाटव। आठ से दस मिनट में अपनी बात कहें।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): दस मिनट में कहने का प्रयास करूंगा, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और अपने अमूल्य सुझाव राज्य सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को दिये हैं, उन्हीं के साथ-साथ मैं अपने विचारों को जोड़ना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा की जो बहस है, जो डिबेट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। देश को आजाद हुए लगभग 62 वर्ष हो गये, जब हम दूसरे प्रांतों से तुलना करते थे तो हमारे राजस्थान का जो शिक्षा का स्तर था वह नीचे था। कांग्रेस के माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं, वो यह बात जरूर कहेंगे किसी भी डिबेट में कि केन्द्र की योजनाओं का पैसा है, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा हो या उससे पहले डी.पी.ई.पी. का पैसा आया हो, किसी भी विषय को लेकर चलते हैं तो केन्द्र की बात जरूर कहते हैं। इनको पता है कि जो केन्द्र की योजनाओं का पैसा जिस सरकार को, जिस राज्य को दिया जाता

(श्री जयराम जाटव)

है उसका हिस्सा राशि का पैसा दिया जाता है। वो राशि यहां से कलैक्ट होकर जाती है इसलिए वो राशि तो स्वाभाविक रूप से आएगी। लेकिन हम तुलनात्मक जरूर बात करना चाहते हैं। तुलनात्मक सारे विधायकों ने अपनी-अपनी बात, कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कही और बी.जे.पी. के माननीय सदस्यों ने भी कही। तुलनात्मक बात हम क्यों करते हैं कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। लगभग चार वर्ष तीन महीने से राजस्थान में हमारे हाथ में बागडोर है, हमने राज किया है। प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी जब पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष थीं तब परिवर्तन यात्रा को लेकर वह चलीं थीं और मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि राजस्थान में शिक्षा में जो परिवर्तन आया है शुरुआत में उस परिवर्तन यात्रा को नजर में रखते हुए प्रदेश की मुख्य मंत्री और विद्वान घनश्यामजी तिवाड़ी शिक्षा मंत्री थे, इनके दिमाग की उपज बनी कि राजस्थान के बालकों को कैसे विद्वान बनाया जाए।

मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षा का प्रकाश इतना बड़ा प्रकाश है, शिक्षा की इतनी बड़ी रोशनी है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह प्रकाश भी कम है और शिक्षा का प्रकाश, उसकी रोशनी वहां पहुंच जाती है जहां कोई नहीं पहुंचता। अज्ञानता पर आधारित तृष्णा, बड़े लोगों ने कहा है कि मनुष्य क्यों आता है, हम अज्ञानी हैं, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हैं। इस शिक्षा पर अगर किसी ने ध्यान दिया, मुझे ध्यान है, मैं गांव का व्यक्ति हूं, जब गांव में जाते थे तो पैरा टीचर और राजीव गांधी पाठशालाएं, राजीव गांधी पाठशाला से बच्चों का शिक्षा का स्तर, मैं यह मानता हं कि पूरे पांच साल जब कांग्रेस का राज था, शिक्षा का स्तर नीचे रहा और गांवों में स्कूलों की बिल्डिंग और जो व्यवस्था शिक्षा की होनी चाहिए, नहीं हुई।

मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा का स्तर सुधरा है, आज तुलनात्मक दृष्टि में हम देखें तो बड़ा परिवर्तन आया है। प्राथमिक विद्यालय गत सरकार ने कितने खोले? पांच सौ पचास। और हमारी सरकार ने चार वर्ष में चार हजार एक सौ बांसठ। प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया कांग्रेस की गत सरकार ने तीन हजार नवासी को, हमारी सरकार ने कितना किया? पन्द्रह हजार आठ सौ उनतीस। ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूं, न कागज

(श्री जयराम जाटव)

कह रहा है, यह तथ्यात्मक रिपोर्ट है और इन रिपोर्टो से यह साफ होता है कि शिक्षा का स्तर सुधरा है। गांव में गरीब का, किसान का बच्चा पढ़ने से वंचित रह जाता था, जो सर्दी में, धूप में, बरसात में चार पांच किलोमीटर दूर घर से स्कूल तक नहीं जा पाता था, वहां एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये, क्यों नहीं बच्चा पढ़ेगा?

मैं कहना चाहता हूं कि चाहे डांग क्षेत्र हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो या एस सी के बच्चे हों या मेवात में पिछड़े लोग, आज मेवात विकास बोर्ड की चर्चा रामगढ़ से आने वाले सदस्य कर रहे थे, मैं कहता हूं कि वहां भी शिक्षा का स्तर नहीं था और वहां जब एक किलोमीटर, दो किलोमीटर नजदीक प्राथमिक विद्यालय खोले। प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ-साथ, जो गरीब खेत में काम करता है, मजदूरी को जाता है, बच्चे की मां या पिताजी, लेकिन जब उसको खाने के लिए नहीं मिलता तो कई बार नाराज होकर वह स्कूल में नहीं जाता था, आज वह स्कूल में आता है, भर पेट उसको खाना मिलता है मिड डे मील के माध्यम से। अगर गरीब की सुध ली है, कमजोर तबके की सुध ली है राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से तो आज की हमारी सरकार ने की है। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी और घनश्याम जी का जो सोच है, मैं यह दिल से कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा है राजस्थान में। यहां के लोग माध्यमिक विद्यालय के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कई-कई लाख रुपये इकट्ठा करके जयपुर में आते थे कि हमारे माध्यमिक विद्यालय खोल दिया जाए, एक लाइन में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बदल दिया। और जुबेरजी कह रहे थे, क्या दिया। यहां अल्पसंख्यक भाइयों को केवल वोट की राजनीति के लिए, एस सी एस टी के वोट की राजनीति के लिए जरुर नाम लेते थे कांग्रेस के भाई। मैं तुलनात्मक कह रहा हूं । वहां ऐसे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को दिया जैसे राजगढ़ का सरदारशहर है, चूरू में रतनगढ़ है, सूरजगढ़ है, झुन्झुनूं है, नवलगढ़ है, गंगापुर सिटी है, फतेहपुर सीकरी है, लाडनूं है, नागौर का मकराना है, जहां अल्पसंख्यक भाई रहते हैं, जहां उनका तय है कि ...(व्यवधान) घटकर बीस प्रतिशत .....

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): सूरजगढ़ नहीं दिया, सूरतगढ़ है। सूरजगढ़ का नाम ही मत लो आप।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सूरतगढ़ भूल गया?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सूरतगढ़ है सूरजगढ़ नहीं है, सूरजगढ़ का नाम तो कहीं लिया ही नहीं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सूरतगढ़ लिखा है इसमें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमें तो एक चीज दी है इसमें, माननीय अध्यक्ष दिया है, बस विधान सभा अध्यक्ष और यहां अजा-जजा का अध्यक्ष ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सूरतगढ़ है न।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसमें सारी चीजें आ जाती हैं ।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आ जाएगीं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): हाथी के पैर में तो, श्रवणजी, सारा ही कुछ आ जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपका तो बड़ा योगदान है, आपने तो खान मंत्री भी दिया है, ऐसे ही आपने लीडर आफ दी अपोजिशन भी दिया है और सबसे ज्यादा श्रवण लाल दिया है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इधर तो दे दिया माननीय अध्यक्ष, उधर दे दिया अजा-जजा अध्यक्ष, उधर दे दिया खान मंत्री, झुन्झुनूं को क्या दिया, सूरतगढ़ का नाम लो, सूरतगढ़ है वो, नाट सूरजगढ़।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आपके विचारों से हम कई बार ओत-प्रोत हो चुके हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सुंदर काका को दिया है न झुन्झुनूं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय कोई विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं दिये गये थे लेकिन हमारी मुख्य मंत्री की सोच और हमारी सरकार की सोच क्या है कि वहां दिया जाए जहां की महिलाओं की शिक्षा की दर कम है, वह अल्पसंख्यक भाई हैं, क्या मेवात विकास बोर्ड में और जातियां नहीं रहती? हमारे अलवर जिले के लिए, भरतपुर जिले के लिए जो पांच करोड़ से नौ करोड़ रुपया इस बजट में किया, इसलिए नहीं किया कि वहां की बालिकाएं पढ़ती नहीं हैं, कि

(श्री जयराम जाटव)

बालिकाएं नहीं पढ़ती हैं तो वहां आवासीय विद्यालय खोले। भाई जुबेर खां इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलें और लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती की गयी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की, उसमें भेदभाव नहीं हुआ, यह बात तो भाई जुबेर खां जी ने, रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने स्वीकार की। इसलिए ऐसा नहीं किया कि राजनीतिक हमने बोलने के लिए कुछ की हो और घोषण कुछ की हो, किया कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं किया। मैं आज इस बात को गर्व से कह सकता हूं क्योंकि आज से चार साल पहले मानसिकता बन गयी थी कि गांव के लोगों की कि बच्चों को पढ़ाकर क्या करोगे, नौकरी मिलने वाली है नहीं। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में जितनी नौकरियां मिली उसमें एक तिहाई एस सी और एस टी के लोगों को मिलीं। हमारे जो एस सी के लोग हैं, राजस्थान में पूरे प्रदेश में, न कोई उद्योगपति है ना कोई किसान है, मजदूर लोग हैं वह आशा करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भाई पढ़-लिख जाएगा तो कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी। जो लोक सेवा आयोग द्वारा नौकरी मिली, कोई भेदभाव नहीं किया गया।

मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कांग्रेस के राज में राजीव गांधी पाठशालाओं में जो पैरा टीचर लगाये थे, उन पैरा टीचरों में एस सी और एस टी के किसी भी पैरा टीचर को नहीं लगाया गया था, बदले की भावना से लगाये गये थे और हमारे यहां एस सी और एस टी का जो कोटा था उसको बराबर ध्यान में रखते हुए उनको नौकरी दी गयी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): असत्य तो बोलो, पर लिमिटेड।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं असत्य कभी जीवन में बोलूंगा नहीं, श्रवण भाई।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उसमें कोई कुछ नहीं था, उसी वार्ड का होना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जानकारी कर लो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कौन कहता है, एस सी एस टी के नहीं लगाया क्या?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं एक ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का

(श्री जयराम जाटव)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय कालीचरणजी सर्राफ का, कि जितने पैरा टीचर कांग्रेस के राज में लगाये, उनमें कितने एस सी और एस टी के थे, अगर उनमें कमियां रही हैं तो बदले में एस सी एस टी के अध्यापकों को लगाया जाए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 16 और 12

श्री जयराम जाटव (खैरथल): इन्होंने बिलकुल लगाये हैं, मुझे ध्यान है। जब पंचायतों के चुनाव हुए थे, माननीय अशोकजी गहलोत ने इन पैरा टीचरों के माध्यम से चुनाव कराये थे। ये तो मेरे हैं इनको हम पर विश्वास है और राज्य कर्मचारियों पर विश्वास नहीं किया। आप ध्यान करो, आपको पता है, क्यों किया, कि ये पैरा टीचर हमको राज में ला देंगे, दुबारा राज में पैरा टीचर ला देंगे इसलिए आपको विश्वास था। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अगर आज घर में रोशनी गयी है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक-दो बात कहूंगा बस। जो भी श्रवण जी ने मेरा ध्यान थोड़ा-सा इधर कर दिया ... (व्यवधान)

श्री सभापति: वह तो आपसे सीनियर हैं, उनको तो अधिकार है डिस्टर्ब करने का आपको।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): चलो, मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: बोलो। आप दो मिनट तो बोलो।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं इसलिये कह रहा था कि शिक्षा के माध्यम से आज राजस्थान में जितना परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के साथ-साथ गरीब को रोजगार भी मिला है गरीब के बच्चे को शिक्षा भी मिली है। वह अपने अधिकारों को जानने लगा है। अजमेर से आने वाली अनिता भदेलजी सही कह रही थीं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा तो वह है जिस शिक्षा से आम गरीब जो आदमी है, आप जानते हैं कि

'लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात,

ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात।'

श्रवणजी आप विधान सभा में आये हैं ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह करैक्ट नहीं है।

'सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात,

ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात।'

लक्ष्मी कह रहे हो।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): यही कहा है। सरस्वती लक्ष्मी से कम नहीं है। जो सरस्वती की पूजा करता है वही लक्ष्मी को जानता है। सरस्वती की बात मान लो। लेकिन शिक्षा भी जब बढ़ती है जब उसको खर्च करते हो। आप लोगों ने खर्च करना नहीं जाना। मैं बात को कह रहा था कि शिक्षा से राजस्थान के इस राज में गरीब का भला हुआ है, किसान का भला हुआ है आज देखिये इन लोगों को आस लग रही है जो गांव में बैठा आदमी है। बी एड के कालेज क्यों खोले? राजस्थान में हमारे अलवर जिले में तीन कालेज दिये। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के टाइम पर एक कालेज दिया था गोविन्दगढ़ में। उसके बाद में भीमराणा में कालेज खोला। अब की बार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने थानागाजी में कालेज दिया। कांग्रेस के राज में एक कालेज नहीं दिया। मैं अपनी तरफ से एक डिमांड जरूर रखना चाहता हूं जिले की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय कालीचरण जी सर्राफ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप अलवर गये थे। अलवर के सभी विधायकों ने मिलकर आपसे उम्मीद की थी, आप प्रभारी हैं, जो भाई जुबेर खान कह रहे थे, एक नहीं कह रहा, पूरे अलवर जिले के जितने हम बी जे पी के विधायक हैं हम सभी की मांग है, पूरी जनता की मांग है अलवर जिले की वाजिब मांग है। वहां यूनिवर्सिटी की मांग है, कोई लम्बी-चौड़ी नहीं मांगते हैं। इसलिये आप

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विचार करें। वहां विश्वविद्यालय हमको दें तो .. चलो, इशारा कर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। बाकी जितना शिक्षा का स्तर अब सुधरा है इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो तुलनात्मक दृष्टि से ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसने सुधारा ? किसने सुधारा ?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य बृजकिशोरजी शर्मा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): घनश्यामजी ने सुधारा था न। घनश्याम

(श्री श्रवण कुमार)

जी हैं न इसके दाता। सुधारने में घनश्यामजी का हाथ रहा न। उस बढ़ती पतंग को क्यों काट दिया आप लोगों ने, इतनी बढ़िया पतंग उड़ रही थी?

श्री सभापति: पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, बैठें।

श्री टीकम चन्द कान्ता (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, इनका एक तो क्या से क्या बोलते हैं, यह समझ में ही नहीं आता। या तो बोलो तो बराबर बोलो, नाक से क्यों बोलते हो। नाक से मत बोलो। सीधे बोलो तो मालूम पड़ेगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कह रहा हूं, घनश्यामजी बढ़िया पतंग थे।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): श्रवणजी, हमेशा पतंग उड़ती हुई ही कटती है। नीचे पड़ी हुई पतंग नहीं कटती। अब आप लोग नीचे पड़े हो, आपको कौन काटेगा ? कटे हुए ही पड़े हो आप तो।

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य को बोलने दो। आप एक दूसरे के व्यक्तित्व का विश्लेषण नहीं करें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): श्रवणजी, पतंग कटी नहीं है, ढील दी है। आपको कटी हुई दिख रही है।

श्री सभापति: भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, आज मांग संख्या 24-शिक्षा पर बहस हो रही है। आपने मुझे जो समय दिया बोलने का, मैं उसका बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल से शिक्षा का सुधार आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी के पास था, राजस्थान की आम जनता को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने शिक्षा मंत्री होते हुए जो कीर्तिमान स्थापित किये जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने भी की और सत्ता पक्ष के कई विधायक चार साल तक उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते रहे, न मालूम किन कारणों से उनके शिक्षा विभाग ले लिया गया। यह तो घनश्यामजी तिवाड़ी जानें या मुख्य मंत्रीजी जानें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप भी जानते हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मुझे ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसमें कहीं न कहीं राजेन्द्रजी राठौड़ का कहीं हाथ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने कल्लाजी को हटवाया वह।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं तो था नहीं, नहीं तो मैं हटाता नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हटने नहीं देता कि हटाता नहीं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब शिक्षा विभाग आदरणीय कालीचरणजी सर्राफ को दिया, उनको बहुत-बहुत मुबारक। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा विभाग मिलने के बाद, मुख्य मंत्रीजी ने जो राजस्थान की चुनौती उनको दी है वह शायद उसको पूरा करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह उस चुनौती को पूरा कर सकेंगे। कारण, केन्द्रीय सरकार से सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आया, पंचायतों में केन्द्रीय सरकार ने हाई स्कूल खोलने का फैसला किया, हाई स्कूल आप भी खोल देंगे, एक पैन स्ट्रोक से सारे के सारे हाई स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन खुलने के बाद जो चुनौती आपको है, क्या आप उन स्कूलों में 3500 के करीब स्कूलों के छात्रों को भर्ती कर सकेंगे, क्या उनमें टीचर्स लगा सकेंगे? मैं समझता हूं कि जितना सा समय आपको दिया गया है उसमें शायद आप यह नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा नजर आता है कि कहीं न कहीं इसमें भी कोई राजनीति आपके साथ खेली गयी है।

मैं एक बात, शिक्षा मंत्रीजी, जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले चार साल में जो ड्राप आउट की स्थिति पैदा हुई है वह बहुत भयानक है। बीस हजार रुपये खर्च करने के बावजूद राजस्थान में पिछले चार साल में साढ़े पांच लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। अगर आप इसको दिन की संज्ञा से गिनें तो करीब-करीब 375-376 छात्र-छात्राएं रोज स्कूल छोड़ देती हैं इतना पैसा खर्च करने के बावजूद। उसका मेन कारण मैं यह मानकर चलता हूं कि वहां पर प्रोपर टीचर्स नहीं हैं, वहां पर व्यवस्था नहीं है, इसलिये, शिक्षा मंत्रीजी, इस ओर ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

बहुत मिड-डे मील की चर्चा हुई। मैं मिड-डे मील में इतना ही कहना

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

चाहता हूं कि मिड-डे मील में जो पैसा, जो गेहूँ सामग्री दी जाती है उसका एक्चुअल उपयोग किया जाए। ड्राप आउट बच्चों के नाम पर जो धांधली या जो घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मिड-डे मील के मामले में अभी बहुत से साथी कह रहे थे कि टीचर्स के ऊपर बहुत काम है। चाहे जनगणना का काम हो, चाहे वोटर लिस्ट का काम हो, चाहे और काम हों, सब टीचर्स को दिये जाते हैं। मिड डे मील का काम भी उनको ही दे रखा है। इस भ्रांति को थोड़ा दूर किया जाना चाहिए। उनसे कम से कम यह खाना पकाने का काम ना लिया जाए। मिड-डे मील के सामान का भंडारण ठीक हो, किचन में प्रोपर व्यवस्था हो। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में राजस्थान में मिड-डे मील में बहुत शिकायतें आयी हैं और बहुत बच्चों को गड़बड़ खाना खाने को मिला।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अब मैं आपके ध्यान में कुछ फीगर्स देना चाहता हूं। 1.7.2007 को जो टीचर्स के पद खाली थे, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य के 603 पद खाली थे, प्रधानाध्यापक के 1194 पद खाली थे, जब आप साढ़े तीन हजार स्कूल और खोल देंगे तो उसके बाद क्या हालत होगी, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। (व्यवधान) आप विराज जाएं। आपके समझ की बात नहीं है। आप काहे को बोलते हैं बीच में?

सभापति महोदय, व्याख्याताओं के 4760 पद खाली थे, माध्यमिक स्कूलों में विषय विशेष के अध्यापकों के 6585 रिक्त पद थे और माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 9 तक विषय विशेष को पढ़ाने वालों में 2233 पद कम थे। ये पद तो तब कम थे जब इनकी भर्ती की नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर छात्रों की कैसे पढ़ाई होगी। छात्र और छात्राएं स्कूलों में क्लासेज में बैठे रहते हैं, वहां पर पढ़ाने वाले कोई नहीं हैं और सब आकर वापस चले जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है।

सभापति महोदय, जो मंत्री इस तरीके से बात कर रहे हैं, जरा इनको रोकें तो सही।

श्री सभापति: मैंने माननीय सदस्यों को कल भी आग्रह किया था कि अगर आप बातचीत करते हैं तो हां लॉबी बनी हुई है, ना लॉबी बनी हुई है और

(श्री सभापति)

कैंटीन बनी हुई है। आसन तक आवाज नहीं आनी चाहिए। बाद में नाम से पुकारूंगा मैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बोलने नहीं देते हो ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, पिछले दिनों की आपने घटनाएं सुनी होंगी- बच्चों को पीटने से लेकर और अध्यापकों के पढ़ाने के टाइम पर शराब पीकर आने की घटनाएं हमने भी सुनी हैं और आपने भी सुनी होंगी। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे कि कम से कम ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो। पिछले दिनों किताबों की स्याही का घोटाला भी सामने आया था। मैं समझता हूं कि अब इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर जब पंचायत हैडक्वार्टर पर केन्द्रीय सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा आया, आपने स्कूल खोल दिये। पिछले साल आपने घोषणा की इसी पवित्र सदन में 1500 स्कूलों को खोलने की, एक स्कूल खोला नहीं। राजस्थान के अंदर एक करोड़ 32 लाख की जनसंख्या शहरों में और जिला हैडक्वार्टर्स पर है, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पंचायत हैडक्वार्टर्स पर तो आप स्कूल खोल लें। लेकिन क्या आप अपने मद से इन जिला हैडक्वार्टर्स पर शहरों में कोई स्कूल करेंगे? मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी जब अपना जवाब देंगे तो इस ओर निश्चित रूप से कोई न कोई घोषणा करके जिला हैडक्वार्टर्स और शहरों में भी स्कूलों को क्रमोन्नत करेंगे। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा महत्ता देना चाहते हैं, न कि आप शहरों में स्कूलों को क्रमोन्नत करने का इरादा रखते हैं।

सभापति महोदय, डीपीईपी द्वारा स्कूलों में आपका कामकाज कुछ-कुछ जगह तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं उसके लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें मूत्रालय, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, आप मेरी बात की ताईद करेंगे कि जब तक पढ़ने के लिए प्रापर वातावरण नहीं हो, प्रापर बैठने की व्यवस्था नहीं हो, प्रापर टीचर्स नहीं हो, प्रापर ब्लैक बोर्ड नहीं हो, तब तक शिक्षा पूरी नहीं की जा सकती है। आज प्राइमरी स्कूलों की तो बात छोड़ दें, हाई स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूलों के बच्चों के लिए भी बैठने के लिए फर्नीचर

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

नहीं है, दरी-पट्टियां नहीं है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देकर इस तरह की पालिसी बनाएंगे जिससे छात्र-छात्राओं को जमीन पर नहीं बैठना पड़े। आठवीं से लेकर बारहवीं तक के छात्र-छात्राएं जमीन पर तो बैठें और परीक्षा के टाइम पर आप उनको फर्नीचर पर बैठाकर परीक्षा लें तो मैं समझता हूं कि उनको जो आदत बन जाती है वह नहीं बन पाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस ओर शिक्षा मंत्रीजी छात्र-छात्राओं के लिए जरूर सुविधा प्रदान करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में कनक्लूड करूंगा। आपके हुक्म की पूरी तामील करूंगा। संस्कृत स्कूलों में भी रिक्त पद पड़े हुए हैं। दो दर्जन से अधिक विद्यालयों के ताले लग चुके हैं। सैकड़ों विद्यालय अगले साल तक बंद होने की स्थिति में हैं कोई उनमें पढ़ाने वाला नहीं है। बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। मैं समझता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, कि आप संस्कृत शिक्षा की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देंगे।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): वे कौन से स्कूल हैं जो बंद हो गये हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब आप विराज जाएं, मंत्रीजी, आप आसन की भी अवहेलना करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, आप जैसे समझदार मंत्री होकर आसन की अवहेलना क्यों करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आसन की क्या यह तो मुख्य मंत्रीजी की अवहेलना कर देते हैं।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): स्कूलों के ताले खुल जाएंगे, आप नाम बता दें। नाम बता दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब आप विराज जाएं। संस्कृत शिक्षा से जुड़े सवाल मैं कुछ कहना चाहता हूं। 15 जिले ऐसे हैं जिनमें शास्त्री स्तर का एक भी राजकीय कॉलेज नहीं है और न ही महिलाओं के लिए कोई शास्त्री कॉलेज आपने कायम किया है। आनुपातिक शत-प्रतिशत विद्यालय हर वर्ष संस्कृत शिक्षा में खोलने की नीति को ताक पर रख दिया गया है। 2007-08 में संस्कृत शिक्षा के हिस्से में 200 के लगभग जिन स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाना था, उसकी सूची जारी नहीं की है और अब साल समाप्त हो गया है। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस ओर विशेष ध्यान देंगे। राज्य में

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

एक भी महिला शास्त्री कॉलेज नहीं है। मैं घनश्यामजी तिवाड़ी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के 32 जिलों में वेद विद्यालय खोले हैं, लेकिन आज तक राजस्थान में चारों वेदों को एक साथ पढ़ाने के लिए एक भी वेद विद्यालय नहीं है, मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान देंगे। अंत में सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अमरारामजी धोद। आठ से दस मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति और मांग संख्या 47- पर्यटन पर विचार चल रहा है, मैं भी अपने आप को इसमें सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत बड़ी आवश्यकता है और सरकार की हर व्यक्ति को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले दस-बारह सालों से लगातार शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण और व्यावसायीकरण किया जा रहा है उससे सरकार अपने दायित्व से हाथ खींचती जा रही है। अब तो कुछ ही दिनों में हम विश्वविद्यालय निजी लेकर आ रहे हैं और जो हालत हमारे शिक्षा के महाविद्यालयों की हुई है मैं समझता हूं कि वही विश्वविद्यालयों की होने वाली है।

जहां तक हम बड़ी-बड़ी वाहवाही ले रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षा में हमने यह कर दिया, उन्होंने यह कर दिया और राजस्थान को शिक्षित करने में ...(व्यवधान) वह करने के लिए तो सरकार है। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में हमारी साक्षरता, जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है हमारी सरकार का अगर नम्बर देखेंगे तो 29वें नम्बर पर हैं, नीचे से 7वें नम्बर पर हैं। हम राजस्थान की जनता को शिक्षित करने में कहां तक सफल हुए हैं, यह हमारे विभाग का प्रतिवेदन दिखाता है कि हम देश में 29वें नम्बर पर हैं। खैर, उससे ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपका कौनसा नम्बर है?

श्री अमराराम (धोद): हमारी तो बात छोड़ो, हमारा तो एक नम्बर है केरल में।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, बंगाल की बात कह रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): बंगाल भी चौथे-पांचवें नम्बर पर है लेकिन आप नहीं आ सकते।

सही कह रही थीं अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य कि जहां शिक्षित हो जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का एण्ट्रेंस बंद हो जाता है। बंगाल में बंद है, केरल में बंद है क्योंकि शिक्षित हो गये तो यह फिड़काबाजी चलेगी नहीं। इसलिए निश्चित रूप से जरूरत है शिक्षा को सार्वजनिक करने की।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केरल के कारण आज सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और लोक सभा अध्यक्ष दु:खी हो रहे हैं, वह केरल के कारण हो रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): वह आपके कारण हो रहे हैं। लोक सभा में हो रहे हैं और राजस्थान विधान सभा में आपके कारण हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम तो निपटाएंगे फिर केरल के लिए।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा के निजीकरण के लिए सरकार के द्वारा बाध्य किया जा रहा है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां आज सिर्फ गांव के गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, थोड़ा-सा भी खाता-पीता है, उसके कोई बच्चा है वह सरकारी विद्यालय में नहीं जाता, वह गरीब का बच्चा जाता है और वहां शिक्षा की हालत यह है कि सीनियर स्कूल है वहां एक टीचर होगा, वही थर्ड ग्रेड टीचर होगा, वही सैकण्ड ग्रेड टीचर होगा, वही शारीरिक शिक्षक होगा, वही चपरासी होगा। इसका नतीजा यह है कि पूरे साल में औसतन 30 से 40 विद्यालयों में रोज जुलाई से लेकर अगस्त और सितम्बर तक ताले लगाते हैं। अभिभावकों को मजबूर किया जाता है शिक्षक नहीं लगाकर। आपने प्राइमरी में शिक्षक लगाए हैं, मिडिल में लगाए हैं लेकिन 4 साल में ही नहीं पिछले 10-12 साल में स्कूल शिक्षा के लिए जो सब्जैक्ट टीचर हैं- चाहे वह इंग्लिश है, चाहे वह संस्कृत है, एक, नाममात्र का। पूरा का पूरा सत्र बीत जाता है, आप छात्र-शिक्षक मित्र योजना में लेकर आते हैं दिसम्बर और नवम्बर में जाकर लगाते हैं, फरवरी में इनको हटा देते हैं और उनमें एक टीचर नहीं मिलता है।

(श्री अमराराम)

आज शिक्षा में अभिभावकों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वह निजी शिक्षण संस्थानों में जाएं। आज अभी कह रहे थे ट्रेण्ड, मैं समझता हूं कि अनट्रेण्ड भी आपने लगाये। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जहां ट्रेण्ड नहीं मिलता है अनट्रेण्ड लगाएं, कम से कम वहां कोई शिक्षक तो होगा। आज कोई भी निजी शिक्षण संस्था चलाता है, अगर वहां 8 क्लास है तो वहां 8 टीचर, 9 टीचर मिलेंगे। लेकिन आपके 12 क्लास हैं वहां एक टीचर मिलेगा। तो कोई अभिभावक चाहे वह सौ रुपए मजदूरी रोज करता है, वह भी अपने बच्चे या बच्ची को उस स्कूल में नहीं भेजना चाहता जहां 12 क्लास हैं और एक टीचर है इसलिए इस बात के लिए तो उसे बाध्य किया जा रहा है और फिर बड़ी-बड़ी बात की जा रही हैं। आर पी एस सी से जो सलेक्शन किए हैं 2006 में 31433 अध्यापक प्राइमरी और उच्च प्राथमिक के लिए भर्ती करने थे, आपने मात्र 21504 किये। 10 हजार के करीब पद रिक्त रहे हैं। हो सकता है कि विधवा और परित्यक्ताओं में एलिजिबल लोग नहीं मिले हों, लेकिन आर पी एस सी में तो एलिजिबल थे, अगर आप भरने की इच्छा शक्ति रखते। अभी भी जो भर्तियां चल रही हैं, मैं नहीं समझता कि आर पी एस सी से रिजल्ट आने के बाद में चयनित शिक्षकों को विद्यालय देने में आठ महीने लग जाएं। आज जहां इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी इतनी व्यापक है, रिजल्ट आने के बाद उनको विद्यालय देने में छह-छह महीने लग जाएं तो कि वह किस बात का द्योतक है? शिक्षक जब तक भर्ती नहीं करेंगे तब तक तय रूप से वह क्षेत्र जो शिक्षा में राजस्थान में पिछड़ा हुआ है, वह क्षेत्र हमेशा खाली रहता है और तय रूप से उनको उतना ही नुकसान होगा। यह पूरे राजस्थान में होने जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ये जो छात्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं एस सी एस टी और ओ बी सी की, मैं समझता हूं कि लाखों कर्मचारियों को महीने की महीने तनख्वाह हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें इस वाहवाही की बात कर रहे हैं। एक सवाल पूछा और जिसमें छह जिलों में मैं समझता हूं क्या अन्याय किया है- जयपुर, अलवर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर और बूंदी, जहां अभी 2008-09 का बजट हम पास करने जा रहे हैं और 2005-06 की स्कॉलरशिप उनको नहीं मिली? (व्यवधान) मैट्रिक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दिल्ली वालों ने नहीं भेजी।

श्री अमराराम (धोद): यह कह दो, नहीं किया। आप बताइए, माननीय सभापति महोदय, उस स्कॉलरशिप का मतलब क्या रह गया?

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी 47 करोड़ रुपए आने बाकी हैं केन्द्र सरकार से।

श्री अमराराम (धोद): आपका तो खजाना भरा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 47 करोड़ रुपए गरीब छात्रों का पैसा, एस सी और एस टी के बच्चों का पैसा केन्द्र सरकार नहीं भेज रही है।

श्री अमराराम (धोद): आपका तो खजाना भरा हुआ है, आप दे देते यहां से। वह तो एस सी और एस टी के विरोधी हैं लेकिन आप तो उनके हिमायती हैं, पक्षधर हैं, उनके वर्ग के मंत्रीजी बैठे हैं, आपका खजाना भरा हुआ है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक महीने के महीने 2005-06 की प्रत्येक छात्र को दे देंगे, कोई बचेगी नहीं।

श्री अमराराम (धोद): 2005-06 की दे देंगे, माननीय सभापति महोदय, आप बजट पास कर रहे हैं 2008-09 का और तीन साल पहले जो बच्चा पढ़ा उसको अब छात्रवृत्ति दे देंगे।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2006-07 की भी 80 प्रतिशत दे देंगे और वे 47 करोड़ रुपए तुरन्त आ जाएंगे तो आज तक की छात्रवृत्ति सारी, पूरी दे देंगे।

श्री अमराराम (धोद): आप वोट लेकर यही कहकर आए थे कि जब केन्द्र देगा तब हम छात्रवृत्ति दे देंगे, वर्ना तीन साल तक एस सी और एस टी को छात्रवृत्ति नहीं देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि वे छात्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं जिनको छात्रवृत्ति देने के लिए इस सदन में एक बजट पास किया जाता है, तीन साल पहले तक की अगर वह नहीं दें तो मैं समझता हूं कि उस छात्रवृत्ति का कोई सदुपयोग नहीं होता। यह सब चीटिंग उनके साथ है जिनको छात्रवृत्ति के नाम से केन्द्र

(श्री अमराराम)

नहीं देता तो यहां से दे दें। मैं समझता हूं कि कम से कम समानता का व्यवहार तो आप करते, जिस राजधानी में हम बैठे हैं उस राजधानी में 2005-06 का है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है...।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपको पता नहीं है, छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक होती है और चूंकि लेट एडमिशन होता है कॉलेजेज में, उनकी अटैण्डेंस भी देखते हैं। तो आपको जानकारी नहीं है अभी, इसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति तुरन्त कैसे दी जा सकती है? चालू शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्तियां देते हैं।

श्री अमराराम (धोद): किस सत्र की? अब 2007-08 चल रहा है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2006-07 हण्डरेड प्रतिशत हमने कहा कि एक महीने के अंदर दे देंगे।

श्री अमराराम (धोद): पिछले साल की?

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पिछले साल का, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इसको, इस साल की तो दी ही नहीं जा सकती है, इस साल की तो अब चालू की है हमने।

श्री अमराराम (धोद): इस साल की क्यों नहीं? जुलाई में सत्र 2007-08 का चालू होता है, एडमिशन हो जाते हैं उस महीने के बाद..

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कई ऐसे कॉलेजेज बाकी रहते हैं जो देर से अपने आवेदन पत्र भेजते हैं, सूचना भेजते हैं। पिछली छात्रवृत्ति दे दी उसकी यू सी टाइम पर नहीं भेजते हैं, यह भी एक कारण होता है।

(: 18.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद): कौन नहीं भेजता है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कॉलेज।

श्री अमराराम (धोद): कॉलेज आपके अण्डर में है, सरकार के अण्डर में है। यह बहाना करके मैं समझता हूं उनके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। स्कोलरशिप नहीं जाती है। जब उसी महाविद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर या व्याख्याता को तनख्वाह महीने की महीने दे सकते हैं तो छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जा सकती? आप साल भर की इकट्ठा करके देते हैं। पैटर्न यह बना रखा है 6

(श्री अमराराम)

महीने, दो साल बाद में 2005-06 की, अगली साल की देंगे, मैं समझता हूं उसका कोई उपयोग नहीं है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं, राजस्थान में शेखावाटी शिक्षा में सबसे अग्रणी है, लेकिन वहां विश्वविद्यालय नहीं होगा, डिवीजनल हैडक्वार्टर पर होगा। वह डिवीजनल हैडक्वार्टर में जयपुर में आता है इसलिए विश्वविद्यालय नहीं होगा। अब निजी विश्वविद्यालय होगा। कि जहां शिक्षित हो, शिक्षा के लिए आतुर हैं वहां महाविद्यालय है। राजस्थान विश्वविद्यालय में, सभापति महोदय, आप खुद वहां हैं, आज जिस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, 10-10, 15-15 साल से जो शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं उनमें आधों को आप रैगुलराइज करने की बात कर रहे हैं बाकी आधों को छोड़ रहे हैं। वही कोर्ट, वही विज्ञापन, उसी तरह से आये हैं, करने के लिए महाधिवक्ता ने कहा है, तो जितने भी शिक्षक हैं, जो भी नियमानुसार आपने वहां लिये हैं उन सब को आप रैगुलर करेंगे।

शिक्षा में जिस तरह का निजीकरण किया जा रहा है, कुछ लोगों को व्यवसाय के माध्यम से शिक्षा माफिया के रूप में किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रीजी, यहां जो डाइट है, हमें आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है इसमें तीन काम आपने बताये हैं। सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्य, अनुसंधान कार्य, जिले में शैक्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ये तीन काम बताये हैं। आप काम उनसे ले रहे हैं मिडिल स्कूल के बोर्ड का एग्जाम कराने का। आपने तीन को एपीओ भी किया है। या तो राजस्थान विधान सभा के तमाम माननीय सदस्यों को यह जो प्रगति प्रतिवेदन देते हो इसमें काम नहीं है, इसका मतलब आप नियम विरूद्ध काम ले रहे हैं। नियमानुसार या तो इसमें देना चाहिए क्योंकि आठवीं बोर्ड का एग्जाम लेना भी डाइट का काम है। क्योंकि यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उसका पूरा पैसा आता है, इसलिए जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम है, रिसर्च का काम है वह न करके दूसरे काम लिये जा रहे हैं। शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है निश्चित रूप से धनाढ्य लोग हैं वे ही उस शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी समाज का हिस्सा, दो साल पहले यहां शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी आप और हम सब के सामने, कि जो भी विद्यालय खोलेंगे, जो 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, उसके लिए 20 प्रतिशत विद्यालय कृषि विद्यालय खोले जाएंगे। 581 के करीब सीनियर विद्यालय शिक्षा विभाग ने

(श्री अमराराम)

क्रमोन्नत किये हैं, लेकिन शायद एक भी कृषि विद्यालय नहीं खोला गया। जैसे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, कृषि जिनका पारिवारिक व्यवसाय हो और हम केवल वाहवाही लेने के लिए स्कूल खोलते रहें, कृषि विद्यालय नहीं खोलें, आम आदमी को पढ़ाने का ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य रामरतनजी बैरवा।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि कृषि विद्यालय और सीकर का शेखावाटी का विश्वविद्यालय खोलने का काम करें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मांग संख्या 24 और 47 पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। किसी राष्ट्र की उन्नति में मेरे हिसाब से चार बातें महत्वपूर्ण होती हैं- पहला कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार राजनीति, दूसरा राजनीति में धर्म का सवामेश, तीसरा कट्टर राष्ट्रीयता और चौथा बिन्दु है मैन पावर। अगर धर्म को हम राजनीति से अलग कर देंगे तो हमारी राजनीति धर्मविहीन राजनीति, दिशाहीन राजनीति हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इन बातों का आधार क्या है? विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में हुआ था, वहां पर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व हमारे स्वामी विवेकानन्द ने किया था। सम्मेलन के बाद में उन्होंने संबोधित किया था – "My dear sisters and brothers of the United States of America ..." पूरी दुनिया चकित रह गई कि यह साधारण आदमी, इसने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से किस प्रकार वहां वातावरण बनाया, चार दिनों तक वहां की सभा हिली नहीं थी। (व्यवधान) मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं- हर धर्म का, हर साहित्य का चाहे बाइबिल हो, चाहे पवित्र कुरान हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो। पादरीजी स्वामी विवेकानन्द को एक चर्च में ले गये थे, स्वामी विवेकानन्द बड़े खुश हुए, वहां पुस्तकें रख रखी थीं। सबसे ऊपर प्रातः वंदनीय और पूजनीय बाइबिल को रख रखा था और सबसे नीचे ही नीचे भगवत् गीता को रख रखा था। वे दर्शाना क्या चाह रहे थे? स्वामी विवेकानन्द देखकर बड़े प्रसन्न हुए, पादरीजी आपको धन्यवाद। क्या

(श्री रामरतन बैरवा)

स्थान रखा हमारी महाभारत का? वो झल्लाये कि यह क्या है? सब ज्ञान का आधार महाभारत है, हमारी भगवत् गीता है। वे झल्लाये और सब ग्रंथों को फेंका। फेंक दिया झल्लाकर, वे अपने कपड़े फाड़ने लगे। शिक्षा इन चार बातों का आधार होती है, अगर शिक्षा से जिन बिन्दुओं का मैंने उल्लेख किया, बाहर निकाल दें तो क्या गत होती है?

1983-84 में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, कोई बात आयी थी कि हमारा पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें इस राम नाम के पेज को निकाल दो। तो वहीं एक समझदार चरमपंथी थे, भैया आप क्या बात कर रहे हो, अगर राम नाम वाले पेज को निकाल देंगे तो आपकी केवल जिल्द बचेगी क्योंकि हर पेज में राम का नाम है। तो शिक्षा से इन चारों बातों को निकाल दें तो क्या गत होगी, केवल अंधकार बचेगा।

देश आजाद हुआ, उसके बाद में कांग्रेस ने सत्ता सम्भाली तो कांग्रेस की जो नीति थी वह शिक्षा के प्रति दिशाहीन थी। इस दिशाहीन नीति के कारण हम प्राचीन वैभव को भूल गये, हमारे पास क्या ज्ञान था उस ज्ञान को हम भूल गये। केवल वोट बटोरने की जो राजनीति होती है, वोट किस प्रकार प्राप्त किये जाते हैं, वह नीति हमने पाठ्यक्रम में लागू कर दी। जो मातृभूमि के लिए लड़ता है ''जला स्वयं बारी-बारी, छिटकायी जिनने चिंगारी'' ऐसे वीरों को तो हमने बेइमान कहा है और विदेशियों को हमने महान कहा है। तो क्या पढ़ेंगे हमारे बच्चे-बच्ची? क्या सीखेंगे हमारे बच्चे-बच्ची? यह नीति उन्होंने बनायी, इसी नीति का नतीजा है कि आज 20770 वर्ग किलोमीटर का जो इजराइल देश है, जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है और 130 लाख लोग हैं, आज सिंचाई की प्रणाली हम वहां से ले रहे हैं, अवाक्स वहां से ले रहे हैं, फाल्कन वहां से ले रहे हैं, यह बड़े खेद की बात है। हमारी दिशाहीन राजनीति, दिशाहीन शिक्षा के प्रति कांग्रेस की नीति रही है उसका यह नतीजा था।

आज हम देखते हैं डिफेंस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, उसके लिए हम सोवियत रूस की तरफ झांकते हैं। आज किन-किन के लिए हम विदेशों में झांकते हैं, इस बात का नतीजा है। आज वैज्ञानिक बाहर जाते हैं और अमरीका में लज्जित होकर आते हैं। कम्प्यूटर की मांग करते हैं तो उनको

(श्री रामरतन बैरवा)

ऐसा कह दिया जाता है, जाओ, आप कम्प्यूटर का क्या करोगे, कम्प्यूटर चलाने लायक आप हो ही नहीं। जाओ, होटलों में जाओ, समोसा, कचोरी खाओ, मूंगफली, चने खाओ। इस देश का विजय पांडुभाटकर के निर्देशन में दल गया था, उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया और यहां आने के बाद कैसा कम्प्यूटर बनाया था उससे पूरी दुनिया चकित रह गई थी। इस प्रकार की नीति रही है हमारे देश में तो क्या हेल्प किया इन कांग्रेस वालों ने, इस प्रकार की नीति रखी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं माफी चाहता हूं। यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। आज अमेरिका का राष्ट्रपति बुश यही कह रहा है कि अमेरिकियों सावधान रहो, भारत आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका पर कब्जा कर लेगा। यह कांग्रेस ने किया। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): यह एन.डी.ए. की सरकार ने किया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बुश चिंतित है, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहां पर।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ये सब नीतियां हमने बनाई हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बीच में अटलजी का राज आने से कहने लगे, आपके राज में तो नहीं कहा न? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हकीकत सामने आने दो, हकीकत। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): बी डी कल्लाजी को कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी अशोकजी गहलोत की, गांव-गांव में राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं, क्या जरूरत थी उनकी? आपके आका अशोकजी गहलोत ने राजीव गांधी को खुश करने के लिए कि मेरी कुर्सी न चली जावे, ऐसी पाठशालाएं खोलीं। मैं पूछना चाहता हूं बी डी कल्लाजी को ... (व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हकीकत यह है, हकीकत ... (व्यवधान) हकीकत सुन लो, हकीकत।

(समय : 18.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आपके पोते-पोती, आपके नाती उस राजीव गांधी पाठशाला में पढ़े हैं क्या? (व्यवधान) आपसे मेरा प्रश्न है कि आपके पोते-पोती, नाते-नाती उस पाठशाला में पढ़े हैं क्या? (व्यवधान) क्या उस गांव की जनता को मूर्ख बनाया? क्या गांव के किसान मूर्ख थे, क्या आप जैसे मूर्ख थे। वैसी पाठशालाएं स्थापित कर दीं और 400 रुपये जिसको वेतन दिया था उसको लगा दिया। एक बालक पढ़ा रहा था 400 रुपये में, हां, भाई बालकों, यह गंगा नदी अरब सागर में गिरती है, अधिकारी पीछे थे इंस्पेक्शन में, मास्टरजी, क्या पढ़ा रहे हो, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, कि इंस्पेक्टर साहब, 400 रुपये में तो मैं गंगा नदी को अरब सागर में ही पटकूंगा। तो ऐसी नीति आपने जारी की। इस प्रकार हमारे देश और राजस्थान की शिक्षा नीति से देश को बरबाद आपने किया है। हमारी एन.डी.ए. की सरकार आई तब जाकर यह नीति लागू की अटलजी ने, वर्ना हम और पिछड़ जाते। जो 21 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं आपने खोलीं राजीव गांधी का नाम करने के लिए और शासन से चिपके रहने के लिए, उनमें अशिक्षित अध्यापक लगाकर आप समझो, हमारा देश कहां जाएगा। अब आप अनपढ़ आदमी को कह दो कुछ कि यह काम करो तो उस काम की क्या गत होगी, आप जानते हो। कल्ला साहब, मैं तो बहुत जूनियर आदमी हूं, मैं पूरा नहीं समझता हूं, पहली बार आया हूं मैं तो। इस प्रकार की नीति जारी की।

आपने सबसे ज्यादा खेलों की दुर्गति की है। माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी साक्षात् लक्ष्मी हैं, साक्षात् सरस्वती हैं, महिषासुर मर्दिनी हैं, रणचंडी दुर्गा हैं साक्षात्, उन्होंने राजस्थान का भला किया है। उन्होंने घोषणा की कि 338 जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, हर गांव है, वहां खेल मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने समझी है भावना, क्योंकि प्रतिभा शहरों में छिपी नहीं रहती है, प्रतिभा गांवों में रहती है। आप रामस्वरूप झांझड़िया को देखो, अच्छे-अच्छे ओलम्पिक में जिन्होंने भाग लिया है। हमारे लिंबारामजी को देखो, वह गांव के हैं, उन्होंने कितनी बार हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनको बेचारे को आज तक आवास की व्यवस्था नहीं मिली है। ये कांग्रेस की नीति थी इस

(श्री रामरतन बैरवा)

प्रकार तो वसुंधराजी ने देखा, गांवों में खेलों का विकास करने के लिए हम यहां से प्लेयर तैयार करेंगे तब जाकर वे प्लेयर आगे बढ़ेंगे। कहीं एफ्रो-एशियन खेल, कहीं एशियाड, कहीं ओलम्पिक में भाग लेंगे। सबसे ज्यादा दुर्गति आपने की है भाई-भतीजावाद अपना कर के पहले तो हाकी की दशा ऐसी हीन की है, पूरी दुनिया में हमारा सिर ऊंचा नहीं रख सकते हैं। 8 बार हाकी का विजेता, आज यह दशा हुई कि वह ओलम्पिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया। हमने ओलम्पिक लास्ट बार 1980 में जीता था, वही क्यों जीता था? अब आप हकीकत नहीं सुनना चाहोगे, वह 1980 में स्वर्ण पदक विजेता क्यों जीता था ?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सुनो, साहब, सुनो।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): क्योंकि अफगानिस्तान में संघर्ष हो रहा था, अमेरिका के समर्थक देश नहीं आये मास्को में और भारत वहां ब-मुश्किल 3 के मुकाबले 4 गोल से जीता स्पेन से। वह मुकाबला हमारा अंतिम ही रहेगा। इस प्रकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड करें।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): इस प्रकार नीति थी। आपकी नीति क्या थी, एक उदाहरण और दूंगा सियोल एशियाड का, हमारे मेजर करतार सिंह ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, जा कहां रहे हो, सुनो पहले, कितने स्टेडियम खोले हैं ?

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): खुलेंगे। श्रवण कुमारजी बैठो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कितने स्टेडियम खोले, बताओ तो सही? (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि बीच-बीच में टोटा टोकी न करें। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आप टोका टोकी क्यों करते हो ? ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): हकीकत नहीं सुनोगे? सियोल में क्या किया हमारी तत्कालीन खेल मंत्रीजी ने?

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देख कर अपना वक्तव्य दें।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की तत्कालीन खेल मंत्री माग्रेट अल्वा थीं, हमारा दल गया था सियोल एशियाड में मेजर करतारसिंह ने 53 किलो वेट का गोल्ड मैडल जीता था लेकिन गोल्ड मैडल को पहनाने वाला हमारे भारत का कोई प्रमुख नहीं था। वहां नेपाल की राष्ट्रीय धुन बजी और नेपाल का जो कोच था उन्होंने हमारा तमगा पहनाया, +++ वहां गलियों में शॉपिंग कर रही थीं, न जाने क्या कर रही थीं? (व्यवधान) ऐसी नीतियां कांग्रेस की तब देश क्या उन्नति करेगा? अटलजी का तो सपना बहुत बड़ा था। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो व्यक्ति यहां सदन में मौजूद नहीं है, उसका नाम लेकर आप लोग अंकित नहीं कराएंगे। अगर ऐसा कोई नाम लिया गया है तो आप उसको हटा दें।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, हमारा इतना, 33 लाख वर्ग किलोमीटर वाला देश आज स्वर्ण पद की तालिका में कहीं नहीं लगता है। सूरीनाम देखो, छोटे-छोटे देश देखो, घाना देखो, जमेका, इधर कोरिया देखो, छोटे मोटे देश जो पैसिफिक ओसियन में स्थित हैं, वे छोटे-छोटे देश लैंस की सहायता से हमको मानचित्र में, एटलस में देखने पड़ते हैं, ऐसे देश ओलम्पिक की जो तालिका होती है, ऊपर रहते हैं। और इतना विशाल दुनिया का सातवां बड़ा देश आज कहीं ठहरता है ? कोई ब्रांज मैडल ले आये, लिएंडर पेस कहीं क्या ले आये, इतने से में ही हम समझ लेते हैं। इसके जिम्मेदार सब कांग्रेस वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया? घूघरी खिलाई। माननीय सभापति महोदय, मैं भी 20 वर्ष तक अध्यापक रहा हूं, अध्यापकों की सबसे ज्यादा दुर्दशा की है तो बी डी कल्लाजी ने की है। हमारे शिक्षकों का अपमान किया है, शिक्षकों के आत्म सम्मान को चोट की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आप लोगों से बार-बार निवेदन कर रहा हूं, किसी को भी व्यक्तिश: नाम लेकर न कहें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट सुनें, सभापति महोदय, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो राजस्थान में 672 हायर सैकण्डरी स्कूल एक साथ खोली हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, यह 20 साल तक अध्यापक रहे हैं तो इनके दिल की जो पीड़ा है, वह माननी पड़ेगी। (व्यवधान) 20 साल तक शिक्षक रह कर इनकी पीड़ा सुनिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सब से निवेदन है कि अंक गणित अपने-अपने वक्तव्य में जब आपका समय आए तो आप कह देना।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): हमारे एक मित्र समय दे रहे हैं मेरे को, इधर से, कोई मेरे को समय नहीं दे रहा है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय, एक अध्यापक की पीड़ित आत्मा बोल रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य: यह 20 साल तक पीड़ित रहे हैं, वह बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में समाप्त करूंगा मैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सबसे ज्यादा विद्यालय खुलवाये, आप क्या बात करते हो? (व्यवधान) मैं सत्य बोलता हूं, आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) आपको कुछ मालूम ही नहीं है।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मेरे को सब मालूम है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अपने शिक्षा मंत्रियों से पूछो कि हमने राजस्थान में शिक्षा का विकास किया है या नहीं किया है।

श्री सभापति: कृपा करके विराजें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वह खुद ही बोल रहे हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड करें। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): इन्होंने हमारा समर्पित अवकाश के बदले नकद भुगतान बंद कर दिया। (व्यवधान) बोनस बंद कर दिया, हर जगह हमको प्रताड़ित किया। और ऐसे वातावरण में आप पढ़ाओ। (व्यवधान) इस प्रकार का वातावरण, प्रदूषित वातावरण कर दिया। (व्यवधान) हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री आई और आज देखो, प्रत्येक कर्मचारी, किसान, व्यापारी, हर आदमी खुश है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह गलत कह रहे हैं, आज भी कर्मचारियों को साढ़े 4 सौ करोड़ रुपये महंगाई भत्ता केन्द्र की सरकार ने जिस तारीख से दिया है, आपकी सरकार ने नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारी सरकार तो दे रही है।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): केन्द्र की सरकार कोई इटली की बेटी नहीं है, इटली की सरकार नहीं है, यह दिल्ली की सरकार हमारी अन्तरआत्मा है, हमारे वक्ष स्थल की सरकार है, हमारे देश भारत माता की सरकार दिल्ली है वह।

श्री सभापति: चलिए, थैंक यू, वैरी मच। ज्ञानचंदजी पारख।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट और ...(व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मेरा आपसे निवेदन है करबद्ध, दो मिनट मेरे को, मेरी दो-चार मांग हैं, उसके ऊपर आप और देंगे, क्योंकि... (व्यवधान) जो मैंने लगाये हमारा प्रसिद्ध शक्ति पीठ है, खारी और मानसी नदियों के बीच में धनेव माताजी का शक्ति पीठ है और उसी मानसी और खारी नदी के त्रिवेणी संगम पर धनेव महादेव है, हमारा चिलाणा भैरूंनाथ जी का प्रसिद्ध शक्ति पीठ है, इनको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय संसदीय सचिव महोदय, विराज जाएं आप।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): धनोव गांव है उसमें माध्यमिक विद्यालय बायज और माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स है, एक वहां पर सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की कृपा की जाए। आमली आखला तनेसन कलां, तनेसन कलां का उदाहरण दूं मैं, तीन बार हमारे पड़ोसी विधायक रहे हैं कांग्रेस के, दो बार मेरे अंकल रहे हैं और एक ही मोहल्ले से लगातार 30 साल तक वहां के विधायक हैं, वहां क्या दुर्दशा हुई? गर्ल्स माध्यमिक विद्यालय अशोकजी गहलोत के टाइम में हुआ, 10 दिन रहा, लड़कियों ने प्रवेश लिया और वह शाहपुरा शिफ्ट हो गया। 15 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे, हमारा चौथा आगे मकान उन कांग्रेसी विधायक का है, तो वह गर्ल्स माध्यमिक बना और 10-15 दिन में शाहपुरा में शिफ्ट हो गया। एक राज्यास का उच्च माध्यमिक

(श्री रामरतन बैरवा)

यूपीएस है और तनेसर का गर्ल्स यूपीएस है, इन्हें माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आपने मुझे पांच मिनट का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आज तक सदन का यही मालूम था कि यहां विद्वान केवल नाथूसिंहजी ही हैं, अब आज मालूम पड़ गया कि रामरतनजी बैरवा भी विद्वान हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपका नाम भी तो है विद्वानों में। है आपका नाम। माननीय सभापतिजी, आज सदन में शिक्षा पर चर्चा हो रही है। आजाद भारत के हर बालक का अधिकार है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। चाहे शहर में रहने वाला बालक है, चाहे दूर-दराज गांव-ढाणी का रहने वाला बालक है, चाहे अमीर का बालक है, चाहे गरीब का बालक है, उसको शिक्षा मिल जाए, यह हर सरकार का दायित्व है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, इन चार सालों में हर विभाग में कीर्तिमान स्थापित किया है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो कीर्तिमान स्थापित किया है...

श्री सभापति: आप कृपा करके आपस में बात न करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जो शिक्षा जगत में कीर्तिमान स्थापित किया है उससे पूरे विश्व में सम्मान भी इस प्रदेश को मिला है। कितने कीर्तिमान हमारे हैं? अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य अपने कार्यकाल की बात कर रहे थे, जब आप शिक्षा मंत्री थे, मेरे विधान सभा का एक दूधिया गांव, जो ब्राह्मण बहुल गांव है, वहां पर आप पधारे थे और आपसे मात्र एक प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल करने के लिए उन्होंने निवेदन किया था। आपके स्वागत में उन्होंने पलक-पावड़े बिछाये थे, हजारों-लाखों रुपये खर्च किये थे कि हमारे यहां मंत्री आये हैं, खुश होकर एक प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी कर देंगे। आप वहां वादा करके भी आ गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको मालूम नहीं है, आप बिलकुल गलत बात कह रहे हो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप वहां पधारे थे और आप वहां वादा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करके भी आ गये थे। आज आप किस मुंह से सदन में कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ कमियां रख दीं? हमारी सरकार ने क्या कीर्तिमान किया? आज कोई प्राइमरी स्कूल है जिसकी डिमांड है कि इसको अपर प्राइमरी किया जाए? जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं और जितनी विधायकों ने अनुशंसा की है, लगभग-लगभग सारी प्राइमरी स्कूलें अपर प्राइमरी स्कूलों में क्रमोन्नत हो चुकी हैं। मैं लगभग कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमने या हमारी सरकार ने सारे काम कर दिये, पर मैं इस बात को जरूर कह सकता हूं कि जितने हमने किये उसकी तुलना में आपकी सरकार कहीं भी नहीं ठहरती है।

शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश ने विश्व में पहचान बनायी है वह हमारी सरकार का, हमारी मुख्य मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्रीजी का प्रयास है। इतना ही नहीं, हमारे कामों को लेकर अन्तरराष्ट्रीय यूनेस्को अवार्ड भी इस प्रदेश को मिला है जो हमारे सब के लिए गौरव की बात है। महिला शिक्षा में कितनी वृद्धि हुई है, आंकड़े आप देखेंगे तो आप खुद महसूस कर लेंगे कि आपकी तुलना में हमने बहुत कुछ किया। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई भी सरकार आती है तो काम करती है, पर काम की नीयत में यदि सही दिशा नहीं है, नीति और नीयत ठीक नहीं है तो काम का लाभ जनता को मिलता नहीं है। यदि आपने काम कर दिये होते उस काल में तो शायद राजस्थान की शिक्षा का जो परिदृश्य है वह और भी अच्छा या और भी उजला होता। सन् 2000-01 में मात्र 33 लाख 55 हजार बालिकाएं सरकारी स्कूलों में नामांकित थीं और आज के आंकड़े आप देखें तो 33 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई हैं। जो ड्राप आउट रेट थी कि बालिका ने एडमिशन लिया और कुछ समय बाद छोड़ दिया, वह आपके कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की ड्राप आउट रेट 70.52 प्रतिशत थी, हम उसमें बहुत कमी लाये, क्योंकि हमने जितने साधन चाहिए थे, जितनी सुविधाएं चाहिए थीं वे वहां उपलब्ध कराईं और हम उसको मात्र 35 प्रतिशत तक ले आये। उसके बाद में भी उस बालिका को शिक्षा मिल जाए तो हमने कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के माध्यम से भी जो बालिका शिक्षा से वंचित रह गई उसको दुबारा शिक्षा लेने का अवसर दिया ताकि उसको शिक्षा मिल जाए और रहने, खाने-पीने की सारी सुविधा मिल जाए।

जहां तक परीक्षा की बात है, हमने इतनी प्रगति कर ली कि 2005 में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जहां 8 लाख 44 हजार बच्चे 8वीं में थे, वो गत वर्ष बढ़कर 11 लाख 26 हजार हो गये। कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं बढ़ी लेकिन शिक्षा का औसत बहुत ज्यादा बढ़ा है। 10वीं में 2005 में 6 लाख 90 हजार थे वो गत वर्ष 8 लाख 95 हजार हो गये। अगर विद्यालय खोलने का आंकड़ा देखें, रिकार्ड देखें तो शायद सब चौंक जाएं और सब को एहसास भी है क्योंकि उनके क्षेत्र में, हर विधायक के क्षेत्र में विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। गत सरकार के 5 साल के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालय खुले मात्र 550 और हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 4162 खुले।

श्री टीकम चन्द कान्ता (सिवाना): एक साल में 110 प्राइमरी हुए न?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 110 हुए। हमारे 4162 हुए। प्राथमिक विद्यालय इनके 5 साल में क्रमोन्नत हुए 3089 और उसमें भी जो भेदभाव किया, सारा सदन जानता है कि सारा बंदरबांट हुआ। राजनीतिक लाभ के लिए स्कूलें दी गईं। कोई बालक को शिक्षा मिले, यह दिमाग में नहीं था। बल्कि यह था कि हमको वोट कहां से मिल सकते हैं, हमको कहां से लाभ मिल सकता है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप अपनी सरकार को यह समझाना कि आप बंदरबांट मत करना, नहीं तो हमारे वाली दशा आपकी भी होगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमने तो सब के कर दिये। इन्होंने प्राइमरी से अपर प्राइमरी 3089 क्रमोन्नत किये थे पांच साल में और हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 15829 हुए हैं, लगभग पांच गुना से भी ज्यादा जब कि एक साल बाकी है। सैकण्डरी विद्यालय इन्होंने 787 किये और हमने 1007 किये और इस एक वर्ष में हम सैकण्डरी विद्यालय का एक नया आयाम, नया रिकार्ड राजस्थान की धरती पर पेश करने वाले हैं। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है कि इस वर्ष 3108 अपर प्राइमरी स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाएगा। पूरे राजस्थान के हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल होगा। यह बहुत बड़ा काम है। इन्होंने खोली थी राजीव गांधी पाठशालाएं। लोगों को कुछ झुनझुना पकड़ा दिया। शिक्षा वहां कैसी? 1200 रुपये में पैरा टीचर। अभी ये कह रहे थे कि गंगा कहां से आती है, ऐसे ही हमारे यहां भी किस्सा हुआ था। अध्यापक को कहा कि गंगा कहां से आती है तो कहा कि जवाई बांध से आती है। कहां

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जवाई बांध और कहां गंगा? डांटा, तो कहता है कि 1200 रुपये में तो गंगा जवाई माध्यम से ही आएगी, पूरा पैसा दोगे तो हिमालय से लाएंगे गंगा को। यह हालत थी इनके टीचर्स की। मतलब जो बच्चा इनकी राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ ले उसको वापस ठीक करने में 2-3 साल और लगाने पड़ते हैं सरकार को, ऐसी शिक्षा वहां पर दी गई थी।

जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, 2002-03 तक पूरे प्रदेश में मात्र 205 कालेज थे और आज 996 कालेज हैं। 55 साल में 205 कालेज और चार साल में बढ़कर 996 कालेज। आज राष्ट्रीय औसत है हायर एजुकेशन का, 75,000 की आबादी पर एक महाविद्यालय। राजस्थान उसमें बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे यहां 57,000 की आबादी पर एक महाविद्यालय है। तकनीकी शिक्षा जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्या किया इन्होंने और हमने क्या किया? हमने इस क्षेत्र में भी पूरा ध्यान दिया और बजट में इतना प्रावधान रखा कि कोई भी बच्चा अगर तकनीकी शिक्षा लेना चाहे तो उसको प्रवेश मिल जाए। तकनीकी शिक्षा संस्थान थे पहले, हमारी सरकार से पहले, पूरे 55 साल में 285 पूरे राजस्थान में और आज है 749 । चार साल में इतनी बढ़ोतरी। 55 साल और चार साल की तुलना करें तो भी हम बहुत आगे हैं। और प्रवेश क्षमता? 26,000 छात्र जहां पढ़ सकते थे या तकनीकी शिक्षा ले सकते थे, हमने प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 82,000 कर दिया ताकि आई.आई.टी. पास बच्चे आसानी से हो सकें। इतना ही नहीं, आई.आई.टी., एम.बी.ए. और फार्मेसी में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से भी आगे है, वह भी सरकार का प्रयास है। आज कम्प्यूटर युग है, यह आज से 10 साल पहले से चालू हो गया था और आपके कार्यकाल में भी कम्प्यूटर शिक्षा शुरू हो गई थी। एक बालक और बालिका से कम्प्यूटर शिक्षा के नाम से 800 रुपये वसूल किये जाते थे और कम्प्यूटर शिक्षा शून्य के बराबर दी जाती थी। यह हालत थी इनके कार्यकाल में, 800 रुपये प्रति साल। और हमारी सरकार के कार्यकाल में बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा बिलकुल फ्री। कोई बालिका कम्प्यूटर शिक्षा लेना चाहती है तो कोई शुल्क नहीं और कोई लड़का लेना चाहे तो मात्र साढ़े 17 रुपये महीने का शुल्क उसमें है। यह हमारी इच्छा शक्ति है कि हमारी सरकार हमारी जनता के प्रति जवाबदेह है और हम चाहते हैं कि वाकई में बालक और बालिका कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण करे क्योंकि आने वाला युग कम्प्यूटर युग है। इतना ही नहीं, हमने...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सदस्य, कम्प्यूटर तो आपने खरीदकर लगा दिये होंगे, पर अध्यापक कितने भर्ती किये कम्प्यूटर के लिए? अपने आप ही पढ़ लेगा क्या बच्चा? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यापकों को ट्रेनिंग दी है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसको ट्रेनिंग दी है? किस जगह पर दी है? आपने ट्रेनिंग दी है जयपुर के अध्यापकों को। (व्यवधान) ये +++ बोल रहे हैं। कोई भी अध्यापक नहीं है।

श्री सभापति: कृपा कर बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें। आठ बजे हम चाहते हैं कि मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यापकों को ट्रेनिंग दी है। आप एक बार हमारे यहां पाली पधारें। आप एक बार आकर अपनी आंखों से देखें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): देख लिया न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और एक बार पाली आना, मैं आपको बता दूंगा कि कम्प्यूटर शिक्षा...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप पाली में रहते हो, हम गांवों में रहते हैं। हम गांव की झोंपड़ियों में रहते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ...सरकारी स्कूलों में कैसी मिलती है, वह दृश्य मैं आपको बता दूंगा। हमारे यहां बालिका स्कूल है, बांगड़ स्कूल है, आप वहां मेरे साथ चलिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण कनक्लूड कर लें। आप आसन की तरफ देखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जहां तक शिक्षकों की बात की, शिक्षकों की भर्ती में भी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। इन चार साल के कार्यकाल में लगभग एक लाख शिक्षकों को हमने विद्यालयों में लगाया है।

श्री सभापति: Will you please conclude now?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमने 3,749 विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को अध्यापक की नौकरियां दी हैं। हमने बहुत बड़ा काम किया है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य एक बात कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत बहुत जर्जर है, शायद चार साल में अपने क्षेत्र में वे गये

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं जब से हमारी सरकार आई है। आज के जैसे सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत देख लो आप। रात-दिन का अंतर हो गया। पहले विद्यालय कैसे थे और आज विद्यालय कैसे हो गये? विद्यालय के क्षेत्र में जो निर्माण के काम हुए, वह भी हमारी सरकार का एक कीर्तिमान है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 9,113 नवीन विद्यालय भवन बने हैं, आपके पांच साल के कार्यकाल में मात्र 772 बने थे। हमने 47,965 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया चार सालों में और आपके चार साल के कार्यकाल में 5,605, इसमें भी कई विधायक कोटे से बने हैं। इसके अतिरिक्त आपके पांच साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ और इन चार सालों में 2,400 सरकारी विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण हमारे कार्यकाल में हुआ।

रसोई शेड की बात करते हैं तो आपकी सरकार के कार्यकाल में किसी भी विद्यालय में एक भी रसोई शेड नहीं बना और हमारी सरकार के कार्यकाल में 17,613 रसोई शेड बने। जहां तक स्कूलों में पेयजल सुविधा की बात थी, हमने इस बात का भी प्रयास किया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बालक और बालिकाओं को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल जाए। हमारे जलदाय मंत्रीजी ने हर स्कूल में हैण्ड पम्प की घोषणा की। इतना ही नहीं, हर स्कूल में एक टांका बन जाए, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। इनके कार्यकाल में मात्र 3,018 सरकारी विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था थी, सुविधा थी और हमारी सरकार के कार्यकाल में 18,723 विद्यालयों को और व्यवस्था करवाई।

श्री सभापति: Thank you, Gyan Chand ji. Please conclude now.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरे क्षेत्र की दो-तीन डिमांड हैं मात्र, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। मेरी और भी बातें हैं, लेकिन समय मुझे कम दिया, दो मिनट में मेरे क्षेत्र की जो डिमांड है...

श्री सभापति: One more minute before I call the next speaker.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि जो आज छात्रों की रुचि है वैसे सब्जैक्ट्स भी हमारे कालेजेज में खोले जाएं। जैसे फैशन डिजाइनिंग में आज बहुत बच्चों की रुचि है, वे चाहते हैं कि हमको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सरकारी विद्यालयों में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मिल जाए। हमारे सरकारी विद्यालय हैं, हमने इतना कुछ किया है तो यह भी करें। इंटीरियर डैकोरेशन में भी आज युवा वर्ग की बहुत ज्यादा रुचि है, वह विषय भी आप खोलें। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन, यह भी आज का बहुत नया विषय है। बहुत बच्चे इसमें इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वह भी सरकारी विद्यालय में हो जाए। बैचलर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी छात्रों की बहुत ज्यादा रुचि है, उसकी भी आज कालेजेज में व्यवस्था कराएं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई बायो-केमिस्ट्री की, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतने केमिकल्स बढ़ रहे हैं कि बायो-केमिस्ट्री आज पहली पसंद हो गई है। जो भी इंटेलीजेंट लड़के हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धिमान हैं, वे जरूर चाहते हैं कि बायो-केमिस्ट्री पढ़ें, तो बायो-केमिस्ट्री का विषय भी हमारे कालेज में, हमारे जो हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, उनमे हो जाए।

साथ ही, बहुत मामूली-सी बात है, पाली टैक्सटाइल जगत में बहुत प्रसिद्ध शहर है, टैक्सटाइल डिप्लोमा का कोर्स एस.एफ.एस. में चालू करें। सरकार का कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वह आप मंजूरी दे दें और हमारे बाल्य स्कूल में कामर्स और साइंस जिसमें लगभग 2,000 बच्चियां पढ़ती हैं, प्रतिष्ठित और बड़ा विद्यालय है जिसमें कामर्स और साइंस में मैथ्स विषय नहीं है तो उसकी स्वीकृति आप दिलाने की कृपा करें, यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीगोपाल बाहेतीजी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: Just a moment. This is my sincere request. If you want all these hon'ble members to speak, kindly adhere to the discipline of time. 10 Minutes. I think, it is less but probably we will have to accommodate ourselves within 10 minutes.

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): शिक्षा मंत्रीजी का वक्तव्य 8 p.m. तक हो जाए, इससे पहले, 8 p.m. तक इसको समाप्त करें।

श्री सभापति: जी हां, हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें अगर आप लोग सहयोग देंगे तो ही सम्भव हो पाएगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): यह सरकार ही 8 p.m. से चल रही है। सरकार ही 8 p.m. से चल रही है।

श्री सभापति: एक तो सभी से निवेदन है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिये बगैर और कोई टोका-टोकी नहीं हो, बीच में व्यवधान नहीं डालें। ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज मुझे शिक्षा और पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, एक कक्षा में ड्राइंग का एग्जाम हो रहा था, जब बच्चों ने परीक्षा दे दी तो जो शीट दी गई थी, वह इकट्ठी की गई। शीट जांचते-जांचते, जब अध्यापक शीट जांच रहा था तो, एक कागज खाली आया। उस खाली कागज पर जो रोल नम्बर लिखा हुआ था उसे बुलाया कि भाई इधर आओ, हमने कहा कि क्या बनाया है? उसने कहा कि जो आपने दिया। हमने क्या दिया? आपने दिया, चारा चरती गाय। हमने पूछा कि वह चित्र कहां पर है, चारा कहां पर है? तो कहा कि चारा तो गाय चर गई। और गाय कहां है? तो वह चली गई। यह स्थिति इस सरकार की चार साल से है। बहुत शोर सुनते थे चिलमन में कि यह भर्ती की है, वह भर्ती की है, यह स्कूल खोलेंगे, कक्षा-कक्ष बनाएंगे, यह किया, वह किया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय बिना शिक्षकों के हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह अजमेर पधारें। निश्चित रूप से मेरे सत्ता पक्ष के मित्रों के जो भाषण हैं वे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर जो बड़े शहर हैं, उसके हिसाब से सही हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण विद्यालय हैं वहां आज भी शिक्षक नहीं है। कम्प्यूटर है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो कम्प्यूटर नहीं दोनों हैं तो बिजली नहीं। आपके कागजों में वहां सब कुछ है। यही स्थिति आपके अध्यापकों की है। कोई स्कूल चल रहा है एक अध्यापक से, कोई चल रहा है दो अध्यापक से, कोई चल रहा है शिक्षा मित्र से और हम बातें करते हैं कि हमने इतनी भर्तियां कर लीं। माननीय सभापति महोदय, जो भर्तियां इन्होंने कीं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत ही +++ से

सर्वशिक्षा अभियान के नाम से भर्तियां कर लीं। भर्तियां करनी थीं इनको रैगुलर पे-स्केल में, भर्तियां कीं फिक्स पर, ताकि इनको अपना हिस्सा इसमें नहीं मिलाना पड़े। इनको गांव के विद्यार्थी की, गांव की जनता की कोई

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

चिंता नहीं है, इनको चिंता सिर्फ चंद शहरों की है और वह उनके सामने हमेशा रहते हैं। तो मैं एक्रास द फ्लोर मेरे सभी साथी विधायकों से कहना चाहता हूं, जो ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से आते हैं, कि मेहरबानी करके अपनी सरकार को हकीकत बतायें कि गांव में विद्यार्थियों की स्थिति क्या है। माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले से हमारे दो मंत्री आते हैं, माननीय जलदाय मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी जो आते हैं अजमेर क्षेत्र से, उनके क्षेत्र में टंकिया बनाई हुई दो साल से और पानी चालू नहीं है। और जलदाय मंत्रीजी के क्षेत्र में हर सातवें दिन एक स्कूल पर ताला लगता है कि वहां शिक्षक नहीं। तो यह जो आंख-मिचौनी है इससे विद्यार्थियों को नुकसान होता है और आप...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसको सही करिये। ऐसी कोई भी स्कूलों की सूची दे दें जिसमें हर सात दिन में ताला लगता हो, तो सदन में रखिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप फिर कहेंगे, अख़बार दिखा रहे हो। मसूदा के हर स्कूल के अंदर हर सा-दिन में एक बार ताला लगता है कि वहां अध्यापक नहीं। और मंत्रीजी के क्षेत्र में, दरगाह क्षेत्र, अन्दर कोट पर, बाबूगढ़ पर और फरीदाबाद पर टंकियां बने हुए डेढ़ साल हो गये, वहां पानी चालू नहीं हुआ। तो यह दोनों की आपसी आंख-मिचौली है। मैं शिक्षा पर बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों के अंदर,

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, हर स्कूल का मतलब होता है प्रत्येक और पूरा का पूरा, जिसको कह रहे हैं सात दिन में ताला लगता है। माननीय सदस्य, इसका आधार...(व्यवधान) यह असत्यता है।

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन जमीनी हकीकत है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है। और देखिये आप स्थिति, उर्दू अध्यापक की बहुत कम आवश्यकता होती है, जो अल्पसंख्यक गांव हैं उनमें उर्दू अध्यापक नहीं है। उर्दू अध्यापक वहां नहीं होने से विद्यार्थियों को बिना अध्यापक इम्तिहान देना पड़ता है, यह इनकी स्थिति है। इसी प्रकार से...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सभापति महोदय, अल्पसंख्यक गांव नहीं होते, गांव में अल्पसंख्यक ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। अल्पसंख्यक गांव, इस प्रकार का शब्द रहना नहीं चाहिए, डिलीट होना चाहिए।

श्री सभापति: अगर आप लोग इस तरह से व्यवधान डालेंगे, कोई माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह पाएगा। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय सक्षम हैं अपने हिसाब से जब उत्तर देंगे तो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरी भावना वही है कि जहां अल्पसंख्यक विद्यार्थी बहुत पढ़ने वाले हैं वहां उर्दू अध्यापक नहीं है। हम बात करते हैं आपके डीईओ से, तो वह कहता है कि भर्ती नहीं हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ सरकार ढिंढ़ोरा पीटती है भर्ती करने का और दूसरी तरफ गांव के विद्यार्थियों को अध्यापक नहीं मिले, तो हम गांव के विद्यार्थियों से कब तक दोहरी चाल चलते रहेंगे, यह इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

इसी प्रकार मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 44 ग्राम पंचायतें हैं उनमें केवल दो सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स के हैं और एक सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स का है। यह कहते हैं न कि बहुत विकास किया, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि नारी शिक्षा की बात करने वाली सरकार, नारी को बजट देने वाली सरकार, उसकी स्थिति यह है कि मेरी 44 ग्राम पंचायतों में केवल दो सीनियर सैकण्डरी और एक सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल है। यह है पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की स्थिति। तो यह जो सिनेरियो है, यह सिनेरियो बहुत सुंदर नहीं है। शिक्षा जैसे मुद्दे पर बजाय राजनीति करने के हम सब को मिलकर विचार करना चाहिए कि आजादी के 60 सालों बाद भी यदि हम गांव के अंदर उपयोगी शिक्षा नहीं पहुंचा सके, गांव के बालक को ऐसी शिक्षा नहीं दे सके कि वह रोजगार कर सके तो हम कहीं भी न्याय नहीं कर रहे। हम केवल इस सदन में बहस करके मखौल और ठिठोलेबाजी कर रहे हैं जिसके लिए आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर सम्भाग में जो आपकी स्थिति स्कूलों की है, वह मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा मंत्रालयिक कर्मचारियों की स्थिति यह है कि उनकी पदोन्नति के लिए चार साल से वे सरकार से डीपीसी की डिमांड कर रहे हैं, चार साल से सरकार उनको डीपीसी की परमिशन नहीं दे सकी। आप बताइये, कैसे मनोयोग से कर्मचारी काम करेंगे। हम एक तरफ बात करते हैं कि वातावरण अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए,

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

काम करने लायक होना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनका अधिकार है उसको हम पूरा कर नहीं पाते हैं। और अब आई रिव्यू करने की बात, तो मैं जानना चाहता हूं कि रिव्यू करने के यदि आर्डर देने में ही आपको चार साल लग जाएं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या होगी? माननीय सभापति महोदय, मैंने गत सत्र में भी निवेदन किया था कि गांवों में शिक्षकों का ठहराव सुनिश्चित हो इसके लिए आवश्यक है कि हम गांव में अध्यापकों को ग्रामीण भत्ते के नाम का एक्स्ट्रा पैसा दें। एक तो वह अध्यापक गांव में नौकरी करता है जहां उसके बच्चे के लिए पूरा स्वास्थ्य का साधन नहीं, पूरी पढ़ाई के साधन नहीं, पूरी बिजली नहीं, उसके बाद भी यदि हम उसे शहर से कम भत्ता देवें तो क्यों कर वह अध्यापक वहां रहेगा? फिर उसका समय बीतता है मंत्रीजी के चक्कर काटने में, कि मैं किसी तरह शहर में आ जाऊं। गांव के विद्यार्थियों के साथ एक दूसरा अन्याय यह है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं एक बात का निवेदन और करना चाहता हूं उच्च शिक्षा के मामले में। अभी मेरे जो सत्ता पक्ष के साथी हैं, सब कह रहे हैं कि हमने कीर्तिमान स्थापित किये। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का। उस विश्वविद्यालय में आज भी बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिनका न यूजीसी से एप्रूवल है और न और कहीं से है, और फिर भी वे चल रहे हैं, स्ववित पोषण के नाम पर क्योंकि एमडीएस को सरकार ने अपने हिडन एजेंडा को लागू करने की एक प्रयोगशाला बना दिया है। वहां कोई कानून-कायदे नहीं, कोई नियम नहीं, भर्तियां धड़ाधड़ हो रही हैं, बैकलाग की परवाह नहीं, वहां के अकाउंट की परवाह नहीं। बार-बार सरकार को लिखकर देने के बाद भी सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा मैंने आपसे कहा, जिस देश के अंदर, जिस प्रांत के अंदर शिक्षा पर राजनीति होगी उस प्रांत की आने वाले पीढ़ी देशभक्त तो कम बनेगी और चालबाज ज्यादा बनेगी जिसके लिए जिम्मेदार हम सब होंगे। जो विश्वविद्यालय विद्यार्थी तैयार करता है, कोर्स तैयार करता है उसमें यदि स्थिति ऐसी बनेगी तो किस प्रकार से हम उच्च शिक्षा के विकास की बात करते हैं? आज भी आप देखिये कि केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्यमिता के नाम पर जो राशि दी गई उससे मनमाने ढंग से कोर्स चालू कर दिये गये। उसमें टीचर्स नहीं, उसमें रीडर्स नहीं । साहब, ये तो पांच मिनट हुए हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: टैन मिनिट्स ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं साहब, पांच मिनट बोला हूं, पांच मिनट मेरे को हैं अभी तो।

श्री सभापति: you started at 6.37, it is 6.47.

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम बजट में समस्त बालिका विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में कर देंगे। आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे अब तक खुले नहीं हैं, वह करावें इनसे। खाली अब आप कहते हैं न कि...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): वह तो सुन ही नहीं रहे, आपने जो अभी बताया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मैं बालिका विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में बदल दूंगा। उच्च प्राथमिक में कर दूंगा उसको। वे विद्यालय इनके विभाग लेने-देने में ही रह गये और वह...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उच्च माध्यमिक।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उच्च माध्यमिक अब तक बन नहीं सके इनसे, तो मेहरबानी करके उसे आप अब घोषित करें। वो जो बस्ती के मकामात बदल सकते हैं, जमीं और आसमां के भी मकामात बदल सकते हैं। देखते-देखते हालात बदल सकते हैं। अरे लोग तो वही रहते हैं, मगर पढ़-लिख जाएं तो इंसान बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, यदि हम शिक्षा में गुणवत्ता नहीं लायें, शिक्षा में सुधार नहीं किया और गांव के विद्यार्थियों को हमने शिक्षा नहीं दी तो हम इस राष्ट्र से अन्याय करेंगे राजस्थान के साथ। अब आपने घंटी बजा दी है तो मैं केवल पाइंट बोल रहा हूं।

अनुदानित शिक्षाकर्मी इस सरकार के झांसे में बार-बार आते रहे, उनको न तो आपने भर्ती करने की परमिशन दी, आपने डिफ्रीज किया तो 2008 से किया। मेहरबानी करके बैक डेट से कीजिये, उनको भर्ती की परमिशन दीजिये। इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा डाइट का, डाइट सरकार ने बनाई शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए, अजमेर में डाइट है मसूदा में जिसमें 13 पद हैं लैक्चरर्स के, जिनमें से चार भरे हैं कुल। तेरह में से चार। परिणाम क्या हुआ कि आठवीं बोर्ड के पर्चे आउट हुए, सरकार को उस पैसे का नुकसान हुआ, विद्यार्थियों को लोस हुआ पढ़ाई का। कौन इसका जिम्मेदार है? यह आपकी सरकार का आईना है।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा की बात को छोड़ कर दो-तीन मिनट के अंदर बात समाप्त करता हूं मेरे टूरिज्म की। पुष्कर और दरगाह इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सरकार आरटीडीसी की होटल बहुत ही तरकीब से अपने चहेतों को देने पर आमादा है। पुष्कर का होटल सरोवर बहुत महत्वपूर्ण है, गेट उसका बंद कर रखा है एक पीछे का। जहां से आ सकते हैं वह बंद कर रखा है, घाटा दिखाकर देना चाहते हैं। इसी प्रकार से कोटा का होटल चम्बल आप देखिये, उस होटल चम्बल का बड़ा अजीब इतिहास है जिसकी प्रापर्टी आज कम से कम 60-70 करोड़ की है, वह केवल तीस हजार रुपये महीने की लीज पर एक निशा नाम की कम्पनी है उसको देने पर सरकार आमादा है। उसके टेण्डर जो होने चाहिए थे स्टेट लेवल के अख़बार में जिसका सर्कुलेशन पचास हजार का हो, उसमें नहीं किये। इन्होंने क्या किया? उनमें किया है जो अख़बार नेशनल है, पर जिसकी दो-चार-सौ, पांच-सौ कापियां आती हो, उसमें विज्ञापन दिया है ताकि गुप्त रास्ते से अपने आदमियों को लाभ पहुंचा सके। यह सरकार, इसकी न नीयत साफ है, न नीति साफ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके शिक्षा के नाम पर, पर्यटन के नाम पर राजस्थान को धोखा मत दीजिए। यह राजस्थान, इसने आपको बहुत ब्लाइंड कलर के साथ सत्ता सौंपी है। चार साल के भाषण सत्ता पक्ष के उठाकर देख लीजिए, वो की वो बातें, एक कदम आगे नहीं बढ़े हम।

जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक
उनको तो नहीं कुछ नाज-ए-सफर
दो कदम मगर जो चले नहीं
रफ्तार की बातें करते हैं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरीसिंहजी रावत।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति...

श्री सभापति: आप समय देख लें, 6 बजकर 50 मिनट हुए हैं, सात बजे आप ...

श्री हरीसिंह रावत (भीम): मांग संख्या 47 पर्यटन डिमाण्ड पर....

श्री सभापतिः I won't disturb you, और सात बजे मैं नैक्स्ट आदमी का नाम पुकार लूंगा. And this will be followed all through.

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मुझे तो पहले ही आप डिमोरलाइज कर देते हैं, बोलने से पहले ही।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, आप करें. I won't deduct this one minute that I have used.

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज से सवा चार साल पहले जब इलैक्शन हुए और 200 में 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लहराया, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को राज करने का जनता ने मौका दिया और उसमें श्रीमती वसुंधरा राजेजी सिंधियाजी को मुख्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने एक सपना संजोया कि जो आज राजस्थान प्रदेश पर एक बीमारू प्रदेश का कलंक लगा हुआ है, इसको हम कैसे धोएं? इसी के अनुरूप हमारी सरकार और हमारी सरकार के मंत्रियों ने, सब ने मिलकर एक अलख जगाया कि कैसे हमारे प्रदेश को हम समृद्धिशील बनाएं। समृद्धिशील बनने के लिए महती आवश्यकता होती है पांच चीजों की, जिसमें सर्वप्रथम हमने शिक्षा को ले लिया, फिर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी। उसी को यहां मुद्दा बनाकर सर्वप्रथम शिक्षा को महत्व देने के लिए हमारी सरकार ने गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी स्कूल खोले। स्कूलों के साथ-साथ जहां महाविद्यालयों की जरूरत थी, महाविद्यालय खोले, जहां टैक्निकल कालेज की जरूरत थी वहां टैक्निकल कालेज खोले। आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, इसी के अनुरूप हमारी सरकार ने कार्य किये। पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोकजी गहलोत जो भी उन्होंने विकास किया, विकास किया खुद को नम्बर वन बनाने का लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सपना संजोया मैं नम्बर वन नहीं, मेरा प्रदेश राजस्थान नम्बर वन होना चाहिए और इसी के अनुरूप शिक्षा को महत्व देते हुए गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी में स्कूल खोले हैं, स्कूल तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी खोले हैं लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने खोले हैं राजीव गांधी विद्यालय और राजीव गांधी विद्यालय खोलकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी थी, जो पढ़े लिखी पीढ़ी थी, उनके साथ कुठाराघात किया। आज सभापति महोदय, घर में किसी के बेटा, बेटी होता है तो बड़े खुश होते हैं कि यह बड़ा होकर पढ़ लिखकर हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन वो ही

(श्री हरिसिंह रावत)

अगर जवान होकर नौकरी करे राजीव गांधी विद्यालय में और 1200 रुपए तनख्वाह लेकर आए तो उस परिवार के साथ में क्या गुजरेगी? लेकिन हमारी मुख्य मंत्री जो यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने किसी के साथ कुठाराघात नहीं किया और तृतीय श्रेणी को जो सैलेरी मिलती है उसी के अनुरूप हमारे शिक्षकों में भर्ती करके उनको सैलेरी दी गई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी में जब हम जाएं तो हर बच्चा, हर जवान, हर परिवार खुश है। आज विकास की गंगा ऐसी बही है कि विकास के लिए अगर किसी के पास जाएं तो कोई यह नहीं कहेगा कि, साहब, अभी तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो यह हमारी सरकार का काम आपके सामने दिख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जहां-जहां भी बालिकाओं की बहुतायत थी, वहां बालिकाओं के लिए प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल से अपर और अपर से सैकण्डरी और सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खोली हैं। एक समाज की बड़ी कहावत है कि घर में अगर शिक्षित अगर बहू हो, शिक्षित नारी हो तो घर में आधा तो वैसे ही विकास हो जाता है। आज अगर पढ़ा-लिखा परिवार होता है तो मैं समझता हूं कि उस समाज का आधा विकास तो वैसे ही हो जाता है, उसमें ज्यादा सरकार को अपनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है।

सभापति महोदय, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने 300 रूपए में साइकिलें दीं और ट्रांसपोर्ट कूपन जारी किये। इसके अलावा पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर एक कस्तुरबा गांधी विद्यालय खोला है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हरेक क्षेत्र में जहां गरीब तबक़े की जो बच्चियां हैं, चाहे एससी की हों, एसटी की हों, ओबीसी की हों, किसी की भी हों, हरेक विद्यालय में सौ-सौ बच्चियों का अध्ययन हो रहा है जिसमें परिवार को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके सम्बन्ध में, सभापति महोदय मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि छठी, सातवीं, आठवीं के जो मिडिल स्कूल हैं, कि इन स्कूलों को अपग्रेड करके कम से कम 12वीं तक अगर कर दें तो मैं सोचता हूं कि मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए।

(श्री हरीसिंह रावत)

दूसरा, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर स्कूलें हैं वहां पर होस्टल की भी व्यवस्था की जाए। कई जगह ऐसे स्कूल हैं सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, बड़े-बड़े क़स्बे हैं जहां एस.सी और एस.टी परिवारों के बच्चे-बच्ची पढ़ते हैं, लेकिन दूर गांव ढ़ाणी में रहने की वजह से उनको जो शिक्षा सुलभ होनी चाहिए वह हो नहीं पाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे बड़े-बड़े जो नगर हैं, गांव हैं वहां भी अगर होस्टल की व्यवस्था हो बच्चे-बच्चियों के लिए तो मैं सोचता हूं कि यह भी हमारी एक सुगमता का साधन होगा।

दूसरा, सभापति महोदय, जो सलेक्शन हुए टीचर के, उसके बारे में अभी कुछ टाइम पहले शिक्षा मंत्रीजी ने बोला था कि कि कोई भी जो शिक्षिका है वह अपने ज़िलें में ट्रांसफर करा सकती है। सभापति महोदय मैं अपना ज़िला ही लेता हूं, राजसमंद ज़िले की बात करता हूं, अगर मान लो किसी के सलैक्शन हुए वह शिक्षिका अगर दो महीने, तीन महीने अपाइंटमेंट होते ही फट से अपनी एप्लीकेशन देना चालू कर दे और अगर उस पर क्रियान्विति की गई तो मैं समझता हूं, हमारे साथ बड़ा कुठाराघात होगा और वापस हमारे शिक्षकों की कमी आ जाएगी। इसलिए जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं उन पर थोड़ा गौर किया जाए, कि ऐसा भी न हो जैसे मान लो, उन्होंने एप्लीकेशन दी और फट से उनको वापस अपने ज़िले में भेज दिया तो हमारे शिक्षकों में भारी कमी हो जाएगी। इसलिए यह भी एक विचारणीय बिन्दु है।

दूसरा हमारे क्षेत्र में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में शिक्षकों और व्याख्याताओं की बहुत ही कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां हमारे सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में शिक्षक की कमी है, उसको पूर्ण की जाए। कई जगह प्राचार्य भी नहीं हैं, उनकी भी कमी है, उनकी भी कमी पूरी की जाए।

दूसरा मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति देवगढ़ और पंचायत समिति भीम दोनों पर तीन साल से कोई डीईओ नहीं है जिसकी वजह से हमारा प्रशासन है बिलकुल ही पंगु हो रहा है। मेरा निवेदन है कि भीम और देवगढ़ में डीओ और एसडीआई के जो भी रिक्त पद हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए।

दूसरा, सभापति महोदय, हमारे भीम में राजकीय महाविद्यालय खोला इसके लिए मैं मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री हरीसिंह रावत)

भीम महाविद्यालय में सात विषय खोले हैं, सातों ही विषयों में केवल प्राचार्य के अलावा जितने भी व्याख्याता हैं वो सभी संविदा पर लगे हुए हैं। मैं कई बार हमारे सैक्रेटरी और मुख्य सचिव जो गर्ग साहब है, उनसे भी निवेदन कर चुका, लेकिन उन्होंने भी खाली आश्वासन ही दिया हुआ है, अभी तक उनको क्रियान्वित नहीं किया। इसलिए मेरा निवेदन है गर्ग साहब से कि तत्काल जितनी भी हमारे व्याख्याता की पोस्ट हैं...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो निवेदन उधर करो आसन को।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): उनको पूर्ण किया जाए। मंत्रीजी भी सुन ही रहे हैं साथ में। मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया था, मंत्रीजी ने हां भरी, लेकिन अभी तक कोई क्रियान्विति हुई नहीं है। हमारे वहां प्राचार्य के अलावा एक भी कोई व्याख्याता वहां प्रमाण नहीं है, अगर कल के दिन प्राचार्य बीमार हो जाए तो वहां कोई भी ऐसा स्थाई व्याख्याता नहीं है जो चार्ज ले सके। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि यह तत्काल प्राचार्य के साथ-साथ जितने भी व्याख्याता हैं, उनकी पोस्टे पूर्ण की जाए। साथ-साथ, हमारे वहां पर ...

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिये, मैं थोड़ा पर्यटन पर बोलना चाहूंगा, पर्यटन के बारे में भी।

(समय : 19.00 बजे)

श्री सभापति: आप एक मिनट में पर्यटन के बारे में बोल दें।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से मेवाड़ काम्पलेक्स एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी सरकार ने बनायी। मेवाड़ काम्प्लेक्स के तहत, महाराणा प्रताप और अकबर का जहां युद्ध हुआ था दवेर में उसके लिए हमारी सरकार ने पांच करोड़ रुपये सैंक्शन किये, लेकिन जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही स्लो गति से चल रहा है इसलिए मैं पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर थोड़ी तत्परता दिखाएं कि वो काम थोड़ा जल्दी पूर्ण हो। दवेर में युद्ध हुआ उसके रिलेटेड जो भी स्थान हैं उनसे भी अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक उपक्रम हो जाएगा। दवेर जहां महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था उसी के साथ-साथ वहां पर जैसे राणा कड़ा और दूसरे जहां दमदमोड़ी, गोकुलगढ़ और

(श्री हरिसिंह रावत)

इसके अलावा उसके साथ में ही जहां महाराणा कुम्भा का जन्म हुआ था, जो महाराणा कुम्भा महल है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाए। दूसरा हमारे वहां पर एक गौरीधाम है, गौरीधाम और मथारिया के पास में सेंडमाता है, घणाबेरा की माता का मंदिर है भील बेरी है और अन्य पुराने किले अनूपगढ़, भीम के पास मराठागढ़, टाटगढ़ में दूधालेश्वर और आसपहाड़ की धूणी बार पंचायत में पड़ती है, चार जिलों का एक आस्था केन्द्र है वहां आसपहाड़ की धूणी का भी जीर्णोद्धार किया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: Thank you very much. श्री जगसीराम कोली।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी रहूंगा। आज मांग संख्या 24 और 43 शिक्षा, कला और पर्यटन है, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी के नेतृत्व में जो सरकार ने बीड़ा उठाया है, सवा चार साल का कार्यकाल मैं समझता हूं कि स्वर्ण युग है। इस कार्यकाल में राज्य भर में विशेष तौर से बालिका शिक्षा पर बल दिया गया है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र, बालक-बलिकाओं के लिए एक किलोमीटर और दो किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय खोले हैं। पहले पांच-सात किलोमीटर दूरी पर स्कूलें होती थीं, ग्रामीण क्षेत्र के बालक शहरों की ओर नहीं आते थे और पूरा समय बीच में ही निकाल कर वापस घर पर आ जाते थे। सरकार ने सही मंशा सोच समझ कर जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोले हैं मैं समझता हूं कि उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय खोले, विद्यालयों को क्रमोन्नत किया और क्रमोन्नत करने के साथ-साथ में भवन निर्माण, बाउंड्रीवाल और साथ-साथ में पेयजल हेतु प्रत्येक विद्यालयों के अन्दर हैंडपंप लगवाये मैं समझता हूं कि सारी उसमें सुविधा उपलब्ध है। स्कूलों के अन्दर छात्र-छात्राएं अध्ययन करने जाते हैं- एससी/एसटी के लोग बंधु हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इस सरकार ने सोच समझ कर जो ये मिड-डे मील वाला कार्य सम्भाला। मिड-डे मील में एक मैन्यू के प्रदेश में अलग-अलग भोजन जो मिलता है। जो कि पूर्व की सरकार के समय स्कूलों में घूघरी बांटते थे, उससे बालक कई बीमार भी होते थे और स्कूल भी नहीं जाते थे। इस सरकार के आने के बाद में स्कूलें खुलीं, मैं मेरे

(श्री जगसीराम कोली)

विधान सभा क्षेत्र रेवदर की बात कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी सरकार ने पहले मानस नहीं बनाया था, इंटीरियर जो क्षेत्र थे, वहां पर, जैसे अरवाड़ा, चंद्रावती, बग, सियासरा, धवली, मगरीवाड़ा, नागाणी, मेरसांडवाड़ा इन सब को क्रमोन्नत किया, इसके लिए वहां के ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज सरकार को याद कर रही है।

इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालय के अन्दर पाठ्यपुस्तकों जो की व्यवस्था की गयी है, यह भी बड़ा अच्छा काम किया है। रेवदर विधान सभा क्षेत्र, लगभग सारा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, सिरोही जिलों को तीन भागों में विभाजन किया गया है- कुछ हिस्सा सिरोही तहसील में, कुछ आबूरोड तहसील में और कुछ रेवदर तहसील में, वहां कि एससी/एसटी की छात्राओं के लिए एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो मंडोर में खोला है, उसमें सारे क्षेत्र की बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं और ये ही मैं समझता हूं कि आगे बढ़ कर इस देश का और राज्य का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह आबू रोड तहसील में गिरवर वहीं पर भी एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोला है वहां की जनता इस सरकार को नहीं भूल पाएगी, हमेशा के लिए याद करेगी। स्कूलों में कंप्यूटराइजेशन की जो व्यवस्था की है, आने वाली पीढ़ी के लिए कंप्यूटर के साथ-साथ खेल सामग्री, मैदान की व्यवस्था की है तो बालक मानसिक रूप से स्वतः आगे बढ़ेंगे। इसके साथ-साथ अध्यापकों की काफी कमी थी स्कूलों के अन्दर। अपनी सरकार आयी इनसे पहले हम जब क्षेत्रों में जाते थे तब वहां की जनता हमें काफी परेशान करती थी कि स्कूल क्रमोन्नत कर रहे हैं लेकिन अध्यापक नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने सारा सुन कर रिक्त पदों को भरा है उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में सारी अध्ययन व्यवस्था सुचारू रूप से सम्भाली है, इसके लिए सरकार का मैं बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र की कुछ छोटी-मोटी मांगें हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। रेवदर मुख्यालय पर पूर्व में विज्ञान का विषय था, अभी बंद है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको पुनः चालू करवाएं मुख्यालय है, ताकि वहां की जनता को फायदा मिले। इसी तरह से

(श्री जगसीराम कोली)

अनादरा संस्कृत विद्यालय बंद है उसको भी चालू करवाएं। रेवदर मुख्यालय पर बीईओ कार्यालय है, बीईओ का पद तीन वर्षो से रिक्त है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको जल्दी से भरें, ताकि वहां पर आने वाली युवा पीढ़ी को सीधा-सीधा फायदा मिले।

अंत में मैं ज्यादा न कहते हुए क्योंकि काफी वक्ताओं ने दिन भर से बताया है, मेरे क्षेत्र की ही बात रखूंगा। जो सभी हमारे साथियों ने मांग की है, मैं भी मांग करता आया हूं, रेवदर मुख्यालय पर महाविद्यालय नहीं है। रेवदर से सिरोही 50 किलोमीटर है, आबू रोड भी 35-40 किलोमीटर है, यह सेंटर पाइंट है । गुजरात की सीमा से सटा हुआ है और काश्तकार बंधु वहां रहते हैं, इनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए मैं मंत्री महोदय और हमारी मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर महाविद्यालय जल्दी से खोलें ताकि रेवदर क्षेत्र शिक्षा की ओर आगे बढे, प्रगति करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी का शुक्रिया अदा करुंगा कि मेरे लिये दो अवसर ऐसे आये जब विद्यार्थियों के हित में इनको कष्ट देना पड़ा और जिस तीव्रता के साथ इन्होंने मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी समुदाय को लाभान्वित किया, मैं उनका हृदय के अंतर तल से शुक्रिया अदा करता हूं ।

डा. **सुरेश चौधरी** (भादरा): यह आज बदले-बदले से नजर आ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज हृदय बदलवा कर आये हैं, आज हमेशा वाला हृदय नहीं है ।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): इन्होंने जो धन्यवाद दिया है उसके लिये हमारी और से आपको धन्यवाद देते हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, पुरातत्व और धरोहर संरक्षण के लिहाज से मैं बिलकुल अनपढ़ आदमी था, पर इस सरकार के कुकृत्यों ने मुझे प्रेरित किया ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने कहा न कि आज दिया है, इसका मतलब है कि जो निकलं मयंकं लखी घने लोग उत्पात । यह समझ लो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह भी सुन लो घनश्यामजी साहब, ये जिनको अपने बहुत करीब समझते थे, संयमजी के लिये कह रहा हूं,

ये जिनको अपने बहुत करीब समझते थे
जब इन्होंने उनके बारे में सोचा तो बहुत फासला निकला ।

इसमें भी कुछ राज है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, तो मैंने भी यह चेष्टा की, इस सरकार के कृत्यों की वजह से कि इस धरोहर के मामले में थोड़ी साक्षरता हासिल करें। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने आमेर में धरोहर संरक्षण के नाम पर एक संस्था का गठन किया- आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण। यह गठन इसलिए किया गया कि पैसे के खर्चे के मामले में वित्तीय नियमों की पालना नहीं करनी पड़े। बिना एफ-एण्ड-एआर के जैस मर्जी हो पैसे खर्च करो । जयपुर विकास प्राधिकरण से 7 करोड़ रुपये ले लिये, हमारे ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट से भी पैसा लिया। सबसे ताज्जुब की बात यह है, कि इस संस्था के जो उद्देश्य दिये गये हैं, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, उसमें लिखा है, नम्बर तीन पर, महल के विकास हेतु अग्रणी संरक्षण परियोजनाएं प्रारंभ करना, आवश्यकतानुसार महल में पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं संरक्षण कार्य। जो एक्ट एक संरक्षित क्षेत्र में पुनर्निर्माण, परिवर्तन सबका निषेध करता है और जिसके लिये सैक्शन 17 में पैनल्टी की व्यवस्था है, राजस्थान सरकार का चीफ सैक्रेटरी एक ऐसी संस्था का खुद की अध्यक्षता में गठन करता है । सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि राजस्थान के मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में जो सूची प्रेषित करते हैं उसमें खुद तो अध्यक्ष हैं और राजस्थान की मुख्य मंत्री उसमें एक सदस्या हैं। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर तो उस सोसाइटी में मैम्बर हो और चीफ सैक्रेटरी उसका अध्यक्ष । मतलब उस बैठक की मीटिंग होगी तो चीफ सैक्रेटरी तो उसकी अध्यक्षता करेगा और चीफ मिनिस्टर उसमें बैठा रहेगा । यह हुआ है, यह है इसमें, यह डाक्यूमेंट की कापी देख लीजिए आप । सभापति महोदय, मैं सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी ने जो लिस्ट रजिस्ट्रार के यहां सब्मिट की है उसमें बिनाकला चंद का पता दिया है 8, सिविल लाइन, जयपुर । यह 8-सिविल लाइन कोई प्राइवेट मकान है क्या? यह राजस्थान की मुख्य मंत्री का सरकारी निवास है। यह बिनाकला चंद क्या बला है? क्या मुख्य मंत्री की बहन लगती है, क्या उनकी कोई रिश्तेदार लगती है? नहीं लगती है तो राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय को यह क्या हो गया था कि वह इनका नाम सरकारी निवास में लिख कर भेज रहे हैं? इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यह जो पूरी संस्था बनाई है इसके आप नाम पढेंगे तो पुरातत्व ज्ञाता के रूप में एक मात्र डाक्टर चंद्रमणी सिंह, वह भी शायद अब छोड़ कर जवाहर कला केन्द्र में चली गईं इनके कामों को देखते हुए । एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो पुरातत्व का एक्सपर्ट हो। राजेश्वर सिंह, ओ पी मलहोत्रा, भास्कर सावंत, अशोक शेपर, बीपी शर्मा, संगीता गहरोला, राजीव महर्षि, ये सारे आईएएस और आरएएस आफिसर पुरातत्व के महाज्ञानी हो गये। आरएएस अफसर तो बन गया इसका डाइरेक्टर ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये बाई पोस्ट मैम्बर हैं, आप भ्रमित करने की क्यों कोशिश कर रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बाई पोस्ट मैम्बर हैं तो क्या आपको पुरातत्व के एक्सपर्ट नहीं मिल रहे थे, हिन्दुस्तान में अकाल पड़ गया था? एक से एक डाक्टरेट किये हुए बैठे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे कोई ऐसी अथोरिटी बता दो जिसमें गवर्नमेंट आफिसर उसके आफिशियल मैम्बर नहीं हों। कहां पुरातत्व विशेषज्ञ की बात हो गई। सभापति महोदय, जहां गवर्नमेंट आफिशियल किसी अथोरिटी में मैम्बर होता है तो होता है, फाइनेंस के लोग भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, देवस्थान आयुक्त भी इसमें है, सब नाम हैं, उन सब को एक्सपर्ट के तौर पर लिया गया है । बाई वर्च्यु आफ पोस्ट हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको यह इतना दर्द क्यों हो जाता है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दर्द इसलिए होता है कि यह रिकार्ड वर्षों तक पढ़ा जाएगा। संयम लोढ़ाजी, वर्षों तक लोग देखेंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यवाही को जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो कुछ भी बोल कर चले गये ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपने इसलिए किया है, मेरी बात सुनिए, सभापति महोदय, यह इसलिए किया गया है कि वहां इनकी मनमानियों को कोई व्यक्ति रोक नहीं सके । पुरातत्व एक्सपर्ट इसमें होता तो वह प्रोटेस्ट करता । आपने जो जो काम किये हैं, मैं बताऊंगा आगे कि आपने क्या किया। अभी रुकिए आप, इतनी जल्दी खड़ा मत होइए।

सभापति महोदय, यह तो इन्होंने मैम्बर की स्थिति रखी । वैसे भी राजस्थान में इन चार सालों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नौकरशाही घुटनों के दम पर एक से एक असंवैधानिक, नियम विरुद्ध काम करने के लिये सर झुका कर तैयार बैठी हुई रहती है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आमेर में क्या काम किये इन्होंने। आमेर महल, बाहरी दीवारों, जलेब चौक, मानसिंह महल, शीश महल, सब में रिनोवेशन । आप स्वयं इन चीजों के जानकार हैं, प्रोटैक्टेड मौन्यूमेंट में यह आल्टरेशन, क्राइम है । (व्यवधान) मंत्रीजी, आपकी सरकार सक्षम नहीं है क्या? मैं अभी साबित करूंगा, मंत्रीजी, अभी रुकिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, जो मूल रूप समाप्त हो गया था वह मूल रूप में लौटाने का काम हुआ है । इनको तकलीफ यह है कि आमेर जिसको देखने के लिये हर साल 15 लाख लोग आते हैं, जब से उस आमेर को एक तरह से मूल स्वरूप में लौटाने का काम इस प्राधिकरण ने किया है, पर्यटकों की संख्या बढी है। इनके पेट में दर्द दूसरा है, यह नहीं चाहते कि राजस्थान का विकास हो, यह नहीं चाहते कि राजस्थान में पर्यटक आये ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, यह कहना चाह रहे हैं कि यह रिनोवेशन, रेस्टोरेशन करना ही नहीं चाहिये । कोई पुरानी जो बिल्डिंग है, वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है उसका रेस्टोरेशन नहीं होना चाहिये। टूट जानी चाहिये, गिर जानी चाहिये ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सारी पुरानी इमारतें तो तोड़ दीं आपने।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जैसलमेर में लुदरवा का मंदिर तो आपने देखा होगा ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी पार्टी की सारी पुरानी इमारतें थीं न जिन्होंने पार्टी बनाई, वे सब खंडित-खंडित कर दीं। काहे को बना रहे हो आप टूटने दो ।

श्री सभापति: आप सब लोग कृपा करके विराज जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): .... (व्यवधान) उसके बाद भी जैन मंदिर की परमिशन मिली है क्या? परमिशन मिली है क्या उस प्राधिकरण की ।

श्री सभापति: आदरणीय माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। Hon'ble member, you have to conclude whatever you want to say in the next 2 minutes.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं

श्री सभापति: At 7.10 you started your deliberations, it is 7.19 now. I will give you another 3 minutes to conclude.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन का मुझे प्रोटेक्शन चाहिये ।

श्री सभापति: I will do that. I will do that as long as you adhere to your time schedule.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं मिल रहा मुझे. Hon'ble minister is disturbing me again and again.

श्री सभापति: I will request all of you not to disturb him. Let him conclude whatever he wants to say in the next 3 minutes. When the Hon'ble Minister gives his answer, please try to deliberate the points that he has said. If at all he is saying something which is not true, you can pinpoint it and it will be ... I will delete it from the ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): You please start my 10 minutes from this time onwards.

श्री सभापति: No, it will be from 7.10. I will give you another 2 minutes in case I have taken that time of yours.

Thank you very much. श्री बद्रीलाल जाट।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय सभापति महोदय...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजें, विराजें. Let him continue.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह Amber Palace Conservation Initiative 2005, Department of Archaeology & Museum and Department of Tourism, Government of Rajasthan की रिपोर्ट है, prepared by Meenakshi Jain and team. इसमें इतिहास के साथ क्या खिलवाड़ किया है इस सरकार ने, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "Jai Singh II (1699-1743) succeeded the gaddi of Amber in 1699 AD. He received the title of Sawai from Aurangjeb and distinguished himself both as a man of science and as a soldier. He raised Amber from a small principality to an extensive domain. Though he was the most illustrious ruler of Amber, one can also attribute the decline of Amber to him. It was his decision to shift the capital to Jaipur which eventually led to the degeneration of fort and palace of Amber."

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आजम और मुहज्जम के अंदर लड़ाई हुई थी तब जयसिंह ने आजम का साथ दिया था और जीत गया था मुअज्जम। जयसिंह से नाराज होकर आमेर को मुअज्जम ने खालसा घोषित कर दिया था और 1708 के अंदर आठ महीने मुगल सल्तनत के अधीन यह आमेर का किला रहा तब मुगल लोग यहां रहे। उन्होंने जो चेंजेज आमेर के महल के किये थे, पर्दे हटाये थे, पेंटिग की थी। जब भी गाइड उस आमेर महल को दिखाने जाता था इस घटना का जिक्र करता था। इन ऐतिहासिक फैक्टस का इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। जो कुछ भी कला का निर्माण 1708 में हुआ था, इस सरकार ने माननीय सभापति महोदय, उस कला को नष्ट करने का काम किया है।

इसके अलावा इसी सरकार के डाक्यूमेंट के अंदर लास्ट का मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, लास्ट पेज जिसमें लिखा है - "proposal for felicitation centre on third floor of Jaleb Chowk, west side area." इसमें 14 नम्बर पर जो लीज दी है, 14 नम्बर पर दिया है बार एंड रेस्टोरेंट। यह करना चाहते हो आप प्रोटेक्टिव मोन्यूमेंट के अंदर ? माननीय सभापति महोदय, यह जितना भी पैसा था, बेतहाशा धन, चाहे जेडीए का पैसा हो, चाहे ट्यूरिस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से पैसा हो, ये जो 14 करोड रुपये खर्च किये गये, मोन्यूमेंट के सरंक्षण के लिए यह पैसा बहाया जा रहा है व्यावसायिक मित्रों के पैसा कमाने के लिए, और उसके लिए धरोहर से खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह रिलेवेंट बात है ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह बाद का निर्माण पुरातत्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, माननीय मंत्रीजी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार-बार आप उचक-उचक कर खड़े हो रहे हैं, खाटूश्यामजी के मंदिर की जांच कराई थी, आपने सम्भागीय आयुक्त ने जांच रिपोर्ट दी है, आज तक कोई कार्यवाही की आपने? कोई कार्यवाही नहीं की आपने। आप खाली धर्म के नाम पर लोगों के वोट लेना चाहते हो। गौशाला के लिए आबंटित भूमि गैर खातेदारी दर्ज हो गई, मैं नहीं कह रहा, आपका डिवीजनल कमिश्नर कह रहा है। संस्था के पदाधिकारियों पर धन के दुरुपयोग व हेराफेरी के आरोप प्रमाणित हुए। 727997 रुपये कैश मिले थे, जिसका कोई हिसाब नहीं मिला। रिकमंड किया है आपके डिवीजनल कमिश्नर ने, सुपर टाइम का आई ए एस होता है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के तहत कार्यवाही की जाए। जीर्णोद्धार समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए। खाटू श्याम समिति में जीर्णोद्वार समिति के खातों की जांच की जाए और आडिट की जाए। बड़ी-बड़ी बातें करते हो धर्म के नाम पर, जब घोटाला प्रमाणित हो गया, आपके अधिकारी ने जिसकी जांच कर ली, प्रेस में आ गया, विधान सभा के पटल पर आ गया, क्या आप यह बताने की स्थिति में हो कि जिस आईएएस अधिकारी ने सारे गोरखधंधे किये, राजस्थान के नहीं हिन्दुस्तान के लाखों लोगों की आस्था के साथ उस खाटू श्यामजी के मंदिर में खिलवाड़ किया गया क्या यह सरकार बता सकती है कि क्या कार्यवाही आप उसके खिलाफ कर रहे हो? आदत पड़ गई है सरकार की, हर आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच करवाने के बाद में रिपोर्ट दबाकर बैठ जाते हो, ब्लेकमेल करते हो। बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर ने जांच की उसमें भी आपने यही किया और इसमें भी आपने यही किया। राजस्थान के जिस-जिस डिवीजन कमिश्नर को आपने जांच दी, आज तक एक भी मामलें में कार्यवाही नहीं की, इसलिए, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जो भी आपके पास ये प्रकरण हैं इनमें समुचित कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, टयूरिज्म डिपार्टमेंट, एक नया कांसेप्ट आया इस सरकार के आने के बाद, यह कंसेप्ट भ्रष्टाचार का कंसेप्ट है, ईवेंट मैनेजमेंट। जो भी प्रोग्राम करना है अपने लोगों की एक लिस्ट बना दी, अपनी चाहने वाली फर्मो की, करोड़ों रुपया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील

(श्री संयम लोढ़ा)

एडवरटाइजमेंट, नई दिल्ली, टाइम्स इनोवेटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई, अपील एडवरटाइजमेंट नई दिल्ली, चन्द्रा एंटरप्रिन्योर जयपुर। ईवेंट मैनेजमेंट के नाम पर हर साल ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट का और राजस्थान दिवस के नाम पर करोड़ों रुपये राजस्थान की गरीब जनता का लुटाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय वह एक बांग्लादेशी, क्या नाम है, फैशन डिजाइनर, उसका शो हुआ, उसका खर्चा कितना? 42 लाख रुपये। बीबी रसैल फैशन शो 42 लाख रुपये। राजस्थान की पोलिटिकल हिस्ट्री में...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सभापति महोदय, यह सब स्पोन्सर्ड है, सरकार के ऊपर कोई भार नहीं है। यह गलत दस्तावेज पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार का जवाब है, माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह सब स्पोन्सर्ड है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार का जवाब है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): राजस्थान दिवस के मेजर प्रोग्राम सब स्पोन्सर्ड हैं। (व्यवधान) सरकार के ऊपर भार नहीं डाला जा रहा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप हवा में बातें मत कीजिए। विधान सभा का प्रश्न लगाकर आपके डिपार्टमेंट से जवाब लिया है हमने। एक-एक को पढ़ देता हूं। अली शासिनो एंड लक्की अली शो 34 लाख रुपये, मल्लिका साराभाई शो ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह भी पढ़ दीजिए, स्पोन्सर किसने किया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): स्पोन्सर्ड... (व्यवधान) कम्पनी ने किया। हर ईवेंट... (व्यवधान) स्पोन्सर्ड था। सरकारी कोई पैसा नहीं लगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप जब जवाब दें तो राजस्थान दिवस के अंदर और दूसरे में पर्यटन के माध्यम में जितना पैसा आपने खर्च किया एक एक का स्पोन्सर का नाम बता देना और बता देना यह जिन लोगों को आपने

(श्री संयम लोढ़ा)

पेमेंट किया, आपने क्या टेण्डर से सलक्शन किया है उनका? एक कम्पनी का, एक फर्म का सलैक्शन आपने टैण्डर से नहीं किया। (व्यवधान) लेन देन के आधार पर भ्रष्टाचार के आधार पर पैसा तय करके इन कम्पनियों को काम दिया गया, मेरा आरोप है यह। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: You will have to conclude now.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं समाप्त कर रहा हूं, दो मिनट एजुकेशन पर। सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि शिक्षा को लेकर भी इस सरकार की कोई दिशा नहीं है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर आज भी कुलपति नहीं है। कुलपति का चार्ज आपने किसको दिया है? इसी सदन में होली के अंदर काल गर्ल को नचाने के आरोप में जो व्यक्ति जिला कलक्टर के पद से हटाया गया राजस्थान के मेवाड़ के नौजवानों का भविष्य बरबाद करने के लिए पूर्वकालिक कुलपति लगाने के बजाए उस अधिकारी को ले जाकर यूनिवर्सिटी वाइस चासंलर का चार्ज दे दिया, यह करना चाहते हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप नौकरी देने की बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर खाली एक अध्यक्ष बैठा हुआ है, सारे मैम्बर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, यह खिलवाड़ आप किसके साथ करना चाहते हैं? सभापति महोदय, बात करते हैं आप महिला शिक्षा की, बहुत अच्छा होता कि आप कोई सोच को लेकर चलते कि राजस्थान में हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया। आपने खाली भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के पैसे को परने का काम किया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड कोई जिला है तो जालौर है। जालौर के अंदर 11वीं और 12वीं का अगर आप फीगर देखें, मात्र 1177 लड़कियां हैं, टोटल स्ट्रेन्थ के मामले में सिर्फ 20 प्रतिशत। इसी तरीके से नाइंथ और टैन्थ में यह...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): जालौर जिले की बात कर रहे हैं या जालौर शहर की? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जालौर जिले की कर रहा हूं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): जिले की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा करैक्ट कर लूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पूनासा में 100 लड़कियां पढ़ रही हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। रानीवाड़ा और जसनपुरा में 50-50 पढ़ रही हैं, आपके फीगर गलत हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : कस्तूरबा गांधी 6 से 8 है, मैं फिगर कोट कर रहा हूं 11वीं और 12वीं के, मात्र 20 फीसदी लड़कियां हैं 11वीं व 12वीं में। अगर आपकी प्राथमिकता रही होती, आप जालौर जिले में, जो सबसे लास्ट पर जिला है, विशेष प्रयास करते। महिला शिक्षण विहार जो चलाया उसमें भी सौ का लक्ष्य था आपका, लेकिन मात्र 40...

श्री सभापतिः Thank you very much.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनट, मात्र 40 लड़कियों का आप जालौर जिले में एडमिशन कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की राजस्थान में जो टोटल संख्या है, उसमें लड़कियों के स्कूलों की संख्या क्या रह गई है? कांग्रेस के राज से आप तुलना बहुत करते हो, कांग्रेस के राज में टोटल स्कूलों के अन्दर लड़कियों के स्कूलों का शेयर 9.79 प्रतिशत था, 2007-08 में वह शेयर घट कर 7.71 प्रतिशत रह गया। आपने चार साल में स्कूलें तो खोलीं पर लड़कियों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो, आई.टी.आई. की, पोलीटैक्निक की और दूसरी, राजस्थान के अन्दर कितने विज्ञान के अध्यापकों के पद खाली हैं, यह आपको मालूम है? व्याख्याताओं के 5116 पद खाली पड़े हुए हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के 6647 पद खाली पड़े हुए हैं। मेरे अकेले सिरोही जिले में वरिष्ठ अध्यापक, विज्ञान के 40 पद खाली पड़े हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेस के राज में कितने थे? आपके राज में कितने थे 5 साल में?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब विज्ञान की शिक्षा की आप व्यवस्था नहीं कर सके, नीचे आपने नई साइंस फैकल्टी खोली नहीं पूरे राजस्थान के अन्दर, और ऊपर यह बाढ़ ला रहे हो, उससे क्या होगा?

श्री सभापतिः Thank you very much. Thank you very much, sir.

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिरोही से आने वाले सदस्य से जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान) यह कितने समय से खाली हैं, यह थोड़ा बताएं? (व्यवधान)

श्री सभापतिः श्री बद्रीलालजी जाट। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। (व्यवधान) आदरणीय सदस्य को बोलने दें।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सम्मानीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 और 47 पर मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए शिक्षा के बारे में पक्ष में कहने हेतु अपनी वाणी प्रारम्भ करुंगा, गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरुदेव आपकी, जो गुरु गोबिन्द दियो बताय।

इस जगत में, संसार में जिस व्यक्ति ने, प्राणी मात्र ने, मनुष्य ने शिक्षा प्राप्त की है वह मनुष्य का मूल स्वरूप प्राप्त कर चुका है। और जो शिक्षा से वंचित रहा है उसकी दशा वह है जिस तरह बल्ब में बिजली नहीं हो, जिस गाड़ी में पैट्रोल और डीजल नहीं हो और जिस धरती पर आक्सीजन नहीं हो। उसी के लिए इस संसार में शिक्षा से अपने आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, हे सरस्वती मां, तेरी लीला अपरम्पार, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती मां का हमेशा यही रवैया रहा है, बचपन से, गर्भावस्था से लगाकर मृत्यु पर्यन्त वह दिन-प्रतिदिन, प्रतिक्षण निश्चित रूप से सीखने का प्रयास करता है। मुझे पूरा विश्वास है, मां शारदे के बारे में यह कहा है, कि हे मां शारदा। तुझे समुन्द्र कहूं तो उसमें खारापन है। हे मां शारदा। मैं तुझे सूरज कहूं तो उसमें तपन है। हे मां शारदा। मैं तुझे यदि चांद कहूं तो उसमें दाग है, तेरे में नहीं है। इस तरह सरस्वती मां का जितना गुणगान किया जाए, उतना ही कम है और निश्चित रूप से यह सदन आज उस पर डिसकस या डिबेट कर रहा है। मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि इनकी बुद्धि का दिवाला तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन महात्मा गांधी स्वयं इस संसार को छोड़कर चले गये थे। जैसा कि इनकी परिणति है राजीव गांधी पाठशालाएं, संविदा, पैरा टीचर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य-अन्य, निश्चित रूप से वह काला दिवस हमारे इस राजस्थान की धरती पर आया था जिस समय अशोकजी गहलोत आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने राजीव गांधी का नाम देकर पाठशालाओं को खोला केवल श्रीमती सोनिया गांधीजी को खुश करने के लिये कि मेरी कुर्सी बचती रहे, मैं राजस्थान पर कुशासन करता रहूं, किसानों का शोषण करता रहूं। बेरोजगारों को नौकरी नहीं दूंगा, किसी शिक्षक को सम्मान नहीं दूंगा, केवल प्रताड़नाएं दूंगा। यही उनके मन की मूल सोच थी। उसी के आधार पर युवाओं ने इस ताज और तख्त को, पूर्व सरकार को उखाड़ा। ये कुछ छोटे-मोटे बच गये हैं, भगवान की दया से आने वाला समय निश्चित रूप से यह बताएगा। यह सदन पवित्र सदन है, राजस्थान का गौरव है, यहां उच्च निर्णय किये जाते हैं, मुझे एक महान व्यक्ति

(श्री बद्रीलाल जाट)

ने कहा था कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय हृदय नहीं, जिसके हृदय में स्वदेश के प्रति प्यार नहीं।

आज यदि इस मूल मंत्र को याद रखते हुए राष्ट्र-भावना को हम जगाएंगे, आज भी विवेकानन्दजी को याद करते हैं जिन्होंने विदेश में जाकर अखण्ड भारत और विश्व गुरु की जो कल्पना की थी, उसको साकार किया और इस भारत को उसका खोया हुआ मान और सम्मान पुन: दिलाया। वह थे हमारे भारत के युग-पुरुष।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर जिन्ना साहब को कौन करेगा?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कर देंगे, हरिमोहनजी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिन्ना को कौन करेगा। इस देश का जिसको आप भावी प्रधान मंत्री मानते हैं, उनकी भी भावना का तो कुछ ख्याल रखो। जिन्ना को भी करना पड़ेगा।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मुझे गर्व है कि आज भारत के नाम से विश्व में जो अन्य राष्ट्र हैं वे चिन्तित हैं कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि राजस्थान भारत के औसत से भी और आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से यह सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा। पूर्व में हमारे यहां न तो बी.एड. के कालेज थे, न यूनिवर्सिटीज थीं। ढाणियों में और हमारे गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे। केवल राजीव गांधी पाठशालाओं को +++ खोलकर, +++ विद्यालय खोलकर इस राजस्थान का भट्ठा बैठाया था। उसको पिछड़ेपन में जोड़ने का प्रयास किया जब कि यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने सोचा कि राजस्थान शिक्षित बने, राजस्थान हरित बने, राजस्थान भारत का अग्रणी श्रेणी का राज्य बने।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कम से कम विद्यालयों को +++ तो नहीं बताएं आप। (व्यवधान) सभापति महोदय, राजीव गांधी पाठशालाओं को +++ का रूप दे रहे हैं आप।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): उसके लिये उन्होंने सब कुछ करने का प्रयास किया।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): विद्यालय को +++ बता रखा है, क्या वहां कोई +++ बनता है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): और क्या था, आठवीं...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उसके लिये एतराज है हमारा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह विद्यालय को +++

श्री सभापति: आप विराजें, प्रतिपक्ष के माननीय नेता बोल रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विद्यालयों को +++ विद्यालय क्या +++ का काम है क्या? राजीव गांधी पाठशालाएं जैसी भी थीं, कैसी भी थीं, जो भी थीं, लेकिन उसको इस नाम से सम्बोधित करना...

श्री सभापति: उसको विद्यालय के नाम से अंकित किया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ के नाम से, +++ के नाम से, यह तो असंसदीय है, आप इस पर तो व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति: इसको विद्यालय के नाम से अंकित किया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपको यह ठीक शोभा देता है, सुन्दर लगता है तो रखो, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में दो पंक्तियां कहने का प्रयास करुंगा कि, मां, पूत जणे तो एड़ा जण, जेड़ा अटल बिहारी वाजपेयी। उनके मन में इस भारत को अखण्ड भारत और विश्व गुरु बनाने का जो सपना था, ध्येय था, मूल भावना थी। उनके मन में पीड़ा थी कि किसान के बेटे को, किसान जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए मेरे इस राजस्थान में, इस भारत में प्रयास करुं। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना बनाने का प्रयास किया फिर 25 दिसम्बर, 2002 को सर्व शिक्षा अभियान से भारत को नवाजने का प्रयास किया और उसकी परिणिति है कि आज गांव और ढाणी में एक रोशनी आई है, काम करने की मन में प्रेरणा जगी है घनश्यामजी तिवाड़ी साहब ने और मुख्य मंत्री महोदय के आशीर्वाद से एक ही आदेश से कम से कम यह 21812 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सुशोभित करके इतिहास कायम किया कि हम राजस्थान को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं, पिछड़ी में नहीं। राजीव गांधी पाठशाला में और पांचवीं से आठवीं के विद्यालयों में घूघरी दी जाती थी। सभापति महोदय, पीड़ा तो आपको भी होगी कि न तो हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य जो हैं, इनके परिवार के, न नाते के, न दूरदराज का कोई व्यक्ति वहां जाता

(श्री बद्रीलाल जाट)

था। केवल पढ़ने जाता था तो उस गांव के गरीब की झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो भारत का अन्नदाता कहलाता है, उस अन्नदाता के लड़के का मान और सम्मान घूघरी से किया जाता था। हमारे मेवाड़ में घूघरी एक साल में या तो एक बार बनती है या दो बार। भगवान की दया से इनके रोज बिलाते थे और कहते थे घूघरी खिलाओ, नमक कम पड़े तो और पिलाओ। पानी मिलाओ और बार-बार बाहर फेंको। बच्चे कुपोषण से पीड़ित हो गये थे। यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने उनके परीक्षण की व्यवस्था की। चश्मा ले लो, आने-जाने की यात्रा की व्यवस्था कर लो। यही नहीं, दूरदराज में रहने वाली छात्राएं हैं तो उनको स्कूटी, मोटर साइकिल के साथ साइकिल देकर उनका मान और सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। यह है राजस्थान की यशस्वी सरकार। मुझे पूरा गर्व है। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने अपने मन में जो दीप जलाया था कि राजस्थान को मैं उन अक्षरों से नवाजूं, शिक्षा के हर क्षेत्र में हमने शिक्षा की क्रांति का सूत्रपात किया है, क्रमोन्नत किये हैं विद्यालय और अशिक्षा का दानव गिराया है। शिक्षक भर्ती कर देखो हमने दोहरा काम किया है बेरोजगारी भी दूर हुई और शिक्षक को भी सम्मान दिया है। यह राजस्थान का गौरव है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मुझे बड़ा गर्व है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर जो माध्यमिक विद्यालय से वंचित था, एक ही आदेश यहां से करके 3108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करके राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी के मन में पीड़ा है कि मैं राजस्थान का खोया हुआ मान और सम्मान दिलाऊं और राजस्थान हमारा डैजर्ट राज्य न रहे। मेरा राजस्थान अब हमारा बेस्ट परफोरमेंस दे, मेरा राजस्थान सुपर पावर बने। सुपर पावर राजस्थान बनाने के लिए इनके जो काले कारनामे और पाप था, उसको धोने के लिए मुख्य मंत्रीजी जूझ रही हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी जूझ रहे हैं। उनकी परिणति है पैराटीचर, उनकी परिणति है संविदा, उनकी परिणति है आदरणीय, 98, इन सब श्रेणियों को मुझे पूरा विश्वास है कि आज वह जड़ मूल से उखाड़ कर फेकेंगे और

(श्री बद्रीलाल जाट)

राजस्थान का गौरव आज लौटाएंगे। मैं, आदरणीय सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र हो या सरकारी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आपका समय ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय सभापति महोदय, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सभापति: वन मिनट, वन लास्ट मिनट। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): मैं कनक्लूड कर रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एम.पी. साहब आये हैं, थोड़ा-सा और बोल लेने दो। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): नहीं-नहीं, कोई बात नहीं। एम.पी. साहब मेरे गुरु हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निजी क्षेत्र हो या सरकारी, उच्च शिक्षा का विकास किया। स्कूल-कॉलेज खोलकर हमने अशिक्षा का ह्रास किया। थोड़ी बहुत कमी है अगर तो उसको दूर कर देंगे। वसुन्धराजी के आशीर्वाद से पुन: आने वाली सरकार हम बना देंगे, यह मन में भावना है, मुझे पूरा विश्वास है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मोहनलालली गुप्ता।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की छोटी-सी बात आपके चरणों में रखने का प्रयास करूंगा। आज पर्यटन का भी हमारे इसी में है। राजस्थान की आन-बान-शान चित्तौड़, उस चित्तौड़ के गौरव को यदि हम देने का प्रयास करेंगे, राजस्थान का भारत में जो गौरव बढ़ाया, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र होंगे। लाइट एण्ड साउंड में कुछ छोटी -मोटी राशि की जो समस्या है, उसको आदरणीय पर्यटन राज्य मंत्री और आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा से मिलकर, जो भी राशि होगी, दूर करने का प्रयास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। विजन राजस्थान में चित्तौड़ को बड़ी सौगात मिली है और इसके साथ ही कला के रूप में हमारे कपासन विधान सभा क्षेत्र में एक छीपों का आकोला है, छीपों का आकोला में विश्व प्रसिद्ध छपाई और रंगाई का काम किया जाता है और वह गरीब हैं, अब शिक्षा से जुड़े हैं। उन भाई और बहनों को जोड़ने के राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री साहिबा ने अथक प्रयास किये हैं। उनको आर्थिक सहायता भी दी है। परन्तु

(श्री बद्रीलाल जाट)

मेरी इतनी सी आपके चरणों में वाणी है कि उनकी रंगाई-छपाई मानक स्टेंडर्ड की घोषित कर दी जाए ताकि उनका जो जीवन स्तर है, द्रुत गति से बढ़े और राजस्थान इस गति से आगे बढ़े कि हम निश्चित रूप से गौरवान्वित हों। मैं आप सभी को तहदिल से धन्यवाद देते हुए मुझे जो आपने मान-सम्मान और समय दिया, इसके लिए तहदिल से धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मोहनलालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के बड़े-बड़े विद्वान सदस्यों ने यहां पर अपनी विद्वता का परिचय दिया और बहुत सारे असत्य डाकूमेंट लेकर यहां आये। मैं सर्वप्रथम पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से असत्य आरोप लगाये हैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब वह यहां नहीं हैं, गये। ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह यहां से चले गये और मैं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सामने बोलते आप। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सामना करने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, वह तो दुम दबाकर भाग गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बुलाता हूं अभी उनको। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहता हूं कि वह आ जाते तो सुन लेते। जिस प्रकार से आंकड़े उन्होंने दिये वे असत्य आकड़े हैं। यह जितना भी खर्चा हुआ है वह सब स्पांसर्स संस्थाओं के द्वारा कराया गया है। मेरा यह कहना है, मानना है कि साढ़े सात करोड़ रुपये इन सभी कामों में खर्च हुए हैं। जिसमें से करीब साढ़े छह करोड़ रुपये के स्पांसर्स हमने ढूंढ लिये हैं । वह पैसा स्पांसर्स के द्वारा दे दिया गया है और बाकी के भी स्पांसर्स हम तैयार कर रहे हैं। सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है। जब सरकार का एक भी पैसा नहीं लग रहा है तो ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इन स्पांसर्स को कितना फायदा पहुंचाया गवर्नमेंट ने? कितने-कितने अनुचित लाभ पहुंचाये? उनका नाम बताओ न, स्पांसर्स कौन हैं? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कोई फायदा नहीं, यह आप उनको ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह क्या बोल रहे थे ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनका नाम बताओ स्पांसर्स कौन है? नाम बताओ न स्पांसर्स का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब इन्होंने कलई खोल दी तो कह रहे हैं कि कितना फायदा पहुंचाया। इतनी देर पहले तो क्या बोल रहे थे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): करोड़ों रुपया यूं ही सरकार का लूटा रहे हो, नाच-गानों पर पैसा यूं ही खर्च कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और अब जब कलई खुल गयी तो यह ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप नाम बताइये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): बिना मतलब ही चक्कर लगा रहे थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कितने करोड़ रुपयों का लाभ उन स्पांसर्स को आपने पहुंचाया है? उनके नाम की लिस्ट बताइये। किन-किन को दिये हैं आपने? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह तो आप ढूंढ लीजिए। वह आप ढूंढिये। बताइये आप। (व्यवधान) हम जवाब देंगे उसका। कितना फायदा हुआ है, उसका जवाब हम देंगे। आप बताइये हमको, आप बताइये। आप बताइये। आप बताइये न। नहीं, आपको मालूम है तो आप बताइये कि ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो अधूरा जवाब क्यों देते हो? पूरा दो, नहीं तो मत दो। अगर जवाब आपके पास नहीं है तो बैठ जाओ, नहीं तो पूरा जवाब दो। हम आपसे यह पूछते हैं कि स्पांसर्स कौन हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर आप खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्पांसर्स कौन-कौन हैं और उनको क्या-क्या लाभ पहुंचाया है आपने? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कौन से हैं, यह आप ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कौन से स्पांसर्स हैं यह तो आप इनसे पूछ लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: (व्यवधान) आप कृपा करके आसन को सम्बोधित करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): उनसे पूछ लो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कला एवं संस्कृति पर ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): साढ़े सात करोड़ रुपया कोई भी आदमी वैसे ही दे देगा? पागल हो रहा है, उसका दिमाग चढ़ रहा है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपना नाम चाहते हैं तो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, आप कृपा करके आसन को सम्बोधित करें। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कृपा करके विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हरेक ईवेंट के साथ, हरेक इण्डस्ट्रिल हाउस का नाम जुड़ा रहता है। यूं ही दे देते हैं? जिनकी साख होती है उनको देखकर देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं अब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): साढ़े सात करोड़ रुपया कोई भी ऐसे देने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपा करके विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब तक वह भामाशाह 100 करोड़ का फायदा नहीं उठाएगा, जब तक एक रुपया भी नहीं देगा। आप अनुचित लाभ पहुंचा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः हिण्डौली से आने वाले सम्माननीय सदस्य, कृपा करके विराज जाएं। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको ऐसा कोई मिला नहीं क्या स्पांसर करने वाला किसी प्रोग्राम का? (व्यवधान) लोग पैसे लगा-लगाकर बड़े-बड़े प्रोग्राम को स्पांसर्स करते आये हैं तो ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिना लाभ उठाये कोई नहीं देगा। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, कोई भी ऐसा दुनिया में आदमी पैदा नहीं हुआ जो करोड़ों रुपये बिना लाभ लिये खर्च कर दे। ऐसे दानदाता नहीं है कि रुपये खर्च कर दें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप जैसे और हमारे जैसे नहीं हैं, इस दुनिया में पैसे वाले बहुत हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, मैं बताता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसे दानदाता नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, मैं बताता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री सभापतिः बगैर आसन की इजाजत के कोई बोल रहा है तो वह अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री सभापतिः विराज जाइये कृपा करके। आदरणीय सदस्य, विराज जाएं। आदरणीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्रिकेट के स्पांसर्स होते हैं वह ... (व्यवधान) करोड़ों रुपये कोई करना चाहते हैं खर्च ... (व्यवधान) क्या फायदा चाहते हैं जो स्पोर्ट्स के स्पांसर्स हैं वे? जो क्रिकेट के स्पांसर्स हैं वे क्या इनाम चाहते हैं? आप बताइये, विज्ञापन जो करते हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः आदरणीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अपनी संस्था का विज्ञापन करते

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

हैं, अपने बिजनस का प्रचार-प्रसार करते हैं। अपने खुद का प्रचार-प्रसार करते हैं। उसके माध्यम से उनकी कम्पनी का ध्यान रहता है। हजारों लाखों लोग टी.वी. में देखते हैं, हजारों-लाखों राजस्थानियों ने उनके परेड को देखा है। तो आखिर वह भी तो एक लाभ है। सीधा लाभ सरकार दे देती है क्या हर चीज में? कभी सीधा लाभ नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आसन को सम्बोधित करें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनको बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, हम जब उनके बीच बोले नहीं। उनकी बात का जवाब दे रहे हैं तो उनको बाद में चांस मिल जाए, जवाब दे दें। अब यह मेरे से पूछते हैं कि उनको आपने लाभ कितना पहुंचाया, भाई, मुझे तो मालूम नहीं है कि कितना लाभ पहुंचाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: I think that is a point well made. There is a relevant point when you get the chance you can reply.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको पता है तो आप बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, और 6 करोड़ के कई स्पांसर्स हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: नहीं, अगर आपको मौका मिले यहां से बोलने का और आप जरूरी समझें तो इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं तुरन्त तो इस बात के लिए आपसे नहीं कहूंगा लेकिन अगर आप में से कोई जवाब बाद में देना चाहे, जब आपका चांस आएं और आपकी पार्टी दे तो आप दे दें अगर आपकी इच्छा हो तो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इनको ज्यादा उत्तेजित न करें आप। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, मैं उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, यह स्वयं ही हो रहे हैं। यह स्वयं हो रहे हैं, साहब, उसका मैं क्या करूंगा? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: अब आप लोग सब से निवेदन है कि कृपा करके शांति बनाये रखें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने आमेर के बारे में बताया।

श्री सभापति: अब आप आसन की तरफ ही देखते रहें, और कहीं मत देखें आप। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी तरफ ही कर रहा हूं। इन्होंने आमेर के बारे में बताया, अब आप जरा कभी आमेर की शक्ल-सूरत जाकर देख लीजिए। आज से चार वर्ष पूर्व आमेर की स्थिति क्या थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने अनुमति दे दी है क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): किस बात का क्लैरिफिकेशन, कुछ हुआ ही नहीं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कौनसे नियमों में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आरोप की कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): किसका आरोप है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने अपनी बात कह दी, माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन, यह सदन इनके हिसाब से चलेगा क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: If you have anything to say let the Hon'ble Member conclude his speech and with the permission, in case if the Chair permits you only then.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आमेर के बारे में बात करना चाहता हूं, यह आमेर चार साल पहले कभी गये होंगे तो आमेर के किले की क्या हालत थी और आज किस प्रकार से विकास उस आमेर के किले का हो गया है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूं, आज से दो वर्ष पूर्व, ढाई वर्ष पूर्व मैं आमेर गया था तो वहां पर लोगों ने यह कहा था कि एम.एल.ए. साहब, यहां पर महिलाओं के लिए टायलेट नहीं है। विदेशी पर्यटक महिलाएं यहां पर आती हैं और चारों तरफ चक्कर लगा लेती हैं, टायलेट नाम की जगह नहीं है। वहां टायलेट नाम की जगह नहीं, वहां कहां टायलेट जाएं? दो-तीन घण्टे वहां रहना पड़ता है इन महिलाओं को। पुरूषों के लिए टायलेट नहीं और माननीय सदस्य भी कहां जाते थे, यह बताइये? आपके राज में टायलेट तक की व्यवस्था नहीं थी। पर्यटक स्थलों का डवलपमेंट का सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वह यह है कि साफ-सुथरा हो, अच्छी व्यवस्था हो, हरियाली हो और अच्छे और सुलभ टायलेट हों। यह दीवारों पर करते होंगे। माननीय सभापति महोदय, दीवारों पर थूकना, दीवारों पर पोस्टर लगाना, दीवारों पर टायलेट करना, यह इनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है साफ-सुथरा रखना, पोस्टर नहीं लगाना, मोन्यूमेंट्स के प्रति इज्जत रखना, उनमें ट्यूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आएं, इस बात की व्यवस्था करना, ट्यूरिस्ट को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह हमारा काम है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाये हैं, जरा जाकर देखें आमेर की हालत। बिलकुल आधारहीन, असत्य आरोप इन्होंने लगाये हैं। इस बात का मैं खण्डन करता हूं।

इसी के साथ विपक्ष के बीकानेर से आने वाले माननीय कल्लाजी ने भी शिक्षा विभाग के बारे में कुछ आरोप लगाये। असत्य आरोप, आधारहीन। उन्होंने कहा कि आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो प्रतिनिधिमण्डल गया था उसकी व्यवस्था मुख्य मंत्री सहायता कोष से हुई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हां, हुई थी। आपने भी 2003 में 5 जून से 9 जून तक सूरीनाम में जो सातवां विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी मुख्य मंत्री सहायता कोष से 8 लाख 88 हजार 280 रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी। लेकिन वह सब बातें भूल जाते हो। लेकिन शब्द हैं। वह राशि भी वापस कर दी गयी। हमारे द्वारा ली गयी राशि भी वापस कर दी गयी। सदन को आप लोग गुमराह करते हैं, असत्य भाषण करते हैं। यह असत्य भाषण करके,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

गुमराह करके आप फैक्ट्स को तोड़ मरोड़कर सदन में पेश करना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है। सीनियर मोस्ट सदस्यों के लिए तो और भी ठीक नहीं है कि वह इस प्रकार की बात बोले।

मदरसों के लिए बात कही कि बीकानेर में मदरसों को पोषाहार नहीं दे रहे हैं। राजस्थान भर में मदरसों को पोषाहार नहीं दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: असत्य ही बोला है इन्होंने तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, पोषाहार उन मदरसों में दिया जा रहा हैं जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और लेने को इच्छुक हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को बताऊं, उनके बीकानेर में 51 में से 37 मदरसे संचालित पाये गये और इन मदरसों के लिए पोषाहार उठा लिया गया है। बीकानेर में उठा लिया गया है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। यह इस प्रकार से बात करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वह भी दुम दबाकर भाग गये, कहीं हैं नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक और आरोप लगाया कि साक्षरता का प्रतिशत घटा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं। 5 प्रतिशत का आंकड़ा दिया, वह असत्य है। टेबल करके बताएं, बिलकुल असत्य है, आधारहीन है। इसके साथ-साथ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ड्राप आउट की रेट बताई कि ड्राप आउट काफी हो रहे हैं। उनके राज में ड्राप आउट कितने थे? सर्व शिक्षा अभियान में उनके राज में 2001-02 में 70 प्रतिशत ड्राप आउट रेट थी, 70 प्रतिशत, और आज हमारे राज में ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मोहनलालजी, आप सुझाव दीजिये। सुझाव दीजिये। (व्यवधान) आप सुझाव दीजिये। आप सुझाव दो न। (व्यवधान) आप कालीचरणजी की बात बोल रहे हो क्या?

एक माननीय सदस्य: यह आपकी पंचायत हो रही है और क्या बोलें?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, असत्य और भ्रामक आंकड़े देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं ताकि रिकार्ड में कोई चीज आ जाए, वह अख़बार में छप जाए, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ड्राप आउट 70 प्रतिशत इनके राज में था, हमारे राज में 26 प्रतिशत ड्राप आउट है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा पर बहस हो रही है और शिक्षा का मंत्रालय घनश्यामजी, हमारे विद्वान सदस्य के पास रहा है, मैं इनके लिये चार लाइन देना चाहता हूं-

'शिक्षा का दीप जला हमने
हर गांव-गली रोशन कर दी ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह किसके लिए है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय घनश्यामजी के लिए है।

'शिक्षा का दीप जला हमने
हर गांव-गली रोशन कर दी,
हम तिमिर हटाते चले गये,
रोशनी जमाने में भर दी।'

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक कालीचरणजी के लिए भी बोल दो और। (व्यवधान) आप कालीचरणजी के लिए और बोल दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन्होंने फाइव-डे मैच खेला । (व्यवधान) लेकिन कालीचरणजी के लिए एक चैलेंज है- वन डे मैच खेलने का और इसके लिए कालीचरणजी को शुभकामना देना चाहता हूं कि वह वन-डे मैच खेल रहे हैं, 20-20 का मैच खेल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वन-डे मैच में सबसे पहले उन्होंने आपका विकेट लिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय कालीचरणजी के लिए जिस प्रकार से 100 दिन की कार्य योजना घोषित की है, वह वन-डे मैच खेलने के बराबर है। 20-20 मैच खेलने के बराबर है। इन्होंने 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है।

एक माननीय सदस्य: धोनी हैं यह तो धोनी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): स्कूल और संस्कृत शिक्षा में 56 काम 100 दिन में करने की घोषणा की है। प्रथम प्रेस कान्फ्रेन्स के लिए कालीचरणजी को बधाई, जिस प्रकार से प्रथम कान्फ्रेन्स में 100-दिवसीय कार्य योजना की घोषणा की है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहला विकेट आपका लिया है। (व्यवधान) पहला विकेट इनका लिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तकनीकी शिक्षा में 23 काम और उच्च शिक्षा में 21 काम, समय कम है, लेकिन मैं इसको टेबल करना चाहता हूं कि इस प्रकार से 23, 26 और 21 काम मिलाकर 100 दिन में 100 घोषणाएं। इस प्रकार से 20-20 मैंच खेलने वाले कालीचरणजी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इनके लिए चार लाइने हैं :-

शिक्षा का पैगाम

हमें अब घर घर तक पहुंचाना है,

राजस्थान के नर-नारी हो शिक्षित,

अब शिक्षित राजस्थान नया बनाना है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह, युनूस खानजी, आपने लिखकर दिया है? यह शेर, युनूस खानजी, आपने लिखकर दिया है? कुछ तो ढंग का शेर लिखते। यह कोई शेर है, गीदड़ है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: In the next one minute you conclude.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): Yes. Within five minutes.

श्री सभापति: Not five minutes but in one minute. One minute means sixty seconds whichever you want.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आठवीं कक्षा के बोर्ड में राज्य स्तरीय बोर्ड बनाने की घोषणा पर कालीचरणजी को बधाई देता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से शिक्षा पर जो बहस हुई है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर एक नया शिक्षा का वातावरण बनाना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत सारे अच्छे सुझाव दिये हैं, लेकिन शिक्षा की आत्मा बसती है उसके सिलेबस में। सिलेबस कैसा है, अच्छा हो और उसको पढ़कर बच्चे अच्छे और शिक्षित नागरिक बनें। इस सम्बन्ध में मैं थोड़े-से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो बच्चे हैं वे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं कहता हूं, कम्प्यूटर

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

की शिक्षा प्राप्त करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जरा उन कम्प्यूटरों की हालत एक बार जाकर देख लें। वहां पर शिक्षक नहीं हैं। यह आलोचना का विषय नहीं है, यह समालोचना का विषय है, आखिर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कम्प्यूटर हम सब जगह दे रहे हैं तो कम्प्यूटर के शिक्षक हैं कि नहीं। वहां बच्चे कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं अभी द्वारकापुरी स्कूल में गया था, वहां पर एक साल से कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक नहीं हैं। अन्य स्कूलों में भी कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में बहुत सारी जो कम्पलेंट मिली हैं, उसको कृपया आप देखें। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का अभियान, यह केवल राजनीतिक अभियान नहीं है कि कांग्रेस वाले शिक्षा दे रहे हैं, बीजेपी वाले शिक्षा दे रहे हैं। सभी लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसलिए कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान हो, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था भी करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कम्प्यूटर आपने दे दिये, लेकिन कैलकुलेटर के लिये, क्योंकि गणित की शिक्षा है, इसलिए कैलकुलेटर यदि हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में दे दें तो एक बहुत बड़ी क्रान्ति राजस्थान में हो जाएगी। 100 रुपये का कैलकुलेटर आता है, बच्चे उस कैलकुलेटर को सीख सकते हैं, गणित सीख सकते हैं। एडवांस तकनीक में आप जा सकते हैं।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आज जो कोर्सेज पढ़ाये जाते हैं, बी.कॉम. की शिक्षा बारहवीं में मिल जाती है, बारहवीं की शिक्षा दसवीं में मिल जाती है, दसवीं के कोर्स आठवीं में पढ़ाये जाते हैं और आजकल के बच्चे जो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ते हैं वह तो हम जैसे लोगों को भी कहते हैं, पापा, आप इस प्रकार से क्या शिक्षा दे रहे हैं, देखो, मेरे कम्प्यूटर में क्या है, मेरे लैपटाप में क्या है।

श्री सभापतिः डा. सुरेश चौधरी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो कम्प्यूटर और लैपटाप का युग है, माननीय सभापति महोदय, इसलिए कम्प्यूटर-लैपटाप के युग में हम सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम अच्छे बनाएं।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान मंत्रिमण्डल के मंत्रीगण का एक भी बच्चा दसवीं से नीचे पढ़ने वाला, वह सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि फैशन टैक्नोलोजी व आटो -बाइल इंजीनियरिंग, बॉयो मेडिकल इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग में ...(व्यवधान)

(समय : 20.00 बजे)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं पढ़ता। सब बैस्ट प्राइवेट कालेजेज में हैं। सब प्राइवेट में हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): सारे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप पढ़े थे क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपका पढ़ा था क्या? नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपका पढ़ा था क्या? इन तीनों का तो मेरे को पता है। (व्यवधान) नहीं, आपका पढ़ा था क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई सरकारी स्कूल में नहीं है, एक नहीं पढ़ता। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपके पड़ोस में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं ...(व्यवधान) आपके पिता भी मंत्री थे, आप पढ़े हैं क्या सरकारी स्कूल में? क्या बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति: बीच में व्यवधान नहीं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बता दो न, किस का बच्चा पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में? एक भी खड़ा होकर बता दो कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षा गुणवत्ता की हालत यह है कि मंत्रिमण्डल के जो मंत्री हैं उनके सदस्यों का कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपका पढ़ता है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें, प्रतिपक्ष के नेता कुछ बात बता रहे हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मंत्री खुद हैं न, मंत्री खुद पहली से लेकर एम.काम तक सरकारी स्कूलों में ही पढ़े थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप और हम पढ़े थे ...(व्यवधान) आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं। आप और हम तो पढ़े ही थे, इससे इन्कार कर रहे हैं क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): आप तो पढ़े थे न? आप कहां जाते, स्कूलें ही नहीं थीं। लेकिन आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन इसका मतलब यह है कि राजस्थान में सरकारी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह बात सही है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर सरकारी स्कूल में गुणवत्ता भी हो। जो दसवीं के सिलेबस हैं वो छठी क्लास में पढ़ाये जाएं।

श्री सभापति: Let us be considerate to conclude to our colleague also. You have taken somebody else's time. Now let us conclude.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा की बात करना चाहता हूं। टू मिनट्स ओनली।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, उच्च शिक्षा में फैशन टैक्नोलोजी, आटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, एप्लाइड इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट, डेयरी टैक्नोलोजी और आर्किटैक्चर के जो कोर्स आपने प्रारम्भ किये उसके लिए बहुत-बहुत आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नये-नये कोर्सेज आज आ गये, हम किताबी शिक्षा दे रहे हैं लेकिन किताबी शिक्षा से रोजगार नहीं मिलने वाला व्यक्ति को। मैं यह कहना चाहता हूं कि आई.टी.आई. के क्षेत्र में इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी, इलैक्ट्रोनिक्स सिस्टम मेन्टिनेंस, टूरिस्ट गाइड, फूड टैक्नोलोजी मैकेनिक, आटो इलैक्ट्रोनिक मैकेनिक, मेडिकल टैक्नोलोजी, फ्रंट

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

आफिस असिस्टेंट, फैशन टैक्नोलोजी, मैकेनिक कम्प्यूटर और हार्ड वेयर, लिफ्ट मैकेनिक, डेण्टल लेबोरेटरी टैक्निशियन, नैटवर्क टैक्निशियन, मेडिकल इलैक्ट्रोनिक्स, डाटा एण्ट्री आपरेटर, इंटीरियर डेकोरेशन ...

श्री सभापति: चलिये, Thank you very much. Hon'ble Minister. Please just a moment Sir. I am requesting you to please accept his verbal bookie so that he can conclude his statement.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं जिनको आप भी कर सकते हैं, इनके माध्यम से हजारों- लाखों लोगों को ... (व्यवधान)

श्री सभापति: Dr. Suresh Choudhary, Please. None of the Independent Members have had an opportunity to…

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं स्थानान्तरण नीति के बारे में भी, शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ आधे मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नहीं, नहीं, पहले मेरा नाम लिया है, माहिरजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो शिक्षा मंत्रीजी से केवल इतना कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी,... (व्यवधान) एक मिनट, श्रवणजी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जो विद्यालय खोलेंगे, कृपा करके उनमें राजनीतिक भेदभाव नहीं कर सब आवश्यकता के हिसाब से आप विद्यालय क्रमोन्नत करने और खोलने का काम कर दें। इतना ही आपसे अनुरोध है।

श्री सभापति: डा. सुरेश चौधरी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने आधा घंटा दे दिया उनको, हमारे दस मिनट।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, एक सूचना है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं दो लाइन में बोलना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने आधा घंटा दे दिया उनको, हमारे दस मिनट हमें देंगे, पहले बता दिया।

श्री सभापति: आप बिराजें। I will…(interruption) कृपया शांति बनाये रखें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): सभापति महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, विधान सभा चल रही है आठ बजे तक और विधान सभा की कैन्टीन में चाय उपलब्ध नहीं है, क्या व्यवस्था है? आप निर्देश देने की कृपा करेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): व्यवस्था करवा देते हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति और मांग संख्या 47- पर्यटन पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सुबह से शिक्षा, कला, संस्कृति और पर्यटन पर पक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की काफी रोचक यहां पर बहस हुई, लेकिन कहीं भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह बात नहीं बता पाये कि 1998 से 2003 के बीच में कितने अध्यापक भर्ती हुए, कितने स्कूल खुले और किन हालात में स्कूल खुले वो किन परिस्थितियों में या किन शर्तों पर खुले। और न यह बता पाये कि स्कूलों में पदों की क्या डिस्पैरिटी थी, शहर और ग्रामीण इलाके के हिसाब से वहां पर असमानताएं थीं या क्या सुविधाएं थीं।

(समय : 20.04 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस सरकार ने आने के बाद निश्चित रूप से न-केवल प्राथमिक शिक्षा की तरफ बल्कि माध्यमिक शिक्षा की तरफ भी और एक तरह से हिन्दुस्तान में मेरे ख्याल से पहली सरकार होगी जिसने माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के हिसाब से हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक स्तर का विद्यालय खोलने की अनिवार्यता को जाहिर किया। मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लेकर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो देखने में आया

(डा. सुरेश चौधरी)

है, कांस्टीट्युएंसी में घूमते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की, उसमें एस.एस.ए. और दूसरी विभिन्न योजनाओं से पैसा आ गया, कमरे बन गये लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां चारदीवारी की है। जहां चारदीवारी नहीं है वहां शिक्षा विभाग, माननीय मंत्रीजी, आप इस तरह की व्यवस्था करें कि हर स्कूल में चारदीवारी हो ताकि वहां का पर्यावरण सुधरे, वहां प्लांटेशंन हो सके।

दूसरा, काफी अर्से से, मैं भी लगातार पांचवें बजट में मांग करता रहा हूं सरकारी महाविद्यालय की। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं हरियाणा के लगता हुआ है और बीकानेर डिवीजन में सबसे ज्यादा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल भी उस विधान सभा क्षेत्र में हैं, टैक्निकल कालेज भी वहां आ गये, प्राइवेट कालेज भी दो-तीन हो गये, लेकिन वहां का जो गरीब आदमी है वो प्राइवेट कालेज में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो मेरे भादरा में सरकारी महाविद्यालय अगर हो सके तो करें।

तीसरा, उस डिवीजन की भी काफी पुरानी मांग रही है, हमारे एक तरह से यह कहें कि उत्तर भारत में शिक्षा का अलख जगाने वाले स्वामी केशवानंदजी, जिन्होंने एरिया में शुरूआत की शिक्षा का अलख जगाने की और गांव-गांव जाकर। वहां छत नहीं होती थी तो भी पेड़ों के नीचे जाकर ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने की, जो शिक्षा की शुरूआत की। काफी लम्बे समय से उस क्षेत्र का आम आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसकी भी मांग है कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का नाम शिक्षा संत स्वामी केशवानंदजी के नाम से रखा जाए। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा शिक्षा मंत्रीजी से कहना है, निवेदन है कि बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम भी महाराजा गंगा सिंहजी के नाम से रखा जाए। ये शख्सियत उस सम्भाग में इस तरह की शख्सियत हैं कि इन सर्वोच्च शिक्षा संस्थाओं का नाम करने में मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्य भी इसमें सैद्धांतिक रूप से सहमत होंगे।

दूसरा, कला और संस्कृति के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि आजकल शादी-ब्याह में जो डी.जे. साउंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमारी परम्परागत बल्कि राजस्थानी संस्कृति, जो ब्याह-शादियों और इस तरह के शुभ अवसरों पर आगे आ कर दिखती थीं और उसको निहारने का मौका मिलता था, आज वो हो-हल्ले में बहती जा रही है और फूहड़पन की हद तक।

(डा. सुरेश चौधरी)

जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में डी.जे. साउंड पर रोक है, बैन है, मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि डी.जे. साउंड पर रोक लगायी जाए।

दूसरा मैं मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित बात करूं कि भादरा में एक मात्र राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप ध्यान दें, एक मात्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और उसमें विज्ञान संकाय खोलने का मैं लिखित में भी निवेदन कर चुंका हूं और अभी इस डिमाण्ड के माध्यम से भी कहूंगा। दूसरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है मेरे यहां जोगीवाला, मलसीसर, जिगासरी बड़ी, सेरड़ा और भिरानी, चूंकि अब सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना की वजह से उस क्षेत्र में कृषि कार्य और कृषि से सम्बन्धित रा-मैटीरियल का काम काफी ज्यादा होगा इसलिए निश्चित रूप से इस तरह बच्चों का और बालिकाओं का भी रुझान ज्यादा होगा इस पढ़ाई की तरफ तो वहां पर कृषि संकाय इन विद्यालयों में खोला जाए।

काफी लम्बे समय से राजस्थान में पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षकों की भी भर्ती नहीं हुई, मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनकी भी भर्ती की जाए। दूसरा, 1998 के शिक्षकों को जो नौकरी दी गयी, थी उसमें जरूरी नहीं है, कई बार बात आ गयी और कोई नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1998 के और जो लोक जुम्बिश के थोड़े से कर्मचारी थे वो बचे हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि दस साल तक काम नहीं किया उन्होंने, दस साल का वेतन नहीं दिया जा सकता, उनको एक मई से इस तरह का अगर दे दिया जाए ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर टेलीफोन सुन रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लो, टेलीफोन अभी आन होगा इनका।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कहां है, कहां है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन की गरिमा के खिलाफ की बात है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी खोज कर लाकर दे दूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बता सकता हूं कि किस से बात कर रहे हैं टेलीफोन पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विश्वास करो, इतना दूर थोड़ी ही है, गलत नहीं बोले। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि संयम जी का पड़ोसी हूं इसलिए पड़ोसी धर्म निभा रहा हूं अदरवाइज मोबाइल स्विच ऑन है और स्पीकर भी आन है, चल भी रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 1998 के शिक्षकों को जरुरी नहीं है कि दस साल पहले से ही दिया जाय वेतन। अगर उनको 1 मई, 2008 से नियुक्ति दी जाय तो वहीं से नियुक्ति और वहीं से सीनियरिटी और वहीं से वेतन, इसी तरह से लोक जुम्बिश की भी हमने चर्चा की थी, उसमें प्रबोधकों के अलावा कनिष्ट अभियन्ता और इस तरह के लोग हैं उनको भी स्थाई किया जाए।

दूसरा राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक स्थाई करने का विधेयक अभी 19 तारीख को आ रहा है, उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में लैक्चररशिप कैडर के जो टीचर्स हैं वे कुल मिलाकर 281 हैं1 उसमें से आधों को 154 को तो लिया जा रहा है लेकिन 127 को यह कहकर नहीं लिया जा रहा कि उनकी सर्विस उस काल की नहीं हुई जितनी सर्विस 154 की हो गयी। माननीय मंत्रीजी, सरकार ने राय मांगी एडवोकेट जनरल राजस्थान से और उन्होंने 18.2. को जो जवाब दिया उसमें भी यह कहा है "All such 127 teachers also working in the University for more than 10 years and their appointment, in my opinion, not being illegal and all there vacant posts of teachers being still available in the University, it will be in the fitness of things that these 127 teachers may also be regularized by the Committee." माननीय मंत्रीजी, आपके मंत्री बनने से पहले भी ये लोग आपके पास पहुंच गये थे और आपने उनको आश्वासन भी दिया था। आज जब वे सभी योग्यताएं पूरी कर रहे हैं जो 154 टीचर्स कर रहे हैं कुछ-कुछ मिलाकर कि इस तरह से हमने एडवरटाइज नहीं किया या आपने एडवरटाइज किया था, उनका नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इस तरह की हैं, कई तो इस तरह की स्थिति में

(डा. सुरेश चौधरी)

हैं कि वे रिटायर होने वाले हैं, वे उसी पोस्ट पर बिना स्थाई हुए रिटायर हो जाएंगे, उनका कुंआरापन तो तोड़ दो।

दूसरा पर्यटन के मामले में उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से। मेरी कांस्टीयुएंसी में अभी एक नया जोन शामिल हो रहा है डीलिमिटेशन के हिसाब से गोगामेड़ी का प्रसिद्ध गोरख टीला। जो विश्व प्रसिद्ध तपस्वी रहे हैं गुरु गोरखनाथजी, उनका गोरख टीला। वहीं गोगा पीर, गोगाजी का मंदिर है। वहां पर गोगामेड़ी मेले के टाइम में, माननीय पर्यटन मंत्रीजी काफी ज्यादा दिक्कत होती है वहां से जाने वाले साधनों के बारे में । मेरा निवेदन है कि इसमें एक अलग से बाई पास बना दिया जाए पर्यटन के हिसाब से धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी। हालांकि राजस्थान पैरोनोमा में इसको ले रखा है लेकिन साम्प्रदायिक सौहार्द का एक मात्र विश्व में प्रतीक है, जहां हिन्दु और मुस्लिम दोनों तरह के पुजारी रहते हैं, तो इस स्थल को, गोगामेड़ी को भी विकसित करने के लिए धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा और पर्यटन की मांगें पूरी होने के बाद मुख बंद का प्रयोग कर शेष मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय सारी मांगें पास होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 24 व 47 पर विचार

श्री रणधीर सिंहजी भीण्डर। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की सहमति है, सभी लोग सहमत हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): दो-दो मिनट बोलेंगे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ...(व्यवधान) हमने बोला नहीं, आधा-आधा घंटा भी दे रहे हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की भावना ...(व्यवधान) होनी चाहिए ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पांच-पांच मिनट नहीं दे सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा-आधा घंटा दे रहे हो। जब मैंने पहले कहा था, आप तो ज्ञान दे रहे हो सब लोगों को। हम तो सुझाव दे रहे हैं, हमें पांच मिनट दिया जाय, हम पांच मिनट सुझाव देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) हमें कोई आंकड़े नहीं देने हैं। हमें आंकड़े पेश नहीं करने हैं, सुझाव देने हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब चीज आ जाएगी, सदन की भावना ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बता देना, अलग से बता देना ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमको बोलने नहीं देते हो आप ...(व्यवधान) दो मिनट एक भी आदमी बोलता है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मंत्री जवाब देंगे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): काहे पे जवाब देंगे, हमने हमारी बात ही नहीं कही? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): जवाब हम कहेंगे जब देंगे न, काहे का देंगे जवाब? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुन्झुनूं जिले में आप बजट भी नहीं देते हो ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह काहे का जवाब देंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुन्झुनूं जिले के आदमी को बोलने नहीं दिया आपने।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई आफत नहीं आ रही है, और आधा घंटा बढ़ा दो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिले का न तो बजट देते हो न बोलने देते हो आप, यह क्या तरीका है?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठ जाओ, भाई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले बोलने दिया ...(व्यवधान) किसी को नहीं रोका ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पांच मिनट ही तो मांग रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आधा घंटा और बढ़ा दें, माननीय उपाध्यक्षजी ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हो रहा है और क्या हो रहा है? (व्यवधान) आधा आधा घंटा दे रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा था ...(व्यवधान) दे दो आप, मैं सुझाव दूंगा ...(व्यवधान) पांच मिनट ही तो मांग रहा हूं क्या हो जाएगा, पांच मिनट बोल जायेंगे तो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है माननीय सदस्य का नाम पुकारा है, पहले वह बोलेंगे। आपकी व्यवस्था के ऊपर मंत्री हो गये ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुन्झुनूं जिले के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात पहुंच गयी, मंत्री महोदय जवाब देंगे आपकी हर चीज का। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुन्झुनूं जिले के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके कटमोशन का डिटेल में जवाब दिया जाएगा ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारे साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आधा घंटा और चल जाएगा तो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): श्रवणजी बैठ जाओ, बता देना।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र झुन्झुनूं जिला है और पिलानी सबसे बड़ा क्षेत्र है वहां के लोगों को भी बोलने नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): शिक्षा मंत्रीजी, आप क्या जवाब देंगे मालूम है। क्यों तत्पर हो रहे हो, बैठ जाओ थोड़ी देर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) बहुत से सदस्य बोलेंगे फिर ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारे साथ अन्याय हो रहा है, झुन्झुनूं जिले को बजट ही नहीं दिया, शिक्षा पर बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गयी बात आपकी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): श्रवणजी बैठो, बता देना। जो भी बात है, बता देना। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): नहीं बात बतानी है, हमें बात नहीं बतानी। हमें वो बात बतानी है जो बात आपके दिमाग में नहीं है अभी तक ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप बता देना, बैठें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या बता देना, सब के सामने बताएंगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: करणी माता का जन्म स्थान कुआत तहसील, जोधपुर खण्डहर हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पहले कहा था, ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अन्याय हो रहा है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप सुनिये। माननीय सदस्य, सुनिये। अब सुनें जवाब सुनें। (व्यवधान) आप जवाब सुनें अब, आपकी सब बातों का समाधान किया जाएगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपने राजस्थान में जो सबसे बड़ा अन्याय किया है वह झुन्झुनूं जिले के साथ किया है, बोलने नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रवणजी, इस सदन की परम्परा रही है बहुत से सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)

बिना बोले रह जाते हैं। माननीय सदस्य, कोई ऐसी बात ...(व्यवधान) कोई अन्याय नहीं किसी के साथ ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कहना मानिये आप ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा जो अन्याय किया है वह झुन्झुनूं जिले के साथ किया है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई किसी के साथ अन्याय नहीं किया है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): केवल पांच मिनट भी नहीं दिया ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम बायकाट करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीस आदमी और बैठे हैं, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उनको तो बोलने की जरुरत कहां है ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): दो मिनट में अपनी बात खतम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक आदमी होता तो कोई बात नहीं ...(व्यवधान) पन्द्रह बीस आदमी और बैठे हैं ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं ...(व्यवधान) यह दुराचार ...(व्यवधान) इस मामले को लेकर मैं इस विधान सभा से बहिर्गमन करता हूं। आप अन्याय कर रहे हो। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन में मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी वाक आउट करता हूं ...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसा मत कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा नहीं रही है ...(व्यवधान) हाउस चलता है 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक भी चला है हाउस, क्या आफत आ गयी इसमें? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): क्या हो रहा है, साहब? (व्यवधान) कोई प्लानिंग है इनकी, बैठाते क्यों नहीं हैं आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की भावना तो ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इसमें क्या आफत आ गयी, आप आठ बजे कराना चाहते हैं, सब को ही आठ बजे जाना है क्या? जाने वाले जाएंगे। बारह बजे तक भी चलता है हाउस, इसमें क्या आफत आ रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): रिक्वैस्ट कर रहे हैं हम आपसे ...(व्यवधान) दो-दो मिनट बात कहना चाहते हैं, इसमें क्या आफत आ गयी थी, आप पांच मिनट का टाइम दे देते।

श्री उपाध्यक्ष: इतनी बार बोलने का मौका ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): क्या रागिनी बोल बैठे हो रोज की रोज ही ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कोई सभी सदस्य हर मांग के ऊपर बोलें, ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सिर्फ वो ही बैठते हैं जो बोले नहीं हैं। (व्यवधान) नहीं तो बोले और भाग जाते हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपकी मर्जी की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): बोलने क्यों नहीं देना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सब जा रहे हैं, यह अच्छा थोड़े ही है, आप दो-दो मिनट का टाइम दे देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कई बार परिस्थितियों को देखते हुए जवाब दिलवाया जाता है। माननीय सदस्य, बहुत से लोगों को नहीं मिलता है समय, कई बार नहीं मिलता है। यह नई परम्परा नहीं है, कई बार नहीं मिलता समय। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सदन में ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, 12 बजे तक भी हाउस चला है और ...(व्यवधान) शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेरी आपसे प्रार्थना है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन में पहले ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं मैम्बर्स को बुलाकर लाता हूं, आप मेहरबानी करके अलाउ करें उनको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दादागीरी है क्या? (व्यवधान) दादागीरी है क्या, क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): है क्या तकलीफ? क्या है आपको? क्या तकलीफ है आपको? आधा घंटा ज्यादा हो जाएगा तो क्या प्राण लुट जाएंगे? आपके प्राण लुट जायेंगे क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह से माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने दें ...(व्यवधान) आधा घंटे में कोई समस्या पैदा नहीं होती। आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप माननीय सदस्य को दो-दो मिनट कहने दें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हम कोई ... (व्यवधान) छोड़ने के लिये नहीं बैठे यहां पर। आप तो ... (व्यवधान) फेल हो गये हाड़ौती क्षेत्र ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आधे घंटे ही ... (व्यवधान) बैठिये। कोई गारंटी नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): खड़े रहो आप ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप। बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या बात हुई, आप माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे क्या? विपक्ष के नेता ने आपसे आग्रह कर दिया, यह कोई सरकार का तरीका है क्या? आपको तो आगे बढ़कर कहना चाहिये ... (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए, मेरी आपसे फिर प्रार्थना है आधे घण्टे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): प्रतिपक्ष के नेता आप नहीं हो, यह बैठे हैं प्रतिपक्ष के नेता हेमारामजी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, बोलिये ... (व्यवधान) आप तीन मिनट से कह रहे हो। मैं कहां खड़ा हो गया यहां? (व्यवधान) बोल लिये वह ... (व्यवधान) यह क्या बात हुई? माननीय सदस्य चले जाएंगें, फिर क्या रहेगा? रिप्लाई का मतलब क्या है? क्या मतलब? आधे घंटे में क्या फर्क पड़ता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा है, जो भी अपने सुझाव देना चाहें, दो मिनट में बोल लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो-दो मिनट ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरा निवेदन है, बुलाइये आप। रामचन्द्रजी बोलिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा निवेदन यह है कि आप वास्तव में ही दो मिनट में खतम करें ईमानदारी से, जब तो कोई बात नहीं है। दो-दो मिनट में खतम करना पड़ेगा। (व्यवधान) बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। दो दो मिनट में बोलिये। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर। बैठें ... (व्यवधान) बोलिये। माननीय सदस्य, आप दो मिनट के अन्दर अपनी सीधी मांग रख दीजिये। दो मिनट में समाप्त कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 और ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सीधा ही आ जाइये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मांग संख्या 24 और 47 के ऊपर बोलना था। शिक्षा विभाग में तो हमको इतना कुछ मिल गया माननीय मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय घनश्यामजी से कि मेरे खयाल से हमारे कोई मांग बाकी नहीं रही। जो कुछ थोड़ी बहुत बाकी रही है वह माननीय कालीचरण जी पूरी कर देंगे।

पर मैं पर्यटन पर कुछ बोलना चाहता हूं, उससे पहले, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य काफी उत्तेजित हो जाते हैं, वह कह रहे थे कि व्यावसायिक हित साधती है हमारी सरकार। उनको शायद मालूम नहीं है कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको तो चुनौती नहीं दी ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टाइम खराब करते हैं। सिरोही वाला भाषण देंगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में बैठ जाएंगे।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): जो आरोप लगा देते हैं उसका जवाब तो दूंगा साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मैं दो मिनट में जवाब देकर बैठ जाऊंगा। यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार व्यावसायिक हित देख रही है हमारे लोगों के ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह दीजिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर टी.डी.सी. के चेयरमैन बनाये थे इन्होंने अरोड़ाजी। ट्यूरिस्ट की बसें आती थीं इनके ठीक सामने पांचबत्ती पर जो दुकान है इनकी, वहां पर आकर रुकती थीं। इनके जो टिकट बुक होते थे वे अरोड़ाजी के आम्रपाली ट्रैवल्स में बुक होते थे तो व्यावसायिक हित तो इन्होंने भी खूब ध्यान में रखे हैं अपने लोगों के। हमारी सरकार कोई व्यावसायिक हित नहीं देख रही है।

गढ़ों और हवेलियो की जो हालत 50-60 साल में कर दी है, आखिर कोई तो आया है जो इनकी सुध ले रहा है। अभी बाहर कह रहे थे कि यह तो महारानी है इसलिये किलों और हवेलियों का ध्यान रख रही है, तो मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात करके समाप्त करता हूं कि 'यह बात अलग है हाथ कलम

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

हो गये अपने, हम आपकी तस्वीर बनाना नहीं भूले'! ये जो किले और हवेलियां हैं इनको संरक्षित रखेंगे तो इनको देखने के लिये ट्यूरिस्ट आएंगे। इसीलिये आप देखो, पिछले साल की बनिस्पत इस साल हमारे विदेशी ट्यूरिस्ट 14.82 प्रतिशत बढ़े हैं। हमको लोकप्रिय पर्यटन स्थल अवार्ड सी.एन.बी.सी. ने दिया है। हमको हैरिटेज ट्यूरिज्म का टुडे ट्रेवलर डायमंड प्राइज अवार्ड मिला है। हमारी पैलेस ऑन व्हील्स में जो प्रगति हो रही है उसमें जो आगमन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा ट्यूरिस्ट्स से, इसमें राज्य में व्यवसाय से जुड़े सभी वर्गों की आय में वृद्धि हुई है और रोजगार भी अतिरिक्त उपलब्ध हुआ है। पर्यटन पुलिस भी हमने लगायी है जिससे कि इनके राज में जो लपके थे और जो बार-बार ट्यूरिस्ट्स को परेशान करते थे, उस पर कण्ट्रोल हुआ है। जन उद्योग के रूप में हमारा पर्यटन व्यवसाय अब स्थापित होने वाला है, लेकिन मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिये। किसी जमाने में हरियाणा ट्यूरिज्म पूरे भारत में बहुत अच्छा था। वहां पर ट्यूरिस्ट भी आते थे। वहां का खाना भी बहुत अच्छा था। हमारा अभी भी बेहतर है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात, माननीय सदस्य।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): हमको यह ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे फूड एंड ब्रेवरीज, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य अब समय पूरा हो गया। श्री रामचन्द्र सराधना। (व्यवधान) माननीय, आप बैठें। अब हो गया। रामचन्द्रजी ... (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): दो बात तो पूरी करने दो।

श्री उपाध्यक्ष: बोल दी। (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भोजन के आय-व्यय में ज्यादातर जो इनकम होती है वह हंडरेड परसेण्ट होती है, नहीं तो पचास परसेण्ट जरूरत होती है। आर.टी.डी.सी. के आय-व्यय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा-सा ध्यान रखा जाए।

इसी तरह से यातायात और नौकायन में तो जितनी आय हुई है उससे ज्यादा व्यय हो गया है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): इन दो चीजों पर आपको देखने की जरूरत है।

हमारे जो लोक देवता हैं जैसे कि पाबूजी, कल्लाजी, तेजाजी, इनके जो स्थान हैं उनको विकसित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा देशी ट्यूरिस्ट बढ़ें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मेवाड़ काम्प्लैक्स योजना है उसकी प्रगति भी धीरे हो रही है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। चावण्ड राणा प्रताप की जहां छतरी है उसके यहां पर पाराई नदी से पानी लाकर उस तालाब को भरा जाए ताकि वहां पर पर्यटक आएं, उनको आनन्द आ सके उस जगह का। हमारे हाड़ा रानी का जो महल है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। अब मंत्री महोदय ... (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): वहां पर हाड़ा रानी की मूर्ति के साथ-साथ उस महल को भी विकसित किया जाए। जयसमंद से लेकर ऊंटयाणी तक रोप-वे बनाया जाए। राणा प्रताप से जुड़े हुए अन्य स्थल जैसे कमलनाथ वगैरह हैं, उनको भी मेवाड़ काम्प्लैक्स में लिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि बड़े कष्ट के साथ आपको मुझे परमीशन देनी पड़ी। हालत यह हो गयी कि डिमांड पर मैंने एक बात पूछ ली थी हमारे मुख्य सचेतक महावीरजी से कि डिमांड पर बोलने का क्या कायदा है, क्यों बोला जाता है? इन्होंने मुझे तरीके से समझा दिया था, यह कोई बड़ाई करने का काम नहीं है, अपने-अपने सुझाव देने का है और अपने-अपने एरिया की डिमांड करने का है। जिन लोगों को बड़ाई करनी है उनको टाइम खराब करना ही नहीं चाहिये। वह बनी बनायी बात है कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बुराई के साथ बड़ाई भी आती है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उष्ट्रनां लग्नवेलायाम्, गर्दया: स्तुति पाठका:। परस्परं प्रशंसन्ति, अहोरूपं अहो ध्वनि:।। यह क्या, एक दूसरे की बड़ाई करने पर लग रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई आफत नहीं आ जाएगी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बुराई जब होती है तो बड़ाई भी होती है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): बारह बजे तक आज चल जाएगा यह, तो इसमें कोई आफत नहीं आ जाएगी। इसी तरह से मंत्री और मुख्य मंत्री आप सब करके आते हैं, एक-एक विधायक अपने क्षेत्र के प्रति वफादार है और अपनी बात कहना चाहता है, उसको टाइम मिलना चाहिये। यह कोई बात नहीं है ... (व्यवधान) आठ पी.एम. सरकार के लिये लागू है ... (व्यवधान) तो नहीं बने हैं। यहां घनश्यामजी बैठे हैं, कालीचरणजी बैठे हैं, सांवर लालजी बैठे हैं, 8 बजने वाले हैं, जिनको चिन्ता है चले जाने दो। हमारी बात कहने दो। समय से बैठे हुए हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप अपने सब्जैक्ट पर आ जाइये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इतनी देर से उपाध्यक्षजी बात यह चल रही थी दोनों तरफ से और यह कहा जा रहा था, कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस की आए, चाहे बी.जे.पी. की आए, कोई भी सरकार गलत काम नहीं करना चाहती और कोई भी बदनामी मोल लेना नहीं चाहती। ये चाहती है, मेरे कार्यकाल में सबसे बढ़िया काम हो। बी.जे.पी. ने भी यही काम किया है, कांग्रेस ने भी यही काम किया है। लेकिन यहां सुनने के लिये बहुत देर से मिला कि कांग्रेस ने सारा सत्यानाश कर दिया शिक्षा का। बहुत देर से सोचता सोचता मुझे समझ में आ गया कि जो भी बहुत सारी मूर्तियां यहां नजीर के रूप में पेश हुई हैं यह कांग्रेस की उपज हैं। इन्होंने इनको बनाया था, अपना -अपना चरित्र यहां पेश कर रहे हैं हम।

मान्यवर, यह सदन है, सारा राजस्थान इसकी तरफ देखता है। नीति निर्धारक हम यहां बैठे हुए हैं, नीति को चलाने वाले लोग दीर्घा में बैठे हैं। यह देख रहे हैं कैसे-कैसे नीति निर्धारक हैं और कैसे-कैसे फैसले कर रहे हैं। यह कर रहे हैं ड्राप आउट की बात करो, प्राइमरी एजुकेशन की बात करो, आप आई.आई.टी. की बात करो, कम्प्यूटर की बात करो, किसके लिये कर रहे हैं? आपने देखा गांवों में जाकर, प्राइमरी एजुकेशन की क्या स्थिति है? किसी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

सज्जन ने कहा प्राइमरी एजुकेशन के लिये? प्राइमरी एजुकेशन के दर्द को समझा आपने? (व्यवधान) बैठे-बैठे बात करते हैं। एक दूसरे की बात कर रहे हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूं, साथियों से माफी चाहता हूं, सब विधायकों से माफी चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। तगारामजी, बीच में नहीं। (व्यवधान) तगारामजी, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मेरी बात सुन लेने दो आप।

मान्यवर, आप प्राइमरी स्कूलों में जाकर देखोगे, यह ड्राप आउट की बात कर रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं बड़े-बड़े, किसको ड्राप आउट मानते हो? स्कूल छोड़कर चला जाता है उसको? मैं कहता हूं, जो बाटी और दाल खाने के लिये आता है उसके तत्काल बाद चला जाता है अपना कटोरा लेकर, उसको कौनसी श्रेणी में रखोगे? हालत खराब है प्राइमरी एजुकेशन की। आप यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, कालेज भी बनाएंगे, आईआईटी सैंटर बनाएंगे, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे गांव का लड़का जो काश्तकार का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसके लिये कुछ भी नहीं है, सब बराबर हो रहा है। अब मैं मंत्रीजी को चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ चलकर के 10 स्कूलें देख लें आप, 10 स्कूलों में से एक भी स्कूल मिल जाए ढंग से। उस दर्द की बात नहीं करना चाहते। गांव वालों की बात करना नहीं चाहते। आप महलों की बात करें, बड़े-बड़े आंकड़े पेश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आपके अधिकारियों से पूछ लेना, कि बारह महीनों में एक भी अधिकारी ने क्या बारह स्कूलों में भी जाकर देखा होगा? कहीं इंस्पेक्शन करके आपको रिपोर्ट दे दी होगी। आप उनको रोज मीटिंग में रखते हैं, आज फलां की मीटिंग है, आज फलां की मीटिंग है। यह सबसे दु:खदायी चीज है। प्राइवेट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी इस हाउस में एक सुझाव दिया था और मैं आज भी सुझाव देना चाहता हूं कि आप मिड-डे मील चलाएं, बहुत अच्छी बात है, घूघरी चले, दाल-बाटी-चूरमा चले, चपाती चले, चलाएं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि रसोई घर बनाना, रसोई बनाना और वहां पर दूसरों को रसोई बनाने के लिए तैयार रखना, उसके लिए ईंधन की व्यवस्था करना, बर्तन की व्यवस्था

(श्री रामचन्द्र सराधना)

करना, यह सारा उस स्कूल को डिस्टर्ब करता है। जब धुआं उठने लग जाता है तो बच्चे उठकर देखने लग जाते हैं कि आज दाल, बाटी बन रही है। हालात खराब हैं, मैं आपको हकीकत निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी सुझाव दिया था माननीय गुलाब चन्दजी और माननीय घनश्यामजी बैठे हैं, आपको मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इतना नहीं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप इस मिड-डे मील को यदि कन्वर्ट करा सको तो पैकिंग में करो, पैकिंग में कोई बेइमानी भी नहीं होगी। बच्चे को जाते वक्त हाथ में पकड़ा दिया जाए वह खाता हुआ चला जाएगा। आप इंटरवेल में देते हैं दाल, बाटी, चावल, चपाती, वह घर से कटोरा लेकर आता है, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी वह कटोरा लेकर के आता है घर से और खाना लेकर बचा खुचा मास्टर को, कि तू चल। और मास्टर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यदि वह व्यवस्था नहीं करे, यदि वह व्यवस्था नहीं करता है तो उसको ऊपर से लोग दबाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): स्कूल में पर्याप्त थालियां हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह एक सुझाव दे रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): स्कूल में पर्याप्त थालियां हैं, हमने दान दाताओं से भेंट करवायी हैं। कोई कटोरा लेकर घर से नहीं आता है। यह आप अपमान कर रहे हैं उन बच्चों का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह सुझाव दे रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप उन बच्चों का अपमान कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बीच में ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): देखिये, एक बात और है, हर विधायक मेरी तरह ही है लेकिन हर विधायक खड़ा होकर शिक्षा मंत्री की हैसियत से बात करता है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप क्यों बीच में टोकते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में टोका-टोकी नहीं करें। (व्यवधान) बीच में टोका-टोकी नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आखिर यह तरीका क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, इनकी बात दो मिनट में समाप्त करने दीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कहने से आपकी सरकार नहीं जाएगी और कहने से मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हम छंटे-छंटाये लोग हैं यहां। आप बात सुनने के लिए तो तैयार रहो कम से कम ...(व्यवधान) यह तो कम से कम सुनें। यदि, जोगेश्वरजी गर्ग, आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामना देता हूं। लेकिन मैं तो मेरे एरिये की बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यदि इसमें कोई पैकिंग के रूप में ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इसमें माफी मांगने ...(व्यवधान) यह व्यवधान नहीं डालेंगे तो हम भी नहीं डालेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप एक बार उसको मीठा बिस्कुट दें, दूसरी बार उसको नमकीन बिस्कुट दें, भुने हुए चने दें, इस तरह से उसको पांच-छः पैकेट बनाकर हर दिन अलग-अलग दे देंगे तो हमारे गांव वाले बच्चों की दशा सुधर जाएगी। अन्यथा, माननीय महोदय वह रोजाना दाल, बाटी और रसोई के धुंए में ही काम चला रहा है। कोई ईंधन लेने जा रहा है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अक्षत कलेवा में मिल रहा है। मेरे साथियों, मैं आपको हार्दिक दु:ख के साथ, हृदय से दु:खी होकर कह रहा हूं कि प्राइमरी एजुकेशन की हालत खराब है। सौ तक की गिनती नहीं आती है। पूरी बारहखड़ी नहीं आती है,

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आठवीं में लड़का आ गया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीरता से इस पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, संसदीय मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसी भी बात को नीचे नहीं जाने देते। यह दुर्भाग्य की बात है इस प्रजातंत्र की कि इधर बैठने वाला बुराई करता है और यहां बैठने वाला उधर जाते ही बड़ाई करने लग जाता हे। सारा प्रोटैक्ट करता है। हर एम.एल.ए. खड़ा होकर भाषण देता है कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अरे, वह देने वाला जवाब दे देगा, आपको जो बात कहनी है वह कह दें। उनको जवाब देने का मौका तो छोड़ो। जोगेश्वरजी आपका नहीं है, आपसे मैं माफी चाहता हूं, इनको जवाब देना है दे देंगे। मेरी बात ठीक लगे तो दे देना, नहीं तो मत देना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये, हो गयी दो मिनट आपकी।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं संस्कृत शिक्षा के बारे में। बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, संस्कृत शिक्षा के जितने भी पद हैं- प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री और आचार्य ये समकक्ष पद हैं, सामान्य शिक्षा के बराबर। सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, बी.ए. ग्रेजुवेशन वाले कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इनके बराबर के प्रिंसिपल, इनके बराबर के लैक्चरर हैं। इनकी वेतन श्रृंखला में इतनी भिन्नता क्यों, इतनी विषमता क्यों? सारे बराबर योग्यता के हैं, बराबर विषय पढ़ाते हैं। शिक्षण की व्यवस्था वैसी ही है, उतनी ही एजुकेशन होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम करती है, संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें कि ये विद्वान लोग बहुत वर्षों से पीड़ित हैं, इनकी वेतन श्रृंखला को आप ठीक कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता था, आज भी बात आयी थी कि राजस्थान में पहली एक जगह है खाचरियावास जहां पहले महिला संस्कृत कालेज की मांग आयी है। इस महिला संस्कृत कॉलेज के लिए भी यदि राजस्थान की सरकार चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं बीजेपी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण मांग को भी ठुकरा दें और उसको स्वीकार नहीं करें। राजस्थान में एक महिला संस्कृत कालेज की मांग आयी है, उसमें भी आप गौर फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक बात और कहना चाहता हूं, दो मिनट की बात है। सीनियर स्कूल के लैक्चरर की क्वालिफिकेशन होती है एम.एम, बी.एड. और सैकण्डरी के हैड मास्टर की क्वालिफिकेशन होती है बी.ए., बी.एड., उस बी.ए., बी.एड. वाले की ग्रेड तो है 600 से 800 तक की और वह एम.ए., बी.एड. जो लैक्चररशिप में काम कर रहा है, उसकी पे स्केल उससे नीचे है। क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा है लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि वह स्कूल लैक्चरर बन गया। इस विसंगति को दूर करें। वह क्वालिफिकेशन में ज्यादा है और ज्यादा दिनों तक वह रहता है, उसके बावजूद भी डीपीसी नहीं होने के कारण से उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। मैं मेरी बात को शार्ट में बताना चाहता हूं। एक और बताना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के आने के बाद में यह बात हुई है, लोचू का बास का एक सैकण्डरी स्कूल है...

श्री उपाध्यक्ष: अध्यापक रहे हैं, अध्यापक रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक ही बात है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हम क्या बात सुनने के लिए हैं और क्या फालतू बैठे हैं? हम प्रतिपक्ष के नेता के कंट्रोल में नहीं हैं। हम भी बैठे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हम भी पूरी बात सुनकर जाते हैं ...(व्यवधान) दो मिनट बाद में यह भी निकल जाएंगे ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नाराज होकर गये हैं सब। सब आपसे नाराज होकर बायकाट करके गये हैं, फिर आप कह रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): एक मिनट में मेरी बात को ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने घर भेजा है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह सुझाव दे रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, सुझाव ही दे रहे हैं, सुनिये आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने ही भेजा है सब को ... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, एक मिनट में मेरी बात को समाप्त करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं। लोचू का बास एक सैकण्डरी स्कूल है, वहां पर एक लड़के की पिटाई कर दी वहां के पी.टी.आई. और हैड मास्टर ने। दोनों के झगड़ा हुआ, तालाबंदी हो गयी। अधिकारी गये जांच करने के लिए। एक सवाल लगा दिया जोगेश्वर जी गर्ग ने, उसका जवाब दिया शिक्षा मंत्रीजी ने कि वह दोषी पाये गये हैं और प्रिंसिपल और पी.टी.आई. को हटा दिया। मान्यवर, आप आश्चर्य करेंगे, शिक्षा मंत्रीजी तो भाषण दे रहे हैं कि हमने उनको हटा दिया और 4 दिन के बाद वे पी.टी.आई. और प्रिंसिपल वापस चले गये। शिक्षा मंत्री जी का यह हाल है, क्या जवाब देंगे? पहले दिन हटाते हैं और तीन दिन बाद में वापस चले गये। गांव में अशांति पैदा हो गयी। हालात खराब हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का शैक्षणिक वातावरण ठीक ढंग से बनाये रखना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर करना होगा। आखिर में एक बात और कहूंगा कि सारे पावर, आज व्यवस्था खराब हो रही है, प्रशासन बिगड़ा है शिक्षा का, वह इसलिए बिगड़ा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय सदस्य, जिसकी यह बात कर रहे हैं, जो अभी प्रश्न उठाया है, मुझे दो मिनट आप दें, इस पूरी चीज का जवाब तो मैं दे दूंगा। इन्होंने किस मुददे पर इस चीज को उठाया है, इनके वक्तव्य के बाद दे दूंगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हां, हां, दे देना। मैं आपको एतराज नहीं करता हूं। मेरे पास जो आयी हैं ग्रीवेंसेज, उसके लिए मेरा फर्ज था मैं आपको कहूंगा। मैं एक बात निवेदन और करना चाहता हूं कि आज बी.ई.ओ., डिस्ट्रिक्ट आफिसर पंगु हो रहा है, डायरेक्टर पंगु हो रहा है। हालत यह है कि सारे पावर्स मिनिस्टर के पास, सरकार के पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इसलिए उन पर भी गौर करें। उनका कोई कहना नहीं मान रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है। वह गांवों में जाते हैं तो कोई मास्टर सलाम नहीं करता। वह कहता है कि एम.एल.ए. से और मिनिस्टर से मिल लूंगा। यह कोई आपके बी.जे.पी. के राज की बात नहीं है, कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हालात ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। श्री भंवर सिंह राजपुरोजित ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आपके राज में क्या हुआ यह तो बता दो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपका और मेरा राज नहीं आया, काहे के लिए तौबा-तौबा कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आपका राज है न मेरा राज है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय सदस्य, एक मिनट विराज जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में काहे के लिए बात करते हो?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर के साथ एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को कोई बच्चा बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से बात बनाकर कही जाती है वह बतंगड़ लगती है। जिस स्कूल की यह बात कर रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वह स्कूल है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): इसलिए नहीं देना चाह रहे थे क्या मुझे टाइम।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): जब आप फर्मा रहे थे तो मैंने कोई बात बीच में नहीं टोकी। स्कूल के अंदर जो कुछ भी वाकया हुआ, किसी बच्चे की उद्दंडता से जब यह मामला पुलिस तक जाने लगा तो लोगों ने बीच-बचाव करके वहीं समझौता करा दिया। पहले गलती बच्चे के अभिभावकों से और बच्चे से हुई थी और इस बात को वहीं रोक लिया गया। पांच दिन बाद किसी दूसरे राजनीतिक कारणों से पुनः इस बच्चे से शिकायत करायी गयी। फिर भी ठीक है, जांच हो गयी, प्रिंसिपल क्योंकि वहां का प्रशासक होता है, प्रिंसिपल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

को वहां से हटा दिया गया और बीकानेर उसको ए.पी.ओ. कर दिया गया। पूरा का पूरा गांव पांच दिन तक स्कूल को ताला बंद करके रहा कि इसमें किसी मास्टर की गलती नहीं है। अगर कोई बदमाश बच्चा है, अनुशासनहीनता करता है तो किसी न किसी तरीके से उस पर रोक लगनी चाहिए। पांच दिन तक यह बात ज्यों की त्यों रही। आखिर में शिक्षा मंत्रीजी से परमीशन लेकर मैं वहां गया और यह कहकर आया कि इसकी पूरी जांच हम करवा देंगे। यह जांच अभी भी अधूरी है, हम वापस इसकी जांच करवाएंगे, एस.डी.एम. के लेवल से करा देंगे। अगर फिर भी वह दोषी पाया गया तो ट्रांसफर ही क्या बड़ी बात है, दण्डित भी कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से इसको रखा गया है, वह गलत है, वह असत्य है। इसमें जो भी दोषी है, उसको दण्ड मिलेगा लेकिन पहले इन्क्वायरी होगी उसके बाद दण्ड मिलेगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवरसिंह राजपुरोहित। (व्यवधान) कोई बात नहीं है माननीय सदस्य, बैठिए। समय देंगे। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो एक सारगर्भित श्लोक बोल रहा हूं शार्ट में। मैं घिसी पिटी बातें नहीं करना चाहता। मैं एक श्लोक से समझाता हूं। मैं विद्या का महत्व बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक संगीतमय श्लोक बोल रहा हूं-

विद्या नाम रूप, विद्या नाना रूप,
मदिकम पृच्छ्ज गुत्तम धर्म,
विद्या भोग करि यश सुख करि,
विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या राजस पूजत नहीं,
धर्म विद्या विहीनम् पशु,
एषाम् विद्या, एषाम् विद्या,
तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्मः
ते मृत्यु लोके भव भार भूता
मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 और 47 पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा राजनीतिक दलों के लिए बहस का रुचिकर विषय बन गया है। आज जिस तरीके से शिक्षा की बात की जा रही है, दूरदराज के आदिवासी अंचल, ट्राइबल सब प्लान एरिया के कोटड़ा की मैं बात करना चाहता हूं। आज इस राज्य के लिए यह जरूर कह दिया कि शिक्षा से पहले जो मुफ्त शब्द लगाया है उसमें कहा गया है, बैग मुफ्त, पेंसिल मुफ्त, किताबें मुफ्त, पोशाक मुफ्त और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटड़ा में शिक्षकों की हाज़िरी पर नौकरी भी मुफ्त, रुपया देना भी मुफ्त, शिक्षा में पढ़ाओ तो पढ़ाओ नहीं तो सब मुफ्त। इस तरह की बात कोटड़ा जैसे एरिये में चरितार्थ हो रही है। पंचायत समिति कोटड़ा का मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पर 44 विद्यालय बंद अवस्था में हैं। झालरा जैसा एरिया जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवड़ी, उपरीथला का एरिया आज भी रिक्त अवस्था में है और बंद अवस्था में है और वहां पोषाहार बराबर उठ रहा है। वहां पर स्कूल बंद है तो पोषाहार कहां जा रहा है, यह कहा नहीं जा सकता। वहां पर अधिकांश पदों पर पोस्टिंग तो कोटड़ा में है लेकिन डेपुटेशन शहर के आसपास है। वे तनख्वाह तो कोटड़ा से लेते हैं और काम शहर के आसपास कर रहे हैं, यह एक बड़ी तकलीफ है। उस दूरदराज के एरिया में शिक्षा की क्या स्थिति होगी, कहा नहीं जा सकता। आज जिस तरह से सर्व शिक्षा अभियान में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, उससे आने वाले समय में भवनों के लिए बहुत बड़ी कमी और खामी रहेगी और कई तरह की तकलीफें उस एरिया के लिए होंगी। वहां पर तिमाही और छमाही बालिका शिक्षा शिविर जो सर्व शिक्षा के चल रहे हैं, घटिया सामग्री उनको दी जा रही है, खाना समय पर नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की स्थिति को देखकर लगता है, सर्व शिक्षा अभियान में जिस तरह की सामग्री यूज हो रही है कि वह कई तकलीफें लिए हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत विद्यालयों में पूरा स्टाफ नहीं है। शिवड़िया का सौरा, पंचायत मालवा का चौरा में है, वह काफी समय से बंद पड़ा है। मेरे एरिये के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण वहां के बच्चे तकलीफ पा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट आपसे इसलिए लेना चाहूंगा, मैं कहना चाहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट हो गए आपको, बाकी आप मंत्री महोदय को लिखकर दे देना। आपको चार मिनट हो गये, बस हो गया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): दो मिनट में मेरी बात को खतम करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुक्तांगन विद्यालय जो वहां पर है, भवन बनकर कम्प्लीट हो गया, सती का खेत, रणेजी, साम्भलमाल और वाकल क्षेत्र, लेकिन वहां पढ़ाने वाला नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं कि मुक्तांगन विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों के रूप में परिणत किया जाए तो उस एरिये के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा के हास्टलों के लिए जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कम पैसे दिये हैं और एस.सी., एस.टी. का बैकलाग जो अलग-अलग श्रेणियों में है उसको पूरा भरा जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजतिलक एक पर्यटक स्थल है, मैं थोड़ी उसकी बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चार-पांच मिनट ले लिए, माननीय सदस्य, बाकी बात आप लिख कर दे देना मंत्रीजी को।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): वहां पर पर्यटन की जितनी भी राशि आई हुई है उसका उपयोग हो जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में मेरी बात कह रहा हूं। हमारा राजकीय महाविद्यालय गोगुन्दा में करवाया जाए जिससे दूरदराज के एरिये के बच्चे जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनको समय पर शिक्षा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जरगाजी का स्थान, पलासमा का स्थान, गजानंदजी गोगुंदा के बहुत विख्यात स्थान हैं, उनको पर्यटन की दृष्टि से जोड़कर उत्थान कराया जाए और विकास की धारा में उनको जोड़ें। मैं इन शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आंकड़े और भैंस के कांकड़े पर बहस चल रही है, कि आपकी सरकार ने यह नहीं किया, कि हमारी सरकार ने यह किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। होना यह चाहिए कि इस बजट में यह अच्छी बात है और यह कमी है, इसको

(श्री विजय बंसल)

सुधारा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय ही कहूंगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय तो बहुत दिनों से छुट्टी पर हैं, आपके पास ही उनका चार्ज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर नए स्कूल खोलने, क्रमोन्नत करने के बारे में जो ऐतिहासिक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 साल के कांग्रेस शासन में आज तक स्कूलों के खोलने की ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। यह सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक पंचायत में एक सैकण्डरी स्कूल खुले और गांव के बच्चे कहीं दूर नहीं जाएं। सैकण्डरी एजुकेशन तक अपनी पंचायत में उनको पढ़ाई उपलब्ध हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?

श्री उपाध्यक्षः धन्यवाद।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आप बीच में मत बोलो, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह से उजागर कर सकता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा में बहुत शिक्षकों की भर्ती इस सरकार ने की है, लेकिन पिछले 5 साल में कितनी की थी, यह बता दें? मेरा तो इसमें एक सुझाव है कि कम से कम जो आगामी भर्ती हों उनमें विधवाओं के लिए आरपीएससी या बीएड की बात न रखकर उनको डाइरेक्ट भर्ती करके नौकरी के टाइम में बीएड करने के लिए किया जाए तो महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

श्री उपाध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 47- पर्यटन ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मैं ऐसे नहीं बैठूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मेरी क्या बात आ गई? मैं अपनी पार्टी का नेता हूं, मैं बोल सकता हूं, मेरा टाइम है।

श्री उपाध्यक्षः कह दिया आपने।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मुझे बोलना है। यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्षः दो मिनट।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष भरतपुर संभाग में इंजीनियरिंग कालेज खोलकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भरतपुर के स्टूडेंट्स के लिए दी थी। इस वर्ष मेडिकल कालेज खोलकर जो भरतपुर जिले को उपकृत किया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर सम्भाग में एक बहुत बड़ी मांग उठती चली आ रही है, आंदोलन भी हुए हैं, लोग टंकी तक चढ़ गये थे, जब प्रत्येक संभाग में यूनिवर्सिटी है तो भरतपुर सम्भाग में यूनिवर्सिटी क्यों न हो। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय व माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि इसी बजट सत्र में भरतपुर में यूनिवर्सिटी घोषित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यूनिवर्सिटी से बड़ी चीज क्या होगी?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर स्थित घना पक्षी नेशनल विहार पानी की कमी से जूझ रहा है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी अपनी कोशिश कर रही हैं, दो दिन पहले मीटिंग हुई और कल शायद चीफ सैक्रेटरी स्तर पर इसकी मीटिंग हुई, उसकी पानी की व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भरतपुर का ध्यान रखकर एक ऐतिहासिक कार्य किया महाराज सूरजमल की स्मृति में किशोरी महल में एक स्मारक स्थापित करने के लिए। साथ ही साथ मैं डा. दिगम्बर सिंहजी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, राजेन्द्रजी का आभार प्रकट करता हूं, माननीय घनश्यामजी का आभार प्रकट करता हूं, सभी का आभार प्रकट करता हूं कि दो ऐतिहासिक मंदिर हैं, साथ ही साथ भरतपुर जिले के जितने भी द्वार हैं पर्यटन की दृष्टि से उनके लिए पैसा स्वीकार किया गया और उन पर काम शुरू हो रहा है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं भरतपुर की

(श्री विजय बंसल)

एक ऐतिहासिक सुजा गंगा नहर है जो पूरे शहर के चारों तरफ बहती है। आज उसकी हालत यह है कि एक महीने में 15 आत्महत्याएं वहां होती हैं किसी को आत्महत्या करनी हो तो वह भरतपुर जाए।

श्री उपाध्यक्ष: यह ऐसा कलंक क्यों है?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से भरतपुर एक बहुत बड़ा सिंहद्वार है जहां घना पक्षी नेशनल विहार भी है। अगर सुजान गंगा का जीर्णोद्धार किया जाए, जहां एक आंदोलन भी चल रहा है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की कमी से जूझ रहे भरतपुर को पर्यटन के आधार से रोजगार मिलेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह। ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह तो भरतपुर का बनिया है, यह समझ लो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आत्महत्या करने वालों को भरतपुर चले जाना चाहिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भरतपुर का आत्महत्या का कोटा पूरा हो गया जो बाहर से बुला रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बंसलजी।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): एक घोषणा करता हूं भरतपुर जिले में कांग्रेस की एक सीट नहीं आएगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामदेवजी का मंदिर, रानाबाई जी का मंदिर, तेजाजी का मंदिर पर्यटन स्थल घोषित करें, बाकी सब विकास हो चुका है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन विकास विभाग के 118 कट मोशन और आर्ट एण्ड कल्चर विभाग के 10 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनके जवाब माननीय सदस्यों को हम भेज चुके हैं।

आज जितने भी ट्यूरिस्ट इण्डिया आते हैं, एक तिहाई राजस्थान आकर जाते हैं। राजस्थान के अंदर डैजर्ट है, अरावली रेंज है, बड़ी-बड़ी झील हैं,

(श्री गजेन्द्र सिंह)

नेशनल पार्क्स हैं, कल्चर है, कलर है, संस्कृति है, सब कुछ है। कई ऐसे देश हैं जो केवल ट्यूरिज्म के ऊपर निर्भर रहते हैं जैसे नेपाल, मारीशस, मालदीव, दुबई, इनकी पूरी इकोनोमी ट्यूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंड रहती है।

आज अच्छा रोजगार ही किसी प्रदेश या देश को आगे ले जाता है, ट्यूरिज्म उसका मल्टीप्लायर अइफैक्ट है It is the fastest growing industry in the world. इसका मल्टीप्लायर इफैक्ट है कि एक ट्यूरिज्म आता है तो लगभग 5 लोगों को डाइरेक्ट- इनडाइरेक्ट एम्प्लायमेंट मिलता है।

ट्यूरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। आप राजस्थान का देख लीजिए, जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थीं तब जयपुर और उदयपुर के अंदर एयरपोर्ट आ गया था, होटल आ गये थे, यह सब पर्यटन की वजह से हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के अंदर 2007 में 12 बिलियन यूएस डालर की आमदनी ट्यूरिज्म के जरिये हुई। हमारी सरकार के अभी चार साल हैं हम 86 करोड़ रुपये ट्यूरिज्म एक्टिविटीज के ऊपर खर्च कर चुके हैं जब कि और कांग्रेस सरकार 5 साल के अपने कार्यकाल में केवल 17 करोड़ रुपये खर्च कर पायी। 17 करोड़ और 86 करोड़ का बहुत ज्यादा अंतर है।

इसके अलावा हमने ट्यूरिज्म को प्रमोट किया, इसके जो रिजल्ट मिले हैं, पिछले चार साल के अंदर जो विदेशी पर्यटक हैं वे 6 लाख से बढ़कर 15 लाख राजस्थान के अंदर आये। यानी 250 प्रतिशत हमारे ग्रोथ हुई। ओवरआल ट्यूरिज्म है वह 131 लाख से बढ़कर 273 लाख ट्यूरिस्ट आये, यानी 105 प्रतिशत की हमें बढ़त मिली। हमारी सरकार ट्यूरिज्म को पूरा प्रमोशन दे रही है।

हमने इसके जितने भी कार्य लिये हैं उसके बारे में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ बताना चाहूंगा। आमेर डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट अथोरिटी, इसके दिसम्बर, 2009 तक 35 करोड़ खर्च होने हैं। आमेर का पैलेस, केसर क्यारी, वहां के बाग़-बगीचे, बिजली की जितनी ओवरहैड लाइन्स हैं वो हटायी गई हैं, आडियो गाइड जिससे आप ईयरफोन लगाकर पूरे आमेर महल की सैर कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आर्ट गैलेरी, शीश महल आराइश का जो काम जर्जर हो रहा था, लाइट एण्ड साउंड शो, कल्चरल प्रोग्राम, रेस्तरों और क्राफ्ट शॉप्स, ये जो कार्य हैं, अगर आप जाकर देखें जिन लोगों ने आमेर महल पहले देखा रात-दिन का फर्क है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्क वेबर, वर्ल्ड मोन्यूमेंट फण्ड से न्यूयार्क से आये और उनका मेरे पास यहां कमेंट बुक में है। कमेंट तो बहुत ज्यादा हैं, ट्यूरिज्म की बहुत जानी-मानी हस्ती हैं, पर मैं उनका एक कमेंट पढ़ूंगा। मार्क वेबर ने लिखा है- "To the entire restoration team this is one of the finest conservator projects I have seen worldwide." यह एक्सपर्ट बोल रहे

(समय : 21.00 बजे)

हैं। और सिरोही से पधारने वाले, इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, व्यर्थ में हो रहा है। कमेटी बनाई है, फिक्टीशियस बनाई है। आपको यह बताना चाहूंगा, इन्होंने सदन को गुमराह किया है, गुमराह कैसे किया है? कि आमेर अथारिटी की जो मेन बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल, उसके एक्स आफिशियो चेयरमैन माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और जो एक्जीक्यूटिव कमेटी है उसके एक्स-आफिशियो चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी हैं, जो डे-टु-डे वर्किंग आफ अथोरिटी और जो सुपरविजन का डेली वर्क होता है उसको करते हैं। तो यह जो आपने बात कही, बिलकुल ही बोगस बात और सदन को गुमराह करने की कोशिश की।

इसके अलावा, दूसरी बात राजस्थान दिवस के बारे में रेज की गई है। यह चौथा राजस्थान दिवस है, जब यह शुरू हुआ तो थोड़ा सरकार को फाइनेंशियल बर्डन वहन करना पड़ा, पर जैसे-जैसे यह बढ़ोतरी की ओर है, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो टोटल खर्चा हुआ है राजस्थान दिवस पर, 7 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च हुए हैं जिसके अंदर स्पोंसरशिप से 3 करोड़ 60 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष हमारा बजट है साढ़े 7 करोड़ रुपये का और आज की तारीख में 6 करोड़ रुपये हमने स्पोंसर से ले लिये हैं। हिण्डौली से पधारने वाले माननीय सदस्य +++ मचा रहे थे कि जो स्पोंसर्स आये हैं, किसी तरह से उनको हम ओब्लाइज करने वाले हैं या कर चुके हैं। स्पोंसर जो आए कोई 6 करोड़ का एक स्पोंसर नहीं आया है, छोटे-छोटे स्पोंसर हैं, वह भी चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट है, अपना नाम जो है वह एडवर्टाइजिंग के थ्रू आगे बढ़े जैसे कि हर स्पॉट में होता है, हर फंक्शंस में होता है तो स्पोंसर्स ने स्पोंसरशिप जो की है ...(व्यवधान) हमने सरकार के ऊपर बहुत ही कम ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दोनों के चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारे पास भी डाक्यूमेंट है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे पास भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम भी टेबल कर सकते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपका दिया हुआ है, सरकार का जवाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह ओरिजिनल जो रजिस्ट्रार हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार का दिया हुआ जवाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सोसाइटी के रजिस्ट्रार का जो ...(व्यवधान) जिसमें मुख्य मंत्री इसकी अध्यक्ष हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार का दिया हुआ जवाब है, प्रश्न संख्या 102, 21.2.2008 का, दोनों के अन्दर चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी हैं। आप मिस-लीड कर रहे हैं हाउस को ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ले-डाउन कर दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गुमराह कर रहे हैं आप सदन को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने कहा है, मैं टेबल करने का तैयार हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गवर्नमेंट का रिप्लाई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) इसी साल 21 फरवरी, 2008 को जवाब दिया है यह और दोनों के अन्दर अध्यक्ष वह हैं। (व्यवधान) यह बात गलत है तो बताइए आप ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, बीच में क्या है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी गलत जवाब देंगे ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप हटा देना ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐस काम किया उन्होंने ...(व्यवधान) और आप क्या हैं? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप क्या हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या हैं? बीच में बोलते हैं आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप क्या हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) बीच में नहीं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तीन में न तेरह में, बीच में खड़ा हो गया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय मंत्रीजी जवाब देते हैं और जो बात कही गई है उस बात को क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद में इस प्रकार से डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, एक बात।

दूसरी बात जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, जिस प्रकार से आसन के सामने इस प्रकार हुंकार भर कर अहम के रूप में बात की गई है, वह बिलकुल अनुचित है। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं यदि किसी पेपर पर विवाद है तो मंत्री जी जो कह रहे हैं वह आथैंटिक है। उनके पास भी है तो टेबल करें और उसके बाद आप देखें कि सदन को मिस लीड कौन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप अपनी व्यवस्था निश्चित रूप से दें। इस प्रकार कोई भी माननीय सदस्य कभी भी सदन को मिस-लीड करने का अगर काम करेगा और जो डाक्यूमेंट हाउस में कोट किया जाता है, वह हाउस की सम्पति होती है, इसलिए माननीय सदस्य जो सिरोही से आए हैं, उनका जो डाक्यूमेंट है, वह भी आप ले लीजिए और माननीय मंत्री महोदय जिसको टेबल करना चाहते हैं उसको भी टेबल करा लीजिए, वह टेबल करने के बाद में आप अपनी व्यवस्था दीजिए ताकि सदन को मिस लीड करके केवल अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए कोई काम है, वह नहीं किया जा सके।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रश्न संख्या 102, 2008 का जवाब है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने सचिवालय से मंगवा लीजिए और देख लीजिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप टेबल कीजिए जवाब को तब ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रसद मंत्रीजी ने जो बात कही है, व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि दोनों कागज टेबल करवा लें आप। (व्यवधान) वह भी दस्तखत करके दे दें, मैं भी दस्तखत करके दे देता हूं, फिर आप फैसला कर लें। वह हस्ताक्षर कर दें, मैं हस्ताक्षर कर देता हूं, फिर आप फैसला कर लें चाहे। टेबल करने को तैयार हूं कागज।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना जो एलीगेशन लगाया है, आपने कहा कि टेबल कर सकते हैं आप?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कर सकते हैं लेकिन जवाब तो यहीं का है, उनके पास भी तो सरकार का ही जवाब है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को अनुमति दें ...(व्यवधान) मैं टेबल करता हूं ...(व्यवधान) मेरे को अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रश्न नम्बर 102, 2008 का रिप्लाई है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार ने जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करो, इसको टेबल करो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अनुमति दें, उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसको टेबल करो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के कागज टाइप करके ये खुद भी ला सकते हैं ...(व्यवधान) कोई जरूरी है कि यह कागज आथेंटिक हो ...(व्यवधान)।... टेबल करवाओ यहां पर ताकि यह खुद तो नहीं बना सकते हैं ऐसे कागज ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करना चाहता हूं वह कागज, वह आथेंटिक डाक्यूमेंट बड़ी जिम्मेवारी से अपने हस्ताक्षरों के साथ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं भी उसकी फोटो कापी करवा कर आपकी टेबल पर रख दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फोटो कापी करवाऊंगा पहले। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जिसके अन्दर माननीय ...(व्यवधान) गवर्निंग बाडी की अध्यक्ष हैं ...(व्यवधान) करवाओ टेबल ...(व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप भी टेबल करवाओ। फोटो कापी का कोई प्रश्न नहीं है, आप भी टेबल करवाओ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप मुझे अनुमति दें, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति प्रदान करें आप। मुझे अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): फोटो कापी का कोई प्रश्न नहीं है ...(व्यवधान) जो कोट किया गया है, वह सदन में पहले ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप रखिए। (व्यवधान) आप टेबल पर रखिए, इसकी फोटो कापी हम करवा देंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान) ठीक है, माननीय सदस्य। फोटो कापी करवा लें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं भी टेबल करता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एक साफ बात कही गई थी कि आमेर की जो अथोरिटी है उसके चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी हैं और उसकी सदस्य मुख्य मंत्री हैं। यह बात कह कर सदन को मिसलीड किया गया तो उसका पेपर अब आना चाहिए कि आमेर की जो अथोरिटी है उसका चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी है और मुख्य मंत्री उसकी मैम्बर हैं। अगर यह बात सदन में असत्य प्रमाणित होती है तो सदन को इस प्रकार गुमराह करना भी सदन के विशेषाधिकार का हनन है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और इसके आधार पर माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कनफ्यूज कर रहे हैं, गवर्निंग बाडी और एक्जीक्यूटिव कमेटी का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात सुनिए ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गवर्निंग बाडी अलग है और एक्जीक्यूटिव कमेटी अलग है, यह दोनों को कम्बाइन करके कनफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शब्दावली इन्होंने प्रयोग की अपने भाषण के दौरान उसको आप साथ में निकाल कर देखें, इन दोनों डाक्यूमेंट्स को देख लें और जो भी असत्य है उसको प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे हम, इसमें करेंगे तो। (व्यवधान) कैसे हाउस को मिसलीड किया? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमेर की ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, टेबल कर दो आप ...(व्यवधान) नहीं, आपने निर्देश दे दिये टेबल करने के उनको ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: निर्देश दे दिये, अब नहीं करेंगे तो एक्शन, दूसरी कार्यवाही की जाएगी ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है ...(व्यवधान) और आपके कहने पर करना ही पड़ेगा टेबल ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह विशेषाधिकार हनन का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह तो करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यही कागज रखें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करना ही पड़ेगा नहीं, करूंगा। ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह तो अभी करना पड़ेगा। (व्यवधान) आपके आदेश की पालना अभी करनी पड़ेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आसन के आदेशों की पालना करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वर्ना, उपाध्यक्ष महोदय, इसका अगर आसन चाहे तो एक तरीका और है। माननीय सदस्य खड़े होकर क्षमा मांग लें आसन से और अपने शब्द वापस, या आप डिलीट कर दें उनका पूरा भाषण डिलीट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। (व्यवधान) इनका पूरा ही भाषण डिलीट कर दो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था भी हुई हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और यह आसन से क्षमा मांग लें। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस तरह से अनर्गल आरोप लगाने वाले को भगवान ही, आपको गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, भगवान ही माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको अपने आप ही निपटा देगा ईश्वर, आप इनको क्षमा करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्षीय व्यवस्था के प्रथम खण्ड के 285 पर, "विधान सभा के सदस्य के विरूद्व डिस-क्वालिफिकेशन के विषय में सदन में आरोप लगा देने मात्र से अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह आरोपों के सत्य, असत्य की जांच करे अथवा संविधान के अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत...(व्यवधान) मामला राज्यपाल महोदय को निर्देशित कर दे, डिस-क्वालिफिकेशन में। यदि वह सत्य, असत्य में आप निर्णय कर सकते हैं, यदि वह गलत तथ्य पाये गये तो आप डिसक्वालिफिकेशन में ला सकते हैं।" (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह टेबल करेंगे। देखेंगे, नहीं करेंगे तो करेंगे। (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि करेंगे। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक बार हाउस में व्यवस्था होने के बाद ...(व्यवधान) It becomes the property of the House...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं कर रहा हूं टेबल। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी अनुमति के बिना कैसे लेकर चले गये बाहर? (व्यवधान) आपकी अनुमति के पहले जा नहीं सकते कागज ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कापी करवा कर टेबल करूंगा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): और अभी बाहर बदल गया तो? वह पत्र बाहर बदल गया तो कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आसन ने आदेश दिया है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): वह पत्र यहां से जाने के बाद बदल गया तो कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं टेबल करूंगा, आप थोड़ा तसल्ली रखिए, टेबल नहीं करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। टेबल नहीं करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसी के आधार पर एक्शन लिया जाए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यहां से बाहर जाने की इजाजत है क्या आपकी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यहां से पत्र बाहर भेजने की इजाजत है क्या आपकी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): वह बाहर भेज दिया गया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विधान सभा सचिवालय भी करवा सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह कर देंगे। वह अपने पास रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसे कैसे चले गये? (व्यवधान) ऐसे ही लहराते हुए बता दें और चले जाएं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जाएंगे जब देखा जाएगा। अभी ला रहे हैं, वो कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं नहीं, क्या ला रहे हैं? इसका मतलब इनके पास नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कहना दूसरा है। एक बार अध्यक्षीय व्यवस्था होने के बाद....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर वो नहीं करेंगे तो एक्शन कुछ लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दूसरा निवेदन है कि एक बार अध्यक्षीय व्यवस्था होने के बाद आपकी परमीशन के बिना वह पेपर बाहर नहीं जा सकता। यह परम्परा रही है हाउस की। कैसे भेज दिया बाहर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, टेबल किया ही नहीं। माननीय सदस्य, टेबल किया ही नहीं पहले।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): टेबल अगर नहीं करते हैं तो फिर आप तय करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, टेबल किया ही नहीं पहले। टेबल करने के बाद परमीशन के बिना नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह जो शब्दावली यूज करते हैं उसके लिए क्या कार्यवाही हो रही है? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

व्यवस्था के बाद में it is the property of the House. वह मैम्बर कुछ नहीं कर सकता इसमें। That is the property of the House. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैं कापी लेकर पेश कर रहा हूं तो विश्वास करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि एक बार प्रोपर्टी ऑफ द हाउस होने के बाद में बिना आपकी इजाजत के नहीं ले जा सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं करेंगे तो...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): जो पेपर सदन में दिखाया है वह पेपर बाहर ले जाने की इजाजत है क्या आपकी? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि फोटो कापी सदन से ले सकते थे, आसन से ले सकते थे, आसन पर भरोसा नहीं किया इन्होंने। इन्होंने आसन पर भरोसा नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) इस तरह कोई गायब नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था है पेज नम्बर 305, जिस दस्तावेज के आधार पर सदन में आरोप लगाया जाए, लाजिमी तौर पर सदन में प्रस्तुत किया जाए। श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा ने अनुदान की मांगों पर बोलते हुए सहकारिता मंत्री के प्रति एक रसीद का उल्लेख करते हुए कहा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य श्री शीशराम ने उन्हें एक रसीद बताई थी जिसमें लिखा हुआ था कि 15 हजार रुपये प्राप्त किये, यदि आपका काम नहीं हुआ तो हम रुपये वापस दे जाएंगे। सहकारिता मंत्री श्री अमृत लाल यादव ने इसका विरोध करते हुए माननीय सदस्य से रसीद प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। माननीय उपाध्यक्ष ने भी, उस समय माननीय उपाध्यक्ष ही मौजूद थे.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वो भाग गये।

श्री उपाध्यक्षः लाने के लिए गये होंगे। वो जल्दी कर रहे होंगे लाने की। लाने की जल्दी कर रहे होंगे। (व्यवधान) लेकर नहीं जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय ने भी मोदी को उक्त रसीद टेबल करने के लिए कहा तो श्री मोदी ने बताया कि उन्हें वो रसीद श्री शीशराम ने दिखाई थी। वाद-विवाद के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दी गई, माननीय सदस्य ने इतने संगीन आरोप लगाये तो सदन यह मानकर चलता है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और यह सही कह रहे हैं। जब आप रसीद का हवाला देते हैं तो यह लाजिमी हो जाता है कि आप वह रसीद प्रस्तुत करें ताकि मंत्री महोदय द्वारा भी सफाई दी जा सके। किसी तरह की जांच की जा सके। आप इसको यों टाल नहीं सकते। तीसरे व्यक्ति के पास जो हवाला से कहा है वह पेश करना चाहिए। यह इस प्रकार 305 में पहले व्यवस्था है। इसी तरह से कट मोशन के जरिये आरोप लगाया गया था और इसी तरह उपाध्यक्षजी कुर्सी पर थे और उन्होंने कहा कि लाजिमी है, आप प्रस्तुत करो। नहीं तो यह सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। वो गायब हो गये।

श्री उपाध्यक्षः वो कर रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो गायब हो गये। +++ गायब हो गये।

श्री उपाध्यक्षः वो गायब होकर कोई अपना, हाउस की प्रक्रिया है, माननीय सदस्य, थोड़ी तसल्ली रखिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आसन पर विश्वास करना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सदन की कार्यवाही आगे चलाओ। आपने व्यवस्था दे ही दी है तो आगे चलाइये। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमेर सिटी वॉल, शहर कोट साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च होकर दिसम्बर, 2008...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जवाब तो सरकार का ही है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ थोड़े ही है। आपके सैक्रेटेरिएट में ही यही जवाब है और वहां विभाग में भी है जहां सचिवालय से आता है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमने भी सरकारी कागज रखा है। आप हर कोई बात कह दो, जिम्मेदारी से बात कहो नहीं। (व्यवधान) यह और कह रहे हो आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): .....आपका जवाब आता है वह यहां रख दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो भाषण दिया है और जो जवाब दिया है उसको आप मिलाइये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, साफ हो रहा है कि विभाग विधान सभा को कुछ जवाब दे और मंत्री को कुछ जवाब दे, यह गोरखधंधा आपके राज में हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमेर सिटी वॉल, शहर कोट, साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च करके दिसम्बर, 2008 तक इसकी जो भी जर्जर हालत हो रही है उसको सही कर दिया जाएगा। जो आमेर पैलेस में हाथी गर्मी में दुःख पाते थे, सर्दी में इतनी दूर सिटी में आते थे, उनके लिए वहां पर साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च होकर दिसम्बर, 2008 तक एक ट्यूरिस्ट एट्रेक्शन विजिटर्स, का सेंटर 51 थान, डिस्पेंसरी, कम्पाउंड वाल, वाटर बाडी और लैण्ड स्केपिंग करके एक हाथी गांव इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। जो पुराना असेम्बली हाल है उसमें 25 करोड़ रुपये खर्च करके दिसम्बर, 2009 तक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया जाएगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इण्डिया। हमारे जितने भी आब्जेक्ट्स ऑफ आर्टस हैं, राजस्थान के उनमें बैस्ट जो हमारे आब्जेक्ट्स आफ आर्ट हैं उनको वहां पर एग्जीबिट किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जंतर-मंतर के अन्दर ढाई करोड़ रुपये खर्च करके अक्टूबर, 2008 तक कार्य कम्पलीट होने वाला है, उसको भी बिलकुल तैयार किया जाएगा। हवामहल जो जयपुर की शान गिनी जाती है, उसमें साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं और 2008 के अंत तक हवामहल भी बिलकुल तैयार हो जाएगा। अल्बर्ट हाल में 6 करोड़ रुपये खर्च होकर मई, 2008 तक अल्बर्ट हाल भी बहुत अच्छी हालत में होगा और वहां पर बहुत ही अच्छे एग्जीबिट्स डिसप्ले किये जाएंगे। घाट की गूणी में दो करोड़ रुपये खर्च करके दिसम्बर, 2008 तक, विद्याधर का बाग़, राजनिवास और रूपनिवास पर कार्य

(श्री गजेन्द्र सिंह)

किया जाएगा। दिसम्बर, 2008 तक वह भी खतम हो जाएगा। मानसिंहजी की छतरी, जलमहल मोन्यूमेंट, इसमें कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेज नहीं लग रहे हैं, प्राइवेट पार्टी उसको रेस्टोर कर रही है। नाहरगढ़ फोर्ट रेस्टोरेशन और जयपुर के अन्दर आप देखिये कि जितने भी पुराने बाजार हैं वहां पर जितने भी ओवरहैड वॉयर हैं वो हटा दिये गये हैं, साइनेजेज सब जगह लग गये हैं और जयपुर एक को बहुत सुन्दर शहर बनाया जा रहा है। घाट की गूणी की जो एप्रोच है और आमेर की एप्रोच है, मुझे लगता है कि जयपुर शहर से सुन्दर कोई भी प्रदेश की राजधानी अगले एक-डेढ़ साल के अन्दर कोई भी नहीं होगी। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूरिज्म एक ऐसी चीज है कि जब तक आदमी या लेडी जो भी है वाइडली ट्रैवल्ड नहीं हो ट्रयूरिज्म का जिसको शौक नहीं है, ट्रयूरिज्म एक डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद इंटरेस्ट ले रही हैं क्योंकि उनको ट्यूरिज्म का शौक है। लोग जिनको इन्होंने कमेटी में नामिनेट किया, वो कोई पैसा या फीस लेकर खाली जो एक्सपर्ट हैं उसके अलावा कोई आनरेरी काम कर रहे हैं, कोई पैसे लेकर घर नहीं जा रहे हैं। इसलिए यह जो आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने खुद के प्रमोशन, दोस्तों के लिए कर रहे हैं, मैं बिलकुल खण्डन करता हूं। इनका जो मोटिव है वह खाली मुख्य मंत्रीजी को बदनाम करने का है और इनके पास कुछ नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के बाहर भी काकवाड़ी फोर्ट, सरिस्का, सोजत फोर्ट, फलौदी फोर्ट, सिवाना फोर्ट, वालाकिला, अलवर, चित्तौड़ के अन्दर वर्ल्ड ट्यूरिज्म डे 27.9.2007 को लाइट एण्ड साउंड्स शो, वर्ल्ड क्लास स्टेण्डर्ड का स्थापित किया गया। कुम्भलगढ़ फोर्ट के अन्दर भी इस साल के अन्दर लाइट्स एण्ड साउंड्स शो चालू हो जाएगा। बेणेश्वर धाम है वहां दो करोड़ का जो प्रोजैक्ट है, वह सैंक्शन हो चुका है। अम्बेडकर पीठ के अन्दर 75 बीघा भूमि के अन्दर दो करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को फीता काटा जाएगा। अभी जो कार्य शुरू होने वाले हैं किशोरी महल भरतपुर, मीराबाई, दूधागढ़, मेड़ता सिटी, इस साल इनका कार्य शुरू होने वाला है। वीर तेजाजी खरनाल और पाबूजी की फड, जोधपुर जीवनी को प्रकाशित किया जाएगा।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

इनके अलावा अभी जो मेगा हाइवेज बने हैं, ट्यूरिज्म के लिए राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है तो अच्छी रोड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह ज्योग्राफिकली इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है तो मेगा हाइवे इतने जोरदार बनाये गये हैं कि इससे भी ट्यूरिज्म को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, फ्लाइट्स इतनी आने लग गई हैं कि ट्यूरिज्म को एक बहुत पोजिटिव बूस्ट मिल रहा है। डीसेण्ट्रलाइजेशन आफ ट्यूरिज्म, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर ही केवल मैन सैण्टर्स रहते थे उसके अलावा हमने जो डीसेण्ट्रलाइजेशन किया है हमने कई मेले और फेयर राजस्थान के अन्दर शुरू किये हैं। जैसे राजस्थान दिवस है, यह एक ट्रेडिशन बन गया राजस्थान का। हर वर्ष इस राजस्थान दिवस में और भी ज्यादा कार्यक्रम आ रहे हैं और पूरे राष्ट्र के अन्दर लोग इसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। कुम्भलगढ़ महोत्सव, भीलवाड़ा महोत्सव, माही महोत्सव, बारां एडवेंचर स्पोर्टस फैस्टिवल, मानसून महोत्सव, समर फेस्टीवल, धौलपुर उत्सव, ये हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किये हैं ताकि अलग-अलग जिलों के अन्दर ट्यूरिज्म को बूस्ट मिल सके। डूंगरपुर क्लासिकल डांस फैस्टिवल प्रस्तावित है। मैं माननीय मंत्री युनूसजी की सराहना करना चाहूंगा कि माननीय युनूसजी ने तीन साल से डीडवाना दिवस शुरू कर दिया है। सरकार से कोई पैसा इन्होंने खर्च नहीं लिया है, स्पोन्सरशिप लेकर बहुत बढ़िया फंक्शन ये कर रहे हैं।

शेखावाटी का एक नया सर्किट बनने वाला है, एक डेजर्ट सर्किट बनने वाला है। ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा की भी स्थापना होने वाली है। रीसर्जेन्ट राजस्थान जो नवम्बर, 2007 में हुआ था, उसमें छह हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. और एल.ओ.आई. साइन हु, इसमें होटल इण्डस्ट्री को बहुत भारी बूस्ट मिलेगा।

ग्रेट इण्डिया ब्यूरो अप्रैल के अन्दर, यह राजस्थान पहला प्रदेश है जो इण्डिया के अन्दर एक ऐसा ट्रेवल मार्ट कर रहा है जिसके अन्दर फारेन ट्यूर आपरेटर्स पूरी दुनिया से आएंगे और राजस्थान को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। यह अगले माह के अन्दर अप्रैल में जयपुर के अन्दर होने वाला है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूरिज्म यूनिट पालिसी नवम्बर, 2007 में स्थापित हुई। होटल्स को प्रोत्साहन करने के लिए auction of land at 50% of commercial rate, free land conversion, no development

(श्री गजेन्द्र सिंह)

charges, स्पा होटल्स, हैरिटेज होटल्स, गोल्फ रिसोर्टस, कैंपिंग रिसोर्टस, इनको प्रोत्साहन करने के लिए ट्यूरिज्म को बहुत भारी बूस्ट दिया जा रहा है।

आखिर में, लास्ट में कहना चाहूंगा पैलेस आन व्हील्स के बारे में, हमारी एक पैलेस आन व्हील्स बहुत अच्छी चल रही है। वह विश्व प्रसिद्ध है और कई वर्षों से चल रही है। इसके अलावा एक हैरिटेज आन व्हील्स और ट्रेन मीटर गेज पर शुरू हुई है। अभी इस वर्ष के एंड में एक दूसरी पैलेस आन व्हील्स राजस्थान लांच करेगा जो इसी नवम्बर-दिसम्बर में चालू हो जाएगी।

हाट एयर बैलूनिंग जयपुर में चालू हो गया है, जैसलमेर में भी उसको ले जाया जाएगा। चम्बल क्रूज कोटा के अन्दर नदी के ऊपर नौकायन का जो कार्यक्रम होगा, वह भी स्थापित होने वाला है।

जयपुर-दिल्ली कोरीडोर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और ट्यूरिज्म को बहुत भारी बूस्ट मिलेगा। आपका इण्डस्ट्रियल कोरीडोर बम्बई से दिल्ली है, उसका भी ग्रोथ होने वाला है। पर्यटन के अन्दर राजस्थान का अभी जो विकास हो रहा है, जो फण्ड्स इसके अन्दर डाल रहे हैं, उससे मैं सोचता हूं कि एक नई दिशा पर्यटन को मिल रही है। जैसा मैंने शुरू में भी आपको बोला था, हमने चार साल के अन्दर 86 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जबकि कांग्रेस सरकार पांच साल के अन्दर केवल 17 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी। यही कहकर मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरणजी सर्राफ, शिक्षा मंत्री।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से सदन में मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने 263 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीन दिन के अन्दर-अन्दर सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब लिखित में भिजवा दिये जाएंगे। आज की चर्चा में 22 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। कई माननीय सदस्यों ने कई बहुमूल्य सुझाव दिये। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने-अपने तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है प्रदेश में शिक्षा के लिए वातावरण बनाने की। शेष बातों के लिए शिक्षा अपने आप वातावरण बना

(श्री कालीचरण सर्राफ)

लेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि पिछले चार साल में जो जबरदस्त काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, वह आजादी के बाद हमारे प्रदेश में नहीं हुआ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने चार सालों में प्रदेश में शिक्षा का वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज फख्र के साथ यह कहा जा सकता है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में ही नहीं, अपितु समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाकर उभरा है। शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण जहां हमारे प्रदेश को विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय यूनेस्को एवार्ड मिला, वहीं नामांकन में रिकार्ड वृद्धि और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती तथा रिकार्ड संख्या में खोले गये स्कूलों की देश भर में प्रशंसा हुई है। स्वयं भारत सरकार ने हमारे शिक्षा क्षेत्र में किये गये कार्यों की सराहना की है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में हमारी सरकार द्वारा बरती गई पारदर्शिता की भूरि-भूरि प्रशंसा ही नहीं की अपितु अन्य प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा। उन्होंने लिखा कि शिक्षकों की भर्ती के मामले में राजस्थान सरकार ने भर्ती की योजना जिस ढंग से लागू की, उसी प्रकार से पारदर्शी भर्ती की योजना अपने राज्यों में भी लागू करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 2004 में हम सत्ता में आये और अपने पहले बजट भाषण में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री ने शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की तो सामने बैठने वाले हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस घोषणा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि हम पांच साल में जो काम नहीं कर सके, एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सके, आपके पास ऐसा कौनसा अलादीन का चिराग है कि जिससे आप शिक्षकों की नियुक्ति कर देंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को कि उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, आवश्यकता है दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की। उन्होंने कहा था कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वह करते हैं और जो करते हैं वह कहते हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी का यह परिणाम है कि हमने चार सालों के दौरान बिना किसी रुकावट के पारदर्शी तरीके से स्कूल और संस्कृत शिक्षा में 73,280 शिक्षकों की नियुक्ति की है। आरपीएससी के माध्यम से ये भर्तियां की गई हैं।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अभी कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि स्कूल जो आप खोलेंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले चार साल में बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के हर एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल और हर तीन किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल और हर ग्राम पंचायत पर एक सैकण्डरी स्कूल खोलने का लक्ष्य लेकर हमने नये विद्यालय खोले हैं या क्रमोन्नत किये हैं और आज उसी का यह परिणाम है कि पिछले चार साल में हमने 18,523 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, 4,162 नये प्राथमिक विद्यालय खोले, 21,812 राजीव गांधी पाठशालाओं और 1,462 वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5,046 निजी क्षेत्र के विद्यालयों को भी हमने क्रमोन्नत किया है और 1,007 मिडल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया है। प्रदेश में सभी बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में 113 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य कराये गये हैं। अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की टंकी और रैम्प आदि का निर्माण कार्य नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इसके अलावा पुराने विद्यालय भवनों की मरम्मत पर 30 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया है।

हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 9,113 विद्यालय भवन निर्माण, 51,930 कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया है। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपने यह आरोप लगाया कि भवन नहीं हैं, चारदीवारी नहीं हैं, कक्षा-कक्ष नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 9,113 विद्यालय भवनों का निर्माण, 51,930 कक्षा कक्षों का निर्माण, 25,167 शौचालयों का निर्माण और 18,723 स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जहां पिछली सरकार ने दो साल में केवल 57 करोड़ रुपये खर्चा किया, हमने चार साल में 3,600 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा किया है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस का राज था उस समय केन्द्र सरकार की तरफ

(श्री कालीचरण सर्राफ)

से, केन्द्र सरकार की ओर से मिलता था 85 प्रतिशत और राज्य का अंश होता था केवल 15 प्रतिशत। इतनी कम राशि मिलने के बाद भी ये पहले साल में तो लगभग 35 प्रतिशत पैसा ही खर्च कर पाये और दूसरे साल में 47 प्रतिशत पैसा खर्च कर पाये और हमारी सरकार आने के बाद 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का, उसके बावजूद हमने हर वर्ष सौ प्रतिशत से ज्यादा खर्चा किया, कभी 102 प्रतिशत, कभी 105 प्रतिशत, कभीब 107 प्रतिशत। और इस वर्ष तो यह रेशो 65 और 35 का हो गया, उसके बाद भी हमने पूरा पैसा जो केन्द्र सरकार से मिलता और हमारा राज्यांश मिला करके हमने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खर्चा किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले चार साल में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले एक से बारहवीं कक्षा तक के सभी वर्ग के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें भी वितरित कीं। इनके राज में पहले से आठवीं तक की केवल बालिकाओं को मिलती थीं, कभी एससी और एसटी के लोगों को मिलती थी। हमने कहा कि हर बच्चा चाहे वह ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे जाट का हो, चाहे राजपूत का हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब का हो, चाहे माली का हो और चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और इसीलिए 238 करोड़ रुपये खर्चा करके बिना किसी जातिगत और धर्म के भेदभाव के हमने हर बच्चे को जो राजकीय स्कूल में पढ़ता है, एक से बारहवीं तक के सब बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित कीं। (व्यवधान) बनिये के तो मैं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी मौका मिलता है, कोई भी बात आती है, हमारे सामने बैठने वाले जो मित्र हैं, वे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फिरकापरस्त पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करती। इस प्रकार का भय दिखा कर जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, ये ज्यादा बोलने लग जाएंगे कि, हम अल्पसंख्यकों के हितकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी इनकी विरोधी है और यह भय दिखा कर हर बार केवल उनके वोट लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कभी कोई काम नहीं करते। आज इनको यह पूछा जाए कि पचास साल तक राजस्थान या हिंदुस्तान में इनका राज रहा, तो आज अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में उतने पिछड़े हुए क्यों है? क्योंकि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

उन्होंने आप लोगों को वोट दिया और आप लोगों ने उनका शोषण केवल वोट बैंक के लिए किया इसलिए वे आज पिछड़े हुए हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए आप उनको..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठिये। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत, सुन लीजिये, जुबेर खानजी..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और वह भी कालीचरण सर्राफ ने।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 2490 पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले एक लाख बहत्तर हजार छात्र-छात्राओं को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें वितरित कीं। 330 मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। अल्पसंख्यक लोगों में जाकर आप बता देना कि अभी तक हम..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उन मदरसों का नाम तो बताओ जहां कम्प्यूटर देख लें हम भी जाकर एकाध जगह, आपको आकर धन्यवाद दे देंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप तो मेरे साथ चले चलना। आप मेरे साथ चले चलना। पहाड़गंज, मोहल्ला हैंगरान, यह अपने मच्छी वालों का मोहल्ला, जहां भी आप चाहो, मेरे साथ चल चलना, मैं ले जाऊंगा आपको। मेरे इलाके में ही ले चलूंगा। आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे नाम पता नहीं है। मेरे इलाके में, मुझे फख्र है इस बात का, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वोट यदि किसी कांस्टीट्युएंसी में हैं तो वह जौहरी बाजार विधान सभा क्षेत्र में हैं। यह जानकारी है न आपको, 70 हजार वोटर हैं मेरे यहां?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, हमारे मेवात में भी दो-चार कम्प्यूटर भेज दो तो हम भी देख लिया करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वह भी भेज देंगे। मदरसों की स्थिति बता रहा हूं, मदरसों में वर्तमान में 1209 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं और 1198 मदरसे जिनमें शिक्षा सहयोगी के पद स्वीकृत हैं, उनमें छात्र-छात्राओं को दोपहर में गर्मागर्म मिड-डे मील भी हम खिलाते हैं। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौदह ऐसे शहर जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है तथा महिला साक्षरता दर कम है, वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी खोले जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दूरस्थ स्कूल

(श्री कालीचरण सर्राफ)

शिक्षा को सुदृढ़ और विस्तृत करने के उद्देश्य से प्रदेश में हमने स्टेट ओपन स्कूल जुलाई 2005 से शुरू किये और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि वर्ष 2007-08 में सैकण्डरी एजुकेशन से वंचित 23 हजार विद्यार्थियों का नामांकन स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से किया गया है। अब तक पूरे चार साल में, 2005 से जब से चालू हुआ है, स्टेट ओपन स्कूल के अन्तर्गत 73 हजार शिक्षा से वंचितों को लाभान्वित किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह मानना है कि एक बालक शिक्षित तो एक व्यक्ति शिक्षित और एक बालिका शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रख कर..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक नहीं, दो परिवार शिक्षित।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री) : इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर आदरणीय वसुंधराजी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं। अभी कल्ला साहब बोल रहे थे, अभी हैं नहीं, कि बालिका शिक्षा के बारे में इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगा कि प्रदेश के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में 186 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में से, जो स्वीकृत हो गये, 181 अभी चल रहे हैं और 5 का कार्य प्रगति पर है, इस वर्ष शुरू हो जाएंगे। बालिकाओं को आने-जाने में असुविधा न हो इसके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और साइकिल वितरण योजना भी लागू की गई है। हमारा उद्देश्य है कि हर बालिका ग्रेजुएट हो, इसके लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को आठवीं में दो हजार, दसवीं में दो हजार और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर चार हजार की एफडीआर दी जायेगी जिसका भुगतान वह बच्ची जब स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी उस समय किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। जो विकलांग बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, इन बच्चों के लिए स्कूलों में 29651 रैम्प्स का निर्माण किया गया है। इन बच्चों को उपकरण वितरित किये गये हैं, 46916 बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं। ऐसे विकलांग बच्चे जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा सके, उनके लिए 290 ब्रिज कोर्स आयोजित किये गये, इससे 7778 बच्चे लाभान्वित हुए।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी, अभी यहां कह रहे थे कि आपने स्कूल तो बहुत खोल दिये पर वहां शिक्षा की गुणात्मकता के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2007-08 में विभिन्न विषयों में 4 लाख 79 हजार 906 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 487 बीएड कालेज संचालित किये जा रहे हैं जब कि जब इनकी सरकार थी उस समय केवल 29 बीएड कालेज राजस्थान में चलते थे। इस प्रकार हमारी सरकार ने 52 हजार व्यक्तियों को शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। इतना ही नहीं, 164 निजी एसटीसी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी संचालित है जब कि पिछली सरकार में एसटीसी का एक भी विद्यालय नहीं था।

इस प्रकार हमारी सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 9 हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की सुविधा सृजित की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र की मैं बात करुं, वर्तमान में जनजाति क्षेत्र में 50 बीएड महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें से मात्र 6 महाविद्यालयों में ही जनजाति के लिए 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण का प्रावधान है। इस बार हमने यह निर्णय किया है कि जनजाति क्षेत्रों के सभी 50 बीएड कॉलेजों में जनजाति के लिए विशेष आरक्षण 45 प्रतिशत किया जाए। इससे जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में जनजाति क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इन प्रयासों का ही परिणाम है कि आज नामांकन लगभग 98 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों का नामांकन भी बढ़ा है। बालिकाओं का जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालिकाओं के नामांकन में 57 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शिक्षकों की भर्ती के कारण जहां शिक्षक और छात्रों का अनुपात 2001-02 में 40:1 था यानी 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक था,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

हमने नई भर्ती की और उसका यह परिणाम है कि 2006-07 में यह अनुपात घटकर 31 छात्रों पर एक शिक्षक का हो गया है।

अब ड्राप आउट दर के बारे में क्या पता कहां से आंकड़े लाए हैं, माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे, आपका जब राज था, 2001-02 में ड्राप आउट की दर थी 70 और अब यह 26 रह गई है। इसी प्रकार जेंडर गैप के बारे में भी यहां पर कहा गया। मैं जेंडर गैप के बारे में भी बताना चाहूंगा, 2001-02 में लगभग 17 प्रतिशत था जो अब घटकर 10 प्रतिशत रह गया है। हाल ही में एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, 2007 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2007 के बीच स्कूलों में पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था तथा कक्षा 3 व 5 के छात्रों की पढ़ने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। यह रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। वर्ष 2004 -05 में 62 प्रतिशत स्कूलों में पीने की पानी की व्यवस्था थी जो अब बढ़कर 73 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसी प्रकार 63 प्रतिशत स्कूलों में शौचालयों की सुविधा थी जो अब 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के परिणामों का असर अब माध्यमिक शिक्षा तक में भी दिखने लगा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 9 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं जब कि इनकी सरकार थी तब 2003 में यह संख्या केवल 6 लाख थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सीनियर सैकण्डरी में 12वीं कक्षा में इस वर्ष साढ़े चार लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं जब कि वर्ष 2003 में यह संख्या 3 लाख 30 हजार थी। इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम में राजस्थान के अतुलनीय कार्यों के लिए यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। विगत चार वर्षों में 8 लाख महिलाओं को, कल्ला साहब कह रहे थे कि साक्षरता में बड़ी जबरदस्त कमी आई है, मैं बताना चाहूंगा कि विगत चार वर्षों में 8 लाख महिलाओं को साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से साक्षर बनाया गया है। यही नहीं, विगत चार वर्षों में 1515 शिविरों के माध्यम से करीब 75 हजार नव साक्षर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया गया। समतुल्य शिक्षा के माध्यम से करीब 1 लाख 35 हजार से अधिक नव साक्षरों को कक्षा 3 एवं 5 के समतुल्य शिक्षा दी गई। साक्षरता में हमारे प्रयासों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। राष्ट्रीय स्तर

(श्री कालीचरण सर्राफ)

पर हमें सत्येन मैत्रेय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को कन्फ्यूशियस एवार्ड से नवाजा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही यह एक पत्र आया है, राजस्थान एजुकेशन इनिसैटिव के अंतर्गत राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में 26 पार्टनर सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इनमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बैंगलोर द्वारा भी राज्य सरकार के साथ टौंक व सिरोही ज़िलों के 1080 विद्यालयों में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का लर्निंग गारंटी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में लर्निंग गारंटी स्कूल कार्यक्रम देश भर के पांच राज्यों-कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं गुजरात में संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष इनोवेशन फोर इंडिया अवार्ड 2008 का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार इन पांच राज्यों एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को संयुक्त रूप से दिनांक 19 मार्च, 2008 को दिया जा रहा है, जो राजस्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में गर्व की बात है।

माननीय यह, मैंने आपको बताया प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, अब मैं उच्च शिक्षा के बारे में भी कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, यदि पिछली सरकार के पांच साल की तुलना हमारे चार साल से की जाए तो हर क्षेत्र में हमने चार साल में ही पिछली सरकार से ज्यादा काम किए हैं और आज उसी का परिणाम है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर 71 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है, वहीं हमारे प्रदेश राजस्थान में 57 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय उपलब्ध हुआ है। प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को उच्च शिक्षा का लाभ मिले, इसके लिए हमने निजी महाविद्यालयों की स्थापना से संबंधित नियमों का सरलीकरण किया। जिसके परिणामस्वरूप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के पांच वर्षो में जहां प्राइवेट सैक्टर में 102 महाविद्यालय स्थापित हुए वहीं हमारी सरकार के चार साल के कार्यकाल में 501 महाविद्यालयों की स्थापना प्राइवेट सैक्टर में अभी हो चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली, उस समय 2 लाख विद्यार्थी कॉलेजों में पढ़ते थे। पांच साल बाद उनकी संख्या बढ़कर हुई 2 लाख 85 हजार यानी पांच साल में 85 हजार छात्रों की संख्या में वृद्धि की जब कि हमारे चार साल में यह संख्या बढ़कर हो गई 3 लाख 80 हजार यानी हमारे चार साल में 95 हजार और आपके पांच साल में 85 हजार। जहां तक छात्राओं के नामांकन का सवाल है, जहां आपकी सरकार के समय

(श्री कालीचरण सर्राफ)

नामांकन 36 प्रतिशत था, वह बढ़कर अब 39 प्रतिशत हो गया है। पिछली सरकार के पांच साल के दौरान एक भी कालेज पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत नहीं हुआ जब कि हमारी सरकार के चार साल के दौरान हमने तीन महाविद्यालयों को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत कर दिया है और एक इस वर्ष और करेंगे। पिछली सरकार के पांच साल में जहां राजकीय महाविद्यालयों में 33 नए विषय प्रारंभ किये गये, हमने चार साल में 45 नए विषय प्रारम्भ किये। जहां पिछली सरकार ने स्व-वित्त-पोषी योजना के अंतर्गत 14 पाठ्यक्रम स्वीकृत किए थे, वहीं हमने चार साल में 210 पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत प्रारम्भ कर यह सुविधा उपलब्ध करवाई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की केवल 7447 सीटें बढ़ाई गई थीं जब कि हमने पिछले चार साल में 34 हजार से ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी की है। कालेजों में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने माडल कालेजेज की योजना प्रारम्भ की जिसमें 22 राजकीय एवं 12 निजी महाविद्यालयों का चयन किया गया है। हमारी सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में गुणवत्ता के आकलन संबंधी पहल करते हुए पिछले चार साल में 74 राजकीय महाविद्यालयों का नैक बैंगलोर द्वारा आकलन कराया, जबकि पिछली सरकार में इस दृष्टि से कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने केवल छात्रों की गुणवत्ता पर ही ध्यान नहीं दिया अपितु इसके साथ-साथ व्याख्याताओं की योग्यता में वृद्धि की दृष्टि से 229 व्याख्याताओं को टीचर रिसर्च फैलोशिप तथा 22 को पोस्ट डाक्टरल फैलोशिप का लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक व्याख्याता पीएचडी की योग्यता रखते हैं। हमारे चार साल के कार्यकाल में यूजीसी से 22 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ जब कि पिछली सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में केवल 9 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के सभी कैडर्स की सत्र 2007-08 तक की डीपीसी कराकर पदोन्नतियां दे दी हैं। अब कोई भी पदोन्नति बाकी नहीं है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश की सभी तहसीलों में महाविद्यालय होने चाहिए और आपको यह जानकार खुशी होगी कि प्रदेश की 241 तहसीलों में से अब मात्र 27 ऐसी तहसीलें बची हैं जहां महाविद्यालय नहीं हैं। आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस वर्ष इन सभी तहसीलों में निजी सहभागिता के आधार पर

(श्री कालीचरण सर्राफ)

महाविद्यालय खोले जाएंगे और इसके लिए जो भी संस्थाएं पात्र होंगी उन्हें सरकार की ओर से भूमि और भवन बनाकर हम उपलब्ध करवाएंगे।

हमारी सरकार ने छात्रों को रोजगार मिले इसके लिए भी अनेक योजनाएं हाथ में ली हैं। कॉलेजों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज सेन्टर, टेली अकाउंटिंग कोर्स, नेस्काम टेस्ट, राजस्थान आजीविका मिशन द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बैंकिंग व फाइनेंस संबंधित व अंग्रेजी दक्षता पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं जिसके कारण तीन हजार से अधिक छात्रों को कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हो चुका है। हमारी सरकार ने राज्य में सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है जिसके प्रथम चरण में 24 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के लिए पचास लाख रुपये भवन निर्माण और दस लाख रुपये के उपकरण खरीदने के लिए बजट प्रत्येक महाविद्यालय को आबंटित किया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गयी है और 25 अन्य निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पाइप लाइन में हैं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों की समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर व रीडर के रिक्त पदों के पच्चीस प्रतिशत तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिचहत्तर प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसी प्रकार यूनिवर्सिटीज में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए सरकार द्वारा अनुमति जारी कर दी गयी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये सीधी भर्ती के पदों के अतिरिक्त है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको टैक्निकल एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है, यदि मैं यह कहूं कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता तकनीकी शिक्षा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बात सही है कि विश्व के अन्य देशों से यदि हमारे देश की तुलना की जाए तो तकनीकी शिक्षा में हमारा देश बहुत पीछे है। जहां अमेरिका में प्रति एक हजार पर 55 व्यक्ति तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जापान में 10 और ब्राजील में 30 व्यक्ति, वहीं हमारे देश का राष्ट्रीय औसत

(श्री कालीचरण सर्राफ)

केवल 3.5 व्यक्ति प्रति एक हजार है। विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों व अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे परिवर्तन, उभरते हुए वैश्वीकरण को ध्यान में रख कर भी तकनीकी शिक्षा के प्रचार व गुणवत्ता में सुधार हेतु हमें कई प्रभावी कदम उठाने होंगे। यूरोप, अमेरिका व अन्य कई विकसित देशों में जनसंख्या का ढांचा इस तरह का बन रहा है कि उनके मुलकों में अगले पन्द्रह वर्षों में तकनीकी व प्रशिक्षित श्रम शक्ति की अति आवश्यकता होगी। भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि हमारी श्रम शक्ति की पश्चिमी देशों में एक अलग पहचान बनी हुई है। वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि राजस्थान को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के हल के रूप में विकसित किया जाए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत वर्ष हमने जो घोषणा की थी कि तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की प्रवेश क्षमता एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं को पचास हजार से बढ़ा कर एक लाख कर दिया जाएगा, मुझे खुशी है यह बताते हुए कि इस वर्ष हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की नियमित प्रवेश क्षमता 82 हजार से ज्यादा हो गयी है वहीं लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्ववित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आजीविका मिशन इत्यादि के माध्यम से 18 हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए हैं। करीब एक लाख का हमने टारगेट प्राप्त कर लिया है। यदि मैं पिछली सरकार और हमारी सरकार...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह आपने किया है या घनश्यामजी ने ही कर दिया था? यह टारगेट आपके आने के बाद पूरा हुआ है या घनश्यामजी के टाइम में हुआ था?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है, यह आपकी पार्टी में चलता है कि घनश्यामजी अलग और कालीचरणजी अलग यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चाहे घनश्यामजी तिवाड़ी शिक्षा मंत्री रहे या कालीचरण सर्राफ रहे या कोई और रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वसुन्धराजी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। समझे न आप?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): फिर बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? फिर यह विभाग बदलने की क्यों जरूरत पड़ी?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपके जैसे बी.डी. कल्ला साहब को बदलने की जरूरत पड़ी वैसे यहां भी पड़ गयी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तभी तो ये स्कूलें क्रमोन्नत करने के आदेश इनको नहीं करने दिये सैकेण्डरी स्कूलों के और ट्रांसफर भी इनको नहीं करने दिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपने किये क्या क्रमोन्नत स्कूल? हमने ही किये हैं और हम ही करेंगे।

यदि मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार और हमारी सरकार की तुलना करूं तो आपको यह जानकार खुशी होगी कि जहां पिछली सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र पचास तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हुए थे तथा केवल 8049 सीटों की वृद्धि हुई थी, अब सुनिये, वहीं हमारी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में 482 यानी आपके दस गुने, 482 तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हुए और लगभग 52 हजार, कितनी? 52 हजार सीटों की वृद्धि हुई है। पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोला गया, केवल 18 प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज खुले। प्रवेश क्षमता में केवल 5392 सीटों की वृद्धि हुई। जब कि हमारी सरकार के चार साल के कार्यकाल में 25 नये इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गये, पांच इंजीनियरिंग कालेज सरकारी क्षेत्र में खोले गये और प्रवेश क्षमता 10203 यानी आपसे जस्ट डबल सीटों की वृद्धि हुई। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि इस वर्ष तीस और नये इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के कार्यकाल में 8 नये एमबीए पाठ्यक्रम संचालित हुए जिनमें से सभी निजी क्षेत्र में संचालित हुए और इनकी कुल प्रवेश क्षमता में 560 सीटों की वृद्धि हुई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 53 एमबीए पाठ्यक्रम स्थापित हुए और प्रवेश क्षमता में 3900 सीटों की वृद्धि हुई। इनकी सरकार के कार्यकाल में तीन नये फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित हुए जो सभी निजी क्षेत्र में प्रारम्भ हुए और उनकी प्रवेश क्षमता में 260 सीटों की वृद्धि हुई। हमारी सरकार के कार्यकाल में 48 फार्मेसी पाठ्यक्रम स्थापित हुए और प्रवेश क्षमता में 2960 का इनके 260 यानी 15 गुना 2960 सीटों की वृद्धि हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के कार्यकाल में कोई भी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

नया पालीटैक्निक कॉलेज स्थापित नहीं हुआ बल्कि एक पोलीटैक्निक कालेज बंद हो गया। हमारे राज में 15 पोलीटैक्निक कालेज स्थापित हुए और प्रवेश क्षमता में 4050 सीटों की वृद्धि हुई। इस वर्ष 2008-09 में 25 नये पोलीटैक्निक महाविद्यालय पीपीपी मोड के अन्तर्गत स्थापित किये जाएंगे जिससे 4500 सीटों की और वृद्धि होगी। इनकी सरकार के कार्यकाल में 12 नये आईटीआई संस्थान स्थापित हुए जिनमें में 6 निजी क्षेत्र में प्रारम्भ हुए एवं जिनकी प्रवेश क्षमता थी 920 सीट । हमारी सरकार के कार्यकाल में, बहुत फर्क है यह तो 30 गुणा, इनके यहां तो 12 नये स्थापित हुए और हमारे 302 आईटीआई कालेज, प्रवेश क्षमता में आपके यहां 920 सीट थीं और हमारे ... (व्यवधान)

(समय : 22.00 बजे)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह चार साल पहले जितनी जनसंख्या थी और आज जो बढी है यह भी आपकी सरकार ने ही बढ़ाई है क्या? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): 30 गुणा बढ़ी है क्या? आप सुनिए, 30176 सीटों की वृद्धि हुई है। आपके राज में 920 सीट और हमारे यहां 30176 सीट । अब आप और आगे सुनिए । आपकी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता के राष्ट्रीय औसत से पिछड़ा हुआ रहा जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में एमबीए, फार्मेसी और आईटीआई के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकल गये और अन्य पाठ्यक्रमों में भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम राष्ट्रीय औसत से आगे निकल जाएंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 400 करोड रुपये का निजी निवेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हुआ और 50 तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हुए । और हमारी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में 930 करोड़ रुपये का निजी निवेश हुआ, 500 करोड़ रुपये का निवेश निजी सार्वजनिक सहभागिता के अंतर्गत होगा और 451 तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं । और सुनो आप, आपकी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की विशेष पहल नहीं की गई । वर्तमान सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए निजी-सार्वजनिक सहभागिता को लागू किया जो पूरे देश में एक अनूठा प्रयोग है । इस योजना के तहत प्रत्येक जिले

(श्री कालीचरण सर्राफ)

में इंजीनियरिंग कालेज और पोलीटैक्निक कालेज तथा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर आईटीआई की स्थापना हेतु सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है । महिला पोलीटैक्निक तथा इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिये सरकार भवन निर्माण के लिये भी राशि उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय की महती आवश्यकता होने के बावजूद भी आपने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया और हमारी सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित प्रसार एवं गुणवता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की कोटा में स्थापना की और राजस्थान के समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया ।

अब मैं जो माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । (व्यवधान) इनका जवाब नहीं दूं? चलिए पहले घोषणा कर देता हूं ।

प्राथमिक शिक्षा को और सुदृढ़ करने के लिये इस वर्ष एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। अगले वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु की जाने वाली टीचर नियुक्ति में विज्ञान, गणित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिससे हर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इन विषयों के टीचर की उपलब्धता कराई जा सके । वर्तमान टीचर को भी प्राथमिकता के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की 10-दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी । हमारी सरकार की यह मंशा है कि प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सैकण्डरी स्कूल हो । इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बाकी बची सभी, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, माहिर आजादजी गये वह कह रहे थे कि साहब इसमें राजनीतिक भेदभाव तो नहीं करोगे, सभी 3108 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की है, इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को भी प्रवेशिका स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह भी घोषणा की है कि प्रदेश के 282 बालिका माध्यमिक विद्यालयों के लिये यदि कोई भामाशाह भवन तथा अन्य अनावर्तक व्यय के लिये तैयार होगा तो इनको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा । इसी प्रकार 515 उच्च

(श्री कालीचरण सर्राफ)

माध्यमिक विद्यालयों जिसमें विज्ञान संकाय नहीं है, उन स्थानों पर कोई भामाशाह अनावर्तक व्यय के लिये तैयार होगा तो वहां पर विज्ञान संकाय खोला जाएगा । इसी प्रकार से मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस वर्ष 500 माध्यमिक विद्यालयों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष आईसीटी परियोजना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि प्राइमरी एजुकेशन के साथ-साथ सैकण्डरी एजुकेशन की गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान दें । हम यह चाहते हैं कि सैकण्डरी बोर्ड से उत्तीर्ण होने वाले छात्र भी प्रदेश और देश के प्रमुख संस्थानों आईआईटी, एम्स इत्यादि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो । इसके लिये केवल सैकण्डरी एजुकेशन का विस्तार होना ही आवश्यक नहीं है बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता और परीक्षा प्रणाली भी सीबीएसई तथा अन्य प्रतिष्ठित बोर्डों के समकक्ष हो ऐसी आवश्यकता है । इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि इस वर्ष सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी एजुकेशन की परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन व्यवस्था एवं प्रश्न पत्र निर्माण में समुचित परिवर्तन किये जाएगे तथा गणित और विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिये कदम उठाये जाएगे। इसके लिये प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण, अध्यापकों का प्रशिक्षण आदि कार्यों को हाथ में लिया जाएगा। पिछले चार साल में हमारी सरकार ने 70 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है । फिर भी शिक्षकों की कमी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सैकण्ड ग्रेड के 15000 अध्यापक तथा 1750 व्याख्याता भर्ती करने की घोषणा अपने बजट भाषण में की थी और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के लिये इस वर्ष तृतीय श्रेणी के 12500 अध्यापकों की भर्ती और की जाएगी । इसका मैं आपको और बता दूं कि 15 अप्रैल के पहले पहले थर्ड ग्रेड टीचर और सैकण्ड ग्रेड टीचर के लिये हम आरपीएससी को रिक्विजिशन भेज देंगे ताकि जल्दी से जल्दी इनकी नियुक्ति हो जाए। जब नया सत्र चालू होगा उस समय जो सैकण्डरी स्कूल और यूपीएस स्कूल जो हमने खोलने की घोषणा की है, यह नये सत्र में ही क्रमोन्नत हो जाएंगे, एक जुलाई को जो नया सत्र होगा उसमें ।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

इस वर्ष 4500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिये फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और 20 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिनमें वर्तमान में दरी-पट्टी उपलब्ध नहीं है, छात्र छात्राओं के बैठने के लिये दरी-पट्टी उपलब्ध करवाई जाएगी । इस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भवनविहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण, बालक-बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय सुविधा एवं विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाई जाएगी । नवीन क्रमोन्नत विद्यालयों में लगभग 6 हजार अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित किये जाएगे । शैक्षिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2008-09 में निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा :-

राज्य के 4710 माडल क्लस्टर विद्यालयों को संदर्भ विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा जिनमें रीडिंग कार्नर, स्पोटर्स किट, विज्ञान एवं गणित किट, शिक्षकों हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं प्रधानाध्यापकों हेतु प्रबन्धकीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी । प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु कक्षा 1 व 2 में रीडिंग कार्नर विकसित किये जाएंगे। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिले में एक ब्लाक के शिक्षकों को मल्टी ग्रेड एवं मल्टी लेवल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित में उपलब्धि स्तर उन्नयन हेतु प्राथमिकता के आधार पर पांच हजार विद्यालयों में विज्ञान व गणित के लिए किट उपलब्ध कराए जाएंगे। अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय के अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे इन विषयों पर प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित हो सके।

इसी प्रकार राज्य में महिलाओं हेतु पूर्व की भांति राज्य के 23 जिलों में जो राज्य साक्षरता औसत दर से न्यून हैं, उनमें महिला साक्षरता दर में वृद्धि एवं जीवन स्तर उन्नयन करने हेतु पांच हजार महिला शिक्षण विहार शिविर आयोजित किये जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में नव साक्षर महिलाओं का आर्थिक स्तर उन्नयन करने हेतु स्थानीय आवश्यकता एवं अभि रूचि के आधार पर 474 व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

इस वर्ष राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1 से 12 तक के छात्र

(श्री कालीचरण सर्राफ)

छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, तो हर वर्ष की भांति वितरित कराई ही जाएंगी, इसके साथ-साथ कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 86 लाख छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक सुधार के लिए कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए सीनियर सैकण्डरी एसटीसी अथवा बीए बीएड योग्यता मान्य है, ऐसे अभ्यर्थी जो एनटीटी योग्यता रखते हैं, वर्तमान में इनको प्री-प्राइमरी शिक्षण के लिए ही योग्य माना जाता है, इनकी यह मांग है कि इन्हें भी एसटीसी के समक्ष माना जाकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए योग्य माना जाए। इसके लिए एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट प्राप्त करके इनको भी समकक्ष किया जाएगा।

1998 में जिला परिषदों के माध्यम से हुई नियुक्ति में शेष रहे अभ्यर्थियों के विषय में एडिशनल चीफ सैक्रेटरी पाण्डेजी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की हुई है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में आना सम्भावित है, इनको एक और अवसर देने के लिए अगले वर्ष में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान तो किया है और सह रिपोर्ट आने के बाद पूरा निर्णय लिया जाएगा।

आपको शायद याद होगा, पिछली सरकार ने वर्ष 1999 में हजारों राजीव गांधी पाठशालएं खोलीं और उनमें 1200 रुपये प्रति माह के मानदेय पर पैराटीचर लगाये। इनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी से भी कम था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इनके मानदेय में 400 रुपये की वृद्धि की। केवल मानदेय में ही वृद्धि नहीं की, हमने यह भी निर्णय किया कि पैराटीचर्स, पैरा शारीरिक शिक्षक, शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश के कर्मचारियों के अनुभव का लाभ उठाते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में अध्यापन की व्यवस्था सुदृढ की जाए तथा इनको भी मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिले इसलिए इनका एक नया कैडर बनाया जाए। इस हेतु विधान सभा में बिल पेश कर दिया गया है और 19 तारीख को आप सब इसको पास करेंगे।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के निर्धारित कोटे में उनके सीनियर सैकण्डरी पास होने पर तृतीय श्रेणी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अध्यापिका ट्रेनी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति मानदेय पर की जाएगी और बीएड या एसटीसी करने पर उनको रैगुलर पे-स्केल देय होगी।

अजमेर से आने वाली माननीया सदस्य अनिताजी ने एक मांग रखी थी, अजमेर स्थित तोपदड़ा शिक्षा परिसर का नाम पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल किये जाने की मैं घोषणा करता हूं।

अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो घोषणाएं हैं उनको भी मैं सुना दूं। अगले सत्र में 24 राजकीय महाविद्यालयों मे साइंस फैकल्टी शुरू की जाएगी। छात्रों की अंग्रेजी भाषा में दक्षता वृद्धि हेतु अंग्रेजी दक्षता कार्यक्रम निरन्तर जारी रखा जाएगा। छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और अधिक नये रोजगारोन्मुख पाठयक्रम शुरू किये जाएंगे। राज्य में अब तक 6 नालेज सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं तथा 14 नालेज सेंटर और स्थापित किये जाएंगे। 10 बड़े राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

हमारी सरकार व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए जागरूक है, इस क्रम में 456 पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है तथा शेष 457 पदों की भर्ती भी अगले वर्ष में कर दी जाएगी। छात्रों को अध्यापन के साथ ही रोजगार उपलब्ध हो जाए इस हेतु रोजगार मेले आयोजित कर कैम्पस इंटरव्यू कराए जाएंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं को स्थाई करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने कर लिया है, इस हेतु इसी क्रम में विधेयक लाया जाएगा। 237...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जोड़ लो जो छोड़ रहे हो, अभी समय है, आप संशोधन की कार्यवाही करके सब को जोड़ लीजिए जितने भी हैं। 73 तो महिलाएं हैं उसमें...(व्यवधान) सरकार के वकील साहब ने भी सिफारिश कर दी...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बीकानेर यूनिवर्सिटी का नाम केशवानंद जी और उनके नाम से, अभी एक का अजमेर का किया है, यह और कर दो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तरफ से यह मांग आई थी कि अस्थाई व्याख्याताओं को आप स्थाई करेंगे तो हमारे बैकलॉग का क्या होगा, तो मैं यह भी आपको

(श्री कालीचरण सर्राफ)

बताना चाहूंगा कि 200 व्याख्याताओं की नियुक्ति अलग से की जाएगी जिससे बैकलॉग को पूरा किया जा सके।

टैक्निकल एजुकेशन से संबंधित कुछ घोषणाएं हैं वह भी मैं करना चाहूंगा। तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों की ट्रेनिग व्यवस्था करने के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ टैक्निकल ट्रेनिंग रिसर्च स्थापित किया जाएगा। बोर्ड आफ टैक्निकल एजुकेशन को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा मण्डल अधिनियम लाया जाएगा। इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर को आदर्श संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इस कालेज के परिसर में संचालित आईटीआई व पोलीटैक्निक को भी आदर्श संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाएगा। इंजीनियरिंग कालेज, अजमेर एवं बीकानेर में भी 4-4 एमटैक के कोर्स प्रारम्भ किये जाएंगे।

इसके अलावा इस साल स्थापित किये गये 4 राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जाएगी एवं नये पाठयक्रम शुरू किये जाएंगे। इन कालेज में नये एमबीए पाठयक्रम भी सत्र 2008-09 में संचालित किये जाएंगे। पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रों को रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उद्योग आधारित प्रोजैक्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाएगी। आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेटरल एंट्री के लिए व्यवस्था की जाएगी।

इंजीनियर कालेज अजमेर में इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी से संबंधित, साथ-साथ कम्प्यूटर की 2 नई लैब स्थापित की जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग के 1200 छात्रों को कम्प्यूटर पर प्रशिक्षित करने के लिए 3 माह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। सैंटर फोर इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस द्वारा इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी के क्षेत्र में कार्य कर रही अग्रणी कम्पनी जैनपैक्ट के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जाकर बिजनिस प्रोसेस आउट सोर्सिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। एम.ओ.यू. में यह व्यवस्था भी की जाएगी कि प्रशिक्षित छात्रों को उक्त कम्पनी में रोजगार भी प्राप्त हो सके। बोर्ड आफ टैक्निकल एजुकेशन के अन्तर्गत रिमोट फेन्सिंग में एडवान्स डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया जाएगा।

राज्य में दक्षता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्टेट स्किल डवपलमेंट रिसर्च की स्थापना की जाएगी। सचिवालय के कर्मचारियों के

(श्री कालीचरण सर्राफ)

परिवार में से एक आश्रित को कम्प्यूटर पर निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। भीलवाड़ा में स्थापित इंजीनियरिंग कालेज को टैक्सटाइल टैक्नोलोजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र (सेंटर आफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जाएगा।

17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा इस हेतु 42 करोड़ 50 लाख रुपये केन्द्र से ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। इस वर्ष के अंत तक तकनीकी संस्थानों की प्रवेश क्षमता एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की जाएगी।

एक अजमेर इंजीनियरिंग कालेज में पी.जी. और रिसर्च तकनीकी केन्द्र की स्थापना की घोषणा भी मैं करता हूं। अजमेर इंजीनियरिंग कालेज में वर्तमान में पांच पी.जी. कोर्स चल रहे हैं, वर्ष 2008-09 से 4 और नये पी.जी. कोर्स प्रारम्भ किये जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि पी.जी. एवं पीएचडी प्रोग्राम को द्रुत गति से विकसित करें, इस हेतु इस अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर में पी.जी. ब्लाक का 10 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। भविष्य में हम पी.जी. व पी.एचडी. प्रोग्राम के रूप में स्वतंत्र केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे जिसका स्वरूप इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बैंगलौर के अनुरूप होगा। यह अपने प्रकार का उत्तर भारत में एडवांस टेक्नोलोजी केन्द्र होगा जिसमें तकनीकी शिक्षकों व विशेषज्ञों को विभिन्न पदों के अनुरूप अपनी न्यूनतम योग्यताएं पूर्ण करने का अवसर मिलेगा।

एक यह है कि पोलीटैक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ दिये जाने हेतु सेवा नियमों में संशोधन किया जा रहा है। आगामी तीन माह में नियमों में संशोधन होने के उपरान्त कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू की जाएगी।

अन्त में मैं एक शेर के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं- हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग को पारित कराने के लिये आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,78,07,55,000/- (चौंसठ अरब अठहत्तर करोड़ सात लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,36,41,000/- (अड़तीस करोड़ छतीस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

अब अनुदान की शेष मांगें निम्नानुसार मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं-

मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,55,39,000/-(बीस करोड़ पचपन लाख उनतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,24,62,000/- (छह करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,37,73,34,000/- (दो अरब सैंतीस करोड़ तिहत्तर लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,70,03,19,000/- (एक अरब सत्तर करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,18,34,000/- (इकसठ करोड़ अठारह लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6- न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,08,32,06,000/- (दो अरब आठ करोड़ बत्तीस लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7- निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,35,32,000/- (चवालीस करोड़ पैंतीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8-राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,94,82,35,000- (दो अरब चौरानवे करोड़ बियासी लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,96,58,58,000/- (दो अरब छियानवे करोड़ अठावन लाख अठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,59,06,000/-(सोलह करोड़ उनसठ लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,09,81,000/- (तेइस करोड़ नौ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,15,49,000/- (अड़सठ करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13-आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,10,81,000/- (इकसठ करोड़ दस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,33,43,18,000/- (दो अरब तैंतीस करोड़ तियालीस लाख अठारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,00,00,56,000/- (तीस अरब छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,99,92,000/- (सत्रह करोड़ निन्यानवे लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,48,06,000/- (अड़तीस करोड़ अड़तालीस लाख छह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,89,76,88,000/- (एक अरब नवासी करोड़ छियत्तर लाख अठासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम एवं रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम एवं रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,04,32,36,000/- (एक अरब चार करोड़ बत्तीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,44,41,52,000/- (दो अरब चवालीस करोड़ इकतालीस लाख बावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,29,44,85,000/- (बारह अरब उनतीस करोड़ चवालीस लाख पिच्चासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,83,45,000/- (उनचास करोड़ तिरासी लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,65,32,19,000/- (नौ अरब पैंसठ करोड़ बत्तीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,58,65,000/- (इकसठ करोड़ अठावन लाख पैंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,58,62,000/- (एक अरब सात करोड़ अठावन लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,49,000/- (नब्बे लाख उनचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,63,79,000/- (सोलह करोड़ तिरसठ लाख उन्नासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,05,90,53,000/- (सताईस अरब पांच करोड़ नब्बे लाख तरेपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को

(श्री उपाध्यक्ष)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,71,80,000/- (ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,58,77,000/- (पांच अरब अठावन लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008.

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गलती हुई, वह मुख-बंद तक ही अपन ने समय बढ़ाया था, इसका समय यह प्रस्तुत करने तक बढ़ाया जाए, कार्य-सूची पूरी होने तक ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधायी कार्य:विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008

श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.37 बजे, शनिवार, 15 मार्च, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

निगम बस स्टैण्ड के निकट क्षेत्र से निजी यात्री वाहनों का संचालन

263. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर से अनेक शहरों के लिये निजी बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो वैध लाइसेंस प्राप्त कौन-कौनसी मार्गों पर कितनी-कितनी बसों का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन के आस -पास से अनेक यात्रा कम्पनियों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी कम्पनियों द्वारा?

(3) क्या यह सही है कि बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन से निजी बस यात्रा कम्पनी के संचालन करने की दूरी एवं ट्रेफिक व्यवस्था एवं निर्धारित जगह का एरिया एवं किराया के मानदण्ड एवं नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों एवं मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियमों एवं मानदण्डों के विपरीत अनेक यात्रा कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से बसों का संचालन निगम बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन के आस-पास से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर से अनेक शहरों के लिए निजी बसों का संचालन केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्टैज कैरेज अनुज्ञापत्र, संविदा अनुज्ञापत्र अथवा अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त कर किया जा सकता है।

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा तत्संबंधी राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त यात्रा कम्पनी/ ट्रेवल एजेन्ट्स द्वारा किसी विशिष्ठ मार्ग पर वाहनों का संचालन नहीं किया जाता है, अपितु संविदा अनुज्ञापत्र प्राप्त पर्यटक वाहनों अथवा अस्थाई

(यातायात मंत्री)

अनुज्ञापत्र प्राप्त वाहनों का संचालन आवश्यकतानुसार स्थानों के लिए एवं मार्गों पर अनुबंध के आधार पर किया जाता है। अत: इनके द्वारा संचालित की जाने वाली बसों की संख्या तथा उनके मार्गों का विवरण, इनका संचालन किसी मार्ग विशेष पर नियमित अनुज्ञापत्र प्राप्त कर नहीं होने के कारण, विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। जयपुर शहर में वैध लाइसेंस प्राप्त ट्रेवल एजेन्ट्स की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि निगम बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन के आस-पास से अनेक यात्रा कम्पनियों/ट्रेवल एजेन्ट्स लाइसेंस धारकों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है। यह सही है कि ट्रेवल एजेन्ट्स लाईसेंस धारक के पास बुकिंग कार्यालय का होना आवश्यक है। अत: निगम बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र में भी अनेक यात्रा कम्पनियों/ट्रेवल एजेन्ट्स लाईसेंस धारकों के कार्यालय स्थित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 2006 से नो-पार्किंग जोन घोषित होने के कारण इन स्थलों से निजी बसों की पार्किंग वर्तमान में निषिद्ध है।

(3) जी नहीं। बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन से निजी बस यात्रा कम्पनी/ट्रेवल एजेन्ट्स के संचालन करने की दूरी, ट्रेफिक व्यवस्था, निर्धारित जगह का एरिया, किराया के मानदण्ड एवं कोई नियम पृथक से निर्धारित नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 तथा तदानुरूप राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 5.73 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के प्रचारक/अधिकर्ता के रूप में कार्य करने के सामान्य प्रावधान एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त नियमों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा रेलवे स्टेशन से निगम बस स्टैण्ड होते हुए चांदपोल तक का क्षेत्र भारी वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि निगम बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन रोड से अनेक यात्रा कम्पनी/ट्रेवल एजेन्ट्स द्वारा अवैध रूप से बसों का नियमित संचालन किया जा रहा हो क्योंकि उक्त क्षेत्र जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

(यातायात मंत्री)

द्वारा भारी वाहनों के लिए नो-पार्किंग जोन घोषित है। यदि किन्हीं यात्रा कम्पनी/ट्रेवल एजेन्ट्स द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के विरुद्ध नो पार्किंग क्षेत्र से निजी बसों की पार्किंग का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध विभाग द्वारा मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बिजौलिया खनन क्षेत्र में नियम विरुद्ध आबंटित खनन लीज

264. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) व **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) एवं **श्री सी.डी. देवल** (रायपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या स्टोन आन नेट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को बिजौलिया क्षेत्र में खान आबंटन हेतु नियमों के विपरीत स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो इस आबंटन में किन-किन नियमों का उल्लंघन किया गया?

(2) क्या उक्त कम्पनी को खान आबंटन करने के समय कुछ विशेष शर्तें लगायी गई थीं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(3) क्या कम्पनी द्वारा शर्तों की पालना की जा रही है? यदि हां, तो बिन्दुवार अवहेलना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अवहेलना के कारण सरकार कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 22(1), 22(2), 23 (3), 25, 26 27 व 28(1) में शिथिलता प्रदान करते हुए 45.2197 हैक्टेयर क्षेत्र का क्वारी लाइसेंस स्वीकृत किया गया।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त कम्पनी को खान आबंटन करते समय विशेष शर्तें लगाई गई थीं, उक्त शर्तों का विवरण संलग्न-1 में अंकित है।

(3) जी नहीं। लागू की गई विशेष शर्तों की शर्त संख्या 3 व 4 की अवहेलना किया जाना पाया गया।

(4) जी हां। क्वारी लाइसेंस की शर्तों की पालना नहीं करने पर खनि अभियंता, बिजौलिया द्वारा आदेश दिनांक 4.1.05 द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त

(खनिज मंत्री)

करते हुए क्वारी लाइसेंस खण्डित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध क्वारी लाइसेंसधारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 66/2005 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.1.07 के अंतर्गत पूर्व आदेश दिनांक 6.1.05 की पुष्टि की गई है। जिसमें क्वारी लाइसेंसधारक को उसके क्वारी अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु लिखा है। तदानुसार ही कम्पनी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का वार्षिक किराया जमा कराया जा रहा है एवं क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

भिक्षावृत्ति में संलिप्त बालक/बालिकाओं का पुनर्वास

265. **श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न शहरों में बालक-बालिकाएं भिक्षावृत्ति एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हैं? यदि हां, तो ऐसे बालक-बालिकाओं को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के कुछ स्थानों पर बालक-बालिकाएं भिक्षावृत्ति जैसी अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हैं। सरकार इन बालक-बालिकाओं को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए निम्न गतिविधियां संचालित कर रही है :-

1. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में संशोधित अधिनियम, 2006 द्वारा अधिनियम की धारा 2(D) (ia) में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को भी देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके फलस्वरूप ऐसे बच्चों को अधिनियम के अन्तर्गत संचालित बालगृहों में प्रवेश दिया जाना सम्भव हो गया है, जहां पर इनके लिए आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास आदि की नि:शुल्क व्यवस्था की जाती है।

   इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आ जाने से यदि कोई व्यक्ति/संगठन बच्चों से भिक्षावृत्ति, अवांछनीय/अनैतिक/गैर कानूनी कार्य करने के लिए

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रोत्साहित करता है अथवा जबरन करवाता है तो उसे अधिनियम की धारा 23 से 28 के अन्तर्गत कारावास व जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

2. भिक्षावृत्ति एवं अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त बच्चों को शिक्षित करने हेतु माननीया मुख्य मंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2005-06 की अनुपालना में ग्राम-मण्डाना, तहसील-लाडपुरा, जिला-कोटा में एक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2008-09 से प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

थानों के नवीनीकरण हेतु दानदाताओं द्वारा व्यय राशि

266. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में राजस्थान में कुछ थानों का नवीनीकरण/रिपेयर/नये थानों के भवनों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो किन-किन थानों का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों का नवीनीकरण/रिपेयर/नये थानों के भवनों का निर्माण में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन थानों के नवीनीकरण/रिपेयर/नये थानों के भवनों के निर्माण में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अलावा दानदाताओं द्वारा भी राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो रसीदों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में जिन थाना भवनों का नवीनीकरण/रिपेयर/नये भवन का निर्माण कराया गया है का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में राजस्थान के थानों का नवीनीकरण/रिपेयर/नये थानों के भवनों का निर्माण में सरकार द्वारा कुल 1827.23 लाख रुपये खर्च किये गये। थानेवार सूची परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। पुलिस जिला जयपुर शहर उत्तर, दक्षिण, पूर्व व जयपुर ग्रामीण, नागौर, झुन्झुनूं, दौसा, हनुमानगढ़, धौलपुर, जोधपुर ग्रामीण, जालौर,

(गृह मंत्री)

पाली, बारां एवं राजसमंद में दानदाताओं द्वारा भी थानों के मरम्मत कार्यों के लिए राशि/सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। सूची परिशिष्ट 'द' पर मय उपलब्ध रसीदों की प्रति के संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संस्कृत शिक्षा विद्यालयों के नियंत्रण में व्याप्त क्षेत्रीय विसंगति

267. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा के सम्भागीय कार्यालयों के अधीन जो जिले निर्धारित किये हुए हैं, वे राजस्व क्षेत्र के अनुसार नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्षेत्र से संबंधित जिलों को क्षेत्रीय मुख्यालय पर संस्कृत सम्भागीय शिक्षा के कार्यालयों के अधीन कब तक लगा दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग में पूर्व में विद्यालयों की संख्या के आधार पर सम्भागीय कार्यालयों के अधीन जिले के विद्यालय रखे गये थे। वर्तमान में नवीन सम्भाग भरतपुर की स्थापना के बाद जिलों का आबंटन राजस्व क्षेत्र के अनुसार प्रक्रियाधीन है।

पंचायत समिति मकराना के आरोपित प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

268. **डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मकराना के प्रधान श्रीराम के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सम्भागीय आयुक्त द्वारा जांच के बाद सभी आरोपों को सही मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त प्रधान को पद के दुरुपयोग करने के आरोप सिद्ध होने पर निलम्बन के आदेश दिए हैं? यदि हां, तो कब व उनकी कब तक क्रियान्विति कर दी जावेगी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

(पंचायती राज मंत्री)

नागौर द्वारा जांच में प्रधान मकराना के विरुद्ध सभी आरोपों को सही माना गया है लेकिन संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा तीन आरोपों को ही सही माना गया है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सीकर जिले में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन का संचालन

269. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन योजनान्तर्गत कार्य चल रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना किस-किस जिले में लागू है एवं इसमें सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन योजना लागू नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा सीकर जिले को नेशनल हार्टिकल्चर योजनान्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव भिजवाया गया था? यदि हां, तो कब एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला सीकर को नेशनल हार्टिकल्चर मिशन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन वर्ष 2005-06 से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना राज्य के जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, कोटा, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा एवं झुन्झुनूं जिले में लागू है। मिशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा अभी तक सीकर जिले को मिशन अन्तर्गत शामिल नहीं किये जाने के कारण यह योजना सीकर जिले में लागू नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सीकर जिले को नेशनल हार्टिकल्चर

(कृषि मंत्री)

मिशन में शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को विभागीय पत्रांक पं.21(3)नि.उ./रा.बा.मि./2006-07/10244, दिनांक 30.03.2007 व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 606-07, दिनांक 07.06.2007 द्वारा भिजवाये गये थे। भारत सरकार ने अभी तक सीकर जिले को नेशनल हार्टिकल्चर मिशन में सम्मिलित नहीं किया है।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने नेशनल हार्टिकल्चर मिशन की वर्ष 2008-09 की कार्य योजना में भारत सरकार को भिजवाये प्रस्ताव में इस योजना को सीकर जिले में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी लम्बित प्रकरण

270. डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्रकरण के मामले सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन प्रकरणों में पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इन प्रकरणों में न्यायालय में कोई वाद लम्बित है? यदि हां, तो कितने और किस स्टेज पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में देरी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नियमानुसार पात्र कोई प्रकरण बकाया नहीं है। किन्तु निम्नांकित प्रकरण नियमों में शिथिलता प्रदान करने के लिए पुनः विचाराधीन है :-

1. श्री नगेन्द्र कुमार चौधरी निवासी, जयपुर

2. श्री नन्द किशोर धोबी, निवासी डूंगरपुर

(2) नियमों में शिथिलता हेतु उक्त प्रकरणों में राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) नियमानुसार पात्र नहीं होने के कारण अस्वीकृत प्रकरणों में से न्यायालय में लम्बित वादों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(4) कोई प्रकरण लम्बित नहीं होने से प्रश्न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट 'क'

राज्य मद से स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन हेतु विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	वाद संख्या	वादी का नाम	न्यायालय जहां वाद विचाराधीन है	वर्तमान स्थिति
1.	एस.बी.सि.रि.पि. संख्या 9927/06	श्री लाल चन्द कुमावत	राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	जवाब दावा प्रस्तुत किया हुआ है ड्यू कोर्स में है
2.	एस.बी.सि.रि.पि. संख्या 4539/06	श्री राम दास गुप्ता	राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	जवाब दावा प्रस्तुत किया हुआ है ड्यू कोर्स में है
3.	एस.बी.सि.रि.पि. संख्या 3944/07	श्री किशन अग्रवाल	राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	जवाब दावा प्रस्तुत किया हुआ है ड्यू कोर्स में है
4.	एस.बी.सि.रि.पि. संख्या 8968/07	श्री श्रवण लाल प्रजापत	राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	माननीय न्यायालय से नोटिस सर्व होने की प्रक्रियाधीन है।

खेतड़ी-नीमकाथाना-दिल्ली मार्ग पर निगम बस सेवा

271. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के आगार से कितनी निगम बसें संचालित हैं तथा उनका मार्ग क्या-क्या है?

(श्री दाताराम गुर्जर)

(2) खेतड़ी से दिल्ली के लिये कितनी निगम बसें संचालित की जा रही हैं व उनका मार्ग कौनसा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खेतड़ी-ठोसी-जयपुर के लिये निगम बस चलाई गई थी? यदि हां, तो यह बस कितने दिन चली तथा बन्द क्यों कर दी गई?

(4) क्या यह सही है कि खेतड़ी-नीमकाथाना-दिल्ली के लिये बस सुविधा के लिये मार्ग का सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर निगम बस सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खेतड़ी आगार से निगम द्वारा 149 एकल परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खेतड़ी से दिल्ली के लिये निगम द्वारा 3 एकल परिचक्र दैनिक निम्न मार्गों पर संचालित किये जा रहे हैं :-

1. खेतडी से दिल्ली वाया निजमापुर-नारनोल	1 परिचक्र
2. खेतडी से दिल्ली वाया सिंघाना-नारनोल	2 परिचक्र

(3) जी हां। यह बस माह मार्च 2006 से जुलाई 2006 (5 माह) तक संचालित रही। इस बस सेवा को दूधवा से आगे पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने से इसका संचालन अनार्थिक रहने के कारण माह अगस्त 2006 से बन्द कर दिया गया। वर्तमान में यह जयपुर से दूधवा तक संचालित है।

(4) जी नहीं। प्रश्न के खण्ड 2 में अंकित मार्गों पर खेतड़ी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिये बस सुविधा उपलब्ध है।

नीमकाथाना–दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधार्थ विभिन्न आगारों द्वारा दैनिक 37 एकल परिचक्र संचालन हेतु निर्धारित किये हुये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले के प्रतिबन्धित अरावली क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे

272. **श्री जयराम जाटव** (खैरथल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जयराम जाटव)

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में अरावली नोटिफिकेशन के आदेशों के बावजूद सरकार द्वारा खनन पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किन-किन व्यक्तियों को तथा किन नियमों के तहत? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिले में नीमली, ग्वालदा, पिलौरा, जामड़ोली, देवता, नौरंगाबाद गांवों में अरावली पहाड़ में खानें चल रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के आदेशों के बावजूद खनिज विभाग अलवर द्वारा अनदेखी की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अरावली नोटिफिकेशन दिनांक 7.5.1992 के बाद अलवर जिले में खनन पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त अधिसूचना में केवल पांच तरह की भूमि में आवेदित क्षेत्रों को पर्यावरण विभाग, भारत सरकार की पूर्वानुमति जारी करने पर पाबंदी नहीं है। जो खनन पट्टे अधिसूचित पांच प्रकार की भूमि में जारी किये गये हैं उनमें पर्यावरण विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही जारी किये गये हैं। जारी किये गये खनन पट्टों की सूची एनेक्चर ए-1 एवं ए-2 में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) कोई अनदेखी का प्रकरण नहीं है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन

273. **श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को कब भंग किया गया? अभी तक इसका पुनर्गठन नहीं करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के शीघ्र गठन का शपथ पत्र दिया गया है? यदि हां, तो कब व इसकी पालना नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची को वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई थी? यदि हां, तो कब व आयोग की सिफारिश न मानने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मई 1998 व जनवरी 1999 में विभिन्न राजकीय विभागों, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं व शिक्षण संस्थाओं में पद स्थापित अधिकारी, कर्मचारी व छात्रों हेतु जाट, माली, गुर्जर, कुमावत, चारण स्वामी व साद जाति बाबत् कोई जातिवार सूचना मांगी गई थी? यदि हां, तो क्या सूचना प्राप्त हुई?

(5) क्या यह सही है कि आयोग द्वारा राजपूत जाति के बारे में भी सूचना मांगी गई है? यदि हां, तो क्या सूचना प्राप्त हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) भंग किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने किस-किस जाति के अभ्यावेदन पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिये बकाया थे व क्या राजपूत जाति के बारे में भी आयोग द्वारा विचार किया गया है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिसूचना दिनांक 15.01.2004 द्वारा भंग किया तथा अधिसूचना दिनांक 16.07.2007 द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, दिनांक 02.08.2007 से आयोग के विचारणीय बिन्दु (Terms of Reference) जारी किये गये तथा दिनांक 03.03.2008 द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया है।

(2) पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उक्तानुसार किया जा चुका है।

(3) जी हां। राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के छठे प्रतिवेदन (वर्ष 1999) में जाति/वर्गों को दो समूह क्रमश: ए एवं बी में विभाजन करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में राज्य मंत्रीमण्डल के हुए निर्णयान्तर्गत पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित जातियों/वर्गों को दो समूह में विभाजित करने के संबंध में आयोग द्वारा पुनर्विचार करने हेतु संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

गया। तत्पश्चात आयोग के नवें प्रतिवेदन (वर्ष 2001) में पिछड़े वर्ग में सम्मिलित सभी जाति/वर्गों को तीन भागों यथा पिछडे, अति पिछड़े एवं अत्यधिक पिछड़े वर्गों में विभाजित कर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 21 प्रतिशत आरक्षण को इनके लिए क्रमश: 6, 7 एवं 8 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के वर्गीकरण के सुझाव को स्वीकार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

(4) तत्कालीन राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य (बनिया), कायस्थ, जाट, विश्नोई, मेव, गद्दी, कचेरा, जड़िया श्रीमाल, अन्य जातियों के सम्बन्ध में विभिन्न राजकीय विभागों, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं व शिक्षण संस्थाओं में पद स्थापित अधिकारी, कर्मचारी व छात्रों के बारे में सूचना मांगी गई थी। लेकिन प्राप्त सूचनाएं अप्रासंगिक हैं।

(5) जी हां। प्राप्त सूचनाएं अप्रासंगिक हैं।

(6) विचाराधीन शेष रहे जाति/वर्गों के प्रार्थना पत्र :-

1. राजपूत
2. कठियारा
3. काम्बोज
4. काकरी, क्रेकाणी (बिलोची)
5. गुरू, गर्ग ब्राह्मण
6. पूर्वीया राजपूत
7. रावत के साथ राजपूत जोड़ना
8. डार (डारान)

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदनों में राजपूत जाति/वर्ग के प्रत्यावेदनों को अस्वीकार कर पिछड़ा वर्ग की सूची में नाम जोड़ने की सिफारिश नहीं की गई थी तथा आयोग के नवां प्रतिवेदन में राजपूत जाति/वर्ग को पुन: विचार हेतु रखा गया तथा दसवां प्रतिवेदन में राजपूत जाति/वर्ग को विचाराधीन रखा गया।

असामाजिक तत्वों द्वारा राज्य कर्मचारियों के साथ मारपीट के दर्ज प्रकरण

274. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भरत सिंह)

(1) वर्ष 2007-08 में राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के साथ भीड़ व अपराधियों द्वारा मारपीट के कुल कितने प्रकरण प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो संगठित भीड़ द्वारा बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा क्या पहल की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2007-08 में राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के साथ भीड़ व अपराधियों द्वारा मारपीट के कुल 1548 प्रकरण प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं में वर्ष 2007 में वर्ष 2006 की अपेक्षा 5 अपराधों की बढ़ोत्तरी हुई है, जो नगण्य है। संगठित भीड़ द्वारा अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर जाने से पूर्व पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रण के क्रम में आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं व प्रशिक्षण केन्द्रों व जिला पुलिस लाइनों में भीड़ नियंत्रण हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण दिये जाते हैं। भीड़ द्वारा अपराध करने पर उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम जिला	कुल दर्ज अभि.	चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	अजमेर	67	46	7	14
2	भीलवाड़ा	28	22	3	3
3	नागौर	46	35	10	1
4	टोंक	50	40	3	7
5	जयपुर शहर उत्तर	40	29	4	7
6	जयपुर शहर दक्षिण	29	21	5	3
7	जयपुर शहर पूर्व	43	30	8	5
8	जयपुर ग्रामीण	85	53	11	21
9	झुन्झुनूं	34	31	3	0

क्र. सं.	नाम जिला	कुल दर्ज अभि.	चालान	एफआर	पैण्डिंग
10	सीकर	58	48	8	2
11	दौसा	78	50	10	18
12	अलवर	75	61	10	4
13	बीकानेर	30	18	6	6
14	चूरू	35	25	5	5
15	गंगानगर	56	47	6	3
16	हनुमानगढ़	34	29	4	1
17	भरतपुर	113	80	16	17
18	सवाई माधोपुर	47	27	7	13
19	धौलपुर	35	26	1	8
20	करौली	63	41	9	13
21	जोधपुर शहर	39	28	6	5
22	जोधपुर ग्रामीण	26	23	2	1
23	जालौर	22	20	1	1
24	जैसलमेर	11	9	1	1
25	बाड़मेर	27	19	3	5
26	पाली	33	27	4	2
27	सिरोही	16	13	0	3
28	कोटा शहर	63	48	11	4
29	कोटा ग्रामीण	25	24	0	1
30	बूंदी	34	26	6	2
31	झालावाड़	37	29	6	2
32	बारां	38	27	5	6
33	उदयपुर	35	23	5	7
34	बांसवाड़ा	21	17	3	1
35	चित्तौड़गढ़	37	30	4	3
36	डूंगरपुर	11	10	0	1
37	राजसमंद	14	13	0	1
38	प्रतापगढ़	11	8	0	3
39	जीआरपी अजमेर	0	0	0	0
40	जीआरपी जोधपुर	2	2	0	0
	योग	1548	1155	193	200

कक्षा कक्ष विहीन विद्यालयों में निर्माण कार्य

275. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसे माध्यमिक विद्यालय भी हैं, जिनमें अनेक उपलब्ध लेकिन खाली पड़े कमरों के बावजूद, नाबार्ड से कक्षा कक्ष निर्माण स्वीकृत कर दिए गए? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में ऐसे माध्यमिक विद्यालय भी हैं जिनमें कमरों के अभाव में छात्र खुले में पढ़ने को मजबूर हैं? यदि हां, तो वहां नए कक्षा कक्ष निर्माण की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में ऐसे राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, जिनमें खाली पड़े कमरों के बावजूद भी नाबार्ड से कक्षा-कक्ष निर्माण स्वीकृत कर दिये।

(2) जी नहीं। राज्य में ऐसे राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, जिनमें कमरों के अभाव में छात्र खुले में पढ़ने को मजबूर हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत केन्द्र से प्राप्त राशि

276. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले हेतु दी गई तथा दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक कितनी-कितनी राशि प्रत्येक जिले को आबंटित की गई तथा कितने मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्या-क्या है? व्यय राशि में केन्द्र सरकार का कितना प्रतिशत है तथा राज्य सरकार का कितना प्रतिशत है?

(3) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लिये गये नये जिलों में परिचय-पत्र बन चुके हैं? यदि नहीं, तो परिचय-पत्र कब तक बन जायेंगे?

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(4) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम राज्य में बदला गया है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 (31 जनवरी, 2008 तक) जिलों को आबंटित की गई राशि का विवरण एवं जिलेवार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) केन्द्र सरकार द्वारा

- अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए मजदूरी पर होने वाला संपूर्ण व्यय।
- योजना की सामग्री लागत पर होने वाले व्यय का तीन चौथाई तक हिस्सा, जिसमें परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों का मजदूरी भुगतान शामिल है।
- कार्यक्रम अधिकारियों एवं उनके सहयोगी स्टाफ पर होने वाला व्यय।

(ब) राज्य सरकार द्वारा

- योजना की सामग्री लागत का ¼ हिस्सा, जिसमें परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुशल औरर अर्द्ध कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान शामिल है।
- योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई, पर आने वाली लागत।
- राज्य परिषद पर होने वाला प्रशासनिक व्यय।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत परिचय-पत्र जारी नहीं किये जाते। आवेदन करने वाले पंजीकृत परिवारों को मार्च, 2008 के अन्त तक जाब कार्ड जारी कर दिये जावेंगे।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिलों को आबंटित राशि एवं जिलेवार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करने का विवरण

वर्ष 2006-07

क्र.सं.	नाम जिला	केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि	परिवार जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया	सृजित मानव दिवस (लाखों में)
1.	बांसवाड़ा	15994.91	256826	216.55
2.	डूंगरपुर	16964.77	221241	207.44
3.	झालावाड़	11250.05	129970	112.95
4.	करौली	9964.85	157936	126.87
5.	सिरोही	3762.39	93998	66.43
6.	उदयपुर	18224.03	315201	268.63
	योग	**76161.00**	**1175172**	**998.87**

वर्ष 2007-08 (जनवरी 2008 तक)

क्र.सं.	नाम जिला	केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि	परिवार जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया	सृजित मानव दिवस (लाखों में)
1.	बांसवाड़ा	8634.73	227662	136.91
2.	डूंगरपुर	13074.40	212038	199.13
3.	झालावाड़	6662.68	158522	106.27
4.	करौली	8098.18	145937	109.21
5.	सिरोही	5434.62	97974	58.61
6.	उदयपुर	16253.00	300661	220.25
7	बाड़मेर	7625.82	230566	114.65
8	चित्तौड़गढ़	5902.95	124895	46.80
9	जैसलमेर	1887.60	91777	59.84
10	जालौर	7365.75	135594	95.91
11	सवाईमाधोपुर	3791.28	137848	80.26
12	टोंक	6394.11	163927	80.74
	योग	**91125.12**	**2027401**	**1308.58**

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

277. **श्री गोपाल लाल धोबी** (केकड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने रिक्त हैं?

(2) सत्र 2006-07 में उक्त क्षेत्र के कितने चिकित्सक एवं कम्पाउण्डरों के स्थानान्तरण किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार केकड़ी के पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के निम्नलिखित पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1
2.	पशु चिकित्सा अधिकारी	8	1
3.	पशु चिकित्सा सहायक	9	5
4.	पशुधन सहायक	19	5
5.	स्कन्ध सहायक	2	-

(2) सत्र 2006-07 में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में श्री हरिसिंह शेखावत, पशुधन सहायक का पशु चिकित्सालय, जावला (कुचामनसिटी) से उपकेन्द्र, आलोली (अजमेर) में स्थानान्तरण किया गया।

(3) रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्भव होगा।

नागौर आगार से वातानुकूलित बसों का संचालन

278. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में पिछले चार वर्षों के दौरान कितनी नई बसें नागौर आगार में खरीदी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) खरीदी गई उक्त बसें कौन-कौन से मार्गों पर लगाई गईं इनमें डीलक्स तथा सेमी डीलक्स श्रेणी की कुल कितनी बसें वर्तमान में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस आगार द्वारा अभी तक वातानुकूलित बस सेवा चालू नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आगार से वातानुकूलित सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम के किसी भी आगार द्वारा अपने स्तर पर नई वाहनें नहीं खरीदी जातीं अपितु नई वाहनों की खरीद मुख्यालय स्तर पर की जाकर आगारों को आबंटित की जाती हैं।

I. विगत 4 वर्षों में नागौर आगार को कुल 23 नई वाहनें आबंटित की गई हैं इनमें 19 वाहनें द्रुतगामी/साधारण (ब्लू लाइन) श्रेणी की तथा 4 वाहनें सेमी डीलक्स (स्टार लाइन) श्रेणी की हैं जिनका वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सेमी डीलक्स (स्टार लाइन)	द्रुतगामी/साधारण (ब्लू लाइन)	कुल आबंटित वाहनें
2004	4	5	9
2005	-	8	8
2006	-	6	6
2007	-	-	-
योग	**4**	**19**	**23**

II. विगत 4 वर्षों में डीडवाना आगार को कुल 36 नई वाहनें आबंटित की गई हैं इनमें 34 वाहनें द्रुतगामी/साधारण (ब्लू लाइन) श्रेणी की तथा 2 वाहनें सेमी डीलक्स (स्टार लाईन) श्रेणी की है जिनका वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(यातायात मंत्री)

वर्ष	सेमी डीलक्स (स्टार लाइन)	द्रुतगामी/साधारण (ब्लू लाइन)	कुल आबंटित वाहनें
2004	निल	निल	निल
2005	निल	09	09
2006	02	25	27
2007	-	-	-
योग	**02**	**34**	**36**

प्रश्न के भाग संख्या 1 के अनुसार नागौर आगार को आबंटित नई वाहनें निम्न मार्गों पर लगाई गई हैं :-

मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	
	सेमी डीलक्स (स्टार लाइन)	द्रुतगामी/साधारण (ब्लू लाइन)
नागौर-बिचून-जयपुर	2	3
नागौर-अजमेर-दिल्ली	-	3
नागौर-खाटू-जयपुर	-	1
नागौर-जोधपुर-बीकानेर	1	-
नागौर-सीकर-जयपुर	1	-
नागौर-सीकर-दिल्ली	-	4
नागौर-सीकर-दिल्ली-हरिद्वार	-	4
नागौर-लाडनू-दिल्ली	-	2
नागौर-कोटा-उज्जैन	-	2
योग	**4**	**19**

कुल 23

नागौर आगार को उक्त 4 वर्षों में डीलक्स बस आबंटित नहीं की गई है केवल 4 सेमी डीलक्स (स्टार लाइन) बसें आबंटित की गई हैं जो वर्तमान में यथावत संचालित है।

II. प्रश्न के भाग संख्या 1 के अनुसार डीडवाना आगार को आबंटित नई वाहनें निम्न मार्गों पर लगाई गई हैं :-

कुल 36

मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	
	सेमी डीलक्स (स्टार लाइन)	द्रुतगामी/साधारण (ब्लू लाइन)
डीडवाना-हरिद्वार वाया कुचामन	-	2
डीडवाना-खाटू-हरिद्वार	-	2
डीडवाना-अजमेर-दिल्ली	2	-
डीडवाना-नागौर-दिल्ली वाया नीमकाथाना	-	2
डीडवाना-दिल्ली वाया झुन्झुनूं	-	2
डीडवाना-बांसवाड़ा	-	2
डीडवाना-इकलेरा वाया अजमेर बून्दी	-	2
डीडवाना-रतनगढ़-अहमदाबाद वाया उदयपुर	-	3
डीडवाना-अहमदाबाद वाया पालनपुर	-	3
डीडवाना-गंगानगर	-	2
डीडवाना-बरागना-जयपुर वाया सीकर	-	2
डीडवाना-रोडू-जयपुर वाया बीचून	-	2
डीडवाना-नागौर-जयपुर वाया सीकर	-	2
डीडवाना-जयपुर वाया बीचून	-	1
डीडवाना-रतनगढ़-अजमेर वाया कुचामन	-	2
डीडवाना-सालासर वाया अजमेर सुजानगढ़	-	2
डीडवाना-सरदारशहर-लोसल वाया सुजानगढ़	-	2
डीडवाना-अजमेर	-	1
योग	**2**	**34**

(यातायात मंत्री)

(2) डीडवाना आगर को उक्त 4 वर्षों में डीलक्स बस आबंटित नहीं की गई है, केवल 2 सेमी डीलक्स (स्टार लाइन) बसें आबंटित की गई हैं जो वर्तमान में यथावत संचालित है।

(3) जी हां। स्थानीय जनता एवं यात्रियों की मांग के अनुरूप सर्वे किया जाकर इस सम्बनध में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के भू-वैज्ञानिकों की पदोन्नति

279. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खान विभाग में वर्ष 2004 से अब तक अनुसूचित जाति/ जनजाति के कितने भू-वैज्ञानिक हैं एवं कितनों को वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों के पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारी को पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है? यदि हां, तो उसी अधिकारी को अजमेर वृत्त से ए.पी.ओ. होने पर पुनः अजमेर पदस्थापित किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) खान विभाग में वर्ष 2004 से अब तक अनुसूचित जाति के 06 एवं अनुसूचित जनजाति के 01 (एक) भू-वैज्ञानिक कार्यरत हैं। वरि. भू-वैज्ञानिक के पद पर किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भू-वैज्ञानिक की पदोन्नति नहीं हुई है, क्योंकि अब तक आयोजित की गई डी.पी.सी. में वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची सात गुणा बढ़ाये जाने पर भी कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हुआ।

(2) आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक के पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया गया है।

(3) पदोन्नति उपरान्त श्री ओ.पी. यादव, वरि. भू-वैज्ञानिक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे जांच उपरान्त निराधार पाये जाने पर पत्रित कर दिया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दिल्ली स्थित विश्राम गृहों में राजकीय अधिकारियों के ठहरने की अधिकतम अवधि

476. श्री बन्नेसिंह राठौड़ (औसिया) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस, बीकानेर हाऊस, जोधपुर हाउस एवं स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी दिल्ली में ठहरने के लिये कौन-कौन अधिकारी अधिकृत हैं, इस सम्बन्ध में क्या नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों के उक्त विश्राम गृहों में ठहरने की अधिकतम अवधि के सम्बन्ध में क्या नियम है?

(3) दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से जुलाई, 2007 तक उक्त विश्राम गृहों में कौन-कौन अधिकारी कितनी-कितनी अवधि तक ठहरे एवं उनसे ठहरने तथा भोजनादि की कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गई? बिल संख्या, दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ठहरने के लिए जो अधिकारी अधिकृत हैं। उनसे संबंधित सर्किट हाउस मैन्यूअल के अध्याय-1 (अनुच्छेद-1) की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

वर्तमान में बीकानेर हाउस में अतिथि गृह नहीं है।

जोधपुर हाउस, नई दिल्ली महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मा. मुख्यमंत्री महोदय तथा उनके प्रमुख सचिव, सचिव एवं स्टाफ के लिए प्रचलित व्यवस्था के तौर पर आरक्षित है।

राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में राज्य के निगमों/उपक्रमों के अधिकारी ठहरने के अधिकृत हैं। भवन में कमरे खाली होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, निगमों के अधिकारीगण व निजी व्यक्ति भी निवास कर सकते हैं। संचालन संबंधी निर्देश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(2) उक्त विश्राम गृहों में से केवल राजस्थान हाउस में स्थानान्तरण पर ठहरने की सुविधा देय है। इस संबंध में सर्किट हाउस मैन्यूअल के अध्याय-4 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(3) बिन्दु सं. 2 के संदर्भ में उक्त विश्राम गृहों में दिनांक 1.4.2006 से जुलाई 2007 तक ठहरे अधिकारियों की विस्तृत सूचना का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-4)

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतिनियुक्ति पर जयपुर में पदस्थापित कार्मिकों को राजकीय आवास

477. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय आवास उपलब्ध कराने का मानदण्ड क्या है? किस वेतन श्रृंखला के कर्मचारी को किस प्रकार के आवास उपलब्ध कराये जाते हैं?

(2) वर्तमान में जयपुर में किस-किस वेतन श्रृंखला में कितने-कितने आवास हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे कर्मचारी को जिसका मुख्यालय जयपुर से बाहर है, एवं प्रतिनियुक्ति पर जयपुर में कार्यरत है, को राजकीय आवास उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) राजकीय आवास, राजकीय आवास आबंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार आबंटित किये जाते हैं। राजकीय आवास हेतु वेतनमान के आधार पर श्रेणी के वर्गीकरण बाबत आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जयपुर में उपलब्ध श्रेणीवार राजकीय आवासों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा के अनुदान हेतु लम्बित आवेदक

478. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक जिला

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

उद्योग केन्द्रों पर किस-किस योजना में अनुदान हेतु कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें से किन-किन को कितनी-कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया एवं वर्तमान में कितने आवेदन लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार लम्बित आवेदनकर्ताओं को अनुदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के जिला उद्योग केन्द्र में 1 जनवरी, 2004 से अब तक अनुदान योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों के स्वीकृति एवं वर्तमान स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत अनुदान संख्या एवं राशि		लम्बित आवेदन पत्र
			संख्या	राशि रु.	
1	करघा घर	40	40	3,12,500 व्यक्तिवार अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं।	शून्य किन्तु 2005-06 एवं 2006-07 के स्वीकृत करघा घरों के अनुदान की द्वितीय किश्त क्रमश: रुपये 42,000/- एवं 85,000/- रुपये भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण भुगतान के लिए विचाराधीन है।
2	हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान	13	12	14,681	1
3	हस्तशिल्पियों का स्टाल शुल्क अनुदान	56	47	96,438	9

(उद्योग मंत्री)

(2) 1. करघा घर योजना केन्द्र सरकार की योजना है, जिसको अन्तर्गत शत-प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2006-07 तक जिन बुनकरों को करघा घर निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये है, उनकी स्वीकृति राशि भारत सरकार द्वारा अभी तक जारी नहीं की गयी है। इसी कारण से भीलवाड़ा जिले में करघा घर हेतु स्वीकृत 1,27,000/- रुपये का विवरण नहीं किया जा सका है।

2. हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत एक लम्बित मामले में अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. हस्तशिल्पियों को स्टाल शुल्क अनुदान बजट के अभाव में शेष 9 प्रकरणों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गिरवा जिला उदयपुर में भूमि अधिग्रहण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

479. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गिरवा जिला उदयपुर में रीको के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह सही है कि भूमि अधिग्रहण में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस आधार पर जांच भी करवाई गई है? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) रीको को भूमि अधिग्रहण में अनियमितता के कारण कितनी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गिरवा जिला उदयपुर में रीको के लिए कुल 254.03 हैक्टेयर भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) यह सही है कि भूमि अधिग्रहण में अनियमिता किए जाने की

(उद्योग मंत्री)

शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में जांच सम्भागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में उक्त भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति प्रक्रिया विचाराधीन है तथा अवार्ड जारी होना शेष है। अत: कोई भुगतान नहीं किया गया है।

बाली विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों के लम्बित ऋण प्रकरण

480. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2003 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बाली के कितने शिक्षित बेरोजगारों द्वारा रोजगार लगाने हेतु ऋण के आवेदन जमा कराये गये? इनमें से किस-किस को कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किये गये? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत सम्पूर्ण राशि का भुगतान बैंकों द्वारा बेरोजगार ऋण आवेदकों को कर दिया गया? यदि नहीं, तो किस-किस को स्वीकृत राशि से कितना कम भुगतान स्वीकृति के कितने दिन बाद किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि बहुत से बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत हो जाने के उपरान्त आज तक भी बैंकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसी बैंक में किस-किस बेरोजगार को ऋण भुगतान दिया जाना शेष है?

(4) क्या सरकार बैंकों द्वारा बेरोजगारों को अविलम्ब ऋण राशि भुगतान करवाने की प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाली विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जनवरी, 2003 से अब तक कुल 639 आवेदन पत्र बेरोजगारों द्वारा जिला उद्योग केन्द्र पाली में जमा कराये गये। जमा कराये गये आवेदन पत्रों में से बैंकों द्वारा 370 अभ्यार्थियों को 194.75 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया। पंचायतवार सूची अनुसूची-I पर प्रस्तुत है।

(2) बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का 36 अभ्यार्थियों को छोड़कर

(उद्योग मंत्री)

सम्पूर्ण ऋण वितरण कर दिया गया है। जिन 36 को स्वीकृत राशि से कम ऋण वितरण किया गया है। उसकी सूची अनुसूची-।। पर प्रस्तुत है।

(3) बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण का भुगतान 95 अभ्यार्थियों को आज तक नहीं किया गया है, इनमें से 35 अभ्यार्थियों को ऋण वितरण किये जाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2008 जो अभी शेष है। जिन अभ्यार्थियों के ऋण स्वीकृति के उपरान्त आज तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी सूची अनुसूची-।।। पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण स्वीकृति एवं वितरण की जिम्मेदारी बैंकों की है। बैंकों से जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित कर सरकार द्वारा अधिक से अधिक युवकों को ऋण वितरण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले में प्रस्तावित नमक उद्योग

481. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार के पास बाड़मेर जिले में नमक उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां पर तथा कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

उत्तर

1. जी हां। बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील के राजस्व ग्राम-भलगांव, चांदासनी, बाबरवाला, नवापुरा व दासोरिया की 10050 बीघा भूमि को लंवण क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र की टैक्नो इकोनोमिक रिपोर्ट केन्द्रीय नमक एवं समुद्रीय रसायन संस्थान, भावनगर, गुजरात से जो एक भारत सरकार का उपक्रम है, तैयार कराया जाना प्रक्रियाधीन है।
2. बाड़मेर जिले के शिव तहसील के ग्राम रेडाणा के खसरा नम्बर 155 की 7073 बीघा 14 बिस्वा भूमि को उद्योग (ग्रुप-2) विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 16.1.1997 के द्वारा खुला लवण क्षेत्र घोषित किया गया था। क्षेत्र में निरन्तर पानी भरा होने के कारण सर्वे एवं सीमांकन की कार्यवाही नहीं हो पाई है। पानी सूखने पर सर्वेक्षण एवं सीमांकन की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। तत्पश्चात ही विकास कार्य सम्भव है।

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों को अवाप्ति से छूट

482. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा सेंड स्टोन हेतु ग्राम पंचायत कलडवास, तितरडी एवं डाकनकोटडा की जमीन को अवाप्त किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाली उपजाऊ जमीन को अवाप्ति से मुक्त रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी जमीन व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में अवाप्त की जा रही बिलानाम जमीनों पर वर्षों से मकान व पशु बाड़े बने हुए हैं जिससे ग्रामीण जनता अपनी रोजी-रोटी कमाती है? क्या सरकार उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अवाप्त की जा रही अधिकांश भूमि रिकार्ड के अनुसार एक फसलीय है। राज्य सरकार अवाप्ताधीन भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है।

(2) अवाप्ताधीन भूमि में कुछ कच्चे व पक्के मकान निर्मित हैं। औद्योगिक क्षेत्र के सुनियोजित विस्तार हेतु इस समस्त भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। अत: उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार नहीं है।

वोलेस्टोनाइट खनन हेतु जारी पट्टों का स्थानान्तरण

483. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वोलेस्टोनाइट खनन पदार्थ के अब तक कहां-कहां पर किस-किस व्यक्ति/फर्म के नाम कब-कब पट्टे जारी किये गये? सूची नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से वर्तमान में कितने चालू हालत में हैं और कितने बंद हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब वोलेस्टोनाइट के कितने पट्टे ऐसे हैं, जो विभाग ने अन्य के

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

नाम स्थानान्तरित किये हैं, ये किन नियमों के तहत किये गये? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वोलेस्टोनाइट खनन पदार्थ के कुल 11 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। सूची मय नाम/पते सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग में वोलेस्टोनाइट खनन पदार्थ के कुल 3 खनन पट्टे बन्द हैं। 1 खनन पट्टा जोधपुर वृत्त तथा 2 खनन पट्टे उदयपुर वृत्त में बन्द हैं। शेष 8 खनन पट्टे चालू हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वोलेस्टोनाइट का कोई खनन पट्टा स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

खनिज वोलेस्टोनाइट के स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

क्र. सं.	नाम	पता	खनन पट्टा जारी करने का दिनांक	वर्तमान में खनन पट्टा चालू/बन्द है
उदयपुर वृत्त				
1	श्री ए. के. देवत सिंह	केशर विला, सिरोही रोड, सिरोही (राज.)	27.2.1980	बन्द
2	मैं वोलकेम इण्डिया लि.	नोबल हाउस, स्वरूप सागर, उदयपुर (राज.)	12.3.1992	बन्द
जोधपुर वृत्त				
1	मै. अम्बुजा रसायन	आना, तहसील देसूरी, जिला पाली	26.6.2001	बन्द
2	मै. वोलकेम इण्ड. लि.	बेलम, तहसील पिण्ड़वाला, जिला सिरोही	27.12.1998	चालू
3	मै. वोलकेम इण्ड. लि.	खैरथला, तहसील पिण्ड़वाला, जिला सिरोही	19.3.1996	चालू
जयपुर वृत्त				
1	मै. अरविन्द मिनरल्स	प्रोपाईटर श्री अरविन्द कुमार गर्ग, निवासी 1840, रेम्बुल रोड अजमेर	13.7.1998	चालू

1	2	3	4	5
2	श्री गोरवराज शर्मा	78/30, खटोलापोल नया बाजार, अजमेर	5.3.2005	चालू
3	श्रीमती साधना भार्गव	पत्नी श्री पी.एन. भार्गव, निवासी शिव मार्ग, दण्ड लोध कॉलोनी, जयपुर	20.11.2007	चालू
4	श्री गोविन्द गोयल	पुत्र श्री सुरेन्द्र गोयल, निवासी पी.ओ. जैतारण, जिला पाली	26.5.2003	चालू
5	श्रीमती राधिका शर्मा	पत्नी श्री मुकेश शर्मा, द्वारा श्री गोपालदत्त जी, 261, श्याम नगर, जयपुर	11.1.2008	चालू
6	श्रीमती भंवरी देवी	पत्नी स्व. श्री हरजीनाथ, निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर	4.10.1983	चालू

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा किये गये विस्फोटों से प्रभावित ग्राम

484. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिन्दुस्तान जिंक में शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की कितनी भूमि खनन हेतु सम्मिलित है?

(2) क्या यह भी सही है कि खनन में विस्फोट के कारण क्षेत्र के मकानों में दरार आ गई है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर क्षेत्र में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रभावित गांवों हेतु कोई कार्य योजना बनाने का क्या विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की करीब 465 हैक्टर भूमि सम्मिलित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में खनन में विस्फोट के कारण क्षेत्र के मकानों में दरार आने बाबत कोई जानकारी/शिकायत/सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। मौका रिपोर्ट संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(3) खनन में विस्फोट के कारण वर्तमान में कोई गांव प्रभावित नहीं होने से इन गांवों के विकास हेतु कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन की स्थापना हेतु

485. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गुजरात की तर्ज पर राजस्थान स्टेट पैट्रोलियम कार्पोरेशन की स्थापना की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है?

(2) कितने ठेके व पैट्रोलियम उत्पादन के कार्य संस्था ने अब तक किये व उससे कितना लाभ हुआ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में पैट्रोलियम निगम की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। निगम का गठन प्रक्रियाधीन होने के कारण अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(2) गठन प्रक्रियाधीन होने से अभी किसी प्रकार प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. के सदस्यों द्वारा श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति की सदस्यता

486. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के कर्मचारी अपने प्रबन्धन की बिना पूर्व अनुमति के किसी सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं? यदि हां, तो संबंधित नियमों की प्रति प्रस्तुत करें व नहीं, तो किस नियम के तहत इस प्रकार समिति के सदस्य बनने पर रोक लगाई गई?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के कर्मचारियों ने श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति की सदस्यता ले रखी है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति के गठन का क्या उद्देश्य है? इस समिति की गत तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट एवं उप नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(श्री सी.डी. देवल)

(4) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के कर्मचारी होते हुए भी श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति के सदस्य बनने पर कितने कर्मचारियों के विरुद्ध किस आधार पर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया? यदि हां, तो संबंधित आदेश तथा सेवा रिकार्ड के तत्ससंबंधी इन्द्राज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो उक्त श्रमिक ठेका सहकारी समिति के सदस्य हैं तथा जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्थान के फास्फेट सम्भाग के कामगारों के लिए लागू स्थाई आदेशों के क्लाज 20 में उल्लेख है।

''धारा 20''.... प्रत्येक कामगार अपना पूरा समय एवं शक्ति अनन्य रूप से कम्पनी के व्यवसाय एवं हित में ही लगायेगा। विशेष रूप से कोई कामगार (ऐसे कामगार सहित जो छुट्टी पर है) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को किसी भी अन्य पेशे या व्यवसाय में नहीं लगायेगा अथवा अन्य सेवाओं में प्रवेश नहीं करेगा या किसी क्षमता या किसी प्रयोजन के लिए चाहे जैसा भी हो एवं समय के किसी अंश के लिए किसी भी व्यक्ति, सरकार विभाग, फर्म अथवा कम्पनी में नियुक्त नहीं हो सकेगा एवं जब तक कि कम्पनी के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक या ऐसा अन्य कोई भी व्यक्ति जो कि कम्पनी की विशेष शर्तो द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया हो, द्वारा किसी कामगार को लिखित में अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक कोई कामगार ऐसे किसी भी व्यक्तियों या फर्मों से जो कि कम्पनी से सामान, सामानों या औजारों के खरीद, बेचान के या मजदूरों की पूर्ति के लिए या किसी अन्य प्रयोजन से व्यावसायिक सम्बन्ध रखते हों, व्यक्तिगत आर्थिक लेन-देन नहीं कर सकेगा। प्रत्येक कामगार के उसके वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा उससे चाहे गये किसी भी कार्यों को सर्वोत्तम योग्यता से पूर्ण करने के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। बशर्ते कि यह उस कामगार की सेवा शर्तों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती हो। इस आदेश का उल्लंघन स्थाई आदेशों के आदेश संख्या 21(ए) के

(खनिज मंत्री)

अन्तर्गत दुराचरण माना जावेगा एवं ऐसे कामगार इन स्थाई आदेशों के अन्तर्गत दण्डित किये जा सकेंगे।"

उपरोक्त स्थाई आदेशों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, उदयपुर द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 2001 की धारा सं. 6 एवं रूपान्तरित अन्य प्रावधानों के तहत श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., उदयपुर के नाम से पंजीयन क्रमांक 2285/वाई दिनांक 24.3.2004 को एक सहकारी समिति का पंजीयन किया गया। पंजीकरण कराते समय उक्त समिति के 43 सदस्य थे, जिनमें से निम्नलिखित सदस्य राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. में कार्यरत थे।

1. श्री आर.एन. मौर्या (सेवानिवृत्त)	2. श्री कालू/रामा (सेवानिवृत्त)
3. श्री नाना/ कन्ना (सेवानिवृत्त)	4. श्री एस.एम. अय्यर
5. श्री रघुनाथ सिंह सांखला	6. श्री देवीलाल कलासुआ
7. श्री चैनराम डांगी	8. श्री राजेन्द्र सिंह
9. श्री भगत सिंह	

अन्य 34 सदस्य आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के कर्मचारी नहीं थे। उक्त 9 कर्मचारियों में से सर्वश्री आर. एन. मौर्चा, कालू एवं नाना संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

(3) श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति के उपनियमों के क्लॉज 3 में समिति के उद्देश्य निम्न प्रकार उल्लेखित हैं :-

1. सदस्यों की आर्थिक दशा में सुधार करना। विशेषकर सदस्यों के लिए सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, अन्य संस्थाओं से ठेके लेकर उपयुक्त एवं लाभदायक उद्यम प्राप्त करना और इन ठेकों को सदस्यों की सहायता द्वारा क्रियान्वित करना।
2. सदस्यों के घरेलू एवं दूसरी आवश्यक वस्तुओं के क्रय करने में एजेन्ट का काम करना।
3. सदस्यों में मितव्ययता, स्वावलम्बन एवं पारस्परिक सहायता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, समिति के कारोबार को चलाने के लिए धरोहर एवं ऋण के द्वारा पूंजी इकट्ठी करना।
4. और ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जिससे सदस्यों की सामाजिक, नैतिक, आर्थिक दशा को सुधारने में उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ति में सहायक हो।

(खनिज मंत्री)

समिति के उपनियमों की फोटो प्रति साथ में संलग्न है। इस समिति के गत वर्षों की आडिट संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति के गठन के समय में संस्थान के 9 स्थायी कर्मचारी सदस्य थे जिनमें से 3 कर्मचारी सर्वश्री श्री आर. एन. मौर्या, श्रीकालू/रामा एवं नाना/कन्ना सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दो कर्मचारी सर्वश्री एस.एम. अय्यर एवं रघुनाथसिंह सांखला को विभागीय जांच पूरी कर दण्डित किया जा चुका है एवं अन्य 4 सर्वश्री देवीलाल कलासुआ, चैनराम डांगी, राजेन्द्र सिंह एवं भगत सिंह के विरुद्ध संस्थान के स्थाई आदेशों के तहत आरोप पत्र जारी करके जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(5) श्री झामेश्वर ठेका सहकारी समिति में बिन्दु संख्या 2 के अनुसार 9 कर्मचारी गठन के समय सदस्य थे जिनमें 3 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दो के विरुद्ध संस्थान के कर्मचारियों पर लागू स्थायी आदेशों के तहत दण्डित किया जा चुका है। तथा अन्य चार कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थान के स्थाई आदेशों के तहत आरोप पत्र जारी करके जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। उक्त समिति में संस्थान का कोई भी अधिकारी सदस्य नहीं बना है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी।

(6) वर्तमान में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जो आर.एस.एम.एम.एल. का स्थायी कर्मचारी होते हुए उक्त ठेका सहकारी समिति का सदस्य बना हो एवं जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। श्री झामेश्वर श्रमिक ठेका सहकारी समिति के गठन के समय में संस्थान के 9 स्थायी कर्मचारी सदस्य थे जिनमें से 3 कर्मचारी सर्वश्री आर.एन. मौर्या, श्रीकालू/रामा एवं नाना/कन्ना सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दो कर्मचारी सर्वश्री एस.एम. अय्यर एवं रघुनाथसिंह सांखला को विभागीय जांच पूरी कर दण्डित किया जा चुका है एवं अन्य 4 सर्वश्री देवीलाल कलासुआ, चैनराम डांगी, राजेन्द्र सिंह एवं भगत सिंह के विरुद्ध संस्थान के स्थाई आदेशों के तहत आरोप पत्र जारी करके जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर जिले में खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लम्बित प्रकरण

487. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) अजमेर जिले में जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2008 तक कितने आवेदकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये? आवेदक का नाम, आवेदन करने की तिथि तथा जमीन की किस्म सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में जिला प्रशासन कितना समय लेता है व बिना कारण अधिक समय तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने पर दण्ड का क्या प्रावधान है?

(3) प्रशासन को प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितनों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए व कितने प्रकरण शेष हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेष प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आवेदित क्षेत्र यदि चरागाह भूमि में आता है तो सम्बन्धित जिला कलक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु खनिज विभाग द्वारा जिला कलक्टर को लिखा जाता है। अजमेर जिले में जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2008 तक जिला कलक्टर, अजमेर को कुल 119 प्रकरण प्रेषित किए गए जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चरागाह के सम्बन्ध में 4 हैक्टर क्षेत्र तक संबंधित जिला कलक्टर एवं 4 हैक्टर से अधिक भूमि होने पर राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के अधिकार प्रदत्त हैं। जिला कलक्टर को 60 दिवस में अनापत्ति देने अथवा नहीं देने के सम्बन में निर्णय देना होता है।

(3) जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित 119 मामलों में से 79 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। 36 मामले जिला कलक्टर एवं 4 मामले राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित है। लम्बित रहने का मुख्य कारण तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होना, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्तावों के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होना एवं मण्डल वन अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होना है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत एवं वन विभाग से सूचना प्राप्त करके शेष प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में टैंकरों से कैमिकल चोरी के दर्ज प्रकरण

488. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में पाली जिले में ढाबों पर टैंकरों से कैमिकल चोरी के मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में पाली जिले में ढाबों पर अनैतिक कृत्य करने के मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किस प्रकार के? उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनैतिक कृत्य के आरोप में पकड़े गये ढाबों को बंद करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में पाली जिले में ढाबों पर टैंकरों से कैमिकल चोरी का एक ही मामला संज्ञान में आया है। इस पर मुकदमा नं.-73 दिनांक 21.6.2006 धारा-379, 411 भादस पुलिस थाना-सदर में दर्ज किया गया एवं बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) खण्ड-2 पर वर्णित स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न संख्या-489

(स्थगित)

नागौर जिले में अपराधों के लम्बित प्रकरण

490. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला नागौर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) वर्ष 2003 से अब तक हुए अपराधों में कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में अपराध नहीं बढ़े हैं। वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष

(गृह मंत्री)

2007 में अपराधों में समग्र रूप से 9.7 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि जिले में अपराधों को नियंत्रण में रखने के लिए निम्नानुसार प्रयास किये गये हैं :-

1. आदतन एवं बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों पर निगरानी रखी जाकर प्रत्येक आदतन अपराधी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध धारा 110, 122 जा.फो. के तहत कार्यवाही कर पाबन्द करवाये जा रहे हैं। ऐसे अपराधियों के जिले से बाहर चले जाने पर एवं रूपोश होने पर संबंधित थाने पर तुरन्त संचार माध्यमों से दी जाकर निगरानी जारी है। बीट प्रभारी को उसके बीट में रहने वाले ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है।
2. सम्पत्ति सम्बन्ध अपराध, वाहन चोरी, अपराधिक गिरोह द्वारा किये गये अपराधों के संबंध में गत तीन वर्षो का अपराध मानिचत्र तैयार करवाये जाकर उसमें अपराध की प्रकृति का अंकन किया जाकर गस्त व नाकाबंदी व अपराधियों की तलाश हेतु कार्य योजना बनाई जाकर रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं।
3. अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने व उनका रिकार्ड रखने हेतु थाना स्तर पर कार्यवाही की जा रही है तथा बीट कानि. की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर उनके क्षेत्र के बदमाशान पर निगरानी रखने व उनके आने-जाने के मार्ग साधन, ठहरने का स्थान आदि की जानकारी रखने के निर्देश दिये जाकर प्रयास जारी है।
4. न्यायालय में पेशी पर आने वाले विचाराधीन अपराधी व अन्य अभियुक्त एवं उनके साथ आने वाले अन्य व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही है।
5. प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों के मार्फत बैंक, पोस्ट आफिस, बड़ी फैक्ट्री, महत्वपूर्ण सामरिक स्थल आदि से सम्पर्क रखा जाकर अपराधियों की आमद रपट के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
6. जिले के सभी कस्बों में किराये पर रहने वाले किरायेदारों व घरेलू नौकरों का चरित्र सत्यापन करवाया जा रहा है। प्राइवेट फैक्ट्रियां/ भट्टों आदि पर काम करने वाले मजदूरों के भी तस्दीक हेतु पर्चा ''बी'' भरकर जांच करवाई जा रही है।

(गृह मंत्री)

7. जिले की भौगोलिक व अपराध स्थिति के मध्यनजर अपराध नियंत्रण हेतु गस्त, नाकाबंदी प्लान तैयार कर नियमित गस्त व नाकाबंदी की जा रही है। बीट प्रणाली के तहत प्रभावी गस्त करवाई जा रही है।

8. बीट प्रणाली, जन सहभागिता, सीएलजी मीटिंग के माफत आम जनता से समन्वय स्थापित कर लघु प्रकृति के मामले में समझाइश कर राजीनामा करवाये गये। बीट प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।

9. जनमानस को अपराध नियंत्रण के बारे में सीएलजी व जनसहभागिता की मीटिंग ली जाकर समझाया जाकर अपराधों की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं।

10. उपरोक्त के अलावा जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कर प्रयास जारी है।

(2) वर्ष 2003 से अब तक हुए अपराधों में से जिले में दिनांक 15.02.2008 तक 393 अपराध लम्बित चल रहे हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर के दुर्घटना थानों में रोगी वाहन की व्यवस्था

491. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जयपुर के चारों दुर्घटना थानों में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जयपुर में दुर्घटना थाना अधिसूचित नहीं है। चार दुर्घटना अनुसंधान इकाइयां गठित है। पुलिस कन्ट्रोल रूम को एक एम्बुलेंस उपलब्ध करायी हुई है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार अतिरिक्त एम्बुलेंस दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

सीमान्त क्षेत्र में प्रवेश सम्बन्धी कानून में संशोधन

492. **श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 में बने सीमान्त क्षेत्र में प्रवेश से सम्बन्धित विधेयक/कानून का क्या नाम है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांगसिंह भाटी)

(2) क्या यह सही है कि यह कानून इस प्रदेश के रहने वाले व सीमान्त क्षेत्र के लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है? क्या सरकार इस कानून को निरस्त करवाने या संशोधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 12.3.1996 सीमान्त क्षेत्र से संबंधित है, जो विधेयक/कानून "दण्ड विधि संशोधन अधिनियम-1961" के तहत जारी है। (अधिनियम एवं अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

(2) उक्त अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है। अतः इससे संबंधित प्रश्न का जवाब दिया जाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय कारागार, जयपुर में प्रतिबन्धित वस्तुओं के उपयोग पर रोक

493. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माह नवम्बर, 2007 में जयपुर स्थित केन्द्रीय कारगार में बंद कुछ अपराधियों द्वारा जेल में मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधित चीजों का उपयोग करने की पुष्टि हुई है? यदि हां, तो किन-किन बंदियों द्वारा किन-किन प्रतिबंधित चीजों का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा कई अधिकारी, कर्मचारी एवं बंदियों को जांच में दोषी पाया गया है? यदि हां, तो किन-किन को एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माह नवम्बर, 2007 में केन्द्रीय कारागृह जयपुर में कुल

(कारागार मंत्री)

13 बार आकस्मिक तलाशियां ली गई। जिसमें मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुयें बरामद हुई। जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 'ए' में उपलब्ध है।

(2) जिन बंदियों के पास से प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद हुई हैं उन्हें राजस्थान कारागार नियम 1951 के प्रावधान के अन्तर्गत जेल अधीक्षक द्वारा जेल दण्ड से दण्डित किया गया। जेल में मोबाइल/प्रतिबंधित वस्तुएं पहुंचने के संबंध में जांच महानिरीक्षक कारागार द्वारा की जा रही है, जांच प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। कारागृह अधिकारियों को तलाशी प्रक्रिया को ससख्त बनाने के समय-समय पर आदेश दिये जाते हैं। कारागृहों में 18.00 लाख रुपये के व्यय से सैल्यूलर जैमर, 10.00 लाख रुपये के व्यय से डोर मैटल डिटैक्टर, 2.00 लाख रुपये के व्यय से हैण्ड हैल्ड मैटल डिटैक्टर तथा 16.50 लाख रुपये के व्यय से बायोमेट्रिक्स फिंगर प्रिन्ट स्कैनर के तकनीकी व सुरक्षात्मक उपकरण स्थापित करवाये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोलायत तहसील (बीकानेर) के कृषकों को फसल बीमा मुआवजा

494. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के किसानों से फसल बीमा का प्रीमियम वसूल किया गया है? यदि हां, तो कितना और उसमें से आज तक किन-किन लोगों को इसका मुआवजा दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के किसानों की बीमा प्रीमियम की कटौती सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक एवं स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के माध्यम से स्वत: ही ऋण लेते समय काट ली जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के किसानों की फसल बीमा के एवज में किसी भी किसान की प्रीमियम का भुगतान नहीं हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पिछले चार वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है फिर भी किसान को फसल बीमा के बदले मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है?

(5) क्या यह भी सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में ओलावृष्टि का सर्वे हुआ था? यदि हां, तो इसमें कितने किसानों को मुआवजा दिया गया व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में खरीफ/रबी 2003-04 से खरीफ-2007 तक 24.851 कृषकों से 1,65,44,961 रुपये प्रीमियम राशि के रूप में लिए गए हैं जिनमें से 2,628 कृषकों को 59,18,504 रुपये का मुआवजा दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ऋण लेने वाले कृषकों को प्रीमियम राशि के बराबर राशि का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जाकर प्रीमियम राशि ली जाती है। प्रत्येक ऋणी कृषक का संसूचित फसल के लिए बीमा किया जाना अनिवार्य है।

(3) किसानों को फसल बीमा के एवज में प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता बल्कि संसूचित की गयी फसल की पैदावार गारण्टी उपज से कम होने की स्थिति में मुआवजा राशि का भुगतान देय होता है।

(4) कोलायत तहसील में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ/रबी 2003 से खरीफ-2007 तक 2,628 बीमित कृषकों को विभिन्न फसलों के अन्तर्गत नियमानुसार लाभान्वित कर 59,18,504 रुपये का मुआवजा दिया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) वर्ष 2007-08 सम्वत 2064 में तहसील कोलायत में ओलावृष्टि नहीं होने के कारण सर्वे कार्य एवं मुआवजा वितरण नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत

खरीफ-2003 से खरीफ-2007 तक बीमित कृषकों से प्राप्त प्रीमियम राशि, बीमित एवं लाभान्वित कृषकों की संख्या तथा बीमित कृषकों को दिए गए मुआवजे का विवरण

तहसील : कोलायत (बीकानेर)

क्र. सं.	फसल मौसम	प्रीमियम राशि रुपये	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	मुआवजा राशि रुपये
1.	खरीफ-2003	535505	595	0	0
2.	रबी-2003-04	79003	229	0	0
3.	खरीफ-2004	2841245	3988	0	0
4.	रबी-2004-05	333453	598	598	10193
5.	खरीफ-2005	2985598	5348	1319	1916929
6.	रबी-2005-06	402528	574	574	2853043
7.	खरीफ-2006	3038637	4316	126	1005137
8.	रबी-2006-07	1037836	1230	11	133202
9.	खरीफ-2007	5291126	7973	0	0
	योग	**16544961**	**24851**	**2628**	**5918504**

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित गौण मण्डियां

495. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार शेरगढ़ तहसील क्षेत्र के बालेसर, सेतरावा व दैचू-चामूं मुख्यालय पर गौण मण्डी विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या शेरगढ़ क्षेत्र के किसानों द्वारा जिन्स विपणन की सुविधा हेतु उक्त प्रस्ताव कभी सरकार को दिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्ताव क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा हाल ही में विकसित डबल क्रोप

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

एरिया हेतु उक्त सुविधा के लिए ऐसे प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार भविष्य में इस बिन्दु पर त्वरित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बालेसर सेतरावा में गौण मण्ड़ी यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अपितु ग्राम दैचू में गौण मण्ड़ी यार्ड स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(2) मण्ड़ी समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। मण्ड़ी समिति द्वारा दिनांक 13.3.2007 को उक्त प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशालय भेजा गया है।

(4) प्रस्तावित मण्ड़ी को आर्थिक दृष्टि से वाइबल (Viable) पाए जाने पर ही इस प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

रोजगार कार्यालयों में आनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नियुक्त राजकौशल संस्था को आबंटित बजट

496. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजकौशल संस्था क्या है? क्या यह संस्था श्रम सेवी/सरकारी/निजी अथवा प्राइवेट लिमिटेड है? इसका आफिस कहां पर स्थित है तथा आफिस का कितना किराया दिया जा रहा है?

(2) रोजगार विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु कितना बजट आबंटित हुआ? कम्प्यूटराइजेशन कब तथा कितना प्रतिशत हो चुका है? इससे आनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने किये गये?

(3) सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2007-08 में कहां-कहां रोजगार मेले लगाये गये तथा इन पर कितना व्यय हुआ? व्यय करने का क्या आधार था तथा किन नियमों के तहत व्यय किया गया? रोजगार मेलों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य एवं कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया?

(4) एएएआईटी क्या है और राज्य में उसका क्या आधार है? एमओवाई क्या है तथा वर्तमान में कहां स्थित है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(5) राजकौशल सोसायटी में सीईओ, एडीसीईओ कौन-कौन है, इनकी क्या योग्यता है तथा इनको वर्तमान में क्या मानदेय दिया जा रहा है?

(6) एनिमेशन एकेडमी कहां पर स्थित है, इसका निदेशक कौन है तथा निदेशक की योग्यता क्या है, इसमें जो स्टाफ कार्यरत है वह राजस्थान का अथवा हैदराबाद का या मध्य प्रदेश का? स्टाफ का नाम, पद तथा वेतन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) राजकौशल का पी.डी. खाता होने पर भी सेविंग खाता क्यों खोला गया? आबंटित 3 करोड़ की राशि में से अब तक किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया तथा व्यय करते समय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम को ध्यान में रखा गया अथवा नहीं, पैम्पलेट, बैनर, होर्डिंग्स, ए.सी. चेम्बर व अन्य सामग्री किन-किन फर्मों से किन नियमों के तहत क्रय की गई? वर्ष 2007-08 के व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) राजकौशल में अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा किया जाता है अथवा महालेखाकार द्वारा? यदि चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा किया जाता है तो चार्टर्ड अकाउण्टेंट कौन है तथा इसे कब, किन शर्तों पर एवं कितने मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया? नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

उत्तर

(1) राजस्थान रोजगार सरलीकरण एवं कौशल विकास समिति (राजकौशल) रोजगार विभाग के अधीन स्थापित सरकारी संस्था है। जिसका पंजीयन सोसाइटीज एक्ट, 1958 के अंतर्गत पंजीयक, संस्थायें, जयपुर शहर में करवाया गया है। इसका कार्यालय रोजगार सेवा निदेशालय, दरबार स्कूल परिसर, जयपुर में स्थित है। कार्यालय के लिये कोई किराया नहीं दिया जा रहा है।

(2) रोजगार विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक रु. 102.38 लाख बजट आबंटित हुआ। अब तक लगभग 75 प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन हो चुका है। कम्प्यूटराइजेशन से आनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार कर लिये गये हैं, बजट आबंटन होने पर क्रियान्वयन कर दिया जावेगा।

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली,

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

राजसमंद, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर में रोजगार मेले लगाये गये जिसमें 22,66,415/- रु. का व्यय हुआ। व्यय बजट प्रावधान 48.00 लाख रु. आबंटन के आधार पर मेले आयोजन कर रोजगार अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत व्यय किया गया। रोजगार मेलों में अनुसूचित जाति के 5448, अनुसूचित जनजाति के 3673, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7318, सामान्य के 12720 व विकलांग के 214 व्यक्तियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

(4) एएआईटी गुजरात राज्य में पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है। राज्य में इसका आधार 30.11.2007 को जयपुर में रिसर्जेट राजस्थान पाटनरशिप समिट के दौरान सरकार एवं कम्पनी के मध्य करार है। एम.ओ.यू. रोजगार विभाग एवं एएआईटी के मध्य करार है। कम्पनी वर्तमान में रोजगार सेवा निदेशालय परिसर से एम.ओ.यू. के अनुरूप जॉब जंक्शन माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में विभाग के साथ कार्य संचालन कर रही है।

(5) रोजगार सेवा निदेशालय में पदस्थापित सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) को राजकौशल समिति में सीईओ के पद पर अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। विभागीय रिकार्ड के अनुसार इनकी योग्यता एम.ए.एम.फिल, एल.एल.बी. है। इसी प्रकार रोजगार सेवा निदेशालय में पदस्थापित सहायक निदेशक (ई.एस.) को राजकौशल समिति में एडीसीईओ के पद पर अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। विभागीय रिकार्ड के अनुसर इनकी योग्यता बी.एस.सी., एम.ए. है। समिति के विधान के अंतर्गत इन्हें अपने वेतन के 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यभत्ता दिया जायेगा।

(6) एनीमेशन एकेडमी जयपुर में रामचन्द्र खेतान पालिटेक्निक कालेज परिसर में स्थित है। इसके निदेशक के रूप में पालिटेक्निक कालेज के प्राचार्य को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनकी योग्यता बी.ई. (सिविल अभियांत्रिकी) है। इसमें जो स्टाफ कार्यरत है वह भी खेतान पालिटेक्निक में पदस्थापित स्टाफ को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यरत है।

(7) राजकौशल का पी.डी. खाता राज्य सरकार के द्वारा केवल एनीमेशन एकेडमी खोलने के लिये खोला गया है। जिसमें ऋण के रूप में राज्य सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। चूंकि राजकौशल के द्वारा एनीमेशन एकेडमी खोलने के अतिरिक्त अन्य विभिन्न

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

योजनायें संचालित की जाने की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके लिये समिति की साधारण सभा के निर्णय दिनांक 8.10.2007 के अनुसरण में बचत खाता खोला गया। आबंटित 3 करोड़ की राशि में से अब तक विभिन्न मदों में किये गये व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

व्यय राजकौशल समिति के विधान के अंतर्गत नियमों एवं विधानों के अंतर्गत किया गया है। पैम्पलेट, बैनर, होर्डिंग आदि खेल एवं युवा कल्याण, मध्य प्रदेश के माध्यम से, ए.सी. चैम्बर व अन्य सामग्री आवास विकास लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के माध्यम से क्रय की गई वर्ष 2007-08 (फरवरी, 2008 तक) का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(8) राजकौशल के विधान के अंतर्गत समिति के लेखों का अंकेक्षण चार्टेड अकाउण्टेंट के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अभी तक स्थायी चार्टेड अकाउण्टेंट की नियुक्ति नहीं की गई है।

परिशिष्ट 'क'

Department of Employment

the expenditure incurred on setting up of the Academy of Animation is as follows :-

1. Payment to Youva Sandhi as follow :-

Sr. no.	Item	Amount in Rs.
1	Prospectus	41,25,000
2	Brochures	16,00,000
3	Advertisement & Designing	59,50,697
4	Question papers/Answer sheets	2,45,250
5	Printing of admission forms	3,000
6	Consultation & Counseling	6,00,000
	Total	1,25,23,947

2. Advertisement/ Publicity through news paper through DPIR

Sr. no.	Item	Amount inRs.
1	Rajasthan Patrika (6)	6,56,651
2	Dainik Bhaskar (5)	4,99,101
3	Dainik Nav- Jyoti (2)	60,492
4	Rastradoot (1)	40,941
5	Mahanagar Times (1)	9,604
6	Bills to come	1,00,000 (App)
	Total	**1366789**

3. AVL for additions/alterations, 4,20,000 (app)
4. Rajcomp for hardware/software, 1,11,00,000 (app)
5. Staying arrangement/conveyance, 2,00000 (App)
   (Khasa kothi, Clarks Amer/RTDC)
6. Misc. Expenses as follow :-

Sr. no.	Item	Amount in Rs.
1	Advance for conducting entrance exam.	2,00,000
2	Vehicles	1,00,000 (App)
3	Arrangement of inauguration	1,00,000 (App)
4	others (petty Exp.)	2,00,000 (App)
	Total	**6,00,000 (App)**

Grand total Rs. 2,99,90,736 or Rs. 3 Crores

हनुमानगढ़ जिले के पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता

497. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हनुमानगढ़ जिले में कितने शिक्षित बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं? इनमें से कितने बेरोजगारों ने भत्ते हेतु आवेदन किया तथा कितनों को दिया गया तथा कितने शेष हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले के रोजगार कार्यालय में कुल 14,554 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं इनमें से स्नातक बेरोजगार भत्ता योजना अंतर्गत कुल 170 स्नातक बेरोजगारों ने माह फरवरी, 2008 तक बेरोजगार भत्ते हेतु आवेदन किया है। उक्त समस्त 170 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगार भत्ता दे दिया गया है। कोई भी आवेदित आशार्थी भत्ता प्राप्त करने हेतु शेष नहीं है।

बेरोजगार भत्ता प्राप्त आशार्थियों का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम तहसील	भत्ता स्वीकृत स्नातक बेरोजगारों की संख्या
1.	हनुमानगढ़	53
2.	नोहर	34
3.	भादरा	24
4.	संगरिया	19
5.	पीलीबंगा	08
6.	रावतसर	18
7.	टिब्बी	14
	योग	**170**

(2) जी नहीं। बेरोजगारी भत्ता, स्नातक बेरोजगार भत्ता योजना अंतर्गत पात्र स्नातकों के लिये है, जो उनके आवेदन करने पर दिया जाता है।

फलासिया विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

498. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व कितने?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	राउमावि. का नाम	रिक्त पद	कब से रिक्त हैं।
1	झाडोल (फलासिया)	2	04.07.07, 08.09.07
2	बा. झाडोल (फलासिया)	2	30.09.03, 09.07.05
3	ओगणा	3	8.10.04, 01.07.99, 01.04.2000
4	बाघपुरा	2	16.07.05, 06.07.01
5	डैया	2	03.10.07, 31.05.07
6	ढीमडी	2	01.04.03, 01.04.03
7	ओडा	1	01.04.03
8	कोल्यारी	2	18.10.05, 07.07.06
9	फलासिया	6	06.08.07, 11.09.03, 18.07.04, जुलाई 99 से 3 पद
10	मगवास	2	19.03.2006 (2 पद)
11	कोटडा	3	23.12.04, 01.01.01, 12.09.2004
12	बा. कोटडा	3	01.09.2005 (3 पद)

(2) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर व डीपीसी से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ट लिपिक पद पर मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति

499. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ट लिपिक के पद रिक्त होने के बाद भी मृतक आश्रितों को कनिष्ट लिपिकों के पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गयी हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2006-07 में कितने विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया?

(3) इन माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ट लिपिक के कब-कब और कितने पद स्वीकृत किए गए व कितने पद रिक्त हैं?

(4) क्या इन क्रमोन्नत हुए माध्यमिक विद्यालयों में कनिष्ट लिपिकों के पद रिक्त व या अन्य विभागों से सरप्लस होकर आने वाले कार्मिकों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति द्वारा भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में कनिष्ट लिपिक के पदों पर वर्ष 2007-08 में (फरवरी 2008 तक) 378 मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्तियां दी गई हैं।

(2) वर्ष 2004-05 से 2006-07 में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	उ.प्रा.वि. से मा.वि. क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या
2004-05	401
2005-06	491
2006-07	06

(3) उक्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 09.11.2005 को 437 तथा दिनांक 28.11.2006 को 44 कनिष्ट लिपिकों के पद स्वीकृत किए गए। इनमें से वर्तमान में 217 पद रिक्त हैं।

(4) वित विभाग के निर्देशानुसार उक्त नव सृजित पद निगमों,

(शिक्षा मंत्री)

मण्डलों एवं सहकारी संस्थाओं के सरप्लस कर्मचारियों से भरे जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

(5) जी हां। इन रिक्त पदों के विरुद्ध मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एस.पी.आर. सहरिया शिक्षण संस्था के सेवानिवृत्त कर्मियों का लम्बित भुगतान

500. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एस.पी.आर. सहरिया एजुकेशन सोसायटी, कालाडेरा से वर्ष 2007 में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए?

(2) क्या उनकी सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ दे दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्यालय शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जयपुर प्रथम के आदेश क्रमांक जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा-5/फा/सहरिया/361/08 दिनांक 21 जनवरी, 2008 के द्वारा सेवानिवृत्त के समस्त लाभों के भुगतान के निर्देश सचिव/प्रधानाचार्य/एस.पी.आर. सहरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाडेरा जयपुर को दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना अब तक क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त आदेश की पालना में कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एस.पी.आर. सहरिया एजुकेशन सोसायटी, कालाडेरा से वर्ष 2007 में एक ही कर्मचारी श्री रामपाल शर्मा, अध्यापक दिनांक 31.1.2007 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

(2) जी नहीं। संस्था द्वारा श्री रामपाल शर्मा को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पी.एफ. राशि रुपये 5,17,387/- का भुगतान कर दिया गया है। संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री शर्मा को ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश का भुगतान माह अप्रैल, 2008 में कर दिया जावेगा।

(3) जी हां। संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आदेश की पालना नहीं हो पाई।

(शिक्षा मंत्री)

(4) संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रेच्युटी एवं उपार्जित अवकाश का भुगतान माह अप्रैल, 2008 में कर दिया जावेगा।

कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सलूम्बर में रिक्त पद

501. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2003-04 से 2006-07 में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सलूम्बर में कितने शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद स्वीकृत एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक अध्यापकों को दी गई नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	व्याख्याता	व.अ.	अध्यापक	कुल
2003-04	03	00	00	03
2004-05	00	00	154	154
2005-06	04	04	11	19
2006-07	05	11	00	16
योग	12	15	165	192

(2) कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सलूम्बर में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के 03 पद स्वीकृत हैं, जो वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। विभागीय पदोन्नति द्वारा रिक्त पद शीघ्र भरे जायेंगे।

प्राध्यापक/प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति में असमानता

502. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) एवं लोक सेवा आयोग से चयनित व्याख्याताओं (स्कूली शिक्षा) के पदोन्नति के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल)

(2) एक प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) की पदोन्नति औसतन कितने वर्षों बाद हो जाती है एवं प्राध्यापक की पदोन्नति औसतन कितने सेवाकाल के पश्चात हो जाती है? वर्ष 1996 की तुलनात्मक, संख्यात्मक स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोनों पद धारकों को समान रूप से निश्चित सेवाकाल में पदोन्नति का लाभ मिले इस हेतु क्या प्रयास कर रही है?

(4) क्या सरकार इस हेतु पदोन्नति नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानाध्यापक (मा.वि.) एवं व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की पदोन्नति रिक्तियों के आधार पर 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष, तथा प्रधानाचार्य (सी.मा.वि.) एवं समकक्ष पदों पर करने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के तहत प्रधानाध्यापक (मा.वि.) एवं व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की पदोन्नति की जाती है। वर्ष 1996 से अब तक आयोजित हुई पदोन्नति समिति द्वारा 536 प्रधानाध्यापक (मा.वि.) एवं 678 व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का चयन किया गया है।

(3) प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) एवं व्याख्याताओं की पदोन्नति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार की जाती है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 में शिक्षक भर्ती के रहे शेष पदों पर नियुक्ति

503. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई शिक्षक भर्ती के पश्चात किस वर्ग के कितने पद रिक्त रहे?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

वरीयता सूची में कुछ अभ्यर्थियों को कम उम्र का आधार बनाकर नियुक्ति से वंचित किया गया है? जब कि उपर्युक्त भर्ती में विज्ञाप्ति पद पूरे नहीं भरे गये?

(3) क्या सरकार इस भर्ती के शेष पदों तथा फर्जी डिग्री प्राप्त अध्यापकों को हटाकर कुल समस्त पदों पर इसी भर्ती प्रक्रिया के वरीयता क्रम के सम्भावित योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्मय से हुई शिक्षक भर्ती 2004 में रिक्त रहे पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ग	रिक्त पद
1.	सामान्य	12
2.	सामान्य महिला	03
3.	अन्य पिछडा वर्ग	10
4.	अन्य पि. वर्ग महिला	02
5.	अ.जा. (नॉन टी.एस.पी.)	04
6.	अ.जा. (नॉन टीएसपी महिला)	06
7.	अ.जा. (टी.एस.पी.)	02
8.	अ.जा. (टी.एस.पी)	03
9.	अ.ज.जा. (नॉन टीएसपी)	(-) 451
10.	अ.ज.जा (टी.एस.पी. महिला)	501
11.	अ.ज.जा (टी.एस.पी)	260
12.	अ.ज.जा. (टीएसपी महिला)	631
	योग	983

(2) राजस्थान पंचायती राज नियमों में निर्धारित न्यूनतम आयु वाले अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी गई थी। चयन का कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है।

(3) शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, आयोग द्वारा समय-समय पर आवेदन पत्र विभाग को भिजवाये जा रहे हैं तथा विभाग द्वारा शेष रहे आवेदनों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को आग्रह किया गया है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीजवाड़ चौहान, (अलवर) के प्रधानाध्यापक द्वारा कृषि भूमि से प्राप्त आय का दुरुपयोग

504. **श्री राईया मीणा** (आसपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कृषि भूमि से प्राप्त आय का कुछ प्रधानाचार्यों द्वारा गबन/दुरुपयोग करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। व नहीं तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से किसी विद्यालय की जांच में कृषि भूमि आय-व्यय में पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा अपना कोई हस्तक्षेप न बताते हुए शाला भवन निर्माण समिति को ही कृषि भूमि आय-व्यय का जिम्मेदार ठहराया गया है? यदि हां, तो क्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीजवाड़ चौहान (अलवर) की कृषि भूमि आय-व्यय की जिम्मेदारी भी शाला भवन निर्माण समिति को ही प्रधानाचार्य ने विभिन्न जांचों में अपने जवाब में जिम्मेदार ठहराते हुए अपना कोई हस्तेक्षप नहीं बताया है?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण बैंक बीजवाड़ चौहान (अलवर) के खाता संख्या 1413 प्रधानाचार्य एवं कोषाध्यक्ष शाला भवन निर्माण समिति बीजवाड़ चौहान के नाम है, जिसमें से प्रधानाचार्य एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही रुपया निकाला जाता रहा है? यदि हां, तो विद्यालय कृषि भूमि आय-व्यय में प्रधानाचार्य की भूमिका कैसे नहीं रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पूर्व प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीजवाड चौहान (अलवर) ने विभिन्न जांच अधिकारियों/ राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को कृषि आय-व्यय में अपना हस्तक्षेप न बताकर गुमराह किया है? यदि हां, तो ऐसे प्रधानाचार्य के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान के पूर्व प्रधानाचार्य श्री वीरेन्द्र यादव द्वारा कृषि भूमि से प्राप्त

(शिक्षा मंत्री)

आय के गबन/दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच समय-समय पर करवाई गई। अंतिम बार जांच उच्च स्तर के अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक), अजमेर से भी करवाई गई है। जांच अधिकारी ने अपनी प्राथमिक जांच में श्री यादव को प्रथमदृष्टया दोषी नहीं माना है। जांच रिपोर्ट का नियमानुसार परीक्षण कर क्षम स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है।

(2) जी हां। शेष उत्तर प्रश्न के भाग संख्या 1 के अनुसार।

(3) जी हां। शेष उत्तर प्रश्न के भाग संख्या 1 के अनुसार।

(4) जांच उच्च स्तर के अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक), अजमेर से करवाई गई है। जांच अधिकारी ने अपनी प्राथमिक जांच में श्री यादव को गुमराह करने का प्रथमदृष्टया दोषी नहीं माना है। जांच रिपोर्ट का नियमानुसार परीक्षण कर सक्षम स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है।

इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेली-कम्यूनिकेशन इंजीनियर्स नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को मान्यता

505. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त भी प्रवेश दिये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस आधार पर? तत्संबंधी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों में इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेली-कम्यूनिकेशन इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा जारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है? यदि हां, तो किस सेमेस्टर में? तत्संबंधी आदेशों/ परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेली-कम्यूनिकेशन इंजीनियर्स नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा सर्टिफिकेट के आधार पर किन्हीं विशेष संकायों व कालेजों में ही प्रवेश दिया जाता है अथवा यह राज्य के सभी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु मान्य है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेली-कम्यूनिकेशन

(श्री लालचन्द कटारिया)

इंजीनियर्स नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के आधार पर राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों में ही प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक की कोई सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? संबंधित परिपत्रों/आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम वर्ष में पूर्व प्रवेश परीक्षा (RPETAP) के माध्यम से प्रवेश होने के उपरान्त रिक्त रहे स्थानों पर संस्था स्तर पर अहर्तक परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट-1 पर रख दी गई है।

द्वितीय वर्ष में (Lateral Entry) के तहत अभियांत्रिकी एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार अहर्तक परीक्षा में प्राप्ताकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत प्राप्तांक) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष 60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत प्राप्तांक) के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को डिग्री अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट-2 पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भांति इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमाधारी को द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। उक्त संस्था द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान द्वारा शैक्षणिक समकक्षता प्रदान की है। प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट-2 पर रख दी गई है।

(3) इंस्टीट्यूट आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डिप्लोमाधारियों को कम्प्यूटर साइन्स, इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन, एप्लाइड इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्सट्रूमेंटेशन एवं बॉयो मेडीकल इंजीनियरिंग हेतु राज्य के सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु वर्ष 1999 से पात्र माना गया है। प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट-2 पर रख दी गई है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। उपरोक्त विषयों में 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत प्राप्तांक) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष 60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत प्राप्तांक) के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को डिग्री अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति सदन पटल पर परिशिष्ट-2 पर रख दी गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय अम्बेडकर छात्रावास फुलेरा का निर्माणाधीन भवन

506. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास फुलेरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृति जारी कर राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि जारी की गई? स्वीकृति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावास के भवन निर्माण में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवन निर्माण का कार्य कब तक पूरा कराया जाकर नये भवन में छात्रावास प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास फुलेरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि 41.85 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त छात्रावास के भवन निर्माण में फरवरी, 2008 तक 29.78 लाख रुपये की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय की जा चुकी है तथा उससे 5 कमरे, 1 बरामदा, शौचालय एवं स्नानघर, अधीक्षक क्वाटर, अधीक्षक कार्यालय, रसोईघर एवं चारदिवारी का निर्माण कार्य कराये गये हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) उक्त छात्रावास भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.3.08 तक पूर्ण कर दिये जाने के फलस्वरूप नये भवन में छात्रावास प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगरार विधान सभा क्षेत्र में नवीन छात्रावास

507. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पहुना हिण्डोली, पुठोली, बोरदा में छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में अनुसूचित जाति के 2 व जनजाति का 1 छात्रावास निम्न स्थानों पर संचालित है :-

क्र. सं.	नाम छात्रावास	संचालित छात्रावास का स्थान
1	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	गंगरार
2	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	साड़ास
3	राजकीय अनुसूचित जन जाति बालक छात्रावास	बस्सी

(2) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नवीन छात्रावास खोला जाना सम्भव होगा।

वृद्धजनों के निर्वासित जीवन यापन हेतु संचालित योजनाएं

508. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वृद्धजनों के निर्वासित जीवन यापन हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व इसके अन्तर्गत क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा गरीब/निराश्रित/सन्तानहीन/स्वयं के परिवार से प्रताड़ित

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल तथा उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वृद्धाश्रम योजना संचालित है। निःसहाय/निराश्रित/गरीब वृद्धों/ अशक्त/ वृद्ध दम्पति की उचित देखभाल हेतु भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम (डे-केयर सेन्टर) योजना संचालित है।

वृद्धाश्रमों एवं भक्त श्रवण कुमार सेवा आश्रम (डे-केयर सेन्टर) में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

वृद्ध कल्याण योजनाएं :

वृद्धाश्रम : वृद्धाश्रम संचालन नियम – 2006 के अनुसार 60 वर्ष या अधिक आयु की महिला/पुरुष जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी निःसहाय, निराश्रित, सन्तानहीन व स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो तथा आजीविका चलाने में असमर्थ हो ऐसे व्यक्ति जो किसी छूत या संक्रमित रोग से पीड़ित, पागल व विशिप्त या भिखारी ना हो ऐसे वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल तथा उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वृद्धाश्रम में प्रवेश के पात्र हैं।

वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाऐं

1. प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को निःशुल्क पलंग, बर्तन, बिस्तर व अन्य आवश्यक सामान स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वृद्ध व्यक्ति को माह में 2 नहाने के साबुन व 2 कपड़े धोने के साबुन उपलब्ध कराये जायेंगे। वृद्ध व्यक्ति अपने कपड़े स्वयं ही धोयेगा।
3. वृद्ध व्यक्ति को माह में 50 ग्राम का दन्तमंजन पाउडर दिया जायेगा।
4. वृद्ध व्यक्ति की दो माह में एक बार बाल कटिंग कराई जायेगी।
5. व्यक्ति की बैडशीट प्रत्येक 15 दिवस में स्वयंसेवी संस्था द्वारा धुलवाई जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा में चिरायु योजना (वृद्धाश्रम) प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत शहरों में भवन हेतु एक मुश्त अनुदान और ग्रामीण क्षेत्र में रियायती दरों पर भूमि एवं भवन हेतु अनुदान दोनों ही दिये जा सकेंगे। ऐसे भवनों का सही उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था संचालक मण्डल में पर्याप्त संख्या में सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रखे जायेंगे। अगर ऐसा वृद्ध गृह निर्धन

वृद्धजनों के लिए नि:शुल्क चलाया जाता है तो प्रति वृद्धजन राज्य सरकार नकद सहायता देने पर भी विचार करेगी।

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम (डे-केयर सेन्टर)

1. राजस्थान के उपेक्षित, जरूरतमंद व एकान्त जीवन यापन कर रहे 55 वर्ष व इससे अधिक आयु की महिलाओं तथा 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को मनोरंजन एवं अल्पाहार की सुविधाये उपलब्ध कराते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने तथ्ज्ञा वृद्धावस्था में भी स्वयं को समाज का महत्वपूर्ण अंग समझने की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम योजना प्रारम्भ की गई है।

भक्त श्रवणकुमार कल्याण सेवा आश्रम पर दी जाने वाली सुविधाऐं

1. मनोरंजन—टी.वी., पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ताश, कैरम, संगीत, भजन, धार्मिक पुस्तकें आदि।
2. नाश्ता– फल, बिस्किट, भुने हुए चने, देसी घी का हलुआ, अंकुरित अनाज आदि।
3. व्यायाम– प्राणायाम, योगासन (साधारण आसन, दहाडासन व हंसने का आसन आदि)।
4. स्वयंसेवी संस्थायें केन्द्र पर आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण जांच अपने स्तर से कराकर उन्हें संस्था के स्तर से चश्मा, छडी आदि उपलब्ध कराये इसकी उपेक्षा संस्था से की जाती है।
5. केन्द्र में प्रवेशित वृद्धजनों को वर्ष में दो बार ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराए जाने का प्रावधान भी है। इस हेतु संस्थाओं को राशि रुपये पांच हजार तक अनुदान प्रदान कराया जाता है।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के लम्बित प्रकरण

509. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वृद्धावस्था व विधवा पेंशन स्वीकृति के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन में मासिक कितनी राशि दी जा रही है? क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2003 से 2008 तक किन

(श्री राकेश मेघवाल)

किन ग्राम पंचायतों में कितने-कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था व विधवा पेंशन दी गई? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के कितने प्रकरण लम्बित हैं व क्यों? सरकार कब तक इनके निस्तारण का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वृद्धावस्था व विधवा पेंशन स्वीकृति के मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट '1' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में वृद्धावस्था व विधवा पेंशन में मासिक दी जाने वाली पेंशन निम्नानुसार है :-

1.	55 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु की महिला	रुपये 200 प्रतिमाह
2.	58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम तक का पुरुष	रुपये 100 प्रतिमह
3.	65 वर्ष एवं उससे अधिक का पुरुष अथवा महिला	रुपये 400 प्रतिमाह
4.	पति व पत्नी (संयुक्त पेंशन) (दोनों ही 65 वर्ष से कम हों)	रुपये 300 प्रतिमाह
5.	पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) (दोनों ही 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों)	रुपये 600 प्रतिमाह
6.	पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) (दम्पत्ति में से किसी एक की आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर)	रुपये 500 प्रतिमाह
7.	किसी भी आयु की विधवा	रुपये 400 प्रतिमाह

पेंशन की दरों में वृद्धि क्रमश: दिनांक 01.04.2006 व 01.04.2007 से की गई हैं। अत: फिलहाल पेंशन दरें बढ़ाने का विचार नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2003 से 2008 तक दी गई वृद्धावस्था व विधवा पेंशन की संख्या सूची ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट '2' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वृद्धावस्था पेंशन के 40 आवेदन व विधवा पेंशन के 25 आवेदन कमियां होने के कारण लम्बित हैं, जिन्हें पूर्ति हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को लौटाया गया है। कमियों की पूर्ति के पश्चात आवेदन पुन: प्राप्त होने पर इनका निस्तारण अविलम्ब कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

वृद्धावस्था व विधवा पेंशन स्वीकृति के मानदण्ड

निम्नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या 55 वर्ष की महिला या किसी भी आयु की विधवा को राजस्थान वद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जा सकती है :-

1. राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथि को कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो।
2. जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।
3. उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
4. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरुष) को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गयी है।
5. सीमान्त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारण हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2003 से 2008 तक दी गई वृद्धावस्था व विधवा पेंशन की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	संख्या	
		वृद्धावस्था	विधवा
1	रुणीजा	17	12
2	खोखर	12	21
3	ढ़ाढ़ोता	13	5
4	झालरा	9	12
5	बीढवालिया	55	27
6	बरेव	4	9
7	बाजवास	29	11
8	बागोट	12	5

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	संख्या	
		वृद्धावस्था	विधवा
9	बस्सी	10	5
10	बड्रू	22	17
11	कालेटडा	10	9
12	कुण्डरी	143	16
13	कुराडा	24	14
14	मंगलाना	6	11
15	मायापुर	6	11
16	बिदियाद	2	13
17	किनसरिया	19	16
18	रिड़	30	27
19	चिताई	20	14
20	हरनावां	11	18
21	भकरी	2	3
22	भादवा	70	30
23	भडसिया	20	11
24	पीह	48	23
25	पीपल्दा	6	8
26	पीलवा	10	11
27	राबडियाद	20	9
28	रोहिण्डी	1	-
29	जंजीला	3	5
30	जावला	34	15
31	नैणिया	19	14
32	नैतियास	11	17
33	तापरवाडा	2	5
34	गांगवा	5	5
35	गुलर	11	15

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में निर्मित छात्रावास

510. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत चार वर्षों में कितने छात्रावास कितनी कितनी क्षमता के कहां-कहां बने? लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में निर्माणाधीन छात्रावासों की क्षमता एवं लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम छात्रावास	निर्माण कार्य स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत राशि (लाखों में)	छात्र क्षमता	भवन की स्थिति
1.	राजकीय अनुसूचित जन जाति बालक छात्रावास, बेगूं	1999-2000	29.74	50	छात्रावास भवन दिनांक 22.11.2006 को निर्मित हुआ था। जिसमें छात्रावास संचालित है।
2.	राजकीय अनुसूचित जन जाति बालक छात्रावास, रावतभाटा	2006-07	41.85	25	निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।
3.	राजकीय अनुसूचित जन जाति बालक छात्रावास, बोराव	2006-07	57.65	50	निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है।

संविदा/अस्थाई रसोइया एवं चौकीदारों का नियमितिकरण

511. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में रसोइया व चौकीदारों के कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भरे हुए पदों में कितने पदों पर नियमित एवं कितने संविदा/ अस्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं? पृथक-पृथक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 1995 के बाद संविदा/अस्थाई रूप से नियुक्त

(श्री हीरालाल)

कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राजकीय छात्रावासों के लिये रसोइया व चौकीदारों के 859 पद सृजित हैं। इन पदों में से 776 पद नियमित रूप से भरे हुए हैं।

(2) 776 भरे हुए उक्त पदों में सभी नियमित रसोइया व चौकीदार हैं। इनके अतिरिक्त 798 अंशकालीन रसोइया व चौकीदार कार्यरत हैं।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही अंशकालीन कार्मिकों को नियमित किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

कपासन विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

512. **श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के किस-किस पशु चिकित्सालय में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद सृजित हैं तथा उन पर कौन-कौन कार्यरत हैं तथा कितने पद किस-किस संवर्ग के रिक्त हैं?

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित पशु चिकित्सालय में सृजित एवं रिक्त पदों तथा सृजित पद पर कार्यरत कर्मियों की सूची परिशिष्ट क संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक स्वीकृति उपरान्त पदों को भरना सम्भव है।

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा क्षेत्र कपासन के पशु चिकित्सालय में सृजित, रिक्त एवं कार्यरत कर्मियों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	वरि. पशु चिकि. अधि.		पशु चिकि. अधि.		पशु चिकि. सहा/ पर्यवेक्षक		पशुधन/स्कन्ध सहायक		सहायक कर्मचारी	
		सृजित	कार्यरत/ रिक्त	सृजित	कार्यरत/ रिक्त	सृजित	कार्यरत/ रिक्त	सृजित	कार्यरत/रिक्त	सृजित	कार्यरत/रिक्त
1	प्र. श्रे. पशु चिकित्सालय, मण्डपिया	1	रिक्त	1	रिक्त	-	-	2	1. रमेश चन्द राठौड़ प.ध.स. 2. रिक्त प.ध.स.	4	1. दिनेशचन्द, सईस 2. धनाज, स.कर्ता 3. रिक्त, सईस 4. रिक्त, ड्रेसर
2	प्र. श्रे. पशु चिकित्सालय, कपासन	1	रिक्त	-	-	-	-	2	1. रमेश चन्द बामनिया प.ध.स. 2. रिक्त स्क.सहा.	3	1. हीरालाल, सईस 2. नाथूलाल, गडरिया 3. राजकुमार, स.कर्ता
3	पशु चिकित्सालय, भादसोडा	-	-	1	डा. संजय राउत	1	औंकारलाल वी.ए.	-	-	2	1. मायादेवी, सईस 2. चान्दमल, स.कर्ता

क्र. सं.	संस्था का नाम	वरि. पशु चिकि. अधि.		पशु चिकि. अधि.		पशु चिकि. सहा/ पर्यवेक्षक		पशुधन/स्कन्ध सहायक		सहायक कर्मचारी	
		सृजित	कार्यरत/ रिक्त	सृजित	कार्यरत/ रिक्त	सृजित	कार्यरत/ रिक्त	सृजित	कार्यरत/रिक्त	सृजित	कार्यरत/रिक्त
4	पशु चिकित्सालय, भोपालसागर	-	-	1	डा. गंगाधर मुण्डे	-	-	1	ओमप्रकाश, प.ध.स.	1	1. बंशीलाल, जलधारी
5	पशु चिकित्सालय, जाशया	-	-	1	डा. आरबाड नितिश	-	-	1	लखनलाल, प.ध.स.	1	1. सोहनलाल मीणा जलधारी
6	पशु चिकित्सालय, आकोला	-	-	1	डा. रेखा पोखरना	1	रिक्त वी.ए.	-	-	1	1. रिक्त जलधारी रावत
7	पशु चिकित्सालय, सिंहपुर	-	-	1	डा. सुमेरसिंह रावत	-	-	1	रेवालाल, प.ध.स.	3	1. प्रभुलाल, जलधारी रावत 2. प्रभुलाल, स.कर्ता 3. शंभुसिंह, सईस
8	पशु चिकित्सालय, सुरपुर	-	-	1	रिक्त	1	मोतीलाल यादव वी.ए.	-	-	1	1. किशनलाल स.कर्ता

पशु चिकित्सकों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ

513. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पशु चिकित्सकों की भर्ती की योग्यता एवं भर्ती का तरीका क्या है और केन्द्र सरकार की प्रक्रिया से यह किस प्रकार भिन्न है?

(2) क्या यह सही है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने पशु चिकित्सकों को मानव व दन्त चिकित्सकों के समकक्ष वेतनमान, पदोन्नति एवं अन्य भत्ते देने की सिफारिश की थी?

(3) क्या सरकार द्वारा इस पर विचार के लिए कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो उस कमेटी द्वारा क्या सिफारिश की गई?

(4) क्या सरकार पशु चिकित्सकों के विभिन्न संवर्गों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं क्या-क्या?

उत्तर

(1) राज्य में पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि या समकक्ष योग्यता।
2. देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
3. राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद से पंजीयन।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के पशु चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं भिन्न होती हैं। जिससे केन्द्र सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप भर्ती की योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। अत: केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा अपनाए गए भर्ती तरीकों की तुलना करना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। श्री एन.एस. सिसोदिया, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने स्केल-टू-स्केल वेतनमान संशोधन की सिफारिश की है।

(4) जी नहीं।

देशी नस्ल के गौ-वंश के संवर्धन हेतु पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं की स्थापना

514. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम स्तर पर अच्छी नस्ल के सांडों के अभाव तथा कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा देने से देशी नस्ल का गौ-वंश विलुप्त हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर देशी नस्ल के अच्छे सांड युक्त नंदीशाला स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम स्तर पर गौ-शालाएं नहीं होने के कारण किसानों को जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तथा उपखण्ड स्तर पर बड़ी गौ-शालाओं के प्रबन्धन में परेशानी आ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी गौ-शालाएं स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला व गौ-शाला स्थापित करने के लिए वर्ष 2003 से अब तक कितना-कितना वित्तीय प्रावधान किया गया कितना कितना पैसा कहां-कहां व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम एवं उन्नत नस्ल के साण्ड/पाडा वितरण से गौ-भैंस में नस्ल सुधार होती है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य में नंदीशाला स्थापित करने हेतु राजस्थान गौ सेवा आयोग की आदर्श गौशाला आदर्श गांव योजना के अन्तर्गत प्रदेश की गौशालाओं में वित्तीय वर्ष 2003 से जनवरी, 2008 तक रुपये 11.20 लाख का वित्तीय प्रावधन किया गया। प्रावधित राशि का पूर्ण व्यय किया गया है। विवरण अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

अनुसंलग्नक-1

आदर्श गौशाला-आदर्श गांव योजना के अन्तर्गत निम्न गौशालाओं को नन्दीशाला स्थापित करने हेतु गौ सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत राशि

क्र. सं.	जिले का नाम	गौशाला का नाम	स्वीकृत राशि
1	अलवर	श्री कृष्ण गोशाला, बूढीबावल, तह, कोटकासिम, जिला अलवर	50000
2	बीकानेर	श्री मुरली मनोहर गोशाला, भीनासर, बीकानेर, जिला बीकानेर	50000
3	बाड़मेर	श्री मोहन गौशाला, दांता, जिला बाडमेर पत्राचार का पता : श्री मोहन गौशाला c/o श्री मोहन वाल निकेतन परिसर, प्रताप जी का प्रौल बाडमेर	50000 10000
4	बूंदी	श्री देवनारायण गौशाला, लेसरदा, ग्रा.पो. लेसरदा, तह. केशवरायपाटन, जिला बूंदी	50000
5	चूरू	श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर, चूरू	50000
6	जयपुर	श्री बलराम गो सेवा सदन, गोड का बास, पो. रामनगर, वाया कोटखावदा, जयपुर-303908	50000
7	झुन्झुनूं	ओम जनता गौशाला ट्रस्ट, गंगादास जी का घाट, मणकसास, झुन्झूनं	50000
8	जालौर	गायत्री गो सेवा समिति, माता भगवती वाटिका, क्षेमंकरी माताजी रोड, भीनमाल, जिला जालौर	50000
9	जोधपुर	श्री राम गौशाला सेवा समिति, बारनीखुर्द, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर	50000
10	कोटा	भारतीय गोवंश संवर्धन लोक न्यास, कोटा द्वारा संचालित : श्री मथुरेश गौशाला, बंधा, धर्मपुरा, पत्राचार का पता : गायत्री शक्ति पीठ, विज्ञान नगर, कोटा	50000
11	नागौर	श्री कृष्ण गोपाल गो सदन समिति, पो. जतसवन्तगढ-341304, नागौर	50000
12	श्रीगंगानगर	गो सदन, बाजूवाला, वाया-रामसिंहनगर, श्रीगंगानगर	50000
13	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा जिला गौ सेवा संघ, मदारेश्वर रोड, जिला बांसवाड़ा-237001	50000 30000

क्र. सं.	जिले का नाम	गौशाला का नाम	स्वीकृत राशि
14	चित्तौड़गढ़	श्री सांवलिया जी गौशाला, ग्राम मण्डपिया सांवलिया जी, तह. भदेसर, चित्तौड़गढ़ पत्राचार का पता : श्री सांवलिया जी गौशाला c/o श्री राजेन्द्र सिंह जी शेखावत अति. कलक्टर एवं प्रशासक चित्तौड़गढ़	50000
15	पाली	मरूधर केसरी जैन गौशाला ट्रस्ट, कुशालपुरा, पाली	50000 10000
16	सिरोही	भाग्यवंती जीव रक्षा केन्द्र, दातराई, तह. रेवदर, सिरोही	50000
17	सवाई माधोपुर	श्री गोपाल गौशाला समिति, गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर	50000
18	करौली	गोपाल गोशाला समिति, हिण्डौनसिटी, जिला करौली	50000 10000
19	भरतपुर	गौशाला मंदिर श्री लाल जी महाराज, गढ़ी सांवलदास, पुराना औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर	50000
20	जोधपुर	श्री कन्हैया गौशाला, पाल रोड, जोधपुर	50000
21	बीकानेर	सन्त विनोबा कृषि गो विज्ञान केन्द्र, छतरगढ़, बीकानेर	50000
22	हनुमानगढ़	राजस्थान गो सेवा समिति मेहरवाला मुकाम पो. मेहरवाला तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ़	10000
		योग	**11,20,000**

दुग्ध अवशीतन केन्द्र दौसा की बन्द दुग्ध उत्पादक समितियों का पुनर्संचालन

515. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दुग्ध अवशीतन केन्द्र दौसा में कुल कितनी दुग्ध उत्पादक समितियां पंजीकृत व कितनी अपंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी दुग्ध उत्पादक समितियां बंद हैं?

(3) क्या सरकार बंद पड़ी समितियों को पुन: चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कई पंजीकृत समितियां स्वीकृत स्थान पर कार्य न कर अन्यत्र स्थानों पर संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व

(श्री हीरालाल)

क्यों? सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दुग्ध अवशीतन केन्द्र, दौसा में कुल 369 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 201 पंजीकृत एवं 168 अपंजीकृत हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त दुग्ध समितियों में से 50 समितियां बन्द हैं।

(3) अवसायन की प्रक्रिया में आई हुई समितियों को छोड़कर अन्य बन्द दुग्ध समितियों को पुन: प्रारम्भ किये जाने का निर्णय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का स्वयं का रहता है, जिसमें राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

(4) जी नहीं। प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां अपने ही पंजीकृत कार्यक्षेत्र में दुग्ध संकलन का कार्य करती है। दुग्ध संकलन के स्थान का निर्धारण उक्त समितियां दुग्ध उत्पादकों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए अपने संकलन स्थान में परिवर्तित करने का अधिकार रखती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा जिले में अकृषि प्रयोजनार्थ प्राप्त संपरिवर्तन शुल्क का पंचायतों को हस्तान्तरण

516. **श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला भीलवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक (संशोधन पूर्व के राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1992 के नियम 18 के तहत) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ होने वाले संपरिवर्तन शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा जो वसूल किया गया था, की राशि संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में जमा करवाई जाकर इस राशि को संबंधित ग्राम पंचायतों को आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो किन किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त जमा राशि को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने हेतु संबंधित पंचायत समितियों को कोई

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो अब निर्देश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। जिला भीलवाड़ा में वित्तीय वर्ष 20003-04 से 2006-07 तक (संशोधन पूर्व के राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1992 के नियम 18 के तहत) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ होने वाले संपरिवर्तन शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा जो वसूल किया गया था कि राशि संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में जमा करवाई जाकर इस राशि को संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित कर दी गई है। पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय पत्र एफ 139(19) परावि/विधि/भीलवाड़ा/06/4028 दिनांक 02.09.2006 द्वारा राशि हस्तान्तरण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किये गये हैं। परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को भूखण्डों का आबंटन

517. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 के मध्य सरकार द्वारा जिला बीकानेर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड आबंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो कब-कब, कितना-कितना तथा कितनी-कितनी भूमि किस पात्रता के बी.पी.एल. परिवार को आबंटित करने का लक्ष्य था? जिला बीकानेर का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में उक्त लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां, किन-किन बी.पी.एल. परिवारों को प्रति परिवार कितनी-कितनी नि:शुल्क भूमि का आबंटन किया गया? नामवार/पंचायत समितिवार/आवंटित स्थानवार/आवंटन दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनेक शहरी/ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क भूमि का आबंटन करना शेष है? यदि हां, तो किन-किन को?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(4) क्या उक्त अवधि में बी.पी.एल. परिवारों के पुराने मकानों के पट्टे जारी करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो कब-कब, कितना-कितना तथा इसके अंतर्गत जिला बीकानेर में किन-किन लोगों को, कब—कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि के पट्टे जारी किए गए तथा किन किन लोगों को कहां-कहां कितनी भूमि के पट्टे जारी किये जाने शेष हैं? जिला बीकानेर की पंचायत समितिवार/स्थानवार/पट्टे जारी करने की दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बतावें कि शेष लोगों को कब तक पट्टे जारी कर दिये जायेंगे।

(5) क्या यह सही है कि सरकार बी.पी.एल. परिवारों के पुराने मकानों के पट्टे जारी करने से बेचे परिवारों को शीघ्र पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लक्ष्य निर्धारित नहीं।

(3) लक्ष्य निर्धारित नहीं होने से आवंटन शेष नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने मकानों के पट्टे जारी करने हेतु ग्राम पंचायतें अधिकृत है। बीकानेर जिले में ग्राम पंचायतों के पास बी.पी.एल. परिवारों के पुराने मकानों के पट्टे बनाने के संबंध में आवेदन पत्र अवशेष नहीं है। शहरी क्षेत्र की सूचना शून्य है।

सरपंच, ग्राम पंचायत बेसरोली (नागौर) द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

518. डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बेसरोली के सरपंच के विरुद्व लोकसभा सदस्य के कोटे से दो लाख रुपया एवं नाली निर्माण में अमानत में ख्यानत एवं कमजोर सड़क बनाने की शिकायत जिलाधीश नागौर को प्राप्त हुई है?

(2) क्या यह सही है कि नागौर की विजीलेन्स ने सरपंच, बेसरोली पंचायत समिति मकराना को घटिया सामग्री सी.सी. रोड में काम लेने का दोषी माना है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला सतर्कता समिति ने यह निर्णय लिया है कि सरपंच द्वारा इस सडक की मरम्मत अविलम्ब कराई जावे। अधिशासी अभियंता जिला परिषद नागौर द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत बेसरोली द्वारा सड़क की मरम्मत करवाई जा चुकी है। इस पर जिला सतर्कता समिति ने अपनी बैठक 29.09.2007 में यहां निर्देश दिये हैं कि सरपंच ग्राम सेवक व कनिष्ठ अभियन्ता को इस संबंध में जारी नोटिस की प्रगति प्राप्त कर सर्तकता समिति को सूचित करे। उक्त निर्देश जारी कर प्रकरण ड्राप किया गया।

रूपवास एवं बयाना विधान सभा क्षेत्र के बांधों की मरम्मत

519. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2005 से अब तक ग्राम पंचायत के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र रूपवास एवं बयाना के बांधों की मरम्मत कब कराई गई एवं इस हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 2005 से अब तक विधान सभा क्षेत्र रूपवास में पंचायतों के माध्यम से 22 बांधों की एवं बयाना क्षेत्र में तीन बांधों की मरम्मत कराई गई एवं इस हेतु रूपवास क्षेत्र में रुपये 30.93 लाख एवं बयाना में रुपये 18.32 लाख आबंटित किये गये।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग से संबंधित बांधों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कराया जाना सम्भव होगा एवं पंचायती राज संस्थाओं के बांधों की मरम्मत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में कराना प्रस्तावित है।

सरपंच, हिम्मतगढ़ एवं दाता (झालावाड़) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

520. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरपंच हिम्मतगढ़ एवं दाता जिला झालावाड़ के विरुद्ध रोजगार गारन्टी योजना में की गई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और कब?

(2) क्या यह सही है कि जांच अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंचों को जांच में दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत, हिम्मतगढ़ के विरुद्ध शिकायत की जांच श्री जे.पी. त्यागी, जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़ से दिनांक 26.03.2007 से करवाई गई एवं सरपंच ग्राम पंचायत दाता के विरुद्ध शिकायत की जांच अधिशासी अभियन्ता जिला परिषद द्वारा करवाई गई।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, हिम्मतगढ़ की जांच रिपोर्ट दिनांक 4.5.2007 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'क' पर अवलोकनीय है।

(3) सरपंच ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ को जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी मानकर रुपये 691260/- की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत दाता की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-521

(स्थगित)

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को जारी नि:शुल्क पास

522. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य में वर्ष 2006 07 एवं 2007-08 में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कितनी छात्राओं के पास जारी किये गये? उक्त बस पास के पेटे कितनी राशि शिक्षा विभाग से वसूल की जानी थी एवं कितनी वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) जिन छात्राओं के पास जारी किये गये उनमें कितनी ग्रामीण एवं कितनी शहरी हैं? पास जारी करने के संबंध में शिक्षा विभाग के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आंकड़ों में अन्तर के संबंध में शिक्षा विभाग ने निगम को कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2006-07 में राजस्थान राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली कुल 38269 छात्राओं को नि:शुल्क यात्रा के लिये शिडयूल-तृतीय परिचय पत्र जारी किये गये।

लेकिन तत्पश्चात (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश संख्या प.9(1) शिक्षा-1/2005/पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2007 द्वारा बजट घोषणा संख्या 22 एवं 23 के अन्तर्गत साइकिल वितरण एवं ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की क्रियान्विती के कारण शैक्षणिक सत्र 2007-08 से नि:शुल्क पास सुविधा योजना को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। उक्त बस पास के पेटे राजस्थान परिवहन निगम द्वारा शिक्षा विभाग से वसूल की जाने वाली एवं वसूल की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	वसूल की जाने वाली राशि	राज्य सरकार से प्राप्त राशि	बकाया राशि	विशेष विवरण
2005-2006 (1 जनवरी 06 से सत्रावसान तक)	3,82,70,820/-	4,00,00,000/-	निल	4,00,00,000-3,82,70,820= 17,29,180/ अतिरिक्त
2006-2007	7,89,32,317/-	(समायोजन 17,29,180)	7,72,03,137	1.1.06 से सत्रावासान तक की राशि घटाने के पश्चात बकाया 7,89,32,317-17,29,180=7,72, 03,137/- कुल बकाया राशि

(यातायात मंत्री)

(2) वर्ष 2006-07 में जिन छात्राओं को नि:शुल्क यात्रा के लिये शिडयूल तृतीय परिचय पत्र जारी किये गये हैं उनमें ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं का वर्गीकरण राजस्थान परिवहन निगम द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की संख्या को पृथक-पृथक दर्शाया जाना सम्भव नहीं है। छात्राओं को पास जारी करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से प्राप्त आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पत्र क्रमांक प.9(शिक्षा-1)/2005 पार्ट जयपुर दिनांक 4.12.2007 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य पथ परिवहन निगम के निलम्बित चालक/परिचालक

523. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़, सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालक के कितने पद कब से रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितने चालक व परिचालक कब से निलम्बित चल रहे हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निलम्बित चालकों/परिचालकों के प्रकरण शीघ्र निपटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 417 चालक व 869 परिचालक के पद रिक्त हैं। वर्तमान में इकाइवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में 31 चालक व 82 परिचालक निलम्बित चल रहे हैं सूची परिशिष्ट 2 व 3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर रोक होने के कारण

(यातायात मंत्री)

फिलहाल रिक्त पद भरा जाना सम्भव नहीं है। लेकिन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार से स्वीकृति चाही है।

(4) जी हां। समय-समय पर ऐसे प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है। निगम के स्थाई आदेशों/ परिपत्रों के अनुरूप नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों की पालना की जाकर प्रकरण निस्तारित किए जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पत्रकार कालोनी (ग्राम धोलाई) से विद्याधर नगर, जयपुर हेतु नगरीय बस सेवा

524. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पत्रकार कालोनी (ग्राम धोलाई), जयपुर से मानसरोवर होते हुए विद्याधर नगर, जयपुर तक के लिये मिनी बस अथवा परिवहन विभाग की सी.टी.एस. बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। पत्रकार कालोनी (ग्राम-धोलाई), जयपुर से मानसरोवर होते हुए विद्याधर नगर, जयपुर तक के लिये परिवहन निगम की बस संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है, क्योंकि पूर्व में परिवहन निगम के नगरीय बस सेवा मार्ग 221 दादी का फाटक से अग्रवाल फार्म वाया विद्याधर नगर के चार परिचक्र प्रातः व सायं संचालित किये गये थे, जिनमें पत्रकार कालोनी का पर्याप्त यात्री भार न होने के कारण वाहन संचालन बंद कर दिया गया था।

मिनी बसों के लिए वर्तमान में मार्ग संख्या 12 खोले के हनुमानजी से पत्रकार कालोनी खुला हआ है जो वाया वी.टी. चौराहा होकर पत्रकार कालोनी मानसरोवर तक है। वर्तमान में पत्रकार कालोनी (ग्राम-धौलाई), जयपुर से मानसरोवर होते हुए विद्याधर नगर जयपुर तक नवीन मार्ग खोले जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के अन्दरूनी क्षेत्रों में नगरीय बस सेवा

525. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वार्ड संख्या 15, 19, 20, 21 जिसमें बरकत नगर, किसान मार्ग, महेश नगर, ईमलीवाला फाटक, आदि क्षेत्र हैं एवं जिसमें 1 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में परिवहन सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वार्ड संख्या 15, 19, 20, 21 जिसमें बरकत नगर, किसान मार्ग, महेश नगर, ईमलीवाला फाटक, आदि क्षेत्र हैं, घनी आबादी वाला क्षेत्र है।

उक्त क्षेत्रों में समुचित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सर्वेक्षण कराये जाने पर ज्ञात हुआ है कि इन क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में मिनी बस अथवा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी बस का आवागमन इन क्षेत्रों के रास्ते काफी सकड़े अथवा भीड-भरे होने, खतरनाक मोड होने तथा आबादी का घनत्व अधिक होने के कारण इस क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है तथापि वर्तमान में संचालित मार्ग संख्या 8, 10, 12, 20, 22 व 28 की मिनी बसें मुख्य मार्गों से गुजरती हैं, जिनकी दूरी इन क्षेत्रों के निवासियों के लिये अधिकतम आधा कि.मी. रहती है। इन मार्गों की बसों का लाभ किसान मार्ग, अर्जुन नगर, टोंक फाटक आदि क्षेत्रों के निवासियों को मिल रहा है।

परिवहन कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण

526. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) परिवहन विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पदों की भर्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री हुकुमत राय तनवानी अस्थाई कनिष्ठ लिपिक की भर्ती में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? प्रक्रिया कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें तथा यह भी बतायें कि उक्त कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध क्या कोई विभागीय जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवायें।

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) क्या यह सही है कि श्री तनवानी के विरुद्ध तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन), श्री आर. के. पारीक द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवायें तथा यह भी बतायें कि उक्त कनिष्ठ लिपिक श्री तनवानी के विरुद्ध महिला कर्मचारियों द्वारा छेडछाड, उत्पीडन एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा छुआछुत एवं जाति सूचक गाली-गलौच की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन शिकायतों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवायें। नहीं, तो क्यों? क्या जांच में श्री तनवानी दोषी पाये गये? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1957 के तहत परिवहन विभाग में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

(2) श्री हुकमत राय तनवानी मूलत: सहायक निदेशक कार्यालय जनगणना विभाग भारत सरकार में अस्थाई रूप से कनिष्ठ लिपिक के तौर पर नियुक्त थे। विभाग के आदेश दिनांक 22.08.1985 द्वारा श्री तनवानी का स्थानान्तरण अस्थाई तौर पर परिवहन विभाग में किया गया। तत्संबंधी आदेश की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

जी हां। श्री तनवानी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) जी हां। श्री तनवानी के विरुद्ध तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), श्री आर. के. पारीक द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

जी हां, श्री तनवानी के विरुद्ध विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ एवं उत्पीडन की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत की जांच कराई गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

जी हां। श्री तनवानी के विरुद्ध अनुसूचित जाति के कर्मचारी द्वारा छुआछूत एवं जाति सूचक गाली-गलौच की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई तथा विभाग द्वारा इसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(यातायात मंत्री)

जी हां। जांच रिपोर्ट में श्री तनवानी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये, जिसके लिये उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला मुख्यालय राजसमन्द पर निगम आगार की स्थापना

527. **श्री बंशीलाल खटीक** (राजमसन्द) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला मुख्यालय राजसमंद पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आगार (डिपो) खोलने का विचार रखती? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजसमन्द जिले के समीप उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर एवं फालना में निगम के आगार पूर्व से ही स्थापित किये हुये हैं जिनकी राजसमन्द से दूरी क्रमश: 70, 108, 158 एवं 110 कि.मी. है। अत: तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं होने के कारण राजसमन्द में पृथक से राजस्थान परिवहन निगम का नया आगार खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

टिब्बी विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सेवा

528. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी कस्बे में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार टिब्बी कस्बे में रोडवेज बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो रावतसर वाया चाईया-मिर्जा वालीमेर मसीतावाली हैड, टिब्बी से संगरिया एवं हनुमानगढ़ से टिब्बी, तलवाड़ा झील से ऐलनावाड़ हरियाणा आगे सिरसा हिसार दिल्ली तक बस सेवा कब तक चालू कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा रात्रि में एक बस सेवा का अनुपगढ-दिल्ली वाया सूरतगढ़-हनुमानगढ़-टिब्बी-ऐलनाबाद-सिरसा-हिसार होकर संचालन किया जा रहा है।

टिब्बी क्षेत्र से जुड़े हुये मार्ग प्राय: पंचम अध्याय के मार्ग हैं जिन पर निजी वाहनें संचालित हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम बस सेवाओं का संचालन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहने की सम्भावना के कारण विधान सभा क्षेत्र टिब्बी कस्बे में उक्त बस सेवा के अतिरिक्त निगम बस सेवाओं का संचालन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। खण्ड '1' में उल्लेखित कारणों से टिब्बी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम बस प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

प्रश्न में निम्नानुसार मार्ग अंकित है जिनके सम्बन्ध में मार्गवार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

रावतसर वाया चाईया-मिर्जावाली मेहर-मसीतावाली हैड

टिब्बी से संगरिया :

यह मार्ग पंचम अध्याय का मार्ग है जिस पर निजी वाहनें संचालित हैं। निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में निगम बस सेवाओं का संचालन अनार्थिक रहने की सम्भावना के कारण प्रस्तावित मार्ग पर फिलहाल निगम बसें संचालन करने का कोई विचार नहीं है।

हनुमानगढ़-टिब्बी तलवाड़ा झील से एलनाबाद सिरसा-हिसार दिल्ली-वर्तमान में अनूपगढ़ से दिल्ली के लिये रात्रि सेवा के रूप में अनुपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, टिब्बी, तलवाड़ा, ऐलनाबाद, सिरसा, हिसार होकर दिल्ली के लिये 2 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

नदबई (भरतपुर) में बस स्टैण्ड का निर्माण

529. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार कस्बा नदबई (भरतपुर) में रोडवेज बस स्टैण्ड निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम का कस्बा नदबई (भरतपुर) में बस स्टैण्ड निर्माण कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी के अपूर्ण निर्माण कार्य

530. **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं पंचायत समिति छोटी सादड़ी द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं निर्माण कार्य करवाये गये? यदि हां, तो योजनानुसार स्वीकृत कार्यों की सूची व्यय सहित ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक दोनों पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिये गये? यदि हां, तो पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों एवं प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति निम्बाहेडा एवं छोटी सादड़ी द्वारा वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक विभिन्न योजनाओं में क्रमश: 3049 एवं 1432 विकास एवं निर्माण कार्य विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किये गये हैं। योजनावार एवं ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों की सूची मय व्यय राशि परिशिष्ट-अ एवं ब पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में वर्ष 2003-04 से 2005 06 तक स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। वर्ष 2006-07 से 2007 08 की अवधि में स्वीकृत कार्यों में से 990 कार्य अपूर्ण हैं।

इसी प्रकार पंचायत समिति छोटी सादड़ी में स्वीकृत कार्यों में से वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा वर्ष 2006 07 एवं 2007-08 के 96 कार्य अपूर्ण हैं।

पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ व ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। पंचायत समिति निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में कुल 1086 कार्य अपूर्ण हैं। इनमें से 551 कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

(ग्रामीण विकास मंत्री)

योजना में स्वीकृत हैं, जिनको शीघ्र प्रारम्भ कराया जाकर वर्ष 2008-09 में पूर्ण कर लिया जावेगा तथा शेष 535 कार्य अन्य योजनाओं के हैं, जिनको जून, 2008 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायतों को नि:शुल्क भूखण्ड आबंटन हेतु प्रदत्त अधिकार

531. **श्री जयराम जाटव** (खैरथल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पूर्व में पंचायतों को कितनी राशि के पूर्णता प्रमाण-पत्र देने के अधिकार थे एवं अब इस अधिकार के तहत कितनी राशि तक के पूर्णता प्रमाण पत्र देने के और अधिकार दिये गये हैं?

(2) क्या पंचायतों को बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड देने का अधिकार दिया गया है?

(3) पंचायतों को भूतपर्वू सैनिकों को रियायती दर पर कितने वर्ग गज भूखण्ड देने का अधिकार दिया गया?

(4) क्या पंचायतों को घुमन्तु भेड़ पालकों के लिए भी नि:शुल्क भू-आबंटन के अधिकार दिये गये हैं? यदि हां, तो किस सीमा तक?

उत्तर

(1) पूर्व में ग्राम पंचायतों को रुपये 0.50 लाख तक की राशि के पूर्णता प्रमाण-पत्र के अधिकार थे। वर्तमान में ग्राम पंचायत को रुपये 1.00 लाख तक की राशि के पूर्णता प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है।

(2) जी हां।

(3) पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 159 के अन्तर्गत 500 वर्गगज एवं नियम 158(1A) के अन्तर्गत सीमा की पंचायत समितियों के क्षेत्रों में 150 वर्गगज तक के आबादी भू-खण्ड देने के लिए पंचायतों को अधिकार हैं।

(4) जी हां। घुमन्तु भेड़ पालकों को आबादी में 300 वर्गगज तक नि:शुल्क भूखण्ड आबंटन के अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं।

मगरा डांग विकास कोष में वृद्धि

532. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरीसिंह रावत)

क्या सरकार मगरा डांग विकास के फण्ड को पांच करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 2007-08 में मगरा योजना में 5.00 करोड़ व डांग क्षेत्रीय विकास योजना में 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर दोनों योजनाओं में वर्ष 2008-09 के लिये 7.00-7.00 करोड़ करने की घोषणा बजट भाषण में कर दी गई है।

इसे 10 करोड़ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विश्वविद्यालयों में उपकुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु नीति

533. **श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़** (श्रीगंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किन-किन विश्वविद्यालयों में उप कुलपति के पद कब से व क्यों रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा भविष्य में इन पदों पर समय पर नियुक्ति की कोई नीति बनायी गई?

उत्तर

(1) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में उप कुलपति (कुलपति) का पद निवर्तमान कुलपति प्रो. बी. एल. चौधरी के तीन वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के कारण दिनांक 3 अगस्त, 2007 से रिक्त है। वर्तमान में संभागीय आयुक्त, उदयपुर को विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में निवर्तमान कुलपति प्रो. एम.एल. छीपा के तीन वर्ष के कार्यकाल दिनांक 1.10.2007 को समाप्त होने के कारण उप कुलपति (कुलपति) का पद दिनांक 1.10.2007 को पूर्वान्ह से रिक्त है, वर्तमान में कुलपति पद का अतिरिक्त चार्ज संभागीय आयुक्त, अजमेर के पास दिनांक 1.10.2007 मध्यान्ह पश्चात् से है।

(2) विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति, पद रिक्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही आदि समस्त प्रावधान विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में उपलब्ध है। इन प्रावधानों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा गठित सर्च कमेटी की अनुशंसा पर की जाती है।

भरतपुर संभाग में विश्वविद्यालय की स्थापना

534. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) विश्वविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भरतपुर संभाग में विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वित्तीय संसाधन तथा क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं के आधार पर विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है।

(2) जी नहीं।

जायल विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना

535. **श्री मदन लाल मेघवाल** (जायल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र, जायल (नागौर) में कितने राजकीय व निजी महाविद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जायल में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में एक भी राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। निजी क्षेत्र में एक महाविद्यालय संचालित है। सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई ह।

(2) जी हां। बजट अनुपलब्धता के कारण राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। बजट अनुपलब्धता के कारण विधान सभा क्षेत्र जायल में राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालय निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	जिला
1	वीर तेजा महाविद्यालय, जायल	जायल (नागौर)

समृद्ध कृषि उपज मण्डियों के अध्यक्षों हेतु नवीन वाहन

536. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति के निर्वाचित अध्यक्षों को मण्डी क्षेत्र में विकास कार्यो का जायजा लेने हेतु सरकारी वाहन उपलब्ध है?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा अध्यक्ष हेतु नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु प्रास्ताव सरकार को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन मण्डियों द्वारा?

(3) क्या सरकार आर्थिक रूप से सक्षम मण्डियों के अध्यक्षों को नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिन मण्डी समितियों के पास स्वयं का वाहन है वह वाहन अध्यक्षों को उपलब्ध है। शेष मण्डी समितियों में विभागीय परिपत्र क्रमांक प.15(1) निकृवि/लेखा/विविध/06-07/15437-587 दिनांक 26.07.2006 द्वारा एक माह में अधिकतम 10 दिन के लिए किराये का वाहन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) निम्न मण्डी समितियों से मण्डी समिति कार्यो के लिये वाहन क्रय हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

1. अलवर 2. बीकानेर 3. प्रतापगढ 4. अजमेर (अनाज)

5. जैसलमेर 6. सुमेरपुर 7. जोधपुर-अनाज 8. जोधपुर फ.स.

9. जयपुर-अनाज 10. जयपुर फ.स.

उक्त प्रस्तावों में से मण्डी समिति प्रतापगढ़ के द्वारा मण्डी समिति व अध्यक्ष के लिये नया वाहन क्रय का उल्लेख है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(3) वर्तमान में ऐसी कोई स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति सादुलपुर में कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण

537. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते हुये घायल होने एवं मरने पर सहायता देने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सादुलपुर कृषि उपज मण्डी समिति में कृषक जीवन कल्याण योजना में कितने प्रार्थना-पत्र सहायता हेतु प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रार्थना-पत्रों में कितने प्रार्थना-पत्रों का भुगतान कर दिया, तथा कितने भुगतान हेतु शेष हैं? शेष भुगतान कब तक करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) किसान जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते हुए अंग-भंग होने/मृत्यु होने पर दिये जाने वाली सहायता राशि के मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति सादुलपुर में किसान जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत कुल 503 प्रार्थना पत्र दर्ज हुए हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(3) उक्त में से 401 प्रकरणों में भुगतान किया गया व 102 प्रकरण निरस्त किए गए। भुगतान हेतु कोई प्रकरण शेष नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-257 का विवरण व सूची)

परिशिष्ट 'अ'

प्रदेश में विकलांगों की सहायता/कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित निम्न योजनाऐं/सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं :-

1. संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान :

पात्र नि:शक्तजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रुपये 2000/- तक की आर्थिक सहायता एवं स्वरोजगार हेतु रु. 2000/- तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

2. नि:शक्त व्यक्त्यिों के लिये पेंशन योजना :

नि:शक्तजनों को जो सवयं आजीविका कमाने में अक्षम हैं, उन्हें रुपये 400/- प्रतिमाह की पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसमें आयु सीमा न्यूनतम 8 वर्ष निर्धारित है।

3. पोलियो करैक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजना :

पोलियाग्रस्त विकलांगों के नि:शुल्क पोलियों करैक्शन ऑपरेशन कर शारीरिक रूप से सखम बनाने हेतु सव्यंसेवी संस्थाओं को रुपये 3000/- एवं राजकीय चिकित्सालय को रुपये 2000/- प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

4. विकलांग छात्रवृत्ति :

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र नि:शुल्क छात्र/छात्राओं को शिक्षा में सहायता हेतु कक्षा 1 से उच्चतर अध्ययन हेतु रुपये 40/- से 170/- (अछात्रावासी), कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु रुपये 140/- से 240/- (छात्रावासी) छात्रवृत्ति एवं नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को वाचक भत्ते के रूप में रुपये 100/- से 200/- तक स्वीकृत किये जाते हैं। पात्रता अन्तर्गत आय की सीमा रु. 40,000/- वार्षिक से बढ़ाकर रु. 1,00,000/- वार्षिक कर दी गई हैं। वर्ष 2008-09 से छात्रवृत्ति के रूप में अनुरक्षण के भत्तों की दरों में बढ़ोत्तरी करना प्रस्तावित है।

5. ब्रैल साहित्य/पाठ्य पुस्तकें एवं समाचार पत्र :

विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुमोदित बजट

से अनुदान स्वीकृत कर दृष्टिबाधित व्यक्ति, छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य सामग्री/साहित्य एवं ब्रेल समाचार पत्र उपलब्ध करवाये जाते हैं।

6. विकलांग विवाह, परिचय सम्मेलन :

नि:शक्त युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुख दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 20,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही नि:शक्तजनों के परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाली स्वयंसेवी संस्था को आयोजन व्यय के रूप में रुपये 20,000/- स्वीकृत किये जाते हैं।

7. परिवहन सहायता :

राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में श्रवणबाधित एवं मानसिक विमंदित व्यक्तियों को यात्रा करने पर नि:शुल्क/रियायती किराया सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

8. विकलांगता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना :

प्रतिवर्ष विभाग द्वारा विश्व विकलांग दिवस दिनांक 3 दिसम्बर को विकलांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ता/समाज सेवी, केन्द्र/राज्य सरकार का कर्मचारी, स्वनियोजित नि:शक्त व्यक्ति एवं नि:शक्त व्यक्तियों के श्रेष्ठ नियोक्ता को पुरस्कत करने की योजना है।

इसमें पुरस्कार के रूप में 1000/- रुपये से लेकर 10,000/- रुपये तक की राशि, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाते हैं।

9. "विस्वास योजना" (विकलांगों को स्वरोजगार हेतु सहायता योजना) :

पात्र नि:शक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 50,000/- तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें रुपये 40,000/- ऋण एवं रुपये 10,000/- तक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2008-09 से अनुदान राशि रु. 10,000/- से बढ़ाकर रु. 15,000 करना प्रस्तावित है।

10. 'आस्था योजना' (विकलांगों को सहायता एवं संरक्षण योजना) :

एक से अधिक विकलांगों वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे चयनित (बी.पी.एल.) परिवारों के समान सभी सुविधायें/सहायतायें उपलब्ध करवाई जाती हैं।

11. मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए विशिष्ट शिक्षण संस्थान :

वर्ष 2004-05 से राज्य के 16 जिलों में क्रमशः बारां, डूंगरपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, झालावाड़, बूंदी, नागौर, करौली, राजसमन्द एवं धौलपुर में मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए नि:शुल्क अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थायें शुरू कर दी गई हैं।

12. संभाग मुख्यालयों पर नि:शक्तों के आवासीय विद्यालय :

राज्य के संभाग मुख्यालयों पर एक ही परिसर में मूक बधिर, नेत्रहीन एवं मानसिक विमंदित बालक-बालिकाओं के लिए नि:शक्त आवासीय विद्यालय आरम्भ करने की बजट घोषणा वर्ष 2005-06 की अनुपालना में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर में नि:शक्त आवासीय विद्यालय आरम्भ किये जा चुके हैं।

13. नि:शक्तों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं :

नि:शक्तों में व्याप्त प्रतिभाओं को निखारने तथा शारीरिक बलिष्ठता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य एवं जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है।

14. नि:शक्तों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु प्रशिक्षण देने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किये जाने की योजना संचालित है।

15. नि:शक्त बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता राशि रु. 600/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है। यह योजना श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा 'अशक्त योजना' के नाम से वर्ष 2007 में आरम्भ की गई।

16. मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर :

मानसिक विमंदित महिला एवं बालक/बालिकाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु जयपुर में वर्ष 1983-84 से केन्द्र चलाया जा रहा है जहां नि:शुल्क आवास, वस्त्र, चिकित्सा एवं शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है।

17. नि:शक्तों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र :

विभाग द्वारा जयपुर में क्षेत्रीय शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है। इस केन्द्र में मानसिक विमंदितों हेतु विशेष शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण का दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार

विभाग द्वारा अगर कोई स्वयंसेवी पात्र संस्था इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहती है तो उसे इस हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

18. दृष्टिबाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुदान :

विभाग द्वारा दृष्टिबाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन एल.के.सी. श्री जगदम्बा अन्ध विद्यालय समिति, श्रीगंगानगर में किया जा रहा है। इस केन्द्र पर दृष्टिबाधितों के अध्यापन हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

19. मोबाइल कियोस्क :

जिन विकलांगों के दोनों आंखें, दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं हैं, उन्हें कियोस्क/मोबाइल कियोस्क स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु निःशुल्क आबंटित किये जा रहे हैं।

20. विकलांग पेंशनधारी अगर अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो उसे पेंशन की एवज में एकमुश्त रु. 15000/- उपलब्ध करवायी जाती है ताकि वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।

21. केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत निःशक्तजनों हेतु विशेष विद्यालय, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, एडिप योजना आदि के संचालन हेतु राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान : निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

22. गैर आर्थिक सहायता की योजनायें :

1. निःशक्तों के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को निःशक्त/रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने की योजना है। इस हेतु 1000 वर्ग गज तक की भूमि निःशुल्क दी जाती है। इससे अधिक भूमि देय कीमत की 25 प्रतिशत राशि पर दी जाती है।

2. निःशक्तों को कृषि भूमि पर बिजली कनैकशन में तीन वर्ष की प्राथमिकता दी जाती है।

3. निःशक्तों को सरकारी सेवाओं में नियमानुसार 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है। राज्य में निःशक्तों के लिये वे सभी पद चिन्हित कर दिये गये हैं, जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित हैं।

4. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में निःशक्तों को नियमानुसार रियायत दी जाती है।

5. नि:शक्तों को मेडीकल बोर्ड द्वारा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रत्येक जिला चिकित्सालय पर सप्ताह का एक दिन निश्चित किया गया है।

6. सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं व तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में दिये जाने वाले प्रवेश में नि:शक्तों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट 'ब'

जिला अजमेर के विकलांगों को जारी किये गये आस्था कार्डों का उपखण्डवार विवरण

क्र.सं.	उप खण्ड का नाम	जारी आस्था कार्डों की संख्या
1.	अजमेर	16
2.	ब्यावर	26
3.	किशनगढ़	20
4.	केकड़ी	19
5.	मसूदा	30
6.	नसीराबाद	15
	कुल	**126**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-258 की सूची)

दुर्घटना में मृतकों की सूची एवं घटना दिनांक

क्र. सं.	वर्ष	नाम मृतक	पिता का नाम	निवासी	दिनांक घटना
1	2005	श्री राजेन्द्र	श्री गोपाल सिंह	कांकरोली	14.2.2005
2	2005	श्री फकीर खां	श्री अब्दुल मजीद	रानीखेड़ा	18.5.2005
3	2005	श्री करूणराव	श्री राधेश्याम मराठा	निम्बाहेड़ा	2.8.2005
4	2005	श्री नरेन्द्र सिंह	चैनसिंह	हासोल (म.प्र.)	28.8.2005
5	2005	श्री दयाराम	श्री कंवरचन्द	बांगेडा मामादेव	7.9.2005
6	2005	श्री खेमराज	श्री रामा	बागेडा मामादेव	7.9.2005
7	2005	श्री कंवरलाल	श्री घमण्डीराम	धोकलखेडा (नीमच)	4.12.2005
8	2006	श्री मनीष	श्री दुर्गाशंकर	उदयपुर	4.7.2006
9	2006	श्री गौरव	श्री किशनसिंह	उदयपुर	4.7.2006
10	2006	श्री भंवरलाल	श्री चुन्नीलाल	अरनेड	4.7.2006
11	2006	श्री हरीश	श्रीश्यामलाल	बस्सी	3.9.2006
12	2006	श्री रामकेश	श्री मोहन लाल	ढकनिया	3.9.2006
13	2006	श्री रामलाल	श्री माना रावत	बघेड़िया	11.9.2006
14	2006	श्री शकील मोहम्मद	श्री मोहम्मद हुसैन	सारलिया	24.9.2006
15	2007	सुश्री चतर कुवर	श्री मनोहर सिंह	हरवाड (म.प्र.)	13.1.2007
16	2007	श्री फूलचन्द	श्री दयाराम	रोलाहेड़ा	15.4.2007
17	2007	श्री राकेश	श्री फूलचन्द	रोलाहेड़ा	15.4.2007
18	2007	श्री शंकरलाल	श्री भगवानलाल	गाजरा	13.9.2007
19	2007	श्री राजू	श्री बाबू खां	निम्बाहेड़ा	17.9.2007
20	2007	श्री मोहनलाल	श्री डालू	गोपालपुरा	23.9.2007
21	2007	श्री रमेश	श्री घीसा धाकड़	गोपालपुरा	23.9.2007
22	2007	श्री शरद	श्री यशवन्त	नयागांव (म.प्र.)	6.10.2007

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

1. प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) :

2. प्रदेश में शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में विशविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

3. विभाग द्वारा उपखण्ड मुख्यालय छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ (जनजाति बाहुल्य क्षेत्र) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने तथा विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र तहसील छोटी सादड़ी व तहसील निम्बाहेड़ा के राजकीय मा. विद्यालय उखोंलिया, अरनिया जोशी व कनेरा (बालिका) को उच्च मा. वि. में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।
6. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्बाहेड़ा में विज्ञान, गणित व वाणिज्य विषय खोलने पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के मगरा सेम कनेरा तहसील निम्बाहेडा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

8. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विज्ञान संकाय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विद्यालयों के नाम भूमि का आबंटन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दाताराम गुर्जर)

10. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

11. विधान सभा क्षेत्र मावली में सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूलों में फर्नीचर का अभाव एवं हायर सैकण्डरी स्कूलों में केवल आर्टस विषय न होकर एक संकाय और खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

12. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम कसेरू पबाना, नाहरसिंघानी, टोडपुरा, बलरिया, तुर्काणी एवं देवगांव में नवीन सैकण्डरी स्कूल खोलने, नगरपालिका नवलगढ़ में एक बालिका उच्च माध्यमिक एवं लड़कों का माध्यमिक विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

13. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के विद्यालयों एवं महाविद्यालय में प्रस्तावित विषयों को खोलने की स्वीकृति एवं रिक्त पदों की सम्पूर्ण पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

14. विभाग द्वारा अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

15. राज्य के सुरक्षित भण्डार गृहों में रखी प्राचीन सामग्री निकालकर संग्रहालयों में सुसज्जित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. बीकानेर विश्वविद्यालय के भवन में अभाव तथा इस हेतु सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा विश्वविद्यालय की ब्लाक ग्रांट अत्यन्त कम होने तथा उक्त विश्वविद्यालय के साथ राजकीय डूंगर महाविद्यालय एवं महारानी सुदर्शना महाविद्यालय, बीकानेर को संघटक महाविद्यालय नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

17. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं साक्षरता का प्रतिशत कम होने तथा सर्व शिक्षा अभियान में पिछले 3-4 वर्षो से एजेन्सी के मार्फत पूर्व लोक जुम्बिश परियोजना में कार्यरत 82 कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी अन्य के साथ नियमित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. बीकानेर इंजीनियरिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु एवं स्थापन व्यय हेतु प्रतिवर्ष पर्याप्त अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा पैराटीचर्स को नियमित अध्यापक नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

20. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांकली, नेतरा, पावा, ढोला व बालिका कोसेलाव को उच्च प्राथमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, सुमेरपुर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राज. उ. प्रा. विद्यालय (संस्कृत) दयालपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. सुमेरपुर में महिला महा़विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

25. समाज में घटते अनुशासन को देखते हुए युवा वर्ग को अनिवार्य रूप से एनसीसी की ट्रेनिंग शालाओं में ही प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

27. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के द्वारा शहर से अप-डाउन करने से समय पर शाला में नहीं पहुंचने को ध्यान में रखकर प्रात: 9.00 बजे से पूर्व स्कूल आरम्भ नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों की योग्यता जानने हेतु उनकी भी परीक्षा लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

30. विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.मा.वि. दयालपुरा शंखवाली व कवराड़ा में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.उ.मा.वि. आहोर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.मा. विद्यालय बाला के जर्जर कमरों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र आहोर के रा.उ.मा. विद्यालय गुडा-बालोतान में विज्ञान संकाय विषय शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

34. विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को न भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

35. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सीकर में ग्राम कुंडली की स्कूल क्रमोन्नत करने एवं महिला विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

36. विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की राशि का दुरुपयोग रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ते छात्र-शिक्षक अवसाद से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

38. विभाग द्वारा राज. उ.मा. विद्यालय हिन्डोली में विज्ञान विषय खोलने एवं भारत सरकार की नीति अनुरूप हिण्डौली-नैनवां की प्रत्येक पंचायत पर रा.मा. विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा हिण्डौली (बूंदी) में महाविद्यालय खोलने एवं आई.टी.आई. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

40. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के पुराने जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में बालिका शिक्षा के क्रमोन्नयन हेतु रा.बा.उ.मा. विद्यालय, राजमहल में अंग्रेजी माध्यम, गृह-विज्ञान संकाय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों के लिये भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

43. विभाग द्वारा टोडाभीम में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

44. विभाग द्वारा खानपुर में सरकारी महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

45. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में व्याख्याता, प्रथम ग्रेड, द्वितीय ग्रेड व तृतीय ग्रेड के अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार के सभी उ.मा. विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र गंगरार की सभी उ.मा. विद्यालय एवं मा. विद्यालय में भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

48. राजस्थान में अनिवार्य शिक्षा लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

49. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र देसूरी में बिजोवा में कृषि विज्ञान, रानी, खौड़ व नाडोल में जीव विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) :

50. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

51. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के सभी राजकीय विद्यालयों में मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोइघरों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत विद्यालयों में भवन निर्माण की शेष राशि दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की रा.बा.उ.मा. विद्यालय में विज्ञान व गृह विज्ञान संकाय रा.उ.मा. विद्यालय बडडू में कामर्स संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये

55. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में स्थित किनसरिया माताजी, त्रिमूर्ति बालाजी बडडू व रानाबाईजी का मन्दिर हरनावां को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चयनित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) :

56. विभाग द्वारा चक-खाचरियाबास (सीकर) में बालिकाओं के लिये शास्त्री कालेल खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. राज्य में सांस्कृतिक शिक्षा में गत पांच साल से रिक्त पदों पर भर्ती न होने पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

58. राज्य में संस्कृत शिक्षा के शिक्षक पदों पर भर्ती के अवरोध को समाप्त कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

59. आर.एल. सहरिया महाविद्यालय में कला संकाय में पी.जी. करने एवं सामोद व बांसा की उच्च मा. विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

60. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थान भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

61. कोटडा एवं गोगुन्दा में रिक्त पड़े, शिक्षकों के पद नहीं भरे जाने से बच्चों की शिक्षा में भारी गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

62. विभाग द्वारा अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

63. राजस्थान के विद्यालयों में बच्चों के अनुपात के अनुरूप अध्यापकों का समानीकरण करने पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पिछले दो वर्षों में खोले गये रा.उ.प्रा. विद्यालयों का पता गलत अंकित होने से विद्यालय प्रारम्भ नहीं होने से के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

65. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई के सनातन धर्म संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय को राज्याधीन करने व कर्मचारियों का बकाया वेतन चुकाने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई शहर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई शहर में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

68. विधान सभा क्षेत्र दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्राम इटाखोई, बागरियों की ढाणी, केरिया, गेनिया, रेटी एवं बागरियों की ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री बाबूलाल नागर)

70. विभाग द्वारा पंचायत समिति दूदू के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व सैकण्डरी शिक्षा के समस्त रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षे दूदू के राज. बालिका माध्यमिक विद्यालय मौजमाबाद में फैल रही अव्यवस्था को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

73. स्ववित्त पोषित कालेज रावतभाटा एवं बेगूं का सरकारीकरण करने पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अध्यापकों के रिक्त पद भरने पर चर्चा के लिये।

75. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतभाटा में विज्ञान विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के गांवों, मजरों एवं ढाणियों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

78. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के स्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों की पूर्ति करने एवं स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

79. विधान सभा क्षेत्र सराडा के विद्यालय को क्रमोन्नत करने में बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

80. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं विद्यालयों में नये विषयों को खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

81. राज. मा. विद्यालय, भीम में विज्ञान संकाय खोलने, कालेज व्याख्याता एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों को तत्काल स्थाई रूप से भरने एवं सभी प्रा. विद्यालयों एवं उच्च मा. विद्यालय में व्याख्याताओं एवं अन्य शिक्षकों के पद भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

82. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के उपखण्ड सीमलवाड़ा में महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

83. प्रदेश में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

84. विभाग द्वारा संस्कृत स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. विभाग द्वारा स्टेट/सबओर्डिनेंट संस्कृत सर्विस के संशोधित नियमों को विज्ञापित कराने पर चर्चा के लिये।

86. विभाग द्वारा स्कूलों में पर्याप्त पानी, शौचालय एवं पेशाब घर बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. स्कूलों में छात्र/छात्राओं हेतु बैठने के लिये कुर्सी व टेबल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. राज्य में स्कूलों में पर्याप्त अध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

89. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, गृह विज्ञान, गणित विषय खोलने एवं कस्बा टिब्बी में एवं कस्बा रावतसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

90. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पं.स. सलूम्बर एस.डी.आई. एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गौतम लाल मीणा (लसाड़िया) :

91. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में पंचायत समिति धरियावद एवं सलूम्बर में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

92. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र धोद में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं करने से शिक्षण व्यवस्था ठप्प होने एवं 03 स्कूलों की तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. परसरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर के प्रबन्धकों द्वारा अनियमितताओं के खिलाफ शिक्षक एवं छात्र द्वारा पिछले 135 दिनों से प्रशासक लगाकर जांच कराने की मांग को लेकर कर रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कृषि संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राज्य में शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

96. विभाग द्वारा शिक्षकों का समानीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

97. विभाग द्वारा चक-खाचरियाबास (सीकर) में बालिकाओं के लिये संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

98. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय बायतु में राज. उच्च मा. विद्यालय (बालिका) एवं बायतु में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के राज. उच्च मा. विद्यालय बाटाडू में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के राज. उच्च मा. विद्यालय विशाला में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाडमेर के राज. मा. विद्यालय भीमड़ा को राज. उच्च मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में राज. मा. विद्यालय बायतु भीमजी को राज. उच्च मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) :

103. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

104. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास के उपखण्ड मुख्यालय बौंली एवं बामनवास में महाविद्यालय की स्थापना पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम सुकार के संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय की क्रमोन्नति पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

106. विभाग द्वारा ग्राम किथर तहसील व जिला अलवर में राज. उच्च मा. विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विभाग द्वारा ग्राम नांगल सालिया तह. कोटकासिम जिला अलवर में राज. उच्च मा. विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा कस्बा खैरथल जिला अलवर में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

109. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से खेल सुविधाओं का विस्तार एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय स्तर के महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्राम आकोजा में हाथों से की जाने वाली कपड़ों की छपाई की बेहतरी कला को मानक-हस्तकला घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

114. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विभाग द्वारा ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में लिपिकों के पद बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

117. विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की मृत्यु पर आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

118. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने, स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति एवं अल्प भाषाई (उर्दू) शिक्षकों की नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विभाग द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये डी.पी.सी. बैठाकर पदोन्नति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. पुष्कर में कला एवं संस्कृति के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति व कला केन्द्र की स्थापना की जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

121. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) :

122. विभाग द्वारा बारां जिले में कला एवं कलाकारों की पहचान हेतु प्रत्येक गांव में विशेष सर्वे करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विभाग द्वारा बारां जिले के कोटा एवं झालरापाटन संग्रहालय में स्थानान्तरित पुरा सम्पदाओं एवं वस्तुओं की पुन: वापसी के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री प्रमोद जैन)

124. विभाग द्वारा बारां मुख्यालय पर संग्रहालय की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सीबीएसई पैटर्न का सीनियर विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विभाग द्वारा अध्यापकों के रिक्त पदों पर शिक्षा मित्र योजना के आदेश सत्र प्रारम्भ से सत्र समाप्ति तक के लिये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

127. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर के माध्यमिक विद्यालय जडवाड़ा, मैंथना, सौंखरी, सीनियर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

128. बूंदी जिले में पाये जाने वाले ऐतिहासिक सैल चित्र, औजार, पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं तथा विभिन्न इतिहासकालीन धरोहरों के संरक्षण हेतु बूंदी जिला मुख्यालय पर संग्रहालय (म्यूजियम) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में आने वाले ग्राम रजवास, कालानला, नीमखेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्ती की जाने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों का बैकलाग भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विभाग द्वारा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर भर्ती की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां में प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, (झेडी) सामरबा (भैरूंपुरा ओसा), केदारा की झोपडियां (आंतरदा) जिला बूंदी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

133. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया में राज. महाविद्यालय, कोटड़ा

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

में रिक्त पदों के भरने एवं रिक्त पड़े प्रोफेसर के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया में उच्च शिक्षा महाविद्यालय में पद स्वीकृत करने, लेखाकार व कनिष्ठ लिपिक राज. महाविद्यालय कोटड़ा में स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) :

135. विभाग द्वारा भरतपुर में विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विभाग द्वारा नदबई में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

137. विभाग द्वारा अजमेर के शैक्षणिक स्तर को मध्येनजर रखते हुए एक विश्वविद्यालय अजमेर में और खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. अजमेर की राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विभाग द्वारा उत्तर भारत के प्रथम राजकीय महिला अभियांत्रिकी कॉलेज के भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. अजमेर में स्थित शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग के भवन व अन्य संसाधनों हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विभाग द्वारा अजमेर स्थित तोपदड़ा शिक्षा परिसर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संकुल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

142. विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अजमेर से कोटा विश्वविद्यालय में आने वाले कार्मिकों के संबंध में शीघ्र निर्णय करने एवं अन्य विभागों/विश्वविद्यालयों के कार्मिक को इस विश्वविद्यालय में समायोजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हेमराज मीणा)

143. कोटा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन हेतु राशि उपलब्ध कराने एवं एकेडेमिक भवन हेतु राशि उपलब्ध करने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विभाग द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से लगभग एक सौ आठ संबद्ध महाविद्यालयों के अनुसार प्रशासनिक कार्यों के लिये पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. विभाग द्वारा कोटा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के लिये आवश्यक पदों के सृजन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

146. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिडावा में निम्न विद्यालयों यथा रा.मा.वि. सांगरिया, रा.मा.वि. ओसाव, रा.मा.वि. पीपलिया, रा.मा.वि. झालावाड़ रोड को उ.मा.वि. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

147. राज्य में शादी-ब्याह व विभिन्न समारोह में डी.जे. साउण्ड के बढ़ते चलन से राजस्थानी लोक संस्कृति के पोषकों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विभाग द्वारा भादरा में सरकारी महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नाम शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी तथा बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम महाराज गंगासिंह जी के नाम से करने पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

151. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में अध्यापकों के रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

152. विभाग द्वारा रा.सी.उ.मा. विद्यालय, सीमलवाड़ा में गणित संकाय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री सुशील कटारा)

153. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में रा.बा.उ.प्रा. विद्यालय पीठ, धम्बोला, चिखली एवं कुंआ को उ.प्रा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में निम्न मा. विद्यालय बेडसा, इूंका, सरथुना, दरियाटी एवं कोडामली को उच्च मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

155. विधान सभा क्षेत्र खैलवाड़ा में मा. वि. व उच्च मा. विद्यालय में रिक्त पदों को भरने एवं मा. विद्यालय व उच्च मा. विद्यालय में कक्षा-कक्ष व परकोटे निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में प्रा. वि. व उच्च प्रा. विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

157. विभाग द्वारा रा. उच्च मा. विद्यालय पुर (भीलवाड़ा) में जीव विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विभाग द्वारा सेठ मुरलीधर मानसिंह राज. कन्या उच्च मा. विद्यालय भीलवाड़ा में गृह विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

159. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सुमेर राजकीय संग्रहालय के विकास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

160. विभाग द्वारा जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विभाग द्वारा रा. उच्च. मा. विद्यालय पारोली (भीलवाड़ा) में वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बालिका उच्च प्रा. विद्यालय अमरवासी, रोपां एवं पारोली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवजीराम मीणा)

163. विभाग द्वारा रा.बा. उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाजपुर में विज्ञान संकाय एवं अतिरिक्त विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विभाग द्वारा नगरपालिका जहाजपुर के स्वायत राजस्व ग्राम विन्ध्याभाटा के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) :

165. विभाग द्वारा झुंझुनूं जिले में विद्यालय के क्रमोन्नति हेतु भेदभाव करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) :

166. जिला सवाई माधोपुर में शिक्षा विभाग में मिड-डे-मील (पोषाहार दोपहर के भोजन) में हो रही भारी अनियमितताओं के संबंध में एवं खण्डार क्षेत्र के ग्राम घुड़ासी (भगतजी टापरा) एवं शयोदान पुत्र बन्नेरिया मीणा ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. सवाई माधोपुर एवं खण्डार क्षेत्र में नवीन क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरे जाने एवं शैक्षणिक भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. सर्व शिक्षा अभियान, डी.पी.ई.पी. योजना मद से राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय भवनों के निर्माण के पश्चात इन विद्यालय परिसरों में बाउण्ड्रीयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम पंचायत मुख्यालय मुई, डेकवा, गम्भीरा जींला आदलवाड़ा कलां, बिणजारी, बलरिया झौंपडा, झोंपडा टापुर एवं कहीपुरा में माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विभाग द्वारा खण्डार क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय कुरेडी सिंगोर, रोड़ावद, मेईकलां, खाडेवाला एवं बाली, खाजना डूंगर गझावर, रामपुरा, चितारा (खानपुर) एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय दूमोदा एवं फलोदी, अनियात्मा

(श्री अशोक बैरवा)

कोतरा खिजूरी में नवीन माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

171. खानपुर ब्लाक में पोहुखेड़ी ग्राम पंचायत बेसार प्रा. विद्यालय में अध्यापकों का एस.डी.एम. खानपुर द्वारा जांच करने पर 2 बार लगातार अनुपस्थित पाये जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

172. राजकीय माध्यमिक विद्यालय बागौर तह. नादौती को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

173. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में प्रा. वि. से उच्च प्रा. विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों के अध्यापकों को उसी विद्यालय में रखने तथा एस.टी.सी. शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बस्सी द्वारा शिक्षकों के वेतन से की गई कटौतियां लम्बे समय तक जमा नहीं कराने एवं कार्यालय में अत्यन्त गम्भीर अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

175. राज्य में प्रा. उच्च प्रा. विद्यालय में अध्यापकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विभाग द्वारा अध्यापकों के स्वीकृत पदों के अनुरूप अध्यापक लगाने पर चर्चा के लिये।

177. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कस्बा बस्सी में बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजकीय उच्च मा. विद्यालय में विज्ञान एवं गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सबसे पुराना सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

180. विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त अस्थायी अध्यापकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विभाग द्वारा औद्योगिक नगर भीलवाड़ा में स्टेट-मिडिल बोर्ड स्थापित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

182. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय, करसाना, केवलपुरा, मून्जवा, पानमोड़ी, सरथला, भाटोली, नारायण खेड़ा, खोरिया, पुनावली, भाटोली, बागरियान, नौगावां, पिराना, सरिपीपली, ग्यासपुर चिकलाड़ नकोर, पाल, मेरिया खेड़ी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सांगरिया, कुलमीपुरा, बरड़िया, रठारना, डेलवास, खरदेवला, बोहड़ा (गर्ल्स) नंगावली माध्यमिक विद्यालयों को सी.मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में लक्ष्मीपुरा तह. डूगेला में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत नकोर के ग्राम हामरिया धोबड़, बावड़ी खेड़ा, सादड़ी फला, उमाड़िया में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय बानसी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) :

187. विधान सभा क्षेत्र दौसा में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

188. राज्य में शिक्षा कला एवं संस्कृति की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

189. विभाग द्वारा सर्वे शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों की चारदिवारी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

निर्माण कर खेल के मैदानों पर होने वाले अतिक्रमणों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जालौर में जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

191. जालौर में निर्मित महिला छात्रावास भवन में छात्राओं को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेडता, नागौर) :

192. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के विद्यालयों में कृषि, विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय तथा संस्कृत विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उच्च मा., माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उच्च मा. विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय सैसड़ा में नार्बाद द्वारा स्वीकृत दो कमरे के संबंध में चर्चा के लिये।

196. नागौर जिले में साक्षरता प्रेरक व नोडल प्रेरक के 45 महीने का मानदेय बकाया होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

197. शाहबाद सहरिया क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

198. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में जिला शिक्षा अ. प्रा. के द्वारा नियुक्ति में अनियमितता करने एवं शिक्षा अभियान में शिक्षा सहयोगी के चयन में अनियमितता हेतु चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

199. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

(डा. समरजीत सिंह)

200. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर भेजने से अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

202. राज. सी. उच्च मा.वि. जोजावर/फुलाद/सिरपाटी/खिवाड़ा/बमोल में विज्ञान तथा वाणिज्य विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र खारची में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जोजावर व खिवाड़ा के राज. उच्च प्रा. वि. बालिका को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची के राज. मा. वि. धामली/बांता/ जाड़न के विद्यालयों को सीनियर मा. विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र खारची के समस्त राजकीय विद्यालयों की चार दिवारी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में समस्त राज. विद्यालयों में शिक्षा व खेल का स्तर एवं छात्रों के शारीरिक विकास को सुधारने के लिये शिक्षकों व शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

207. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम विलानेस (पंचायत मुख्यालय) पर राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम सोहनपुरा के राज. उ. प्रा. विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

210. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के राजकीय विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम बुटाटी में जनसहभागिता से कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

212. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बालिका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं तकनीकी महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. डीपीईपी के माध्यम से बनाये जा रहे विद्यालय भवन में अनेक अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

214. रा.उ.मा. बालिका विद्यालय फुलेरा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

215. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विद्यालयों के लिये खेल सुविधा बढ़ाने एवं खेल मैदान विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

216. फुलेरा में महिला महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

217. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पं.स. अराई स्थित राज. उ. मा. विद्यालय में पुन: विज्ञान संकाय तथा उप तहसील मुख्यालय रूपनगढ़ में स्थित रा.उ.मा. विद्यालय में विज्ञान संकाय की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान एवं ड्राइंग/पेंटिग विषयों पर अध्ययन की स्वीकृति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित आईटीआई में सत्र 2008-09 से अतिरिक्त नये विषयों पर अध्ययन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित रा.उ.मा. विद्यालय में कृषि विज्ञान संकाय

(श्री भागीरथ चौधरी)

में छात्रों को अध्ययन की स्वीकृति आगामी शैक्षणिक सत्र 2008-09 से कराने की सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

221. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के यू.पी.एस. विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के अधिकांश विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा एवं जिले में विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

224. सैनिक विद्यालयों की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. राज्य के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक तहसील में खेल विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विभाग द्वारा नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम को कम से कम उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बैराठ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्राएं) विराटनगर एवं राज. उ.मा. विद्यालय (छात्राएं) विराटनगर के जर्जर भवनों के रखरखाव के लिए वितीय स्वीकृति हेतु प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

229. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में विद्यालयों में रिक्त पदों एवं ब्लाक प्रा. शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अति. ब्लॉक प्रा. शिक्षा अधिकारी के तीनों रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

230. विभाग द्वारा सिरोही जिले के विद्यालयों में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

231. राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति व भत्ते बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

232. राज्य में सर्व शिक्षा अभियान में चयनित शिक्षकों को पूरा वेतन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

233. राज्य में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती गत चार वर्ष से न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

234. शिवगंज के राजकीय महाविद्यालय में उप प्राचार्य का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

235. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने व विद्यालयों में रिक्त पद भरने, वरिष्ठ संस्कृत उपाध्याय विद्यालय शेरगढ़ को क्रमोन्नत कर शास्त्री स्तर का करने, बालेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

236. विधान सभा क्षेत्र शिवगंज में सैकण्डरी एवं सीनियर स्कूलों में व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

237. विभाग द्वारा बाड़मेर-जैसलमेर तथा जोधपुर जैसे मररूथली जिलों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

238. भरतपुर संभाग का संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं खोलने, धौलपुर जिला मुख्यालय पर संस्कत कालेज नहीं खोलने, संस्कृत कॉलेजों में यू.जी.सी. वेतन लागू नहीं करने संस्कृत शिक्षा में लम्बे अर्से से डी.पी.सी. नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव बरेह, तसीमो, विरोधा में विज्ञान संकाय खोलने एवं सैपऊ में बाईलोजी, भूगोल की संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम गुर्जर करीमपुर,

(श्री बनवारी लाल)

गोपालपुरा, तसीमा, डल्लाचक्रपुरा कोटरा, छिद्रा की टेक बसईनीम, ढायतसीमा, भैंरोपुरा मोरोली, नगरकापुरा बिशनोंदा, जवाहरकापुरा कोटरा, जागीपुरा कोटरा, जागीरपुरा, कोलारी, मठ बिशनोद, मठ मठ जगरीयापुरा कुम्हेरा, पदईयावस्ती विरोंधा, धामिरी सरानीखेडा, दखलीपुरा नुनहेरा, बसई मुरली सहरोली, टुन्डे का पुरा परौआ धौलपुर शहर में नई विकसित कॉलोनियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विभाग द्वारा धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में एम.ए. में राजनीति शास्त्र एवं हिन्दी विभाग, एम.एस.सी. में गणित बी.ए. में संस्कृत एवं लोक प्रशासन विषय खोलने तथा वादन स्टेण्ड, कैन्टीन, फर्नीचर, बाथरूम आदि संसाधनों का प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम भीकापुरा मौरौली, गुन्नाकापुरा, बिशनैंदा, सरकनखेडा, निधेरकलां, पटेनरी, केमारा, दीवानकापुरा, भगतकानंगला, भुपपुरा, डावरीपुरा, कोटारा, अजयपुरा, बड़ापपुरा, मोरौली नरपुरा, दलेलपुरा, पूठपुरा (सरानी खेड़ा) पूषपूरा, नबपुरा (सरनिखेड़ा) भराखेड़ा, निसोहरेकापुरा, घुघरई, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

243. राजगढ़ (चूरू) तहसील के गांव लूदी के संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

244. विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

245. राजगढ़ (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. राजगढ़ (चूरू) तहसील की मजरे एवं ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. राजगढ़ (चूरू) तहसील के प्राथमिक शाला बागड़वा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

248. विभाग द्वारा राज्य के सभी संस्कृत महाविद्यालयों में ज्योतिष विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

249. विभाग द्वारा सीकर जिले के पचार ग्राम में स्थित राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में रिक्त पद भरने, विज्ञान संकाय खोलने व खेल मैदान के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

250. राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, बीकानेर के अध्यक्ष पद के रिक्त होने तथा अकादमी की पुरस्कार, पांडुलिपियों का प्रकाशन सहायता, सम्मान एवं कार्यक्रम आयोजित करने की गतिविधियों बाधित होने, बजट का व्यय नहीं हो पाने पर चर्चा के लिये।

251. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बा लूणकरणसर, नापासर एवं खाजूवाला में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

252. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सभी प्रा. तथा उच्च प्रा. विद्यालयों में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात की अनुपालना में शिक्षकों के रिक्त पद भरने, सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद भरने तथा कृषि विषय अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

253. माध्यमिक शिक्षा आयुक्त, बीकानेर के जुलाई 2006 से रिक्त पद को भरने तथा प्रारम्भिक एवं मा. शिक्षा आयुक्त के कार्यालय बीकानेर में प्रतिमाह निश्चित दिनों का ठहराव सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जेजरासर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने, ग्राम डूडीवाली स्थित प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामसर, मूंडसर, नौरंगईसर, गुसाईंसर, तेजरासर को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

255. सर्व शिक्षा अभियान में संविदा में एजेन्सी के मार्फत पूर्व लोक जुम्बिश परियोजना में कार्यरत 82 जूनियर इंजीनियरों को नियमित नहीं करने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

256. विभाग द्वारा जयपुर में प्रायोगिक तौर पर राजकीय विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों का चयन कर आदर्श विद्यालय बनाये जाने एवं इन विद्यालयों में खेलकूद की विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. जयपुर में आई.आई.टी. एवं प्रबन्ध संस्थान खोले जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के लिये घोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय जयपुर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. राज्य अभिलेखागार जयपुर में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी अध्ययन की विशेष व्यवस्था एवं जयपुर में अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय प्रारम्भ किये जाने एवं राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को प्रवेश लिये तीन माह से अधिक पुराने जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदेश में वरीयता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. विभाग द्वारा जयपुर के चौगान स्टेडियम एवं अन्य सार्वजनिक उद्यानों आदि में खेलों को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये खेलकूद सामग्री एवं प्रशिक्षकों की व्यवस्था किये जाने एवं योग प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) :

261. विभाग द्वारा जोधपुर संभाग के लोक कलाकारों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में ठोस नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पूर्व में क्रमोन्नत सीनियर विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने एवं उसके अनुरूप प्राध्यापकों के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सीनियर सैकण्डरी विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में मेगा हाइवे के सेतरावा गांव में वीर शिरोमणि राव वीरमदेव द्वारा निर्मित कराये गये सेतरावा किले को पुरातत्व या पर्यटक विभाग में लेकर जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नलवखा (निम्बाहेड़ा) :

2. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी स्थित भंवर माता दर्शनीय स्थल के सौन्दर्यकरण, विकास एवं पर्यटन विकास की सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के दर्शनीय स्थल अम्बामाता, झूणजी बालजी, कनेरा घाट का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यकरण पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

4. प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विकास के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

5. भरतपुर के केवलादेव पक्षी विहार में पानी के अभाव में पक्षी नहीं आने को ध्यान में रखकर विकल्प के रूप में कोटा जिले में रायपुरा, उम्मेदगंज तालाब के सहारे पक्षी विहार को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. विभाग द्वारा प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन की संभावना को देखते हुये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. हाडोती संभाग में पर्यटन स्थलों का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. कोटा व बारां जिले में वन्यजीव पर्यटन विकसित करने एवं गोडावड

(श्री भरत सिंह)

अभ्यारण्य में पर्यटकों हेतु मूलभूत सुविधा का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

9. प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास एवं विस्तार के साथ ही झुंझुनूं के पर्यटन स्थल लोहार्गल के लिये विशेष बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) :

10. जिला मुख्यालय राजसमंद पर पर्यटन कार्यालय खोलने एवं नौचौकी पाल एवं ऐतिहासिक राजसमंद झील का विकास एवं रिंग रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

11. जिला अलवर के पर्यटन स्थलों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

12. डेजर्ट काम्पलेक्स, सेन्ट्रल काम्पलेक्स एवं मेवाड काम्पलेक्स के कार्यों को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

13. जिला पाली में जवाई बांध, हेमावास बांध व सालासर महादेव तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

14. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के भरकादेवी एवं चारणमाता को पर्यटन स्थल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

15. विभाग द्वारा हाड़ोती संभाग के पर्यटन विकास हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के गुढाबान्ध, हिण्डौली की पाल, रामेश्वर नला, द्वगारी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

17. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कोरटा तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

18. प्रदेश की प्राचीन धरोहरों एवं नगर द्वारों का पर्यटन की दृष्टि से जीर्णोद्धार संरक्षण व पुनर्निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जोधपुर शहर के राजरणछोड जी मंदिर एवं अन्य कलात्मक मंदिरों का पर्यटन दृष्टि से जीर्णोद्धार एवं विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश के प्राचीन कलात्मक कुओं-बावड़ियों का पर्यटन दृष्टि से जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

21. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के गछमोरा को पर्यटन स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

22. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में शेलीगढ़ी व बहाणीमाता का सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

23. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली को प्राथमिकता प्रदान करने हुये विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

24. विभाग द्वारा लैला मजनूं मजार बिन्जौर को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

25. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के नरायना, छापरवाड़ा, भैराणा सोलेश्वर महादेव को पर्यटक स्थान घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

26. विभाग द्वारा जिला कोटा के राणा प्रताप सागर के बीच टापू पर

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

विकास कार्य कर पर्यटकों को आकर्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल मेनाल एवं बाडोलिया टेम्पल को आकर्षक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

28. विभाग द्वारा मेवाड़ काम्पलेक्स के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा टिवेंट एवं छापली में कराये जाने वाले कार्यों में शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति एवं महाराणा प्रताप अकबर युद्ध स्थली के अन्य जगहों को भी मेवाड़ काम्पलेक्स में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

29. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में मात्री कूण्डिया पर्यटन स्थल के विकास कार्य शीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

30. विभाग द्वारा तहसील पीलीबंगा के अन्तर्गत आने वाले पर्यटन स्थल कालीबंगा को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

31. विधान सभा क्षेत्र निवाई में ऐतिहासिक इमारतों एवं पर्यटन महत्व के स्थलों के संरक्षण एवं उनकी पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

32. विभाग द्वारा हाड़ौती पर्यटन सर्किट में आबंटित बजट का उपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

33. विभाग द्वारा प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

34. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले के रंगमहल, काली सागर एवं भटनेर दुर्ग को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

35. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हाड़ी रानी महल में हाडी रानी की स्टेच्चू लगाने एवं सलूम्बर को मेवाड़ काम्पलेक्स में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

36. विभाग द्वारा राज्य में पर्यटकों के साथ लूट एवं दुर्व्यवहार को रोकने हेतु विशेष प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. जिला सीकर के हर्ष पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

38. जिला अलवर स्थित पाडूपोल के प्राचीन पर्यटन स्थल को सड़क से जोड़ने एवं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम जाहर खेडा एवं नाहरपीर के प्राचीन स्थल का जीर्णोद्धार करने पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

40. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मण्डफीया (सावरियां) झौताना माता (कपासन) ऋषिमगरी (चित्तौड़गढ़) साण्डेश्वर महादेव, शनि महाराज (कपासन) को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) :

41. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के हल्देश्वर (सिवाना) एवं गोयणा (सिणधरी) को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

42. विभाग द्वारा अजमेर स्थित तारागढ़ का समग्र विकास के अन्तर्गत सड़कों को दुरस्त करने एवं भारत की गंगा जमनी संस्कृति का म्यूजियम या प्रदर्शनी लगाकर पर्यटकों के लिये सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा पुष्कर-अजमेर के पर्यटन स्थलों का विकास किया जाकर पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन पुलिस की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

44. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर एवं अजमेर शहर स्थित दरगाह को सम्मिलित करते हुये धार्मिक पर्यटन स्थलों को एक सर्किट बनाकर विभाग द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

45. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के टाडगढ, रावली, नीलकण्ठ महादेव व दया शंकर महादेव का पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) :

46. बारां शहर के डोल मेला तालाब का सौन्दर्यकरण व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

47. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां के ऐतिहासिक रमणीक एवं पुरा महत्व के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा बून्दी जिले के पर्यटन स्थल, खेल का महादेव, गुलखेड़ी, रामदर महादेव जावरा की झौंपड़िया, कनक सागर दुगारी के विकास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा ब्रह्मापीर (बरेल) माता रायथल के पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुये उसे सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र नैनवां के श्रृंग ऋषि महादेव नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बह रही नदी पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्र बूंदी के क्रमोन्नयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

52. विभाग द्वारा विश्व प्रसिद्ध गोरख हीला व गोगाजी मंदिर परिसर क्षेत्र के समुचित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

53. जैसलमेर क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला मुख्यालय पर सस्ती दर पर होटल निर्माण हेतु भूमि आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

54. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में दाद धाम पर कडाणा बेक वाटर की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

55. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की ग्राम पंचायत ऋषभदेव में सृजित सहायक आयुक्त देवस्थान के खर्च मंदिर के मद से किये जाने के बावजूद भी अधिकारी द्वारा डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के कार्यों को देखे जाने एवं मंदिर क्षेत्र में पर्यटकों की आवक को दृष्टिगत रखते हुये सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) :

56. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के शाहपुरा क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने, अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय की मुख्य पीठ धनोय माता शक्ति पीठ एवं धानेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

57. प्रदेश में पर्यटन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

58. प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) :

59. विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में पर्यटन से जुड़े रणथम्भोर सेंचुरी, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य एचं चम्बल घड़ियाल पार्क में बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार दिलाये जाने हेतु कार्य योजना बनाकर एवं इनको ट्यूरिज्म, ग्रामीण होटल एवं हस्तशिल्प कला एवं बाजार स्थापित कराकर लाभ दिलाये जाने एवं रोजगार के अवसर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक बैरवा)

60. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खण्डार के चम्बल घड़ियाल पार्क को पर्यटन की दृष्टि से वृहत कार्य योजना बनाकर विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु धार्मिक पर्यटन स्थल शिवाड (धुश्मेश्वर महादेव) झोझेश्वर महादेव, लहसोडा एवं कमलेश्वर महादेव जी (कवालजी) चौथ माता मंदिर चौथ का बरवाड़ा एवं शिवकुण्ड भगवतगढ एवं त्रिनेत्र गणेशजी मंदिर का एक सर्किट बनाकर पर्यटन विकास कार्य कराये जाने एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में पर्यटन विकास की दृष्टि से कार्य योजना बनाकर उसमें खण्डार क्षेत्र को शामिल करने एवं खण्डार किला पर्यटकों के लिये खोलने एवं मानसरोवर बांध में पेडल बोटिंग की व्यवस्था करने एवं चम्बल पाली घाट से रामेश्वर छोर तक स्टीमर बोटिंग योजना शामिल कर पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विभाग द्वारा सवाई माधोपुर के रणथम्भौर सेंचुरी से जुड़े ग्रामों के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं विशेष पैकेज के माध्यम से बिजली, पानी एवं अन्य विकास कार्यों को कराये जाने की आवश्यकता व पर्यटन विकास की दृष्टि से सेंचुरी का गेट खण्डार एवं बोदल से खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. **कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) :

64. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम खो-नागौरियान में जैन मंदिर, गणेश मंदिर, आसाबरी माता व चांदा मीणा के महलों को पर्यटन स्थल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में नईनाथ स्थान बांसखोह को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा मिड-वे बहरोड का निजीकरण किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बडी सादड़ी) :

67. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सीतामाता वन्य अभ्यारण्य को

(श्री प्रकाश चौधरी)

टाइगर प्रोजेक्ट या नेशनल पार्क घोषित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

68. विभाग द्वारा रामगढ़ शेखावाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) :

69. विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

70. विभाग द्वारा जालौर में 'जालौर उत्सव' प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा जालौर जिले को पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से लाने के लिये समग्र विकास एवं समन्वित प्रयास करने एवं सहायक निदेशक का पद जालौर में सृजित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :

72. विभाग द्वारा मेडता में मीरा की 500वीं जयन्ती पर पंचशती समारोह के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के जसनगर के पास लूनी नदी में आये दिन खुदाई में मिलने वाले प्राचीन अवशेष को सुरक्षित रखने की योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा नागौर जिले के पशु मेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. मेड़ता क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा राव दूदागढ़, मालदेव कोट, मीरा महल, शिव मंदिर जसनगर व अन्य प्राचीन पर्यटन स्थलों का विकास कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विभाग द्वारा मेड़ता क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

77. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के पर्यटक स्थलों यथा-

(श्री हेमराज मीणा)

तपस्वी जी की बगीची, शाहबाद फोर्ट, कूडा खो एवं जामा मस्जिद को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

78. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायपुर के भरेश्वर महादेव, नीलकण्ठ महादेव एवं विराटीया खुर्द के रामदेव मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

79. विभाग द्वारा जालौर जिले के जसवंतपुरा और सुधा माता क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

80. विधान सभा क्षेत्र खारची में मारवाड़-उदयपुर रेल मार्ग पर गोरमघाट स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व पर्यटन विभाग द्वारा रेल कार चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में नाडोल को पर्यटन स्थल घोषित कर पुरा सम्पदा की खोज कराने व उसके विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राबली टाडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जोजावर के भील बेरी को पर्यटन स्थल घोषित कराकर उसको विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

83. जयपुर में बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार सुविधा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा पर्यटकों के साथ हो रही लूटपाट, छेड़खानी, हत्या आदि को रोकने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विभाग द्वारा सांभर स्थित शाकम्भरी माता मंदिर को पर्यटक मानचित्र से जोड़ कर परिवहन की व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विभाग द्वारा सांभर स्थित देवयानी सरोवर को विकसित करने हेतु बनाई गई योजना की क्रियान्विति करने पर चर्चा के लिये।

(श्री नवरतन राजोरिया)

87. विभाग द्वारा विश्व प्रसिद्ध सांभर नमक झील को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

88. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित 'पीताम्बर की गाल' प्राचीन धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा लोक देवता-वीर तेजाजी महाराज निर्वाण स्थली सुरसुरा को धार्मिक स्थल घोषित कर जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विभाग द्वारा किशनगढ़ (अजमेर) स्थित 'मौखम विलास' प्राचीन रमणीक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

91. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के अरथूना कस्बे को पर्यटन सुविधाओं से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले की शहीद भूमि मानगढ़ धाम को पर्यटन की सुविधाओं से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के श्लाकरेश्वर महादेव आनन्दपुरी को पर्यटन की मूल सुविधाओं से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के अनेक पर्यटन स्थानों को चिन्हित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

95. विभाग द्वारा सिरोही जिले में नया पर्यटन सर्किट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. जयपुर शहर के आमेर में संरक्षित सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के माउंट आबू पर्यटक स्थल में विदेशी

(श्री संयम लोढ़ा)

पर्यटकों व देशी पर्यटकों की सुरक्षा करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

98. आमेर विकास प्राधिकरण संस्था द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा राजस्थान दिवस पर धन के अपव्यय को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

100. विधान सभा क्षेत्र शिव के सूर्य मंदिर देवका (शिव) कोटड़ा शिव, किराड़ू (रामसर) जिला बाड़मेर तथा बिसुका माता मंदिर (शिव) को पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

101. धौलपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये चम्बल नदी के किनारे पर सौन्दर्यकरण, नदी में बिहार हेतु मोटर नौकायन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. धौलपुर स्थित शेरगढ़ किले पर लाइटिंग पार्क बनाने एवं म्युजिकल ऐतिहासिक गाथा विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. धौलपुर जिले के प्राचीनतम एवं धार्मिक स्थल, चौपड़ा शिव मंदिर शेरगढ़ किला सेपरू महादेव पुरानी हवेली स्थित रामचन्द्रजी एवं हनुमान मंदिर तालाब शाही, बाबू महाराज, सात क्यारी एवं अन्य स्थानों को विकसित करने तथा पर्यटकों को आने-जाने हेतु पैकेज ट्यूर बस सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विभाग द्वारा धौलपुर में अन्य शहरों की भांति पर्यटकों के आकर्षण के लिये पर्यटक मेला एवं अन्य क्षेत्रीय महोत्सव कार्यक्रम मनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विभाग द्वारा धौलपुर में मचकुंड तीर्थ स्थल में पुष्कर की भांति सौन्दर्यकरण लाइटिंग, नौका बिहार तथा कुण्ड में पानी की भराई एवं सफाई चैनल विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

106. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम ददरेबा तहसील राजगढ़ (चूरू) के गंगा मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित कर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

107. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मेला स्थल खिमेरा का विकास करने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज अवाप्त ग्राम मनेरा स्थित नाथूदादा मंदिर को अवाप्ति क्षेत्र से बाहर करने तथा उक्त मेला स्थल को विकसित करने पर चर्चा के लिये।

108. विभाग द्वारा बीकानेर स्थित पर्यटक स्थल लाडेरा (ऊंट उत्सव स्थल) का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. जिला बीकानेर के कतरियासर, कालू, गंगाईनाथ (जाजूसर) स्थित मेला स्थलों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. जिला बीकानेर में विदेशी/ भारतीय पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध करवाने, पर्यटक स्थल देशनोक, गजनेर, जूनागढ़, लाडेरा का विकास करने, पर्यटकों को निर्बाध एवं सुगम आवागमन के साधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

111. विभाग द्वारा जयपुर में विभिन्न विदेशी भाषाओं के गाईड उपलब्ध न होने एवं अधिकृत गाईड उपलब्ध न होने से पर्यटकों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये भवष्यि में विभाग द्वारा प्रशिक्षित गाईड उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विभाग द्वारा जयपुर में जलमहल के सामने पर्यटकों के लिये विशेष सुविधा की व्यवस्था किये जाने एवं पार्किंग के लिये स्थान निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. जयपुर में चौड़ा रास्ता स्थित निजी म्यूजियम श्री संजय शर्मा संग्रहालय एवं शोध संस्थान में संग्रहित दुर्लभ सामग्रियों के आधार पर इसे जयपुर के दर्शनीय स्थानों में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. जयपुर में पर्यटन पुलिस की संख्या कम होने से पर्यटकों को हो रही

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

परेशानी एवं किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नाहरगढ़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये रिसोर्ट आदि बनाने एवं विद्याधर नगर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रंगमंच एवं प्रदर्शनी स्थल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विभाग द्वारा आमेर में पर्यटकों के लिये सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) :

116. विभाग द्वारा जोधपुर संभाग में पर्यटकों की निरंतर बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षित नवयुवकों को गाईड लाईसेंस प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विभाग द्वारा जोधपुर संभाग में निरंतर पर्यटकों के आगमन को दृष्टिगत रखते हुये सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा जोधपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर विकसित हो रहे पेइंग गेस्ट व्यवस्था को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।